पंजीकृत संख्या–यू0ए0/डी0ओ0/डी0डी0एन0/30/2012–14
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 23 जून, 2012 ई0 (आषाढ़ 02, 1934 शक सम्वत्)

भाग 1–क

नियम, कार्य–विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया

उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग

इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स (इ0), प्रथम तल, नियर आई0एस0बी0टी0, माजरा देहरादून

अधिसूचना

19 दिसम्बर, 2011 ई0

संख्या एफ–09(25)आर0जी0/यूईआरसी/2011/1263–विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 61 सपठित धारा 181, के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इस निमित्त सभी शक्तियों से सक्षम हो कर पूर्व प्रकाशन के पश्चात् उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग, एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाते है :–

1–संक्षिप्त नाम, विस्तार व प्रारम्भ–

(1) इन विनियमों का नाम उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग (शुल्क के अवधारण हेतु निबंधन एवं शर्तें) विनियम, 2011, संक्षेप में यू0ई0आर0सी0 शुल्क विनियम, 2011 होगा।

(2) इन विनियमों का विस्तार संपूर्ण उत्तराखण्ड राज्य में होगा।

(3) ये विनियम वित्त वर्ष 2013–14 अर्थात् 1 अप्रैल, 2013 से वित्त वर्ष 2015–16 अर्थात् 31 मार्च, 2016 तक इन विनियमों के अधीन आये सभी शुल्कों के अवधारण हेतु लागू होंगे, तथापि, वित्त वर्ष 2012–13 तक की अवधि से सम्बन्धित सभी मामलों की समीक्षा सहित सभी प्रयोजनों के लिए, शुल्क के अवधारण सम्बन्धित मामले, निम्नलिखित विनियमों, जिनमें उनका संशोधन भी सम्मिलित है, के द्वारा निर्धारित होंगे :–

(ए) यू0ई0आर0सी0 (जल विद्युत उत्पादन दर के अवधारण हेतु निबंधन एवं शर्तें) विनियम, 2004 समय–समय पर संशोधनानुसार

(बी) यू0ई0आर0सी0 (पारेषण दरों के अवधारण हेतु निबंधन एवं शर्तें) विनियम, 2004 समय–समय पर संशोधनानुसार

(सी) यू0ई0आर0सी0 (वितरण दरों के अवधारण हेतु निबंधन एवं शर्तें) विनियम, 2004 समय–समय पर संशोधनानुसार

(डी) यू0ई0आर0सी0 (दरों के सहीकरण हेतु निबंधन एवं शर्तें) विनियम, 2008

(ई) यू0ई0आर0सी0 (वृद्धि कारक अवधारण हेतु निबंधन एवं शर्तें) विनियम, 2006

2. इन विनियमों में किसी के बात के होते हुए भी आयोग उन दरों को अपनायेगा जोकि केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित प्रतियोगी बोली दिशा निर्देश में के अनुसार अधिनियम की धारा 63 के प्रतियोगी बोली की प्रक्रिया के माध्यम से अवधारित की गई हो।

3. परिभाषाएं

जब तक संदर्भ से अन्यथा आपेक्षित न हो, इन विनियमों में:–

(1) प्रत्येक वित्त वर्ष हेतु "लेखा विवरण" से निम्नलिखित विवरण अभिप्रेत है, अर्थात्–

(ए) कम्पनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची 4 के भाग 1 में सम्मिलित प्रपत्र के अनुसार तैयार तुलनपत्र।

(बी) भारतीय चार्टरित लेखाकार संस्थान के नकदी प्रवाह विवरण (ए.एस–3) पर लेखा मानक के अनुसार तैयार नकदी प्रवाह विवरण (कैश फ्लो स्टेटमेन्ट)

(सी) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 209 (1) के अधीन केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित लागत अभिलेख

(डी) इसके नोट्स तथा ऐसे अन्य समर्थक विवरण व जानकारी जो कि समय समय पर आयोग निर्देश दे

(ई) कंपनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची 6 के भाग 2 में दी गई अपेक्षाओं का अनुपालन करते हुए लाभ व हानि लेखा

(एफ) सांविधिक लेखा परीक्षक

(जी) परन्तु, विद्युत वितरण के व्यवसाय में संलग्न स्थानीय प्रधिकारी के मामलों में लेखा विवरण से अभिप्राय होगा ऐसे प्रधिकारी पर लागू सुसंगत अधिनियमों व सिंविधियों के अनुसार तैयार किये गये व रखे गये उपरोक्तानुसार मदें।

(2) "अधिनियमों" से विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) अभिप्रेत है जिसमें इसके संशोधन भी सम्मिलित हैं।

(3) "अतिरिक्त पंजीकरण" से विनियम 24 के उपबंधों के अधीन कुशल जांच के पश्चात् आयोग द्वारा स्वीकृत तथा परियोजना के व्यावसायिक परिचालन की तिथि के पश्चात् वास्तव में हुए या होने के लिए प्रक्षेपित पूंजीगत व्यय अभिप्रेत हैं।

(4) कुल राजस्व आवश्यकता से, इन विनियमों के अनुसार एक वित्त वर्ष विशेष के लिये अपने अनुज्ञापित/विनियमित व्यवसाय से संबंधित सभी अनुमेय व्ययों व वापसी के, शुल्को के माध्यम से वसूली हेतु पारेषण अनुज्ञापी या वितरण अनुज्ञापी या उत्पादक कंपनी या एए.एल.डी.सी. की आवश्यकताएं अभिप्रेत है

(5) "आबंटन विवरण" से प्रत्येक वित्त वर्ष हेतु ऐसा राजस्व लागत, आस्ति, देयता, आरक्षिति, प्रावधान की राशि दर्शाते हुए अनुज्ञापी उत्पादक कंपनी के पृथक पृथक व्यवसायों के संबंध में विवरण अभिप्रेत है जो:—

(ए) प्रत्येक प्रभार के आधार के विवरण के साथ ऐसे प्रत्येक पृथक पृथक व्यवसाय से प्रभारित हो

(बी) प्रभाजन या आबंटन के आधार के विवरण के साथ अनुज्ञापी/उत्पादक कंपनी के अनुज्ञापित/विनियमित व्यवसाय तथा प्रत्येक अन्य पृथक व्यवसाय के मध्य प्रभाजन या आबंटन द्वारा अवधारण हों

(सी) परन्तु उत्पादक स्टेशन के संबंध में ऐसे आबंटन विवरण को इस तरह रखा जायेगा कि शुल्क अवधारण चरण–वार, यूनिट वार या प्रत्येक उत्पादक स्टेशन के लिये हो सके।

(6) "आवेदक" से ऐसी उत्पादक कंपनी या पारेषण अनुज्ञापी या वितरण अनुज्ञापी या एस.एल.डी.सी. अभिप्रेत है जिसने अधिनियम या इन विनियमों के अनुसार वार्षिक कार्य निष्पादन समीक्षा हेतु आवेदन या कुल राजस्व आवश्यकता तथा/या शुल्क हेतु आवेदन/याचिका प्रत्तुत किया हों। इसमें ऐसी उत्पादक कंपनी या पारेषण अनुज्ञापी या वितरण अनुज्ञापी या एस.एल.डी.सी. सम्मिलित है जिसका शुल्क आयोग द्वारा स्वप्रेरणा से या किसी हितबद्ध प्रभावित व्यक्ति द्वारा दायर याचिका पर या वार्षिक कार्य निष्पादन समीक्षा के भाग के रूप में समीक्षा के अधीन हो

(7) "लेखा परीक्षक" से कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 224 व 619 के उपबंधो या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अनुसार यथास्थिति उत्पादक कंपनी या अनुज्ञापी द्वारा नियुक्त लेखा परीक्षक अभिप्रेत है।

(8) एक उत्पादक स्टेशन के मामले में, एक अवधि के संबंध में 'अनुषंगी ऊर्जा उपयोग" से, उत्पादक स्टेशनों के भीतर परिवर्तक हानियों तथा उत्पादक स्टेशन के अनुसंगी उपकरण द्वारा उपभोग की गई ऊर्जा की मात्रा अभिप्रेत है तथा यह उत्पादक स्टेशन की सभी यूनिटों के उत्पदक टर्मिनल्स पर उत्पादित कुल ऊर्जा के योग में प्रतिशत के रूप में अभिव्यक्त की जायेगी।

परन्तु इन विनियमों के प्रयोजन हेतु अनुषंगी ऊर्जा उपयोग के एक भाग के रूप में एक उत्पादक स्टेशन के कालोनी उपभोग, को सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

(9) एक दी गई अवधि के लिये पारेषण प्रणाली के संबंध में "उपलब्धता" से घंटो में वह अवधि अभिप्रेत है जिसमें पारेषण प्रणाली प्रेषण बिंदु तक अपनी रेटेड वोल्टेज पर विद्युत पारेषित करने में सक्षम है तथा एक दी गई अवधि में यह प्रतिशत में अभिव्यक्त की जायेगी।

(10) "बैंक दर" से सुसंगत वर्ष में 1 अप्रैल को भारतीय रिज़र्व बैंक दर अभिप्रेत है।

(11) "आधार वर्ष" से नियन्त्रण अवधि के प्रथम वर्ष से तुरन्त पूर्व के दो वित्त वर्ष अभिप्रेत है तथा प्रथम नियंत्रण अवधि हेतु आधार वर्ष वित्त वर्ष 2011–12 होगा

(12) एक उत्पादक स्टेशन के संबंध में "लाभार्थी" से ऐसे उत्पादक स्टेशन पर उत्पादित विद्युत क्रय करने वाला व्यक्ति अभिप्रेत है जिसकी दरें इन विनियमों के अधीन अवधारित हो पारेषण व्यवसाय से संबंधमें "लाभार्थी" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसने पारेषण प्रभारों का भुगतान कर पारेषण क्षमता की संविदा भी है।

(13) एक संयुक्त चक्र ताप उत्पादक स्टेशन के संबंध में "ब्लॉक" में कम्बक्शन टर्बाइन–जनरेटर्स, सहायक अवशिष्ट ताप रिकवरी बायलर्स, संयोजित भाप टर्बाइन–जनरेटर्स तथा सहायकारी सम्मिलित है

(14) "पूंजी लागत" से विनियम 23 में परिभाषित पूंजी लागत अभिप्रेत है

(15) "सी.ई.आर.सी." से केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग अभिप्रेत है

(16) "विधि में परिवर्तन" से निम्नलिखित में से किसी घटना का होना अभिप्रेत है।

(ए) किसी विधि का अधिनियम, प्रभाव में लाना, अंगीकरण, प्रख्यापन, संशोधन, आशोधन या निरस्त या

(बी) किसी सक्षम न्यायालय, न्यायाधिकरण या भारतीय सरकारी अभिकरण द्वारा किसी विधि में निर्वचन में परिवर्तन जो ऐसे निर्वचन हेतु विधि के अधीन अंतिम प्राधिकारी हो।

(सी) परियोजना हेतु उपलब्ध या प्राप्त किसी सहमति अनुमोदन या अनुज्ञप्ति में किसी सक्षम संविधिक प्रधिकारी द्वारा परिवर्तन।

(17) "आयोग" से उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग अभिप्रेत है।

(18) "संविदाकृत ऊर्जा" से एम.डब्लू. में ऐसी ऊर्जा अभिप्रेत है जिस पर आवेदक सहमति पत्र के अनुसार पारेषित/व्हील/आपूर्ति हेतु सहमत है।

(19) "नियंत्रण अवधि" से पूर्वानुमान की प्रस्तुति हेतु आयोग द्वारा नियम एक या अधिक वित्त वर्षो की अवधि अभिप्रेत है तथा प्रथम नियंत्रण अवधि अर्थात् 1 अप्रैल, 2013 से 31 मार्च, 2016 तक के लिये तीन वर्ष होगी।

(20) "परंपरागत ऊर्जा संयंत्रों" से 25 एम.डब्लू. की क्षमता इससे अधिक के लिग्नाइट, कोयला या गैस आधारित ताप या जल विद्युत उत्पादक स्टेशन्स अभिप्रेत है।

(21) "विभेदक तिथि" से परियोजना के व्यावसायिक प्रचालन के वर्ष के दो वर्ष पश्चात् समाप्त होने वाले वर्ष की 31 मार्च अभिप्रेत है, तथा यदि परियोजना किसी वर्ष की अंतिम तिमाही में वाणिज्यिक प्रचालन के अधीन घोषित होता है तो विभेदक तिथि, वाणिज्यिक प्रचालन के वर्ष में तीन वर्ष पश्चात् समाप्त होने वाले वर्ष की 31 मार्च होगी।

(22) "वाणिज्यिक प्रचालन की तिथि" या "सी.ओ.डी." से अभिप्राय है:

(ए) ताप उत्पादक स्टेशन के एक यूनिट या ब्लॉक में संबंध में 0000 बजे से, लाभार्थियां को नोटिस देने के पश्चात् सफल परख चालन के द्वारा अधिकतम निरंतर रेटिंग (एम.सी.आर) या संस्थापित क्षमता (आई.सी.) के प्रदर्शन के पश्चात् उत्पादक कंपनी द्वारा घोषित तिथि जिसकी अनुसूचक प्रक्रिया भारतीय विद्युत ग्रिड संहिता तथा/या यू.ई.आर.सी. (राज्य ग्रिड संहित) विनियम, 2007 के अनुसार पूर्ण रूप से लागू की गई है तथा पूर्ण रूप से उत्पादक कंपनी की पिछली यूनिट या ब्लाक के वाणिज्यिक प्रचालन की तिथि

(बी) जल विद्युत उत्पादक की यूनिट के संबंध मं 00:00 बजे से उत्पादक कंपनी द्वारा घोषित तिथि, जिसकी, लाभार्थियो को नोटिस के पश्चात् भारतीय विद्युत ग्रिड संहिता तथा/या यू.ई.आर.सी. (राज्य ग्रिड संहित) विनियम, 2007 के अनुसार अनुसूचक प्रक्रिया पूर्णतः लागू की गई हो, तथा पूर्ण रूप में एक उत्पादक स्टेशन के संबंध में, लाभार्थियों को नोटिस देने के पश्चात् सफल परख चालन के द्वारा उत्पादक स्टेशन की स्थापित क्षमता की तत्समय पीकिंग क्षमा प्रदर्शित करने के पश्चात् उत्पादक कंपनी द्वारा घोषित तिथि

<u>टिप्पणी</u>

i यदि पाँडेज या स्टोरेज के साथ जल विद्युत उत्पादक स्टेशन अपर्याप्त जलाशय या ताल स्तर के कारणों से, संस्थापित क्षमता के तत्समय पीकिंग क्षमता प्रदर्शित नहीं कर पाता है तो उत्पादक स्टेशन की पिछली यूनिट के वाणिज्यिक प्रचालन की तिथि पूर्ण रूप से उत्पादक स्टेशन वाण्पिज्यिक प्रचालन की तिथि समझी जायेगी, परन्तु ऐसे जल विद्युत उत्पादक स्टेशन के लिये ऐसा जलाशय/ताल स्तर प्राप्त हो जाने पर उत्पादक यूनिट या उत्पादक स्टेशन की संस्थापित क्षमता के समकक्ष पीकिंग क्षमता प्रदर्शित करना आज्ञापक होगा।

ii शुद्ध रूप से रन–आंफ–रिवर जल विद्युत उत्पादक स्टेशन के मामले के जब ऐसे प्रदर्शन हेतु मद प्रवाह की अवधि में जल पर्याप्त नहीं होता। यदि उत्पादक स्टेशन वाणिज्यिक प्रचालन के अधीन घोषित होता है तो ऐसे जल विद्युत उत्पादक स्टेशन की यूनिट के लिये, जब व जैसे ही प्रवाह उपलब्ध हो संस्थापित क्षमता के बराबर पीकिंग क्षमता प्रदर्शित करना अज्ञापक होगा।

(सी) पारेषण प्रणाली के संबंध में 00:00 बजे से पारेषण अनुज्ञापी द्वारा घोषित तिथि जिसका पारेषण प्रणाली का एक अव्यव रेटेड वोल्टेज की सफल प्रभार के पश्चात् तथा परख प्रचालन के पश्चात् नियमित सेवा में हो:

परन्तु यह तिथि कैलेंडर माह का प्रथम दिन होगा तथा अवयव हेतु पारेषण प्रभार देय होंगे व इसकी उपलब्धता उस दिन से गिनी जायेगी।

परन्तु आगे यह भी यदि पारेषण प्रणाली का एक अवयव नियमित सेवा के लिय तैयार है किंतु ऐसे कारणों से जिनके लिए पारेषण अनुज्ञापी इसके आपूर्तिकर्त्ता या संविदाकार उत्तरदायी न हों, सेवाएं प्रदान करने से प्रतिबंधित होता है तो आयोग अव्यव के नियमित सेवा में आने से पहले वाणिज्यिक प्रचालन की तिथि अनुमोदित कर सकता है।

(डी) वितरण अनुज्ञापी के मामले में विद्युत लाईन या वितरण अनुज्ञापी के उप–स्टेशन से इनकी रेटेड वोल्टेज के प्रभारित होने की तिथि या उस तिथि के पश्चात् सात दिन जिस पर वितरण अनुज्ञापी द्वारा इसे प्रभारित होने के लिए घोषित किया जाता है किंतु ऐसे कारणों से जिसके लिये आपूर्तिकर्त्ता या संविदा उत्तरदायी न हों, प्रभारित नहीं कर पाता, में से जो पहले हो, अभिप्रेत है:

परन्तु वाणिज्यिक प्रचालन की तिथि, जब तक की सभी पक्षों द्वारा आपस में सहमति न हो तब तक यथास्थिति ऊर्जा क्रय करार या कार्यान्वयन करार या पारेषण सेवा करार या व्हीलिंग करार या निवेश अनुमोदन में उल्लिखित वाणिज्यिक प्रचालन की अनुसूचित तिथि से पूर्व की तिथि नहीं होगी।

(23) ''दिन'' से 0000 बजे से प्रारम्भ 24 घंटे की अवधि अभिप्रेत है

(24) एक उत्पादक स्टेशन के संबंध में ''घोषित क्षमता'' या ''डी.सी.'' से सुसंगत विनियम में अतिरिक्त योग्यता के अधीन ईंधन या जल की उपलब्धता का उचित रूप से विचार करते हुए दिन के किसी समय खण्ड या संपूर्ण दिन के संबंध में ऐसे उत्पादक स्टेशन द्वारा एक.डब्यू. में घोषित एक्स बस प्रेषण की क्षमता अभिप्रेत है।

(25) ''डिजाइन ऊर्जा'' से ऊर्जा की ऐसी मात्रा अभिप्रेत है जिसे जल विद्युत उत्पादक स्टेशन की 95 प्रतिशत संस्थापित क्षमता के साथ एक 90 प्रतिशत विश्वसनीय वर्ष में उत्पादित किया जा सके।

(26) ''वितरण कारोबार'' से वितरण अनुज्ञापी के अपूर्ति क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति करने के लिये वितरण प्रणाली का प्रचालन व रखरखाव अभिप्रेत है

(27) ''वितरण हानि'' से वितरण अनुज्ञापी की वितरण प्रणाली में ऊर्जा की हानियाँ अभिप्रेत है इसमें एयर कंडिशनिंग, लाइटनिंग, बैटरी चार्जिंग, उपस्टेशन उपकरणो के साधन सम्मिलित हैं तथा इसका लेखाकरण पृथक रूप से किया जायेगा।

(28) ''वर्तमान उत्पादक स्टेशन'' से ऐसा उत्पादक स्टेशक अभिप्रेत है जिसने इन विनियमों की अधिसूचना की तिथि से पूर्व सी.ओ.डी. प्राप्त कर लिया हो।

(29) ''वर्तमान परियोजना'' से इन विनियमों की अधिसूचना की तिथि से पूर्व की तिथि से वाणिज्यिक प्रचालन के अधीन घोषित परियोजना अभिप्रेत है।

(30) ''शुल्क व प्रभारो से अपेक्षित राजस्व'' से प्रचलित दरों पर अनुज्ञापित/विनियमित कारोबार से अनुज्ञापी उत्पादक कंपनी/एस.एल.डी.सी. उपर्जित आधारित राजस्व अभिप्रेत है,

(31) ''उपार्जित व्यय'' से एक उपयोगी परिसंपत्ति के सृजन या अधिग्रहण हेतु वास्तव में परिनियोजित तथा नकद या नकदी के समक्ष भुगमान की गई निधि चाहें वह इक्विटी या ऋण या दोनों, अभिप्रेत है तथा इसमें इससे ऐसी प्रतिबद्धता या देयता सम्मिलित नहीं है जिसके लिये कोई भुगतान जारी न किया गया हो।

(32) ''वित्त वर्ष'' से एक कैलेंडर वर्ष की पहली अप्रैल से प्रारम्भ तथा अगले कैलेंडर वर्ष के 31 मार्च को समाप्त अवधि अभिप्रेत है।

(33) ''अपरिहार्य घटना'' से किसी पक्ष के संबंध मे ऐसी घटना या परिस्थिति अभिप्रेत है जो उसके युक्तियुक्त नियंत्रण में नहीं है तथा उस पक्ष के किसी कार्य या कार्य के लोप के कारण न हो तथा उचित सावधानी व तत्परता बरतते हुए भी वह पक्ष उसे आगामी व्यापकता को सीमा बद्ध किये बिना, रोकने में असमर्थ हो:

ए) दैवी कार्य, आकशीय बिजली, तूफान, भूक्म्प, बाढ़, सूखा, प्राकृतिक आपदा सहित किंतु इन तक सीमित नहीं:

बी) हड़ताल, तालाबंदी, धीमी गती, बंद या अन्य औघोगिक व्यवधान:

सी) सामाजिक शत्रुता के कार्य, युद्ध (घोषित व अपेक्षित) घेराबंदी, विप्लप, दंगो, क्रांति, तोड़ फोड़, कलाध्वंस सार्वजजनिक व्यवधान

डी) अपरिवर्तनीय दुर्घटना, जिससे अग्नि, विस्फोट, रोडियोधर्मी–संदूषण तथा जहरीला रासायनिक संदूषण सम्मिलित है किंतु इन तक सीमित नहीं है

ई) ग्रिड की बंदी या व्यवधान जो कि राज्य या केन्द्र सरकार द्वारा या आयोग या राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा अपेक्षित है या कोई बंदी या व्यवधान जो महत्वपूर्ण संयंत्र या उपकरण के विफल होने से गंभीर व तुरंत खतरे को टालने के लिए अपेक्षित हो

(34) ''उत्पादन कारोबार'' से उत्पादक स्टेशन से विद्युत उत्पादन का कारोबार अभिप्रेत है

(35) ''उत्पादन शुल्क'' से उत्पादक स्टेशन से विद्युत की एक्स बस आपूर्ति हेतु शुल्क अभिप्रेत है।

(36) ''एक ताप उत्पादक स्टेशन के संबंध में'' कुल कैलोरी मूल्य से यथा स्थिति एक किलो ग्राम ठोस ईंधन या एक लीटर तरल ईंधन या एक मानक घन लीटर गैसीय ईंधन के पूर्ण दहन द्वारा केसीएएल में उत्पादित उष्मा अभिप्रेत है।

(37) ''कुल स्टेशन उष्मा दर'' से एक तापीय उत्पादक स्टेशन के उत्पादक टर्मिनल्स पर विद्युत ऊर्जा का एक के.डब्लू.एच. उत्पादित करने के लिए आवश्यक केसीएएल में उष्मा ऊर्जा आगत अभिप्रेत है।

(38) "अशक्त ऊर्जा" से उत्पादक स्टेशन की यूनिट के वाणिज्यिक प्रचालन से पूर्व उत्पादित विद्युत अभिप्रेत है।

(39) "संस्थापित क्षमता" से समय समय पर आयोग द्वारा अनुमोदित उत्पादक स्टेशन की सभी यूनिटों की नाम पट्ट क्षमता का संकलन या उत्पादक स्टेशन की क्षमता (जेनरेटर टर्मिनल्स पर संगठित) अभिप्रेत है।

(40) "अन्तः संयोजन बिन्दु" से यथा स्थिति, पारेषण अनुज्ञापी के ई.एच.वी. उप स्टेशन या वितरण अनुज्ञापी के एच.वी. उप स्टेशन पर ऐसा बिंदु अभिप्रेत है जहाँ उत्पादक स्टेशन से उत्पादित विद्युत उत्तराखण्ड ग्रिड या पारेषण नेटवर्क व वितरण नेटवर्क के मध्य अन्तः संयोजन बिंदु पर अन्तःक्षेपित की जाती है।

(41) "अन्तर्राज्यीय उत्पादक स्टेशन" या "आई.एस.जी.एस." से भारतीय विद्युत ग्रिड संहिता में केन्द्रीय आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट अर्थ अभिप्रेत है

(42) "अन्तर्राज्यीय पारेषण प्रणाली में" निम्नलिखित सम्मिलित हैः

ए) एक राज्य से दूसरे राज्य के क्षेत्र के मुख्य पारेषण लाईन के द्वारा विद्युत के संप्रेषण हेतु कोई प्रणाली

बी) एक मध्यवर्ती राज्य के क्षेत्र से हो कर विद्युत का संप्रेषण तथा साथ ही ऐसे राज्य के भीतर संप्रेषण जो कि विद्युत के ऐसे अन्तर्राज्यीय पारेषण हेतु प्रासंगिक हो

सी) एक केन्द्रीय पारेषण युटिलिटी द्वारा निर्मित, स्वामित्व में, प्रचालित अनुरक्षित व नियंत्रित प्रणाली पर एक राज्य के क्षेत्र के भीतर विद्युत का पारेषण

(43) "राज्यन्तर्गत उत्पादक स्टेशन" से ऐसा उत्पादक स्टेशन का आबद्ध उत्पादक संयंत्र (सी.जी.पी.) अभिप्रेत है जो एक अन्तर्राज्यीय उत्पादक स्टेशन नहीं है

(44) "राज्यान्तर्गत पारेषण प्रणाली" से ऊपर परिभाषित अनतर्राज्यीय पारेषण प्रणाली से अन्य राज्य के क्षेत्र की भीतर पारेषण लाईनों द्वारा विद्युत के संप्रेषण हेतु कोई प्रणाली अभिप्रेत है, इसमें राज्य के पारेषण अनुज्ञापियों की सभी पारेषण लाईनें, उप–स्टेशन्स तथा सहायता उपकरण सम्मिलित है।

(45) "अनुज्ञापी" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसे विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 14 के अधीन अनुज्ञप्ति प्राप्त हो तथा इसमें ऐसा व्यक्ति सम्मिलित है जिसे कि अधिनियम की उपरोक्त धारा के अधीन अनुज्ञापी समझा गया हो।

(46) "दीर्घावधि पारेषण उपभोक्ता" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसके पास पारेषण प्रभार भुगतान द्वारा राज्यान्तर्गत पारेषण प्रणाली के उपयोग का दीर्घावधि संविदाकृत अधिकार हो

(47) एक तापीय उत्पादक स्टेशन की यूनिट के संबंध में – "अधिकतम निरंतर रेटिंग" या "एम.सी.आर" से निर्धारित प्राचल पर निर्माता द्वारा गारंटीकृत उत्पादक टर्मिनल्स पर अधिकतम निरन्तर उत्पादन अभिप्रेत

है तथा एक संयुक्त चक्र तापीय उत्पादन स्टेशन के ब्लॉक के संबंध में विनिर्दिष्ट स्थल परिस्थितियों तथा एच.जेड़ ग्रिड बारंबारता तक सुधारे व जल या भाप अन्तःक्षेपण (यदि लागू हो) के साथ निर्माता द्वारा गारंटीकृत, उत्पादन टर्मिनल्स पर अधिकतम निरन्तर उत्पादम अभिप्रेत है

(48) "नवीन उत्पादक स्टेशन" से इन विनियमों की अधिसूचना की दिनांक पर या उसके पश्चात् सी.ओ.डी. के साथ उत्पादक स्टेशन अभिप्रेत है

(49) "गैर शुल्क आय" से मूल व्यवसाय की परिसंपत्तियों के उपयोग द्वारा प्राप्त शुल्क से आय को छोड़ कर अन्य आय अभिप्रेत है तथा इसमें अन्य व्यवसायों से आय का अनुपात सम्मिलित है तथा वितरण अनुज्ञापी के खुदरा आपूर्ति व्यवसाय के मामलों में व्हीलिंग प्रभारों पर अतिरिक्त अधिभार तथा प्रति सहायिकी अधिभार के कारण व्हीलिंग से आय को छोड़ कर, अभिप्रेत है

(50) एक तापीय उत्पादक स्टेशन के संबंध में "मानकीय वार्षिक संयंत्र उललब्धता कारक" या "एल.ए.पी.ए. एफ." से विनियम 48(1) में विनिर्दिष्ट उपलब्धता कारक अभिप्रेत है तथा जल विद्युत उत्पादक स्टेशन के संबंध में विनियम 51(1) में विनिर्दिष्ट उपलब्धता कारक अभिप्रेत है

(51) "प्रचालन व अनुरक्षण व्ययो" या ओ.एंड.एम. व्ययों से प्रचालन व अनुरक्षण पर हुए व्यय अभिप्रेत है तथा इनमें जन शक्ति, मरम्मत, पूर्जे, उपभोज्य, बीमा व ऊपरी व्यय सम्मिलित है

(52) "मूल परियोजना लागत" से आयोग द्वारा स्वीकृत विभेदक विधि तथा परियोजना की मूल परिधि के भीतर यथास्थिति, उत्पादक कंपनी या अनुज्ञापी द्वारा किये गये पूंजीगत व्यय अभिप्रेत है

(53) "अन्य व्यवसाय" से पारेषण अनुज्ञापी या वितरण अनुज्ञापी की परिसंपत्तियों में अधिकतम उपयोग हेतु अधिनियम की धारा 51 के अधीन ऐसे वितरण अनुज्ञापी या अधिनियम की धारा 41 के अधीन ऐसे पारेषण अनुज्ञापी द्वारा किया गया कोई व्यवसाय अभिप्रेत है

(54) किसी अवधि के लिये उत्पादक स्टेशन के संबंध में "संयंत्र उपलब्धता कारक (पी.ए.एफ.) से मानकीय अनुषंजी ऊर्जा उपभोग द्वारा घटायी गई एम.डब्लू में संस्थपित क्षमता के प्रतिशत के रूप में अभिव्यक्त उस अवधि के दौरान सभी दिनों के लिये प्रतिदिन घोषित क्षमताओं का औसत अभिप्रेत है

(55) "परियोजना" से यथास्थिति उत्पादक स्टेशन या पारेषण प्रणाली या वितरण प्रणाली अभिप्रेत है तथा जल विद्युत स्टेशन के मामले में इससे ऊर्जा उत्पादन के प्रभाजित रूप में योजना की उत्पादक ईकाईयां, ऊर्जा उत्पादक स्टेशन प्रवेश जल संवाहक प्रणाली, बांध जैसे उत्पादन सुविधा के सभी अवयव सम्मिलित हैं

(56) पारेषण या वितरण प्रणाली के संबंध में "निर्धारित वोल्टेज" से ऐसी डिजाइन वोल्टेज अभिप्रेत है जिस पर प्रचालन हेतु पारेषण या वितरण प्रणाली डिलाइन की गई है या ऐसी निम्न वोल्टेज जिस पर दीर्घावधि पारेषण उपभोक्ताओं या उपयोग कर्त्ताओं के साथ परामर्श कर तत्समय लाइन चार्ज की गई है

(57) "खुदरा अपूर्ति व्यवसाय" से अपनी अनुज्ञप्ति की शर्तो के अनुसार अपने उपभोक्ताओं को वितरण अनुज्ञापी द्वारा विद्युत विक्रय का व्यवसाय अभिप्रेत है

(58) "रन आफ रिवर उत्पादक स्टेशन" से ऐसा जल विद्युत उत्पादक स्टेशन अभिप्रेत है, जिसके पास अपस्ट्रीम पोन्डेज न हों।

(59) "पोन्डेज के साथ रन आफ रिवर उत्पादक स्टेशन" से ऊर्जा मांग परिवर्तन को पूरा करने के लिए पर्याप्त पोन्डेज के साथ जल विद्युत उत्पादक स्टेशन अभिप्रेत है

(60) "खुदरा आपर्ति दर" से गैर खुली पहुँच उपभोक्ताओं/ग्राहको को आपूर्ति हेतु वितरण अनुज्ञापी द्वारा प्रभारित दर अभिप्रेत है, इसमें व्हीलिंग तथा खुदरा आपूर्ति के प्रभार सम्मिलित है

(61) "अनुसूचित ऊर्जा" से एक दिन में उत्पादक स्टेशन द्वारा ग्रिड में अन्तःक्षेपित की जाने वाली, सम्बन्धित भार प्रेषण केन्द्र द्वारा अनुसूचित ऊर्जा की मात्रा अभिप्रेत है

(62) किसी समय या किसी अवधि या समय खण्ड के लिए अनुसूचित उत्पादन या एस.जी. से सम्बन्धित भार प्रेषण केन्द्र द्वारा दिया गया एम.डब्लू. या एम.डब्लू.एच. एक्स–बस में अनुसूचित उत्पादन अभिप्रेत है

टिप्पणी

ओपन साइकल गैस टर्बाइन उत्पादक स्टेशन या संयुक्त साइकल उत्पादक स्टेशन के लिए किसी समय खण्ड हेतु औसत आवृति यदि 49.52 एच जेड से नीचे है. किन्तु 49.02 एच जेड से नीचे नहीं है तथा अनुसूचित उत्पादन घोषित क्षमता के 98.5 प्रतिशत से अधिक है तो अनुसूचित उत्पादन घोषित क्षमता के 98.5 प्रतिशत घटा हुआ माना जायेगा तथा यदि किसी समय खण्ड के लिए औसत आवृति 49.02 एचजेड से कम है तथा अनुसूचित उत्पादन घोषित क्षमता का 96.5 प्रतिशत अधिक है तो अनुसूचित उत्पादन घोषित क्षमता का 96.5 प्रतिशत घटा हुआ माना जायेगा।

(63) "लघु गैस टर्बाइन उत्पादक स्टेशन" से 50 एम डब्लू या इससे कम क्षमता में गैस टर्बाईन के साथ ओपन साइकल गैस टर्बाइन या संयुक्त चक्र उत्पादक स्टेशन अभिप्रेत है व सम्मिलित है

(64) "राज्य भार प्रेषण केन्द्र" या "एस.एल.डी.सी." से अधिनियम की धारा 31 के अधीन शक्तियों के प्रयोग व कार्यो के निष्पादन के प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा स्थापित केन्द्र अभिप्रेत है

(65) "भंडारण प्रभार का ऊर्जा स्टेशन" से ऐसा जल विद्युत उत्पादक स्टेशन अभिप्रेत है जिसमें मांग के अनुसार विद्युत के उत्पादन में परिवर्तन करने के लिये विशाल भंडारण क्षमता हो

(66) "शुल्क" से विद्युत की उत्पादन, पारेषण, व्हीलिंग व आपूर्ति हेतु प्रभारों की अनुसूची तथा इन्हें लागू करने के लिये निबंधन व शर्ते अभिप्रेत है

(67) "शुल्क अवधि" से वह अवधि अभिप्रेत है जिसके लिये इन विनियमों के अधीन आयोग द्वारा शुल्क या कुल राजस्व आवश्यकता अवधारित की गई हैं

(68) "समय खण्ड" से जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो 0000 बजे से प्रारम्भ होने वाली 15 मिनट का एक समय खण्ड अभिप्रेत है

(69) "व्यपारी कारोबार" से वितरण अनुज्ञापी की आपूर्ति क्षेत्र से बाहर अन्य अनुज्ञापी या उपभोक्ताओं या उपभोक्ताओं के वर्ग को विद्युत के पुनः विक्रय हेतु व्यापारी अनुज्ञापी या वितरण अनुज्ञापी द्वारा विद्युत के क्रय का कारोबार अभिप्रेत है

(70) "पारेषण व्यवसाय" से पारेषण लाईनों की स्थापना या प्रंचालन व्यवसाय अभिप्रेत है

(71) "पारेषण हानि से पारेषण अनुज्ञापी की पारेषण प्रणाली में ऊर्जा हानिंये अभिप्रेत है। एयर कंडिशनिंग, लाइटिंग बैटरी चार्जिज, उपस्टेशन उपकरण के उपसाधन इत्यादि के प्रयोजन हेतु उप–स्टेशन में अनुषंगी ऊर्जा उपभोग की बिलिंग की जायेगी तथा ये मरम्मत व रखरखाव का भाग समझे जायेंगे।

(72) "पारेषण सेवा अनुबन्ध" से अनुबन्ध, समझौता, समझौता ज्ञापन या ऐसे किसी प्रसंविदा, जो कि पारेषण अनुज्ञापीधारी तथा प्रसारण सेवा लाईनों के उपयोगकर्ता के बीच में हुए अनुबन्ध से अभिप्रेत है;

(73) "पारेषण प्रणाली" से संलग्न उप स्टेशन के साथ या इसके बिना लाईन का लाईन समूह अभिप्रेत है इसमें पारेषण लाईनों तथा उप स्टेशनों के साथ के साथ जुड़े उपकरण सम्मिलित है।

(74) संयुक्त चक्र तापीय उत्पादक स्टेशन से भिन्न तापीय उत्पादक स्टेशन के संबंध में "यूनिट" से स्टीम जेनरेटर, टर्बाइन जेनरेटर तथा अनुषांगिकियां अभिप्रेत है या संयुक्त चक्र तापीय उत्पादक स्टेशन के संबंध में टर्बाईन जेनरेटर व आनुषांगिकियां अभिप्रेत है तथा एक जल विद्युत उत्पादक स्टेशन के संबंध में टर्बाईन जेमरेटर तथा इसकी अनुषंगिकियां अभिप्रेत है

(75) "अनानुसूचित विनियम" (यू.आई.) से भारतीय विद्युत ग्रिड संहिता में परिभाषित अनानुसूचित विनियम अभिप्रेत है

(76) सी.ओ.डी. से प्रेषण प्रणाली व उत्पादक स्टेशन की एक यूनिट के संबंध में "उपयोगी जीवन" से निम्नलिखित अभिप्रेत है, अर्थात्–

ए) जल विद्युत उत्पादक स्टेशन – 35 वर्ष

बी) कोयला/लिग्नाईट आधारित तापीय उत्पादक स्टेशन – 25 वर्ष

सी) गैस/तरल ईंधन आधारित तापीय उत्पादक स्टेशन – 25 वर्ष

डी) पारेषण लाईन – 35 वर्ष

ई) वितरण लाईन वितरण प्रणाली – 35 वर्ष

(77) ''उपयोगकर्त्ता'' से पारेषण या वितरण अनुज्ञापी, उत्पादक कंपनी, कोई ऐसा व्यक्ति जिसमें कोई आबद्ध ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया हो या पारेषण अनुज्ञापी की पारेषण प्रणाली अथवा वितरण अनुज्ञापी की वितरण प्रणाली उपयोग कर रहे उन्मुक्त अभिगमन वाले उपभोक्ता अभिप्रेत है

(78) ''व्हीलिंग'' से ऐसा प्रचालन अभिप्रेत है जिसके द्वारा वितरण अनुज्ञापी की वितरण प्रणाली व संलग्न सुविधाएं, अधिनियम की धारा 62 के अधीन अवधारण किये जाने हेतु प्रभारो के भुगतान के पश्चात् विद्युत के संप्रेषण के लिये किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उपयोग में लाई जाती है।

(79) ''वर्ष'' से 31 मार्च को समाप्त होने वाला वित्त वर्ष अभिप्रेत है तथा

ए) ''वर्तमान वर्ष'' से वह वर्ष अभिप्रेत है जिस में वार्षिक लेखा विवरण या शुल्क के अवधारण हेतु याचिका दायर की जाये।

बी) ''पूर्व वर्ष'' से वर्तमान वर्ष से ठीक पिछला वर्ष अभिप्रेत है

सी) ''आगामी वर्ष'' से वर्तमान वर्ष से अगला वर्ष अभिप्रेत है

इन विनियमों में प्रयुक्त शब्दों तथा अभिव्यक्तियों, जो परिभाषित नहीं है परन्तु समय समय पर संशोधित विद्युत अधिनियम, 2003 में परिभाषित है, के वही अर्थ होंगे जो उक्त अधिनियम में दिये गये है।

4. विनियमों की परिधि

(1) ये विनियम निम्नलिखित मामलों से संबंध में लागू होंगेः–

ए) एक वितरण अनुज्ञापी को एक उत्पादक कंपनी द्वारा विद्युत आपूर्तिः

परन्तु विद्युत आपूर्ति की कमी होने पर आयोग, विद्युत की युक्तियुक्त कीमतें सुनिश्चित करने के लिए अधिकतम एक वर्ष हेतु उत्पादन कंपनी व अनुज्ञापी के मध्य या अनुज्ञापियों के मध्य हुए करार के अनुसरण में विद्युत के क्रय हेतु शुल्क की न्यूनतम व अधिकतम सीमा तय कर सकता है।

बी) विद्युत राज्यन्तर्गत पारेषण

सी) एस.एल.डी.सी.

डी) विद्युत की खुदरा आपूर्ति

परन्तु दो या दो से अधिक वितरण अनुज्ञापियों द्वारा एक ही क्षेत्र में विद्युत के वितरण के मामले में, वितरण अनुज्ञापियों के मध्य प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिये आयोग विद्युत की खुदरा बिक्री के लिये केवल अधिकतम सीमा तय कर सकता हैः

परन्तु आगे यह कि जहां अधिनियम की धारा 42 के अधीन उपभोक्ताओं के किसी वर्ग को आयोग द्वारा उन्मुक्त अभिगमन की अनुमति दी हुई है वहां आयोग इन विनियमों तथा उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग (राज्यानतर्गत उन्मुक्त अभिगमन के निबंधन एवं शर्तें) अधिनियम, 2010 के अनुसार व्हीलिंग शुल्क, प्रति सहायकी प्रभार, अतिरिक्त प्रभार तथा अन्य उन्क्त अभिगमन संबंधी प्रभार अवधारित करेगा।

(2) इन विनियमों में किसी बात के होते हुए भी आयोग शुल्क को अपनायेगा यदि ऐसे शुल्क केन्द्रीय सरकार द्वारा जारीं दिशा निर्देर्शो के अनुसार बोली की प्रक्रिया के द्वारा अवधारित किये गये हों।

(3) ये विनियम ऊर्जा के नवीकरणीय स्त्रोतों पर लागू नहीं होंगे जोकि समय समय पर संशोधित यू.ईआर. सी. (नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों तथा गैर जीवाश्म ईंधन आधारित कोजेनरेटिंग स्टेशन्स से विद्युत की आपूर्ति हेतु शुल्क एवं अन्य शर्तें) विनियम, 2010 द्वारा नियंत्रित होंगें।

(4) इन विनियमों के प्रभावी होने के पश्चात् निम्नलिखित विनियम निरस्त हो जायेंगें:

ए) समय समय पर संशोधित यू.ईआर.सी. (जल विद्युत उत्पादन शुल्क के अवधारण हेतु निबंधन एवं शर्तें) विनियम, 2004

बी) समय समय पर संशोधित यू.ईआर.सी. (पारेषण शुल्क के अवधारण हेतु निबंधन एवं शर्तें) विनियम, 2004

सी) समय, समय पर संशोधित यू.ईआर.सी. (वितरण शुल्क के अवधारण हेतु निबंधन एवं शर्तें) विनियम, 2004

ई) यू.ईआर.सी. (शुल्क के सहीकरण हेतु निबंधन एवं शर्तें) विनियम, 2008

ए) यू.ईआर.सी. (वृद्धि–कारक हेतु निबंधन एवं शर्तें) विनियम, 2008

तथापि, इन विनियमों की अधिसूचना तक अवधि से संबंधित समीक्षा मामलों सहित सभी प्रयोजनों के लिये शुल्क अवधारण संबंधी मामले उस अवधि में प्रचलित विनियमों द्वारा नियंत्रित होंगे।

भाग – 2

बहु वर्षीय शुल्क संरचना सामान्य सिद्धांत

5. बहु वर्षीय संरचना

ए.आर.आर. के अनुमोदन व नियंत्रण अवधि हेतु शुल्कों एवं प्रभारों से अपेक्षित राजस्व के लिए आयोग बहु वर्षीय शुल्क संरचना अपनायेगा। बहुवर्षीय शुल्क संरचना निम्नलिखित पर आधारित होगी:–

ए) नियन्त्रण अवधि के प्रारम्भ होने से पूर्व आयोग द्वारा अनुमोदन हेतु समस्त नियंत्रण अवधि के लिये आवेदक द्वारा प्रस्तुत व्यावसायिक योजना:

बी) नियन्त्रण अवधि के प्रथम वर्ष के लिये कुल राजस्व आवश्यकता तथा शुल्कों के अवधारण हेतु एम.वाय.टी. याचिका के साथ प्रस्तुत इन विनियमों के अधीन नियम वित्तीय एवं प्रचालक सिद्धांतो/मानदंडो व युक्तियुक्त धारणाओं पर आधारित नियन्त्रण अवधि के प्रत्येक वर्ष हेतु अपेक्षित ए.आर.आर. का आवेदक का पूर्वानुमान

सी) अनुज्ञापी की प्रस्तुतियों, आवेदक के वास्तविक कार्य निष्पादन डाटा तथ्यों ऐसी ही युटिलिटिज के कार्य निष्पादन के आधार पर आयोग द्वारा नियत विनिर्दिष्ट मानदंडों हेतु विक्षेप–पथ

डी) कार्य निष्पादन की वार्षिक समीक्षा नियन्त्रण योग्य कारकों तथा नियंत्रण–अयोग्य कारकों में कार्य निष्पादन में परिवर्तन के अनुमोदित पूर्वानूमान तथा वर्गीकरण के मुकाबले में की जायेगी।

ई) इन विनियमों के उपबंधो के अनुसार नियंत्रण योग्य व नियन्त्रण अयोग्य कारकों के कारण अतिरिक्त लाभ या हानि की भागीदारी।

6. नियन्त्रण अवधि

इन विनियमों के अधीन प्रथम नियन्त्रण अवधि तीन (3) वित्त वर्षो की होगी। इन विनियमों के अधीन प्रथम आवेदन 1 अप्रैल, 2013 से 31 मार्च, 2016 तक तीन वर्षो की अवधि के लिये किया जायेगा।

परन्तु यदि कोई उत्पादक स्टेशन इन विनियमों की अधिसूचना के पश्चात् तथा प्रथम नियन्त्रण अवधि के प्रारम्भ होने से पहले संस्थापित हो जाता है तो आयोग, एक पृथक आदेश द्वारा एक विशेष मामलें के अधीन इन विनियमों के अन्तर्गत ऐसे उत्पादक स्टेशन हेतु विनिर्दिष्ट मानकों के आधार पर शुल्क के अवधारण पर विचार कर सकता है।

7. **प्रचालन के मानक, तय सीमा के मानक होंगे**

इसमें विनिर्दिष्ट प्रचालन के मानक, तय सीमा के मानक है तथा यह प्रचालन के सम्मुख मानकों को आयोग द्वारा नियत करने या उत्पादक कंपनी, पारेषण अनुज्ञापी, वितरण अनुज्ञापी तथा लाभार्थियों को इससे सहमत होने में बाधक नहीं होगा तथा ऐसी स्थिति में ऐसे सम्मुचित मानक शुल्क के अवधारण हेतु लागू होंगे।

8. **आधार रेखा का अवधारण**

नियन्त्रण अवधि के आधार वर्ष हेतु आधार रेखा मूल्य (प्रचालन एवं लागत मानदंड) ऐतिहासिक डाटा, नवीनतम संपरीक्षित लेखा, सुसंगत वर्ष हेतु आकलन तथा आयोग द्वारा लागू कुशल जांच के आधार पर आयोग द्वारा अवधारित किये जायेंगे।

परन्तु आधार रेखा मूल्यों के अवधारण हेतु पहले उपबंधित/विचार किये गये आकलन तथा वास्तविक संपरीक्षित लेखों के मध्य पर्याप्त अंतर होने पर आयोग स्वप्रेरणा से या आवेदक द्वारा किये गये आवेदन पर आधार वर्ष हेतु आधार रेखा मूल्यों को पुनः अवधारित कर सकता है।

9. **व्यावसायिक योजना**

(1) आवेदक, शपथ पत्र द्वारा तथा यू.ईआर.सी. (कारोबार का संचालन) विनियम, 2004 के अनुसार 1 अप्रैल, 2013 से 31 मार्च, 2016 तक तीन (3) वित्त वर्षों की नियंत्रण हेतु 3 मई, 2012 तक एक व्यावसायिक योजना प्रस्तुत करेगा।

ए) उत्पादक कंपनी हेतु व्यावसायिक योजना संपूर्ण नियन्त्रण अवधि हेतु होगी तथा इसमें अन्य बातों के साथ साथ निम्नलिखित का समावेश होगाः—

i) पूंजी निवेश योजना, जिसमें वित्त पोषण का स्रोत, वित्तीय योजना तथा तत्समान पूंजीकरण अनुसूची के साथ पूंजी व्यय के वार्षिक चरण, वर्तमान पूंजी व्यय स्टेशनों के लिये उत्पादक कंपनी द्वारा नियोजित निवेशों का विवरण सम्मिलित है। यह योजना कंपनी के विभिन्न संयंत्रो के लिये आर एंड एम योजना तथा प्रस्तावित कार्य कुशलता सुधारों के अनुरूप होगी।

ii) पूंजी निवेश योजना, जारी परियोजनाओं जो समीक्षा के अधीन वर्षो में विभाजित होंगी तथा नयी परियोजनाओं (औचित्य के साथ) जो समीक्षा वर्षो के अधीन आरम्भ होंगी किंतु शुल्क अवधि के भीतर या उसके पश्चात् पूर्ण होंगी, जो पृथक रूप से दर्शायेगी।

iii) उत्पादक कंपनी, वर्तमान बजार परिस्थितियों, वर्तमान ऋण करारों के निबंधनों, उत्पादन व्यवसाय के जोखिमों तथा साख योग्यता का विचार कने के पश्चात् पूंजी संरचना व वित्त

पोषण की लागत (ऋण पर ब्याज व इक्विटी पर वापसी) का संयंत्र वार विवरण प्रस्तुत करेंगी।

iv) यंत्रों के व्यापक बंदी से संबंधित विवरण

v) कार्य निष्पादन मानदण्डों का विक्षेप पथ

बी) पारेषण अनुज्ञापी हेतु व्यावसायिक योजना संपूर्ण नियन्त्रण अवधि के लिये होगी तथा इसमें अन्य बातों के अलावा निम्नलिखित का समावेश होगाः—

i) पूंजी निवेष योजना जो कि व्यावसायिक योजना में प्रस्तावित भार वृद्धि तथा गुणवत्ता सुधार के अनुरूप होगा। विनेश योजना में निधियन का स्त्रोत वित्त पोषण योजना तथा तत्समान पंजीकरण अनुसूची के साथ साथ पंजीगत व्यय के वार्षिक चरण सम्मिलित होने चाहिये। पारेषण अनुज्ञापी द्वारा पूंजी निवेश योजना के भाग के रूप में जमा की जाने वाली प्रणाली संवर्धन/विस्तार योजना नियन्त्रण अवधि के दौरान भार वृद्धि पूर्वानुमान/उत्पादक निष्क्रमण आवश्यकता के अनुरूप होगी। इसके अतिरिक्त, पूंजी निवेश योजना सी.ई.ए./सी.टी.यू./एस.टी.यू./वितरण अनुज्ञापी द्वारा निर्मित योजना के अनुरूप होना चाहिये।

ii) प्रत्येक प्रस्तावित योजना की उपयुक्त पूंजी संरचना तथा वित्त पोषयण की लागत (ऋण पर ब्याज) व इक्विटी पर वापसी, वर्तमान ऋण के निबंधन इत्यादि।

iii) लक्ष्य हानि की पूर्ति के लिये प्रस्तावित उपायों के विवरण सहित, नियन्त्रण अवधि के प्रत्येक वर्ष हेतु पारेषण हानि कमी विक्षेप पथ

सी) वितरण अनुज्ञापियों हेतु व्यावसायिक योजना संपूर्ण नियन्त्रण अवधि होगी तथा इसमें अन्य बातों के अलावा निम्नलिखित का समावेश होगाः—

i) नियन्त्रण अवधि के प्रत्येक वर्ष हेतु ग्राहक श्रेणी व उपश्रेणियों के लिए विक्रय/मांग पूर्वानुमान

ii) लक्ष्य हानि की पूर्ति हेतु प्रस्तावित उपायों के विवरण सहित, नियन्त्रण अवधि के प्रत्येक वर्ष के लिये वितरण हानि कमी विक्षेप पथ

iii) व्यावसायिक योजना अवधि के प्रत्येक वर्ष के लिये विक्रय पूर्वानुमान तथा वितरण हानि विक्षेप पथ पर आधारित ऊर्जा प्रापण योजना में ऊर्जा—कार्य कुशलता तथा मांग पक्ष प्रबंधन उपाय सम्मिलित होंगे

iv) नियन्त्रण अवधि के प्रत्येक वर्ष के लिये संकलन कार्य कुशलता सुधार विक्षेप पथ

v) विक्रय / मांग पूर्वानुमान, ऊर्जा प्रापण योजना, वितरण हानि विक्षेप पथ, अपूर्ति की गुणवत्ता हेतु लक्ष्य इत्यादि का विचार करते हुए पूंजी निवेश योजना। पूंजी निवेश योजना, राज्य पारेषण युटिलिटि (एस.टी.यू.) द्वारा बनायी गयी संदर्श योजना के अनुसार होगी तथा निवेश योजना में निधियन का स्रोत, वित्त पोषण योजना व तत्समान पूंजी चरण अनुसूची के साथ साथ पूंजीगत व्यय के वार्षिक चरण भी सम्मिलित होने चाहिये।

vi) प्रस्तावित प्रत्येक योजना की उपयुक्त संरचना तथा वित्त पोषण की लागत (ऋण पर ब्याज व इक्विटी पर वापसी वर्तमान ऋण करारों के निबंधन इत्यादि) ;

डी) राज्य भार प्रेषण केन्द्र के लिये व्यावसायिक योजना संपूर्ण नियन्त्रण अवधि के लिये होगी तथा इसमें अन्य बातों के अलावा निम्नलिखित का समावेश होगा:–

i) व्यय की चरण बद्धता व निधियन स्वरूप सहित पूंजी निवेश योजना

ii) नियन्त्रण अवधि हेतु आकलित बजट

(2) आवेदक, व्यावसायिक योजना के एक भाग के रूप में नियन्त्रण अवधि हेतु अपनी जन शक्ति नियोजन के संबंध में विवरण भी प्रस्तुत करेगा।

(3) आवेदक एम.वाय.टी. याचिका दायर करने से पहले आयोग से व्यावसायिक योजना अनुमोदित करवायेगा।

(4) आयोग, उचित परामर्श प्रक्रिया के पश्चात् व्यावसायिक योजना की संवीक्षा करेगा व उसे अनुमोदित करेगा।

10. कतिपय परिवर्तियों हेतु विशिष्ट विक्षेप पथ

(1) पूर्व कार्य प्रदर्शन को ध्यान में रखकर कतिपय परिवर्तियों के लिये आयोग एक विक्षेप पथ तय करेगा। परन्तु जिन परिवर्तियों के लिये आयोग विक्षेप पथ तय करेगा उनमें निम्नलिखित सम्मिलित होगा:–

ए) एक उत्पादक स्टेशन के मामले में:

उत्पादक कंपनी की उपलब्धता, स्टेशन उष्मा दर, गौण तेल उपभोग, अनुषंगी उपभोग, मार्गस्थ हानियां इत्यादि

बी) पारेषण अनुज्ञापी के मामले में:

पारेषण हानियां, पारेषण प्रणाली उपलब्धता, इत्यादि

सी) वितरण अनुज्ञापी के मामले में:

अपूर्ति उपलब्धता, तार उपलब्धता, वितरण हानिंया, संग्रहण कार्यकुशलता, इत्यादि।

परन्तु आगे यह कि इस विक्षेप पथ में, परिभाषित लक्ष्यों के सापेक्ष उच्च व निम्न कार्य प्रदर्शन के कारण उपभोक्ताओं के साथ साथ व हानियों की भागीदारी का उपबंध करना चाहिये।

परन्तु आगे यह भी कि आयोग प्रत्येक नियन्त्रण अवधि में प्रारम्भ में विक्षेप पथ की समीक्षा करेगा तथा पिछली नियन्त्रण अवधि में अनुज्ञापी/उत्पादक कंपनी द्वारा संबधित कार्य निष्पादन का विचार करेगा।

(2) इन विनियमों के अनुसार आयोग द्वारा नियत विक्षेप पथ आवेदक द्वारा एम.वाय.टी. याचिका में निगमित किय जायेंगे।

11. नियन्त्रण अवधि हेतु एम.वाय.टी. याचिका

(1) आवेदक, शपथपत्र के अधीन तथ यू.ईआर.सी. (कारोबार का संचालन) विनियम, 2004 के अनुसार, आयोग द्वारा निर्धारित प्रारूप में नियन्त्रण अवधि के प्रारम्भ होने वाले वर्ष से पिछले वर्ष की 30 नवम्बर तक, लागू शुल्क के साथ, नियन्त्रण अवधि के प्रत्येक वर्ष हेतु शुल्क से अपेक्षित राजस्व व कुल राजस्व आवश्यकता का पूर्वानुमान प्रस्तुत करेगा।

(2) नियन्त्रण अवधि के प्रत्येक वित्त वर्ष हेतु कुल राजस्व आवश्यकता का पूर्वानुमानः

ए) नियन्त्रण अवधि के प्रत्येक वित्त वर्ष हेतु कुल राजस्व आवश्यकता के विभिन्न अवयवों के प्रक्षेपण हेतु, आवेदक एक गणितीय प्रतिरूप विकसित करेगा। इसके लिए आवेदक उपयुक्त वृहद् आर्थिक परिवर्तियां, बाजार सूचकांक पिछले वर्ष की वृद्धि के रूखों का उपयोग करेगा। इसके अतिरिक्त आवेदक अपनी एम.वाय.टी. याचिका तथा वार्षिक कार्य निष्पादन समीक्षा व शुल्क अवधारण हेतु याचिका के साथ सभी फार्मूलों व संपर्कों के साथ उपरोक्त प्रतिरूप की एक सॉफ्ट कॉपी जमा करेगा।

बी) जहां किसी नियन्त्रण अवधि के लिये आवेदक, कुल राजस्व आवश्यकता के किसी अवयव के पूर्वानुमान हेतु कार्यविधि में परिवर्तन चाहता है वहां, वह ऐसी नियन्त्रण अवधि के प्रारम्भ होने से कम से नौ (9) महीने पहले आयोग द्वारा अन्य विवरणों के साथ कार्यविधि में परिवर्तन व इसकी तर्कसंगता प्रस्तुत करते हुए आयोग में अनुमोदन हेतु आवेदन करेगा।

(3) शुल्क एवं प्रभारों से अपेक्षित राजस्व का पूर्वानुमान

ए) आवेदक निम्नलिखित के आधार पर शुल्क एवं प्रभारों से अपेक्षित राजस्व के प्रक्षेपण के लिये गणितीय प्रतिरूप विकसित करेगा:–

i) एक उत्पादक कंपनी के मामले में, आवेदन करने की तिथि पर प्रचलित उत्पादन शुल्कों तथा विवरण अनुज्ञापी व उन्मुक्त अभिगमन उपभोक्ताओं को आबंटित क्षमता के

आंकलन तथा नियन्त्रण अवधि के प्रत्येक वित्त वर्ष हेतु अपेक्षित ऊर्जा उत्पादन के आधार पर

ii) एक पारेषण अनुज्ञापी के मामलें में, आवेदन करने की तिथि पर प्रचलित पारेषण शुल्कों तथा प्रणाली का उपयोग करने वालों जिसमें नियन्त्रण अवधि प्रत्येक वित्त वर्ष हेतु उन्मुक्त अभिगमन उपभोक्ता सम्मिलित है, को आबंटित क्षमता के आकलन के आधार पर

iii) विवरण अनुज्ञापी के मामले में, आवेदन करने की तिथि पर प्रचलित खुदरा व व्हीलिंग शुल्को तथा नियन्त्रण अवधि के प्रत्येक

iv) एम.एल.डी.सी. मामले में, आवेदन करने की तिथि पर लागू फीस व शुल्कों तथा अन्तराज्यीय पारेषण प्रणाली के उपयोग कर्त्ताओं को आबंटित पारेषण क्षमता के आधार पर।

v) आवेदक, वार्षिक कार्य निष्पादन समीक्षा व शुल्क अवधारण हेतु याचिका तथा अपनी एम.वाय.टी याचिका के साथ सभी फॉमूलों व संपर्को के साथ उपरोक्त प्रतिरूप की एक सॉफ्ट कापी जमा करेगा।

(4) आवेदन की जाँच करने के पश्चात् आयोग या तो:—

ए) अपने आदेश में विनिर्दिष्ट आशोधनों व शर्तो के अधीन नियन्त्रण अवधि के लिये शुल्क व प्रभारों से अपेक्षित राजस्व तथा कुल राजस्व आवश्यकता के पूर्वानुमान को अनुमोदित करते हुए आदेश पारित करेगा या

बी) कारण अभिलिखित कर आवेदन अस्वीकार करेगा।

परन्तु आवेदन अस्वीकार करने से पहले आवेदक को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान किया जायेगा।

(5) अपने एम वाय टी, आदेश में आयोग कुल राजस्व आवश्यकता में समावेशित परिवर्त्तियों तथा आवेदक के उन शुल्क व प्रभारों से अपेक्षित राजस्व को विनिर्दिष्ट करेगा जिनकी वार्षिक कार्य प्रदर्शन समीक्षा के एक भाग के रूप में आयोग द्वारा समीक्षा की जानी है।

परन्तु ऐसे परिवर्ती, आवेदक के लागत व राजस्व पूर्वानुमान की उन मुख्य मदों तक सीमित होंगे जिनका आयोग की राय में नियंत्रण अवधि में राज्य के उपभोक्ताओं को विद्युत की आपूर्ति की लागत पर भौतिक प्रभाव होगा।

परन्तु आगे यह कि नीचे दिये विनियम के अधीन आयोग द्वारा नियत परिवर्तियां वार्षिक कार्य निष्पादन समीक्षा का भाग होंगी जब तक कि उन्हें आयोग द्वारा अपने आदेश में ऐसी समीक्षा से छूट प्रदान न की गई हो।

12. वार्षिक लेखों, रिपोर्ट्स इत्यादि की तैयारी व इन्हें जमा करना।

(1) प्रत्येक आवेदक वार्षिक लेखा विवरण तैयार करेगा तथा वर्तमान वर्ष, पिछले वर्ष आगामी वर्ष सहित एम वाय टी नियन्त्रण अवधि के शेष वर्षो में संभावित रूप से की जाने वाली गतिविधियों का विवरण देते हुए वार्षिक रिपोर्ट व आंकडे भी तैयार करेगा। इन गतिविधियों की रिपोर्ट्स विभिन्न कार्य निष्पादित, मापदंडो के संबंध में लक्ष्य व उपलब्धियां भी इंगित करेगी। ये रिपोर्ट्स प्रत्येक वर्ष 30 नवम्बर तक दो प्रतियों में आयोग को प्रस्तुत की जायेंगी।

(2) आयोग, आवेदकों को ऐसी अतिरिक्त जानकारी जो अपने कार्य निष्पादन के लिए आवश्यक हो आयोग या ऐसे अन्य प्राधिकारी को जो आयोग इस निमित्त अभिहित करे, के पास जमा करने का भी निर्देश दे सकता है।

(3) आयोग उपयुक्त समय पर पृथक विनियामक लेखे तैयार करने के लिए प्रपत्र विनिर्दिष्ट कर सकता है।

13. वार्षिक कार्य निष्पादन समीक्षा।

(1) बहुवर्षीय शुल्क संरचना के अंतर्गत उत्पादक कंपनी या पारेषण अथवा वितरण अनुज्ञापी या एस एल डी सी का कार्य निष्पादन, वार्षिक कार्य निष्पादन समीक्षा के अधीन होगा।

(2) आवेदक, शपथपत्र के अधीन तथा इ ई आर सी (कारोबार का संचालन) विनियम, 2004 के अनुसार प्रत्येक वर्ष 30 नवम्बर तक वार्षिक कार्य निष्पादन समीक्षा हेतु आवेदन करेगा।

परन्तु आवेदक, आयोग को जानकारी ऐसे प्रपत्र पर प्रस्तुत करेगा जैसा कि समय–समय पर आयोग द्वारा नियत किया जाये इसके साथ लेखा विवरण, लेखा पुस्तिकाओं के उद्धरण तथा अन्य ऐसे विवरण होंगे जो कि कुल राजस्व आवश्यकता तथा शुल्क व प्रभारों से अपेक्षित राजस्व के अनुमोदित पूर्वानुमान से वित्तीय कार्य निष्पादन में किसी परिवर्तन की सीमा व इसके कारणों के निर्धारण हेतु आयोग के लिए आवश्यक है।

परन्तु आगे यह कि वार्षिक कार्य निष्पादन समीक्षा हेतु आवेदन, इसके लिए विनियमों में विनिर्दिष्ट समय सीमा की भीतर शुल्क के अवधारण हेतु आवेदन के साथ इन विनिमयों के अधीन उपबंधित तरीकों से आयोग को प्रस्तुत किया जायेगा।

(3) वार्षिक कार्य निष्पादन समीक्षा की परिधि, कुल राजस्व आवश्यकता तथा शुल्क व प्रभारों से अपेक्षित राजस्व के अनुमोदित पूर्वानुमान के साथ आवेदक के कार्य निष्पादन की तुलना होगी तथा इसमें निम्नलिखित का समावेश होगा।

(ए) ऐसे पिछले वित्त वर्ष के लिए अनुमोदित पूर्वानुमान के साथ पिछले वित्त वर्ष के लिए आवेदक के संपरीक्षित कार्य निष्पादन की तुलना तथा नियंत्रण अयोग्य कारकों के प्रभाव के पारगमन सहित कुशल जांच के अधीन व्ययों व राजस्व का सहीकरण।

(बी) आवेदक के नियन्त्रण के भीतर कारकों (निष्पादन योग्य कारक) तथा वे कारक जो आवेदक के नियन्त्रण के बाहर हों (नियन्त्रण अयोग्य कारक) में अनुमोदित पूर्वानुमान के संदर्भ में कार्य निष्पादन में परिवर्तनों का वर्गीकरण।

(सी) पिछले वित्त वर्ष के लिए संपरीक्षित वित्तीय परिणामों के आधार पर, यदि आवश्यक हो, आगामी वित्त वर्ष के लिये आकलनों का संशोधन।

(डी) पिछले वर्ष के लिए नियंत्रण योग्य कारकों के कारण लाभों व हानियों की भागीदारी का संगणन।

(4) समीक्षा पूर्ण हो जाने पर आयोग, इस विनियम के अधीन नियत परिवर्तियों के लिए कार्य निष्पादन में किन्हीं परिवर्तनों का अपेक्षित परिवर्तनों को आवेदक के नियन्त्रण के भीतर कारकों (नियंत्रण योग्य कारक) या आवेदक के नियंत्रण के बाहर कारकों (नियंत्रण अयोग्य कारक) के साथ गुणारोप करेगा।

परन्तु जहां आवेदक या कोई हितबद्व या प्रभावित पक्ष इस विनियम को विनिर्दिष्ट करते समय नियत न किए गये किसी परिवर्ती के लिए यह समझता है कि नियन्त्रण अयोग्य कारकों या कुछ नये नियंत्रण योग्य कारकों के कारण किसी वित्त वर्ष के लिए कार्य निष्पादन में भौतिक परिवर्तन या अपेक्षित परिवर्तन है तो ऐसा आवेदक या हितबद्व या प्रभावित पक्ष ऐसे वित्त वर्ष के लिए उक्त के अधीन समीक्षा में आयोग के निर्देश पर ऐसे परिवर्ती को सम्मिलित करने के लिए आयोग के पास आवेदक कर सकता है।

(5) "नियन्त्रण अयोग्य कारकों" में आयोग द्वारा अवधारित निम्नलिखित कारक सम्मिलित होंगे जो आवेदक के नियंत्रण के बाहर थे व उसके द्वारा न्यूनीकृत नहीं किये जा सकते थे। नियंत्रण आयोग्य कारकों के कुछ उदाहरण निम्नलिखित हैं–

(ए) अपरिहार्य घटनाएं, जैसे युद्ध, अग्नि, प्राकृतिक आपदा इत्यादि।

(बी) विधि, न्यायिक ऐलानों, केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार या आयोग के आदेशों में परिवर्तन।

(सी) आर्थिक प्रभाव जैसे– वृद्वि दर, बाजार ब्याज दर, करों या वैधानिक उद्ग्रहण में अनपेक्षित परितर्वन।

(डी) वितरण अनुज्ञापियों इत्यादि के लिए ऊर्जा क्रय व्ययों में परिवर्तन।

(ई) भाड़े की दरों में परिवर्तन।

(एफ) विपरीत प्राकृतिक घटनाओं के कारण जल विद्युत ताप मिश्रण में बदलाव के कारण परितर्वन तथा।

(जी) उपभोक्ताओं को आपूर्ति की गई विद्युत की मात्रा या उपभोक्ताओं की संख्या में परिवर्तन।

(6) आवेदक के कार्य निष्पादन में अपेक्षित परिवर्तन या कुछ दार्ष्टांकित परिवर्तन जिन्हें आयोग द्वारा नियन्त्रण योग्य कारकों में रखा जा सकता है, में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे।

(ए) ऐसी पूंजीगत व्यय परियोजना के कार्यान्वयन में समय तथा/या लागत को आगे निकलने/कार्य कुशलताओं के कारण पंजीगत व्यय में परिवर्तन जिन्हें ऐसी परियोजना की परिधि में अनुमोदित परिवर्तन, वैधानिक उद्ग्रहण में परिवर्तन या अपरिहार्य घटनाओं को कारण नहीं माना जा सकता।

(बी) अशोध्य ऋृणों सहित, तकनीकी व वाणिज्यिक हानियों में परिवर्तन।

(सी) मानदण्डों में परिवर्तन।

(डी) कार्यरत पूंजी आवश्यकताओं में परिवर्तन।

(ई) यूईआरसी (कार्य निष्पादन के मानक) विनियमों में विनिर्दिष्ट मानकों को पूरा करने में विफलता, सिवाय जहां उन विनियमों के अनुसार छूट प्राप्त है।

(एफ) पूंजीगत व्यय में परिवर्तन के कारण वित्त पोषण स्वरूप में परिवर्तन।

(जी) आपूर्ति की मात्रा में परिवर्तन।

(एच) अनुरक्षण एवं रखरखाव व्ययों में परिवर्तन।

(7) आवेदक विनियम 11 के अधीन पूर्वानुमान विकसित करते समय अतिरिक्त जानकारी पहले से न मिल पाने या उपलबध न होने के फलस्वरूप, वार्षिक कार्य निष्पादन समीक्षा के एक भाग के रूप में, नियंत्रण अवधि के शेष भाग हेतु शुल्क व प्रभारों से कुल राजस्व आवश्कता व अपेक्षित राजस्व के अनुमोदित पूर्वानुमान में आशोधन हेतु आवेदन कर सकता है।

(8) आयोग को विनियम 11 के अधीन पूर्वानुमान विकसित करते समय अतिरिक्त जानकारी पहले से न मिल पाने या उपलब्ध न होने के फलस्वरूप यदि ऐसा उचित लगता है तो वह स्वप्रेरणा से या हितबद्ध या प्रभावित पक्ष द्वारा किये गये आवेदन पर, वार्षिक कार्य निष्पादन सीमीक्षा के एक भाग के रूप में, नियन्त्रण अवधि के शेष भाग के लिये शुल्क व प्रभारों से कुल राजस्व आवश्यकता व अपेक्षित राजस्व के अनुमोदित पूर्वानुमान में आशोधन कर सकता है।

(9) उपरोक्त विनियम 9 व विनियम 13 के अधीन किये गये आवेदन पर आयोग उसी तरह विचार करेगा जिस तरह के ष्शुल्क से अवधारण हेतु मूल आवेदन पर किया जाता तथा ऐसी समीक्षा पूर्ण हो जाने पर, या तो ऐसे परिवर्तनों के साथ प्रस्तावित आशोधन अनुमोदित करेगा या कारण अभिलिखित कर आवेदन अस्वीकार करेगा।

(10) वार्षिक कार्य निष्पादन समीक्षा पूर्ण हो जाने पर आयोग निम्नलिखित को अभिलिखित कर आदेश पारित करेगा—

(ए) नियंत्रण अयोग्य कारकों के कारण आवेदक को अनुमोदित कुल लाभ या हानि तथा वह तंत्र जिसके द्वारा आवेदक विनियम 14 के अनुसार ऐसे लाभ या हानियों को पारगमित कर सके।

(बी) नियंत्रण योग्य कारकों के कारण आवेदक को अनुमोदित लाभ या हानि तथा ऐसे लाभ या हानि की राशि जिसकी विनियम 15 के अनुसार भागीदारी की जायेगी।

(सी) आगामी वर्ष हेतु आवेदक के पूर्वानुमान का अनुमोदित आशोधन, यदि कोई है।

आवेदक के ए आर आ के सहीकरण के कारण इन विनिमयों के अनुसार आयोग द्वारा अवधारित अधिशेष/न्यूनता को आगामी वर्ष में अग्रनीत किया जायेगा।

14. नियंत्रण अयोग्य कारकों के कारण हानि व लाभों की भागीदारी।

(1) नियंत्रण अयोग्य कारकों के कारण आवेदक को हुए अनुमोदित कुल लाभ या हानि को ऐसी अवधि हेतु शुल्क/प्रभारों में समायोजन के रूप में पारगमित किया जायेगा जैसी आयोग के आदेश में विनिर्दिष्ट की जाये।

(2) उपरोक्त उप—विनियम (1) में समाहित कुछ भी, ईंधन के मूल्य में परिवर्तन के कारण किसी लाभ या हानि में लागू नहीं होगा, इस पर विनियमों सुसंगत भाग के अधीन विनिर्दिष्ट किये गये अनुसार विचार किया जायेगा।

15. नियंत्रण योग्य कारकों के कारण हानि व लाभों की भागीदारी।

(1) नियंत्रण योग्य कारकों के कारण आवेदक को हुए अनुमोदित कुल लाभ पर निम्नलिखित तरीके से विचार किया जायेगा।

(ए) ऐसे लाभ का 20% ऐसी अवधि हेतु शुल्कों में छूट के रूप में पारगमित किया जायेगा जैसी कि आयोग के आदेश में विनिर्दिष्ट की जायेगी।

(बी) लाभ की शेष राशि आवेदक के विवेकानुसार उपयोग में लाई जायेगी।

16. शुल्क अवधारण की आवर्तिता।

(1) आयोग ऐसे वित्त वर्ष प्रारम्भ में नियंत्रण अवधि के दौरान प्रत्येक वित्त वर्ष हेतु एक बहुवर्षीय ष्शुल्क संरचना के अधीन सम्मिलित उत्पादक कंपनी/पारेषण अनुज्ञापी/वितरण अनुज्ञापी/एस एल डी सी के शुल्क/प्रभार अवधारित करेगा, जिसमें निम्नलिखित का ध्यान रखा जायेगाः–

(ए) इन विनियमों में विनिर्दिष्ट एम वाय टी सिद्वान्त, तथा

(बी) ऐसे वित्त वर्ष हेतु कुल राजस्व आवश्यकता तथा शुल्क व प्रभारों से अपेक्षित राजस्व का अनुमोदित पूर्वानुमान जिसमें ऐसे पूर्वानुमान के अनुमोदित आशोधन सम्मिलित हैं, तथा

(सी) पिछले वित्त वर्ष के लिए सहीकरण का प्रभाव तथा वर्तमान वित्त वर्ष हेतु अंतिम सहीकरण, तथा वर्षिक कार्य निष्पादन सीमीक्षा के अनुसरण में शुल्कों में पारगमन किये जाने वाले लाभ व हानियां।

(2) एक पारेषण अनुज्ञापी या एक वितरण अनुज्ञापी या एक उत्पादक कंपनी या एम एल डी सी के लिए ए आर आर की वसूली हेतु शुल्क व प्रभार, ईंधन लागत व ऊर्जा क्रय लागत के कारण, इन विनियमों के अधीन विनिर्दिष्ट ईंधन अधिशेष फार्मूला के निबंधनों के अधीन अभिव्यक्त रूप से अनुमति प्राप्त किन्हीं परिवर्तनों के संबंध में को छोड़कर, साधारणतया वर्ष में एक बार से अधिक अवधारित नहीं किये जायेंगे।

17. शुल्क के अवधारण हेतु याचिका

(1) अधिनियम के अधीन शुल्क के अवधारण हेतु आवेदन ऐसे प्रपत्र में व इस प्रकार किया जायेगा जैसा कि उन विनियमों में विनिर्दिष्ट किया जाये तथा ऐसे शुल्क के साथ हो जैसा कि समय–समय पर संशोधित यूईआरसी (फीस व जुर्माना) विनियम, 2002 के अधीन विनिर्दिष्ट किया गया हो।

(2) नियन्त्रण अवधि के प्रथम वर्ष हेतु शुल्क के अवधारण के लिए आवेदन विनियम 17 के अधीन नियत्रण अवधि हेतु बहुवर्षीय शुल्क याचिका के साथ किया जायेगा तथा नियंत्रण अवधि के पश्चातवर्ती वर्षों के लिए शुल्क के अवधारण हेतु याचिका विनियम 13 के अधीन वार्षिक कार्य निष्पादन समीक्षा हेतु याचिका के साथ की जायेगी।

(3) अपेक्षित राजस्व व व्ययों के परिकलन हेतु तथा ष्शुल्क अवधारण हेतु जानकारी जमा करने के लिए प्रारूप, उत्पादन, पारेषण, वितरण एम एल डी सी प्रभारों के लिए पृथक रूप से विनिर्दिष्ट किया

जायेगा। इन प्रारूपों में प्रस्तुत की गई जानकारी के साथ समर्थक दस्तावेज/गणना व सॉफ्ट कॉपीज भी होनी चाहिये।

(4) शुल्क के अवधारण हेतु याचिका में निम्नलिखित सम्मिलित होगा:–

(ए) नियन्त्रण अवधि के प्रत्येक वर्ष के लिए वर्तमान शुल्क का विवरण तथा निबंधन एवं शर्तें व वर्तमान शुल्क से अपेक्षित राजस्व।

(बी) राज्य सरकार से प्राप्त, शोध्य या कल्पित शोध्य किसी सहायिकी के परिकलन का पूर्ण विवरण देते हुए प्रस्तावित शुल्कों का विवरण, प्रयोजन/उपभोक्ता जिसको निर्देशित है, यह दर्शाते हुए विवरण कि उन उपभोक्ताओं पर लागू वर्तमान व प्रस्तावित शुल्क में सहायिकी किस तरह प्रक्षेपित है। इस विवरण में, उन उपभोक्ताओं के लिए सहायकी का विचार किए बिना पारिकलित शुल्क भी सम्मिलित होगा। सहायिकी परिकलन में उस अवधि की स्थिति की तुलना भी की जानी चाहिए जिसके लिए शुल्क लागू होना है।

(सी) वार्षिक राजस्वों में आकलित परिवर्तन का विवरण जो उस अवधि, जिसके लिए शुल्क लागू होना है, में प्रस्तावित शुल्क परिवर्तन से प्राप्त होगा।

(डी) यदि प्रस्तावित शुल्क वित्त वर्ष के आरम्भ होने के पश्चात् प्रारम्भ होता है तो अपेक्षित राजस्व के अनुपात तथा वित्त वर्ष के शेष माहों में प्रस्तावित शुल्क आशोधन के अधीन आपूर्ति की गई विद्युत की मात्रा का विवरण सम्मिलित किया जायेगा।

(ई) वितरण अनुज्ञापी के मामले में, प्रत्येक श्रेणी के उपभोक्ता के संबंध में वाह्य सहायिकी व प्रति सहायिकी को छोड़कर, आपूर्ति की लागत वार वोल्टेज का विस्तृत परिकलन।

(एफ) वितरण अनुज्ञापी के मामले में, वर्तमान शुल्क में व प्रस्तावित शुल्क में प्रति सहायिकी की राशि का परिकलन दर्शाते हुए विवरण। ऐसा अवधारण आयोग द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार होगा।

(जी) प्रस्तावित शुल्क परिवर्तनों के लिए तर्काधार देते हुए एक व्याख्यात्मक नोट।

(एच) सुसंगत अनुज्ञाप्ति की शर्तों द्वारा अपेक्षित या आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट कोई अन्य जानकारी।

(5) यदि किसी व्यक्ति के पास एक से अधिक अनुज्ञप्तियां हैं तथा/या वह वितरण या पारेषण के एक से अधिक क्षेत्र के लिए अनुज्ञापी समझा जाता है तो वह प्रत्येक अनुज्ञप्ति या पारेषण अथवा वितरण के संबंध में उपरोक्तानुसार पृथक परिकलन प्रस्तुत करेगा। इसी प्रकार एक उत्पादक कंपनी उत्पादक स्टेशन–वार परिकलन प्रस्तुत करेंगी।

(6) एक उत्पादक स्टेशन का स्वामी व प्रचालन पारेषण अनुज्ञापी या वितरण अनुज्ञापी, उत्पादन अपने अनुज्ञप्ति प्राप्त कारोबार तथा अन्य कारोबार के पृथक लेखे रखेगा व प्रस्तुत करेगा।

(7) पारेषण अनुज्ञापी या वितरण अनुज्ञापी या एस एल डी सी को उन सभी परियोजनाओं/ योजनाओं के "सिद्वान्त" अनुमोदन के लिए विनियम 23 में दिये तरीके से याचिका दायर करना आवश्यक है, जिनकी पूँजी लागत 2.5 करोड़ रूपये से अधिक है।

(8) शुल्क याचिकाएं अंग्रेजी में प्रस्तुत की जायेंगी। याचिका व प्रारूपों की सॉफ्ट कापी भी परिकलक शीट्स तथा समर्थक दस्तावेजों के साथ आयोग के पास जमा की जायेगी।

(9) इन विनिमयों में किसी बात के होते हुए भी, जमा करने की अनुसूचित तिथि से एक माह से आगे शुल्क के अवधारण तथा वार्षिक कार्य निष्पादन समीक्षा के लिए आवेदन में विलम्ब/प्रस्तुत न करने के मामले में, आयोग, उक्त आवेदनों के जमा करने के लिए स्वप्रेरित कार्यवाही करेगा।

परन्तु, पूर्वोक्त कार्यवाही के बाद भी यदि आवेदक अपना आवेदन जमा नहीं करता है तो आयोग, जैसा उचित समझे उपयुक्त समायोजन् करने के पश्चात् उसके पास उपलब्ध जानकारी के आधार पर स्वयं शुल्क निर्धारित करेगा।

परन्तु आगे यह कि यदि आवश्यक हो तो आयोग, अधिनियम की धारा 129 तथा/या धारा 142 के अधीन निर्देश भी पारित कर सकता है।

18. नियन्त्रण अवधि के अंत में समीक्षा।

(1) नियन्त्रण अवधि के अंत में, आयोग इन विनियमों में नियत एम वाय टी के सिद्वान्तों के उद्देश्यों व कार्यान्वयन की उपलब्धियों की समीक्षा करेगा।

(2) एक नियन्त्रण अवधि की समाप्ति दूसरी नियन्त्रण अवधि का आरम्भ हो सकती है, या जैसा आयोग निर्धारित करें। आयोग, नियन्त्रण अवधि के आरम्भ में निश्चित किये गये लक्ष्यों के संबंध में कार्य निष्पादन अपेक्षित सुधार व अन्य सुसंगत तथ्यों के आधार पर, अगली नियंण अवधि के लिए आधार निर्धारित करेगा।

(3) आयोग, पश्चातवर्ती नियंत्रण अवधि के प्रथम वर्ष के लिये फाईल किये ए आर आर/शुल्क याचिका के साथ नियंत्रण अवधि के अंतिम वर्ष से तुरन्त पूर्ववर्ती वर्ष के सहीकरण तथा नियन्त्रण अवधि के अंतिम वर्ष के कार्य निष्पादन की वार्षिक समीक्षा करेगा। नियन्त्रण अवधि के अंतिम वर्ष के कार्य निष्पादन की वार्षिक समीक्षा तथा नियंत्रण अवधि के अंतिम वर्ष से तुरंत पूर्ववर्ती वर्ष का सहीकरण इन विनियमों में परिभाषित मानकों के आधार पर किया जायेगा।

19. आयोग द्वारा आदेश

(1) आयोग, जनता से प्राप्त सभी सुझावों व आपत्तियों पर विचार करने के पश्चात् पूर्ण आवेदन की प्राप्ति अर्थात याचिका की अभिस्वीकृति से एक सौ बीस (120) दिन के भीतर:

(ए) ऐसे आदेश में समाहित ऐसे आशोधनों व ऐसी शर्तो के साथ आवेदन को स्वीकार करते हुए आदेश जारी करेगा, या

(बी) यदि ऐसा आवेदन अधिनियम के उपबंधों तथा उसके अधीन बनाये गये नियमों व विनियमों या तत्समय प्रभावी किसी अन्य विधि के उपबंधों के अनुरूप नहीं है तो कारण अभिलिखित कर आवेदन को अस्वीकार करेगा:

(2) आयोग द्वारा अवधारित शुल्क, शुल्क आदेश में विनिर्दिष्ट तिथि से प्रवृत्त होगा।

20. शुल्क का प्रकाशन।

आवेदक, आयोग द्वारा अनुमोदित शुल्क या शुल्कों को कम से कम दो (2) स्थानीय भाषा के ऐसे दैनिक समाचारों में प्रकाशित करेगा, जिनका अनुज्ञापी के क्षेत्र में प्रसार हो तथा अनुमोदित शुल्क /शुल्क अनुसूची अपनी इन्टरनेट साईट पर डालेगा तथा यथास्थिति ऐसे शुल्क या शुल्कों को समाविष्ट किये हुए एक पुस्तिका किसी भी इच्छुक व्यक्ति को विक्रय हेतु उपलबध करवायेगा।

अपनी इन्टरनेट बेव साईट पर डालेगा तथा यथास्थिति ऐसे शुल्क/शुल्कों को समाविष्ट किये हुए एक पुस्तिका जो किसी भी व्यक्ति को उचित भुगतान पर प्राप्त हो सके उपलब्ध करवायेगा।

परन्तु जहां आवेदक एक उत्पादक कंपनी है, वहां यह प्रकाशन ऐसे समाचार पत्र में होगा जिसका ऐसे वितरण अनुज्ञापी के आपूर्ति क्षेत्र में व्यापक प्रसार हो जिसकी शुल्क आदेश के निबंधनों में विद्युत की आपूर्ति किया जाना प्रस्तावित है तथा ऐसी उत्पादक कंपनी की बेव साईट में भी डाला जायेगा।

21. शुल्क आदेशों का संप्रेक्षण।

आयोग, आदेश देने के सात दिन के भीतर आदेश की एक प्रति उत्तराखण्ड सरकार, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण, आवेदक व उत्तरवादियों को भेजेगा।

भाग–3

लागत व वापसी की संगणना हेतु वित्तीय सिद्वान्त

22. ऋण इक्विटी अनुपात।

(1) 01.04.2013 को या उसके पश्चात् वाणिज्यिक प्रचालन के अधीन घोषित परियोजना के लिए ऋण इक्विटी अनुपात 70 : 30 होगा। जहां नियोजित इक्विटी 30:से अधिक है, वहां शुल्क के प्रयोजन हेतु इक्विटी की राशि 30: तक सीमित होगी तथा शेष राशि को मानकीय ऋण माना जायेगा। जहां नियोजित वास्तविक इक्विटी 30: से कम है वहां वास्तविक इक्विटी का उपयोग शुल्क संगणन में इक्विटी पर प्रतिफल के अवधारण हेतु किया जायेगा।

(2) उत्पादक कंपनी, पारेषण अनुज्ञापी, वितरण अनुज्ञापी या एस एल डी सी के मामले में, जहां निवेश 01. 04.2013 से पहले किया गया है वहां ऋण : इक्विटी अनुपात, पूर्व आदेशों में आयोग द्वारा अनुमोदित किये गये अनुसार होगा।

(3) खुली आरक्षतियों से संरचित आंतरिक संसाधन के निवेदश तथा शेयर पूंजी जारी करते समय उत्पादक कंपनी, या पारेषण अनुज्ञापी या वितरण अनुज्ञापी या एस एल डी सी द्वारा जुटाया गया प्रीमियम यदि कोई है तो वह भी इक्विटी पर प्रतिफल की संगणना के प्रयोजन हेतु प्रदत्त पूंजी माना जायेगा। बशर्ते कि ऐसी प्रीमियम राशि तथा आंतरिक संसाधनों का उपयोग वास्तव में पूंजीगत व्यय को पूरा करने के लिए किया जाये।

(4) विदेशी मुद्रा में निवेशित इक्विटी, इसके अभिदान की तिथि (दो) पर प्रचलित विनियम दर के आधार पर रूपये में संपरिवर्तित की जायेगी।

23. पूंजी लागत व पूंजी संरचना।

(1) एक उत्पादक कंपनी, पारेषण अनुज्ञापी, वितरण अनुज्ञापी तथा एस एल डी सी के मामले मैं 1.4.2013 से पहले किया गया निवेश अपने पूर्व आदेशों में आयोग द्वारा अनुमोदित निवेशों के आधार पर स्वीकार किया जायेगा।

(2) पूंजी लागत के "सिद्वान्ततः" अनुमोदन हेतु याचिका पारेषण प्रणाली या वितरण प्रणाली या एस एल डी सी की क्षमता स्थापित, प्रचालित, अनुरक्षित या आवर्धित करने के लिये आशयित कोई अनुज्ञापी कोई परियोजना ग्रहण करने से पहले परियोजना पूंजी लागत व वित्त पोषण योजना के "सिद्वान्ततः"

अनुमोदन के लिए यूईआरसी (कारोबार का संचालन) विनियम, 2004 के अनुरूप आयोग को शपथपत्र के अधीन एक आवेदन/वितरण प्रणाली या एस एल डी सी के आवेदन/ याचिका में निम्नानुसार स्पष्ट रूप से प्रयोजन उपबंधित किया जायेगा।

पारेषण आवेदन/याचिका में एक युटिलिटी विशेष हेतु सुसंगत प्रणाली सुदृढ़ीकरण, भार वृद्धि इसके लागत लाभकारी विश्लेषण तथा अन्य विवरण जैसे परियोजना की अवस्थिति, स्थल विशेषताएं, पूंजी लागत का ब्यौरा, वित्तीय पैकेज, कार्य निष्पादन मानदंड, संस्थापन अनुसूची, संदर्भ मूल्य स्तर, आकलित पूर्ण लागत जिसमें विदेशी मुद्रा घटक (यदि कोई हैं) भी सम्मिलित हैं, निर्धारित व साधित किये जाने वाले पर्यावरण मानक, इत्यादि पर जानकारी का समावेश होगा।

वितरण आवेदन/याचिका में प्रणाली सुदृढ़ीकरण,हानि में कमी, भार वृद्धि पूरा करना, यूईआरसी (कार्य निष्पादन के मानक) विनियम, 2007 के अधीन दायित्व पूरा करने, वित्तीय पैकेज, कार्य निष्पादन मानदंड, संस्थापन अनुसूची, संदर्भ मूल्य स्तर, आकलित पूर्ण लागत जिसमें विदेशी मुद्रा धारक (यदि कोई है) ी सम्मिलित है, निर्धारित व साधति किये जाने वाले पर्यावरण मानकों पर जानकारी का समावेश होगा।

परन्तु जहां आयोग ने आकलित पूंजी लागत व वित्त पोषण योजना का "सिद्वान्ततः" अनुमोदन किया है वहां यह एक युटिलिटी विशेष हेतु ए आर आर व शुल्कों का अवधारण करते समय वास्तविक पूंजी व्यय पर कुशल जांच लागू करने के लिए दिशानिर्देश कारक के रूप में कार्य करेगा।

(3) शुल्क अवधारण हेतु अनुमोदित पूंजी लागत पर विचार किया जायेगा तथा यदि परियोजना लागत में किसी वृद्धि के लिये पर्याप्त औचित्य प्रदान किया गया है तो कुशल जांच के अधीन आयोग इस पर विचार करेगा।

परन्तु यदि वास्तविक पूंजी लागत, अनुमोदित पूंजी लागत से कम है तो वास्तविक पूंजी लागत पर विचार किया जायेगा।

परन्तु, पूंजी लागत की कुशल जांच, समय समय पर आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट स्थिर बिंदु मानकों के आधार पर की जायेगी।

परन्तु आगे यह कि ऐसे मामलों में जहां स्थिर बिंदु मानक प्रकाशित नहीं किये गये हैं वहां कुशल जांच में, पूंजीगत व्यय की युक्तियुक्तता, वित्त पोषण योजना, निर्माण की अवधि में ब्याज, कार्य कुशल प्रौद्योगिकी का उपयोग, लागत अधिकता, समय अधिकता तथा ऐसे मामलों की संवीक्षा जो शुल्क अवधारण हेतु आयोग द्वारा आवश्यक समझे जायें, सम्मिलित होगी।

परन्तु यह भी कि आयोग, स्वतंत्र अभिकरण या विशेषज्ञ द्वारा परियोजनाओं की लागत की जांच के लिए दिशा निर्देश जारी कर सकता है तथा ऐसा होने पर ऐसे अभिकरण या विशेषज्ञ द्वारा जांच की गई पूँजी लागत पर ही शुल्क अवधारक करते समय आयोग द्वारा विचार किया जायेगा।

परन्तु यह भी कि यदि किसी जल विद्युत उत्पादक स्टेशन का स्थल बोली की द्विचरण पारदर्शी प्रक्रिया अपनाते हुए राज्य सरकार द्वारा किसी विकासकर्ता (जो राज्य के स्वामित्व वाली या राज्य द्वारा नियंत्रित कंपनी न हो) को दिया जाता है तो परियोजना स्थल का आबंटन पाने के लिए देय/भुगतान किये गये प्रीमियम सहित, परियोजना विकासकर्ता द्वारा किये गये कोई व्यय या किये जाने के लिए प्रतिबद्व किसी व्यय को पूंजी लागत में सम्मिलित नहीं किया जायेगा:

परन्तु यह भी कि ऐसे जल विद्युत उत्पादक स्टेशन के मामले में पूंजी लागत में निम्नलिखित सम्मिलित होगा:

(ए) अनुमोदिन रूप में नेशनल आर एंड आर पॉलिसी तथा आर एंड आर पैकेज के अनुरूप परियोजना के अनुमोदित पुनर्वास व पुनर्स्थापना (आर एंड आर) की लागत, तथा

(बी) प्रभावित क्षेत्रों में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (आर जी जी वी वाय) की ओर परियोजना विकास कर्ता के 10% अंशदान की लागत।

(4) कार्य की मूल परिधि तक सीमित, कंपनी के संपरीक्षित लेखों के आधार पर पूंजीकरण की तिथि पर वास्तविक पूंजीगत व्यय पर आयोग द्वारा कुशल जांच के अधीन विचार किया जायेगा।

(5) जहॉ ऊर्जा कय करार या पारेषण या व्हीलिंग करार में पूंजी लागत की सीमा का प्रावधान है वहां आयोग द्वारा स्वीकृत पूंजीगत व्यय शुल्क अवधारण हेतु ऐसी सीमा का ध्यान रखेगा।

(6) पूंजी लागत में पूंजीकृत प्राथमिक स्पेयर्स सम्मिलित होंगे जो निम्नलिखित होंगे:

(ए) कोयला आधारित/लिग्नाईट—अग्निक तापीय उत्पादक स्टेशनों के मामले में मूल पूंजी के 2.5% तक

(बी) गैस टर्वाईन/संयुक्त चक्र तापीय उत्पादक स्टेशनों के मामलों में मूल पूंजी लागत के 4.0% तक

(सी) जल विद्युत उत्पादक स्टेशनों के मामले में मूल पूंजी लागत के 1.5%तक।

(डी) पारेषण लाईन के मामले में मूल पूँजी लागत के 0.75% तक।

(ई) पारेषण उप स्टेशन के मामले में मूल पूँजी लागत के 0.25% तक, तथा

(एफ) वितरण लाईनों सहित वितरण प्रणाली के मामले में मूल पूँजी लागत के 0.25%तक, तथा

(जी) पारेषण उप स्टेशन के मामले में मूल पूँजी लागत के 0.25% तक, तथा

(7) आस्तियों के पुर्नमूल्याकंन का प्रभाव नियन्त्रक अवधि में अनुमेय होगा बशर्ते कि इसके परिणाम स्वरूप उत्पादक कंपनी, पारेषण अनुज्ञापी व वितरण अनुज्ञापी के शुल्क में वृद्वि न हो। ऐसे पुनर्मूल्याकंन का

कोई भी लाभ वार्षिक सहीकरण के समय उत्पादक कंपनी के मामले में क्षमता प्रभार में भागीदार व्यक्तियों को तथा वितरण अनुज्ञापी के मामले में खुदरा आपूर्ति उपभोक्ताओं या पारेषण अनुज्ञापी या वितरण अनुज्ञापी के दीर्घावधि राज्यान्तर्गत उन्मुक्त अभिगमन ग्राहकों को दिया जायेगा।

(8) इक्विटी व ऋण के सापेक्ष भाग के रूप में पूँजी की पुनः संरचना शुल्क अवधि में इस शर्त पर अनुमेय होगी कि यह शुल्क पर प्रतिकूल प्रभाव न डाले। ऐसी पुनः संरचना का कोई भी लाभ, उत्पादक कंपनी के मामले में क्षमता प्रभार में भागीदार व्यक्तियों को तथा ऐसे अनुज्ञापियों के मामले में उपभोक्ताओं या पारेषण या वितरण अनुज्ञापी के दीर्घावधि राज्यान्तर्गत उन्मुक्त अभिगमन ग्राहकों को दिया जायेगा।

24. अतिरिक्त पूंजीकरण।

(1) वाणिज्यिक प्रचालन की तिथि के पश्चात् तथा विभेदक तिथि तक वास्तव में हुए या होने के लिए प्रक्षेपित कार्य की मूल परिधि के भीतर निम्नलिखित पूंजीगत व्यय, कुशल जांच के अधीन आयोग द्वारा अनुमेय होंगे:

(ए) अनिष्पादन दायित्व।

(बी) निष्पादन हेतु आस्थगित कार्य।

(सी) विनियम 23 (6) के उपबंधों के अधीन कार्य की मूल परिधि के भीतर प्रारंभिक पूंजी स्पेयर्स का प्रापण।

(डी) मध्यस्थ के अधिनिर्णय या किसी न्यायालय के आदेश या डिक्री के अनुपालन हेतु दायित्व, तथा

(ई) विधि में परिवर्तन के कारण।

परन्तु व्यय के आकलन, आस्थगित दायित्व, निष्पादन के लिये आस्थगित कार्यों के साथ–साथ कार्य की मूल परिधि में सम्मिलित विवरण, शुल्क के अवधारण हेतु आवेदन के साथ जमा किया जायेगा।

(2) विभेदक तिथि के पश्चात् वास्तव में हुए निम्नलिखित स्वभाव के पूंजीगत व्यय अपने विवेकानुसार, कुशल जांच के अधीन आयोग द्वारा स्वीकार किए जायेंगे:

(ए) मध्यस्थ के अधिनिर्णय या किसी न्यायालय के आदेश के अनुपालन हेतु दायित्व।

(बी) विधि में परिवर्तन।

(सी) कार्य के मूल परिधि के भीतर एश पोंड या ऐश हैंडलिंग प्रणाली से संबंधित आस्थगित कार्य।

(डी) जल विद्युत उत्पादक स्टेशन के मामले में कोई अतिरिक्त व्यय जो किसी बीमा योजना से मिली राशि के समायोजन पश्चात भू–विज्ञानी कारणों सहित प्राकृतिक आपदाओं (उत्पादक कंपनी की

लापरवाही के कारण पावर हाउस में बाढ़ के कारण को न गिनते हुए) द्वारा हुई हानि के कारण आवश्यक हुआ हो तथा ऐसे अतिरिक्त कार्य के कारण अतिरिक्त व्यय जो सफल व कुशल संयंत्र प्रचालन के लिए आवश्यक हो गया हो।

(ई) पारेषण व वितरण प्रणाली के मामले में, रिलेज, कंट्रोल एंड इन्सट्रूमैंटेशन, कम्पयूटर प्रणाली, पावर लाईन कैरियर संप्रेक्षण, डी सी बैटरीज, फोल्ट लेवल के बढ़ने के कारण स्विचयार्ड, उपकरणों में बदलाव, आपात पुनःस्थापन्न, इन्सुलेटर्स सफाई संरचना, बीमें न आये क्षतिग्रस्त उपकरणों का बदलाव जैसी मदों पर अतिरिक्त व्यय तथा कोई अन्य व्यय जो पारेषण या वितरण प्रणाली के कुशल व सफल चालन हेतु आवश्यक हो गया हो:

परन्तु उपरोक्त उप–खण्ड डी एवं ई के संबंध में विभेदक तिथि के पश्चात् कय किये गये औजार फर्नीचर, एयर कंडीशनर्स, वोल्टेज स्टेबलाइगर्स, कूलर्स, फैन्स, वाशिंग मशीन हीट कन्डकटर्स, गद्दे, गलीचे इत्यादि जैसी छोटी मदों, परिसम्पतियों की प्राप्ति हेतु कोई अतिरिक्त व्यय 1.4.2013 से प्रभावी शुल्क के अवधारण हेतु अतिरिक्त पूंजीकरण नहीं माना जायेगा।

25. नवीकरण तथा आधुनिकीकरण।

(1) यथास्थिति उत्पादक कंपनी या पारेषण कंपनी उत्पादक स्टेशन या उसकी एक यूनिट या पारेषण प्रणाली के उपयोगी जीवन से आगे उसके विस्तार के प्रयोजन हेतु नवीकरण व आधुनिकीकरण (आर एंड एम) पर व्यय को पूरा करने के लिए लाभार्थियों के साथ परामर्श का अभिलेख, आकलित पूर्ण लागत, जिसमें विदेशी विनिमय घटक सम्मिलित है, संदर्भ मूल्य स्तर पूर्णता की अनुसूची, व्यय के चरण, वित्तीय पैकेज, संदर्भ तिथि से आकलित जीवन विस्तार, लागत लाभ विश्लेषण, औचित्य, परिधि तथा उत्पादक कंपनी या पारेषण कंपनी द्वारा सुसंगत समझी गई किसी अन्य जानकारी को प्रदान करते हुए एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के साथ प्रस्ताव के अनुमोदन हेतु आयोग के समक्ष आवेदन करेगी:
परन्तु कोयला आधारित/लिग्नाइट अग्निक तापीय उत्पादक स्टेशन के मामले में उत्पादक कंपनी अपने विवेकानुसार, उत्पादक स्टेशन या उसकी यूनिट के उपयोगी जीवन से आगे नवीकरण व आधुनिकीकरण सहित व्ययों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए प्रतिपूर्ति के रूप में विनियम 25 (4) में विर्निदिष्ट मानकों के अनुसार एक विशेष भत्ते, का लाभ उठा सकता है तथा ऐसा होने पर पूंजीलागत के संशोधन पर विचार नहीं किया जायेगा तथा लागू प्रचालक मानक शिथिल नहीं किए जायेंगे किंतु विशेष भत्ते को वार्षिक स्थिर लागत में सम्मिलित किया जायेगा:

परन्तु यह भी कि यह विकल्प ऐसी उत्पादक कंपनी या यूनिट के लिए उपलब्ध नहीं होगी, जिसके लिए नवीरकण व आधुनिकीकरण आरम्भ किया गया है तथा व्यय इन विनियमों के प्रारम्भ से पूर्व आयोग द्वारा स्वीकार किया गया है या एक उत्पादक स्टेशन या यूनिट के लिए जो एक जीर्ण–शीर्ण अवस्था में हो या प्रचालन व कार्य निष्पादन के शिथिल मानकों के अधीन प्रचालित से।

(2) जहां यथास्थिति, उत्पादक कंपनी या पारेषण कंपनी नवीकरण व आधुनिकीकरण हेतु अपने प्रस्ताव के अनुमोदन के लिए आवेदन करता है वहां लागत आकलनों को युक्तियुक्ता, वित्त पोषण योजना, पूर्णता की अनुसूची, निर्माण के दौरान ब्याज, कुशल प्रौद्यौगिकी, लागत व्यय विश्लेषण तथा ऐसे अन्य कारक जिन्हें आयोग सुसंगत समझे, का उचित विचार करने के पश्चात अनुमोदन प्रदान किया जायेगा।

(3) नवीकरण व आधुनिकीकरण व्यय के आकलन का जीवन विस्तार के आधार पर कुशल जांच के पश्चात आयोग द्वारा स्वीकृत, उपगत या उपगत होने के लिये प्रक्षेपित व्यय तथा मूल परियोजना लागत से पहले से वसूल किये गये संचित अवक्षय को घटाकर प्राप्त व्यय, शुल्क अवधारण के लिये आधार प्रदान करेंगे।

(4) कोयला आधारित/लिग्नाईट अग्निक तापीय उत्पादक स्टेशन के लिये इन विनियमों के विनियम 25 (1) के प्रथम परन्तुक में विकल्प चुनने पर एक उत्पादक कंपनी को उत्पादक स्टेशन संबंधित यूनिट के वाणिज्यिक प्रचालन की तिथि के संदर्भ में उपयोगी जीवन के पूर्ण होने की संबंधित तिथि से अगले वित्त वर्ष से यूनिट वार 2013–14 में रू0 6.25 लाख/एम डब्ल्यू/वर्ष की दर से तथा उसके पश्चात् प्रति वर्ष बढ़ी हुई 5.72: की दर से विशेष भत्ता अनुमोदित किया जायेगा:

परन्तु तापीय ऊर्जा संयंत्र हेतु 25 वर्ष से अधिक के लिये वाणिज्यिक प्रचालन में एक यूनिट के संबंध में यह भत्ता वित्त वर्ष 2013–14 से अनुमेय होगा।

परन्तु यह भी कि 01.04.2013 को तापीय ऊर्जा संयंत्र हेतु 25 वर्ष से अधिक के लिए वाणिज्यिक प्रचालन में एक यूनिट के संबंध में यह भत्ता वर्ष 2013–14 से अनुमय होगा।

26. अतिरिक्त पूंजीकरण।

(1) अनुज्ञापी द्वारा लिये गये निम्नलिखित स्वभाव के कार्य इस श्रेणी में रखे जायेंगे।

(ए) निक्षेप कार्यो के संदर्भ में उपयोगकर्ताओं से सभी निधियों या उनका अंश प्राप्त करने के पश्चात कार्य।

(बी) आर जी जी वी वाय, ए पी डी आर पी इत्यादि के अधीन निधियों सहित राज्य सरकार या केन्द्र सरकार से प्राप्त अनुदानों का उपयोग करते हुए किये गये पूॅजीगत कार्य।

(2) ऐसे पूंजीगत व्यय पर व्यय किये जाने के लिये सिद्वान्त निम्नलिखित होंगे।

(ए) इन विनियमों के विनिर्दिष्ट मानकीय ओ एंड एम व्यय अनुदेय होंगे।

(बी) भाग–III में विनिर्दिष्ट अवक्षय से संबंधित उपबंध, यथा स्थिति अनुज्ञापी या उत्पादक कंपनी द्वारा प्रदान ऋण व इक्विटी अंशदान सहित वित्तीय समर्थन की सीमा तक लागू होंगे। उपभोक्ता अंशदान या पूंजीगत अनुदानों सह विनियमों के माध्यम से निधिक आस्थियों पर अनुमेय नहीं होगा।

(सी) भाग–III में विनिर्दिष्ट इक्विटी पर वापसी से संबंधित उपबंध, यथास्थिति अनुज्ञापी या उत्पादक कंपनी द्वारा किये गये अंशदान पर 70:30 के मानकीय ऋण इक्विटी मिश्र की सीमा तक या वास्तविक इक्विटी, जो भी कम हो लागू होगा।

27. इक्विटी पर प्रतिफल

(1) इक्विटी पर प्रतिफल, विनियम 22 के अनुसार अवधारित आधार पर इक्विटी पर संगणित किया जायेगा। परन्तु इक्विटी पर प्रतिफल, प्रत्येक वित्त वर्ष के प्रारम्भ में उपयोग में लायी गयी आस्थियों के लिए अनुमेय इक्विटी पूंजी की राशि पर अनुमेय होगा।

(2) इक्विटी पर प्रतिफल, उत्पादक स्टेशनों, पारेषण अनुज्ञापी तथा एल एल डी सी के लिए कर पश्चात आधार पर 15.5: की दर से तथा वितरण अनुज्ञापी के लिए 16: की दर से संगणित किया जायेगा। परन्तु 01 अप्रैल 2013 को या उसके बाद लगाई गई उत्पादन तथा पारेषण परियोजनाओं के मामले में, यदि इन विनियमों के परिशिष्ट में विनिर्दिष्ट समय रेखा के भीतर ऐसी परियोनाएं पूर्ण हो जानी हैं तो 0.5: का अतिरिक्त प्रतिफल अनुमेय होगा।

28. ऋण पूंजी पर तथा प्रतिभूति पर ब्याज व वित्तीय प्रमार

(1) ऋण पर ब्याज की गणना के लिये, विनियम 22 में इंगित तरीके से ज्ञात किये गये ऋण, कुल मानकीय ऋण माने जायेंगे।

(2) 01.04.2013 पर बकाया मानकीय ऋण, कुल मानकीय ऋण में से 31.03.2013 तक आयोग द्वारा स्वीकृत संचयी वापसी घटा कर प्राप्त किया जायेगा।

(3) नियंत्रण अवधि के प्रत्येक वर्ष के लिए वापसी, उस वर्ष के लिए अनुमेय अवक्षय के बराबर मानी जाएगी।

(4) यथास्थिति, उत्पादक कंपनी या पारेषण कंपनी, अनुज्ञापी या वितरण अनुज्ञापी या एस0एल0डी0सी0 द्वारा उपभोग किये गये किसी ऋण स्थगन के होते हुए भी ऋण की वापसी, परियोजना के वाणिज्यिक प्रचालन के पहले वर्ष से मानी जाएगी तथा अनुमेय वार्षिक अवक्षय के बराबर होगी।

(5) ब्याज की दर, परियोजना पर लागू प्रत्येक वर्ष के आरम्भ में वास्तविक ऋण पोर्टफोलियो के आधार पर परिकलित ब्याज की भारित औसत दर होगी:—

परन्तु यदि किसी वर्ष विशेष के लिए कोई वास्तविक ऋण नहीं है किंतु मानकीय ऋण अभी बकाया है तो पिछली उपलब्ध भारित औसत दर मानी जाएगी।

परन्तु आगे यह कि यथास्थिति, उत्पादक स्टेशन या पारेषण प्रणाली या वितरण प्रणाली का कोई वास्तविक ऋण नहीं है तो सम्पूर्ण रूप में उत्पादक कंपनी या पारेषण अनुज्ञापी या वितरण अनुज्ञापी की ब्याज की भारित औसत दर मानी जाएगी।

(6) ऋण पर ब्याज, ब्याज की भारित औसत दर लागू दर वर्ष के मानकीय औसत ऋण पर परिकलित किया जाएगा।

(7) यथास्थिति, उत्पादक कंपनी या पारेषण अनुज्ञापी या वितरण अनुज्ञापी या एस0एल0डी0सी0, ब्याज पर शुद्ध बचत होने तक ऋण के पुनः वित्तपोषण हेतु सभी प्रयास करेगा तथा ऐसा होने पर ऐसे पुनः वित्तपारेषण से युक्त सभी लागतें लाभार्थियों द्वारा वहन की जाएंगी तथा ब्याज पर शुद्ध बचत लाभार्थियों व यथास्थिति उत्पादक कंपनी या पारेषण अनुज्ञापी या वितरण अनुज्ञापी या एस0एल0डी0सी0 50:50 के अनुपात में बांटी जायेगी।

(8) ऋणों के निबंधन एवं शर्तों में परिवर्तन ऐसे पुनः वित्तपोषण की तिथि से प्रक्षेपित होगा।

(9) उपभोक्ताओं से वितरण अनुज्ञापी द्वारा प्रतिभूति के रूप में जमाराशि पर ब्याज, समय–समय पर आयोग द्वारा निर्धारित दर से अनुमेय होगा।

29. अवक्षय

(1) अवक्षय के प्रयोजन से मूल्य आधार, आयोग द्वारा स्वीकृत आस्ति की पूंजी लागत होगा।

परन्तु उपभोक्ता अंशदान तथा पूंजीगत सहायिकी/अनुदान के माध्यम से निहित आस्तियों पर अवक्षय अनुमेय नहीं होगा।

(2) आस्ति का निस्तारण मूल्य 10 प्रतिशत माना जाएगा तथा आस्ति की पूंजीगत लागत के अधिकतम 90 प्रतिशत तक अवक्षय अनुमेय होगा।

(3) परन्तु उत्पादक स्टेशन्स के मामले में निस्तारण मूल्य, स्थल की संरचना के लिए राज्य सरकार के साथ विकासकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित करार में उपबंधित किये अनुसार होगा।

परन्तु आगे यह कि इन विनियमों के अधीन शुल्क के अवधारण के प्रयोजन से अवक्षय योग्य मूल्य की संगणना के उद्देश्य से उत्पादक स्टेशन की आस्तियों की पूंजी लागत विनियमित शुल्क पर दीर्घावधि ऊर्जा क्रय करार के अधीन विद्युत के विक्रय के प्रतिशत के साथ मेल खायेगी।

(4) पट्टे के अधीन धारित भूमि से अन्यथा भूमि तथा जल विद्युत उत्पादक स्टेशन के मामले में जलाशय हेतु भूमि अवक्षय योग्य भूमि नहीं होगी तथा इसकी लागत, आस्ति के अवक्षय योग्य मूल्य की संगणना करते समय पूंजी लागत में से निकाल दी जाएगी।

(5) अवक्षय का परिकलन सीधी लाईन विधि के आधार पर वार्षिक रूप से तथा इन विनियमों के परिशिष्ट–v में विनिर्दिष्ट दरों पर किया जाएगा।

परन्तु वाणिज्यिक प्रचालन की तिथि से 12 वर्ष की अवधि के पश्चात् समाप्त होने वाले वर्ष की 31 मार्च को शेष अवक्षय योग्य मूल्य, आस्तियों के शेष उपयोगी जीवन में प्रसारित होगा।

(6) वर्तमान परियोजनाओं के मामले में 01.04.2013 को शेष अवक्षय योग्य मूल्य, आस्तियों के कुल अवक्षय योग्य मूल्य से 31.03.2013 तक आयोग द्वारा स्वीकृत संचयी अवक्षय घटाकर ज्ञात किया जाएगा। वसूल किये गये संचयी अवक्षय तथा 12 वर्ष के तत्समान, इन विनियमों में विनिर्दिष्ट अवक्षय दरों को लागू कर इस प्रकार ज्ञात अवक्षय के मध्य का अंतर शेष 12 वर्षों की शेष अवधि तक प्रसारित होगा। वाणिज्यिक प्रचालन की तिथि से 12 वर्षों के पश्चात् समाप्त हुए वर्ष की 31 मार्च की शेष अवक्षय योग्य मूल्य शेष जीवन में प्रसारित होगा।

(7) अवक्षय, वाणिज्यिक प्रचालन के प्रथम वर्ष से प्रभारित होगा। वर्ष के एक भाग के लिए आस्ति के वाणिज्यिक प्रचालन के मामले में, अवक्षय यथानुपातिक आधार पर प्रभारित किया जाएगा।

30. पट्टा प्रभार

एक उत्पादक कंपनी, एल0एल0डी0सी0 या पारेषण अनुज्ञापी या वितरण अनुज्ञापी द्वारा पट्टे पर ली गयी आस्तियों के लिए पट्टा प्रभार, पट्टा करार के अनुसार माने जाएंगे बशर्ते कि आयोग द्वारा इन्हें युक्तियुक्त समझा जाए।

31. प्रचालन एवं अनुरक्षण व्यय

(1) प्रचालन एवं अनुरक्षण या ओ एंड एम व्ययों में बीमा व्ययों सहित जनशक्ति, मरम्मत व रख–रखाव (आर एंड एम) तथा प्रशासनिक व सामान्य व्ययों पर हुए खर्च सम्मिलित होंगे।

(2) प्रचालन एवं अनुरक्षण व्ययों का निर्धारण इन विनियमों में बाद में आयोग विनिर्दिष्ट कार्यविधि के आधार पर नियंत्रण अवधि हेतु अवधारित किया जाएगा।

(3) पट्टे पर ली गयी आस्तियों के ओ एण्ड एम व्यय तथा जो उपभोक्ता के अंशदान से संरचित है, पर विचार किया जाएगा यदि उत्पादक कंपनी या पारेषण या वितरण अनुज्ञापी या एस0एल0डी0सी0 पर इसके ओ एंड एम का दायित्व है तथा ओ एंड एम व्यय वहन करता है।

(4) वर्ष के दौरान जोड़ी गयी कुल स्थिर आस्तियों के ओ एंड एम व्ययों पर यथानुपात आधार पर कमीशनिंग की तिथि से विचार किया जाएगा।

(5) युद्ध उपप्लव, विधि में परिवर्तन या ऐसी ही घटनाओं के कारण ओ एंड एम प्रभारों में वृद्धि पर एक विर्निदिष्ट अवधि के लिए आयोग द्वारा विचार किया जाएगा।

(6) मानकीय ओ एंड एम व्ययों तथा वास्तविक ओ एंड एम व्ययों में परिवर्तन नियंत्रण योग्य कारकों के कारण लाभ या हानि का भाग समझे जाएंगे।

32. अशोध्य व संदिग्ध ऋण

पूर्व वर्षो में स्वयं अशोध्य ऋणों को बट्टे में डालने के अधीन, वितरण अनुज्ञापी के आकलित वार्षिक राजस्व के एक प्रतिशत (1 प्रतिशत) तक अशोध्य व संदिग्ध ऋणों के लिए आयोग एक प्रबंधन की अनुमति दे सकता है।

परन्तु जहां अशोध्य व संदिग्ध ऋणों के लिए ऐसे प्रावधानों की राशि वर्ष के आरम्भ में प्राप्तियों के पांच (5) प्रतिशत से अधिक होती है वहां ऐसा कोई विनियोजन अनुमेय नहीं होगा जिससे उक्त अधिकतम से आगे प्रावधान बढ़ाने का प्रभाव हो।

33. विदेशी विनिमय दर परिवर्तन (एफ.ई.आर.वी.)

ब्याज भुगतान तथा ऋण वापसी हेतु विदेशी विनिमय परिवर्तन के लिए प्रतिरक्षा लागत, वर्ष प्रति वर्ष आधार पर अनुमेय होगी। तथा भुगतान की तिथि तक देय होगी व आयोग की कुशल जांच के अधीन होगी। आवेदक प्रतिरक्षा की ऐसी लागत का पूर्ण विवरण आयोग को प्रदान करेगा।

यदि वैध कारणों से प्रतिरक्षा की व्यवस्था नहीं की गयी है तो शुल्क अवधारण के प्रयोजन से आयोग अनंतिम रूप से एफ.ई.आर.वी. का आंकलन करेगा जो वास्तविकों के अनुसार समायोजन के अधीन होगा।

34. कार्यरत पूंजी पर ब्याज

कार्यरत पूंजी पर ब्याज मानकीय आधार पर होगा तथा शुल्क अवधारण के लिये आवेदन की तिथि पर भारतीय स्टेट बैंक की स्टेट बैंक अग्रिम दर (एस0बी0ए0आर0) के बराबर होगा।

(1) उत्पादन

(ए) कोयला आधारित/लिग्नाईट–अग्नित उत्पादक स्टेशनों के मामले में, कार्यरत पूंजी में निम्नलिखित सम्मिलित होगाः

(i) मानकीय वार्षिक संयत्र उपलब्धता कारक (एन.ए.पी.ए.एफ.) के तत्समान पिट हैड उत्पादक स्टेशनों के लिए 1½ (डेढ़) माह तथा नौन पिट हैड उत्पादक स्टेशनों के लिए 2 (दो) माह हेतु कोयला या लिग्नाईट या चूना पत्थर की भू–लागत,

(ii) एन.ए.पी.ए.एफ. के तत्समान उत्पादन हेतु दो माह के लिए गौण ईंधन तेल की लागत तथा एकाधिक गौण ईंधन तेल के उपयोग के मामले में, मुख्य गौण ईंधन तेल हेतु ईंधन तेल स्टॉक की लागत,

(iii) एक माह के लिए प्रचालन एवं अनुरक्षण व्यय,

(iv) प्रचालन एवं अनुरक्षण व्ययों का 20 प्रतिशत की दर से अनुरक्षण स्पेयर्स,

(v) एन.ए.पी.ए.एफ. पर परिकलित विद्युत के विक्रय हेतु ऊर्जा प्रभारों व क्षमता प्रभार के दो माह के बराबर प्राप्तियां

(बी) ओपन सायकल गैस टर्बाईन/संयुक्त चक्र तापीय उत्पादक स्टेशनों के मामले में कार्यरत पूंजी में निम्नलिखित सम्मिलित होगा:

(i) गैस ईंधन व तरल ईंधन पर उत्पादक स्टेशन के प्रचालन की विधि का उचित विचार कर एन.ए.पी.ए.एफ. के तत्समान एक (1) माह के लिए भू–ईंधन लागत,

(ii) एन.ए.पी.ए.एफ. के तत्समान ½ (आधा) माह के लिए तरल ईंधन स्टॉक तथा एकाधिक तरल ईंधन के उपयोग के मामले में मुख्य तरल ईंधन की लागत,

(iii) एक माह के लिए प्रचालन एवं अनुरक्षण व्यय,

(iv) प्रचालन एवं अनुरक्षण व्ययों के 30 प्रतिशत की दर से अनुरक्षण स्पेयर्स, तथा

(v) गैस ईंधन व तरल ईंधन पर उत्पादक स्टेशन की प्रचालन विधि का उचित विचार करते हुए एन.ए.पी.ए.एफ. पर परिकलित विद्युत के विक्रय हेतु विद्युत प्रभारों व क्षमता प्रभार के दो (2) माह के बराबर प्राप्तियां।

(सी) जल विद्युत उत्पादक स्टेशनों के मामले में कार्यरत पूंजी में निम्नलिखित सम्मिलित होगा:

(i) एक माह के लिए प्रचालन एवं अनुरक्षण व्यय,

(ii) प्रचालन एवं अनुरक्षण व्ययों के 15 प्रतिशत की दर से अनुरक्षण व्यय,

(iii) मानकीय क्षमता सूचकांक पर परिकलित वार्षिक स्थिर प्रभारों के दो माह के बराबर विद्युत के क्रय हेतु प्राप्तियां,

(डी) स्वयं का उत्पादक स्टेशन होने की स्थिति में, इन विनियमों के अनुरूप कार्यरत पूंजी के संगणन में खुदरा आपूर्ति करोबार को उत्पादन कारोबार द्वारा ऊर्जा की आपूर्ति की सीमा में प्राप्तियों के लिए कोई राशि अनुमेय नहीं होगी।

(2) पारेषण

(ए) पारेषण अनुज्ञापी को वित्त वर्ष के लिए कार्यरत पूंजी के आकलित स्तर पर ब्याज अनुमेय होगा जिसे निम्नलिखित तरीके से संगणित किया जाएगाः

(i) एक माह के लिए प्रचालन एवं अनुरक्षण व्यय,

(ii) प्रचालन एवं अनुरक्षण व्ययों के 15 प्रतिशत की दर से अनुरक्षण स्पेयर्स, तथा

(iii) प्रचलित दरों पर पारेषण प्रभारों से अपेक्षित राजस्व का दो माह के बराबर,

(3) वितरण

(ए) वितरण अनुज्ञापी को वित्त वर्ष के लिए कार्यरत पूंजी पर आकलित स्तर पर ब्याज अनुमेय होगा जिसे निम्नलिखित तरीके से संगणित किया जाएगाः

(i) ऐसे वित्त वर्ष के लिए प्रचालन एवं अनुरक्षण व्ययों की एक माह की राशि, जोड़ें,

(ii) प्रचालन एवं अनुरक्षण व्ययों के 15 प्रतिशत की दर से अनुरक्षण स्पेयर्स, जोडें

(iii) प्रचलित दरों पर विद्युत के विक्रय से अपेक्षित राजस्व का दो माह के बराबर, घटायें

(iv) उपभोक्ताओं व वितरण प्रणाली उपयोगकर्ताओं से धारा 47 की उपधारा (1) के खण्ड (ए) व खण्ड (बी) के अधीन रखा गया प्रतिभूति जमा, घटायें

(v) वार्षिक ऊर्जा प्रापण योजना के आधार पर क्रय की गयी ऊर्जा की लागत का एक माह के बराबर।

(4) एस.एल.डी.सी.

(ए) एस.एल.डी.सी. को वित्त वर्ष के लिए कार्यरत पूंजी के आकलित स्तर पर ब्याज अनुमेय होगा, जिसे निम्नलिखित तरीके से संगणित किया जाएगाः

(i) प्रचालन एवं अनुरक्षण व्यय के 15 प्रतिशत की दर से अनुरक्षण स्पेयर्स,

(ii) एक माह के लिए प्रचालन एवं अनुरक्षण व्यय,

(iii) एस.एल.डी.सी. प्रभारों के दो माह के बराबर प्राप्तियां

35. आय पर कर

उत्पादक कम्पनियां, पारेषण अनुज्ञापियों, वितरण अनुज्ञापियों, एस.एल.डी.सी. के विनियम कारोबार की आयधारा पर यदि कोई आयकर है तो कुषल जांच के अधीन, नियंत्रण अवधि के प्रत्येक वर्ष के सहीकरण के समय जमा किये दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर, भुगतान किये गये वास्तविक आयकर के अनुसार उत्पादक कंपनियों, पारेषण अनुज्ञापियों, वितरण अनुज्ञापियों, एस.एल.डी.सी. को प्रतिपूर्ति की जाएगी।

36. विनियामक आस्ति

ऐसे मामले में जहां आय या व्ययों में असामान्य परिवर्तन हो तथा फलस्वरूप पर्याप्त राजस्व अंतर हो, जिसकी पूरी वसूली एक वर्ष में साध्य न हो तो आयोग, शुल्क नीति के खण्ड 8.2.2 में उपबंधित दिशा—निर्देशों के अनुसार विनियामक आस्ति की संरचना की अनुमति प्रदान कर सकता है तथा एक से अधिक वर्षों में शुल्क या अधिभार के द्वारा इसकी वसूली का उपबंध कर सकता है। इस प्रकार संरचित विनियामक आस्ति के परिशोधन के लिए शुल्क नीति के अनुसार व्यवहार किया जाएगा बशर्ते कि आयोग ऐसी दरों पर विनियामक आस्ति पर वहन लागत की अनुमति प्रदान करे, जिन्हें वह उचित समझे।

भाग — 4

राजस्व

37. शुल्क आय

यथास्थिति, उत्पादन, पारेषण, व्हीलिंग व विद्युत की खुदरा आपूर्ति एस.एल.डी.सी. प्रभारों के लिए आयोग द्वारा अवधारित सभी प्रभारों से उत्पादक कंपनी, पारेषण कंपनी, वितरण कंपनी तथा एस.एल.डी.सी. की आय, शुल्क आय मानी जाएगी।

38. अन्य राजस्व

(1) शुल्क राजस्व को छोड़कर विद्युत के अप्राधिकृत उपयोग व प्रशमन धन सहित सभी राजस्व, अन्य राजस्व के रूप में वर्गीकृत किये जाएंगे।

(2) ऊर्जा स्टेशन/उप—स्टेशन बस बार से अपने प्रचालक स्टाफ के लिए ली गयी अपनी आवासीय कालोनियों या नगरियों को विद्युत आपूर्ति हेतु व इसके राजस्व के लिए उत्पादक कंपनी/पारेषण अनुज्ञापी द्वारा पृथक लेखा रखा जाएगा तथा जहां लागू हो वहां ए.आर.आर./शुल्क याचिका में वार्षिक रूप से आयोग को रिपोर्ट करना होगा।

(3) उत्पादक/पारेषण शुल्क अवधारित करते समय इस प्रकार प्राप्त राजस्व, अर्थात् उत्पादक कंपनी के मामले में उत्पादक शुल्क के अनुसार राजस्व या पारेषण अनुज्ञापी के संबंध में, जहां उपस्टेशन अवस्थित हैं वहां वितरण अनुज्ञापी के उपभोक्ता श्रेणी के शुल्क आयोग द्वारा उत्पादक कंपनी/पारेषण कंपनी की अन्य आय के एक घटक के रूप में समझे जाएंगे।

39. अधिभार व अतिरिक्त अधिभार

विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 39, 40 व 42 के अधीन अधिभार व अतिरिक्त अधिभार, आय माना जाएगा तथा आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट किये अनुसार माना जाएगा।

40. अन्य कारोबार से आय

(1) अन्य कारोबार से राजस्व, विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 41 व 51 के अधीन आयोग द्वारा अधिकृत सीमा तक आय माना जाएगा।

(2) उत्पादक कंपनी, पारेषण अनुज्ञापी तथा वितरण अनुज्ञापी आयोग के पास याचिका के साथ निम्नलिखित जानकारी जमा करेगा:

क्या अनुज्ञापी विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 41 व 51 के अधीन निर्धारित अर्थ में किसी अन्य कारोबार में संलग्न है?

यदि हां, तो अनुज्ञापी को निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करनी चाहिए:

(ए) अन्य कारोबार जिनमें अनुज्ञापी संलग्न है उनका नाम तथा विवरण,

(बी) ऐसे प्रत्येक कारोबार के लिए पिछले वर्ष में उत्पादित, वर्तमान वर्ष में आकलित तथा आगामी वर्ष के लिए प्रक्षेपित राजस्व की राशि,

(सी) उपरोक्त राजस्व उत्पन्न करने के लिए अनुज्ञापी द्वारा उपयोग किये गये अनुज्ञप्ति प्राप्त कारोबार की आस्तियां,

(डी) उपरोक्त राजस्व उत्पन्न करने के लिए हुए व्यय, प्रत्येक अन्य कारोबार के लिए पृथक रूप से ,

(ई) क्या ये व्यय अनुज्ञापी के ए.आर.आर. में पहले से ही सम्मिलित हैं? पूर्ण रूप से या आशिक रूप से? यदि आंशिक रूप से तो प्रभाजन का अनुपात तथा आधार प्रस्तुत किया जाए।

41. स्वच्छ विकास तंत्र ऋण (सी.डी.एम.) की भागीदारी:

अनुमोदित सी.डी.एम. परियोजना से कार्बन क्रेडिट की प्राप्तियां निम्नलिखित तरीके से बांटी जाएंगी, अर्थात्:

(ए) सी.डी.एम. के कारण प्राप्तियों का 100 प्रतिशत, यथास्थिति, उत्पादक स्टेशन या पारेषण प्रणाली के वाणिज्यिक प्रचालन के पश्चात् प्रथम वर्ष में परियोजना विकासकर्ता द्वारा रखी जायेंगी,

(बी) द्वितीय वर्ष में लाभार्थियों का भाग 10 प्रतिशत होगा जो प्रतिवर्ष 10 प्रतिशत बढ़ाया जाएगा जब तक कि यह 50 प्रतिशत न पहुंच जाए। इसके पश्चात् प्राप्तियों को यथास्थिति, उत्पादक कंपनी या पारेषण कंपनी तथा लाभार्थियों द्वारा बराबर अनुपात में बांटा जाएगा।

भाग –5

उत्पादन शुल्क का संगणन

42. प्रयोज्यता

(1) इस भाग में विनिर्दिष्ट विनियम, उत्तराखण्ड में स्थित उत्पादक स्टेशनों से एक वितरण अनुज्ञापी को विद्युत की आपूर्ति के लिए शुल्क अवधारण हेतु लागू होंगे।
परन्तु 25 एम डब्ल्यू क्षमता वाले लघु जल विद्युत परियोजनाओं सहित उत्पादन के नवीकरणीय स्रोतों से वितरण अनुज्ञापी को विद्युत आपूर्ति हेतु शुल्क का अवधारण यू.ई.आर.सी. (नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों तथा गैर जीवाश्म ईंधन आधारित कोजनरेशन स्टेशन्स से विद्युत की आपूर्ति हेतु शुल्क एवं अन्य शर्तें) विनियम, 2010 के अनुसार होगा।

(2) आयोग एक उत्पादक कंपनी द्वारा एक वितरण अनुज्ञापी को विद्युत की आपूर्ति के लिए शुल्क निर्धारित करते समय इस भाग में समाहित निबंधनों व शर्तों से दिशा–निर्देश लेगा।

43. उत्पादन शुल्क के अवधारण हेतु याचिका

(1) एक उत्पादक कंपनी, इन विनियमों के भाग–ए के उपबंधों का पालन करते हुए वितरण अनुज्ञापी को विद्युत की आपूर्ति के लिए शुल्क अवधारण हेतु याचिका दायर करेगी।

(2) इन विनियमों के अधीन उत्पादक स्टेशन में शुल्क का अवधारण चरणवार, यूनिटवार या संपूर्ण उत्पादक स्टेशन के लिए किया जाएगा। इस भाग में विनिर्दिष्ट उत्पादक स्टेशनों के लिए शुल्क के अवधारण हेतु निबंधन एवं शर्तें उत्पादक स्टेशनों की भांति यथास्थिति चरणों या यूनिट्स पर लागू होंगी।

(3) जहां उत्पादक स्टेशन के चरण या यूनिट हेतु शुल्क अवधारित किया जा रहा है वहां उत्पादक कंपनी, यथास्थिति सभी चरणों या यूनिटों में संयुक्त व सांझा लागतों की साझा सुविधाओं व आवंटन से संबंधित पूंजी लागत के आवंटन हेतु युक्तियुक्त आधार अपनाएगी।
परन्तु उत्पादक कंपनी ऐसी लागतों के आवंटन हेतु आधार प्रदान करते हुए एक आवंटन विवरण रखेगी तथा शुल्क के अवधारण हेतु आवेदन के साथ आयोग के पास ऐसा विवरण जमा करेगा।

(4) उत्पादक कंपनी, सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा उचित रूप से संपरीक्षित व प्रमाणित, याचिका दायर करने तक या याचिका दायर करने से पूर्व की तिथि तक वास्तव में हुए पूंजीगत व्ययों पर आधारित उत्पादक स्टेशन की कमीशनिंग की पूर्वानुमानित तिथि से अग्रिम में अनंतिम शुल्क के अवधारण हेतु

याचिका दायर करेगी तथा उत्पादक स्टेशन के वाणिज्यिक प्रचालन की तिथि से अनंतिम शुल्क प्रभारित किया जाएगा।

(5) एक उत्पादक कंपनी जिसके लिए आयोग ने अनंतिम शुल्क निर्धारित किये हैं, को वार्षिक संपरीक्षित लेखों के आधार पर सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा उचित रूप से प्रमाणित, उत्पादक स्टेशन वाणिज्यिक प्रचालन की तिथि तक हुए, वास्तविक पूंजीगत व्यय के आधार पर अंतिम शुल्क निर्धारण हेतु विनियमों के अनुसार नयी याचिका दायर करनी होगी।

(6) आयोग द्वारा अवधारित अंतिम शुल्क तथा अनंतिम शुल्क के मध्य अंतर जो उत्पादक कंपनी पर उपारोप्य न हो, आयोग द्वारा निर्धारित किये अनुसार अगले वर्ष के शुल्क में समायोजित किया जाएगा।

44. शुल्क के घटक

(1) एक तापीय ऊर्जा स्टेशन से विद्युत के विक्रय हेतु शुल्क में दो भागों का समावेश होना चाहिए, अर्थात् वार्षिक स्थिर प्रभारों की वसूली तथा ऊर्जा (परिवर्तनीय) प्रभार (प्राथमिक व गौण ईंधन लागत की वसूली के लिए)।

(2) जल विद्युत उत्पादक स्टेशन से विद्युत के विक्रय हेतु शुल्क में दो भागों का समावेश होगा, अर्थात् वार्षिक क्षमता प्रभार की वसूली तथा ऊर्जा प्रभार।

45. वार्षिक स्थिर प्रभार

(1) वार्षिक स्थिर प्रभारों में निम्नलिखित तत्वों का समावेश होगा:

(ए) ऋण पर ब्याज

(बी) अवक्षय

(सी) पट्टा प्रभार

(डी) प्रचालन एवं अनुरक्षण व्यय

(ई) इक्विटी पर प्रतिफल

(एफ) कार्यरत पूंजी पर ब्याज

(जी) गौण ईंधन तेल की लागत (केवल कोयला/लिग्नाईट आधारित उत्पादक स्टेशनों के लिये)

(2) घटाकर:

ए) गैर जीवाश्म आय

परन्तु तापीय तथा जल विद्युत उत्पादक स्टेशनों के लिये अवक्षय, ऋण पूंजी पर ब्याज व वित्त प्रभार, कार्यरत पूंजी पर ब्याज तथा इक्विटी पर प्रतिफल इन विनियमों के भाग–III में विनिर्दिष्ट उपबंधों के अनुसार अनुमेय होगा।

46. अशक्त ऊर्जा का विक्रय

वितरण अनुज्ञापी को तापीय उत्पादक स्टेशन से अशक्त ऊर्जा के विक्रय हेतु शुल्क, कुशल जांच के अधीन, उस अवधि में हुए यथास्थिति, गौण ईंधन लागत सहित वास्तविक ईंधन लागत के बराबर होंगे।

परन्तु अशक्त ऊर्जा के विक्रय से उत्पादक कंपनी द्वारा अर्जित ईंधन लागत की वसूली को छोड़कर किसी अन्य राजस्व का उपयोग पूंजी लागत में कमी के लिये किया जाएगा तथा इसे राजस्व माना जाएगा।

47. गैर शुल्क आय

आयोग द्वारा अनुमोदित उत्पादन कारोबार से संबंधित गैर शुल्क आय की राशि, उत्पादक कंपनी के शुद्ध वार्षिक स्थिर प्रभारों के अवधारण में वार्षिक स्थिर प्रभारों में से घटायी जाएगी।

परन्तु उत्पादक कंपनी आयोग को गैर शुल्क आय के अपने पूर्वानुमान का पूर्ण विवरण ऐसे प्रपत्र में प्रस्तुत करेगा जैसाकि समय–समंय पर आयोग नियत करे।

गैर शुल्क के लिए माने जाने वाले विभिन्न शीर्षों की सांकेतिक सूची निम्नलिखित होगी:

(ए) भूमि या भवन के किराये से आय,

(बी) रद्दी के विक्रय से आय,

(सी) सांविधिक निवेशों से आय,

(डी) राख/रद्दी कोयले के विक्रय से आय,

(ई) बिलों के विलंबित या आस्थगित भुगतान पर ब्याज,

(एफ) आपूर्तिकर्ताओं/संविदाकर्ताओं को अग्रिम पर ब्याज,

(जी) स्टाफ क्वार्टर्स से किराया,

(एच) संविदाकर्ताओं से किराया,

(आई) संविदाकर्ताओं व अन्यों से भाड़े से आय

(जे) विज्ञापनों आदि से आय,

(के) कोई अन्य गैर शुल्क आय

48. तापीय उत्पादक स्टेशनों के लिये प्रचालन के मानक

नीचे दिये गये प्रचालन के मानक लागू होंगे:

(1) मानकीय वार्षिक संयंत्र उपलब्धता कारक (एन.ए.पी.ए.एफ.) सभी तापीय उत्पादक स्टेशनों के लिए 85 प्रतिशत होगी।

(2) कुल स्टेशन ऊष्मा दर तापीय उत्पादक स्टेशनों के लिए कुल स्टेशन ऊष्मा दर निम्नलिखित रूप में होगी,

i. कोयला व लिग्नाईट आधारित ऊर्जा उत्पादक स्टेशन = 1.065 x डिजाइन ऊष्मा दर (kcal/kWh)

जहां एक यूनिट की डिजाइन ऊष्मा दर का अर्थ है 100 प्रतिशत एम.सी.आर., शून्य प्रतिशत मेकअप, डिजाइन कोल व डिजाइन कूलिंग वाटर तापमान/बैक प्रेशर।

परन्तु डिजाइन ऊष्मा दर नीचे दी गयी सीमा से आगे नहीं बढ़ेगी:

दाब दर निर्धारण (के.जी./वर्ग सेमी.)	150	170	170	247	247
एस.एच.टी./आर.एच.टी. (0C)	535/535	537/537	537/565	537/565	565/593
बी.पी.एफ. का प्रकार	विद्युत चालित	टर्बाईन चालित	टर्बाईन चालित	टर्बाईन चालित	टर्बाईन चालित
अधिकतम टर्बाईन चक्र ऊष्मा दर (kCal/kWh)	1955	1950	1935	1900	1850
न्यूनतम बॉयलर एफिसियेन्सी					
सब बिटुमिनस भारतीय कोयला	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85
बिटुमिनस आयातित कोयला	0.89	0.89	0.89	0.89	0.89
अधिकतम डिजाइन यूनिट ऊष्मा दर (kCal/kWh)					
सब बिटुमिनस भारतीय कोयला	2300	2294	2276	2235	2176
बिटुमिनस आयातित कोयला	2197	2191	2174	2135	2079

ii. गैस आधारित/तरल आधारित तापीय उत्पादक यूनिट(टें)

= 1.05 x प्राकृतिक गैस तथा आर.एल.एन.जी. (kcal/kWh) के लिए यूनिट की डिजाइन ऊष्मा दर

= 1.071 x तरल ईंधन (kcal/kWh) के लिए यूनिट की डिजाइन ऊष्मा दर

जहां एक यूनिट की डिजाइन ऊष्मा दर का अर्थ होगा स्थल आवृत्त परिस्थितियों तथा 100 प्रतिशत एम.सी.आर. पर एक यूनिट के लिए गारंटीयुक्त ऊष्मा दर तथा एक ब्लॉक की डिजाइन

ऊष्मा दर का अर्थ होगा 100 प्रतिशत एम.सी.आर., स्थल आवृत्त परिस्थितियां, शून्य प्रतिशत, डिजाइन कूलिंग वाटर तापमान/बैक प्रैशर पर एक ब्लाक के लिए गारंटीयुक्त ऊष्मा दर।

(3) गौण ईंधन तेल उपभोग

i. कोयला आधारित उत्पादक स्टेशनः 1.0 ml/kWh

ii. सी.एफ.बी.सी. प्रौद्योगिकी पर आधारित स्टेशनों से अन्यथा लिग्नाईट–अग्निक उत्पादक स्टेशनः 2.0 ml/kWh

iii. सी.एफ.बी.सी. प्रौद्योगिकी पर आधारित लिग्नाईट–अग्निक उत्पादक स्टेशनः 1.25 ml/kWh

(4) ट्रांसफॉर्मेशन हानियों सहित अनुषंगी ऊर्जा उपभोग

i. कोयला आधारित उत्पादक स्टेशनः

अनुषंगी ऊर्जा उपभोग	प्राकृतिक ड्राफ्ट कूलिंग टावर के साथ या बिना कूलिंग टावर के
(i) 200 एम.डब्ल्यू. सीरीज	8.50 प्रतिशत
(ii) 300/330/350/500 एम.डब्ल्यू. व अधिक	
भाप चलित बॉयलर फीड पंप्स	6.00 प्रतिशत
विद्युत चालित बॉयलर फीड पंप्स	8.50 प्रतिशत

परन्तु आगे यह कि इन्ड्यूज्ड ड्राफ्ट कूलिंग टावर्स के साथ वाले तापीय उत्पादक स्टेशनों के लिए उपरोक्त मानकों की तुलना में 0.5 प्रतिशत ऊंचे मानक होंगे।

i. गैस टर्बाईन/संयुक्त चक्र उत्पादक स्टेशनः

- संयुक्त चक्रः 3.0 प्रतिशत
- ओपन सायकलः 1.0 प्रतिशत

ii. लिग्नाईट अग्नित तापीय उत्पादन स्टेशनः

- 200 एम.डब्ल्यू. सैट्स व अधिक के सभी उत्पादक स्टेशन्सः

अनुषंगी ऊर्जा उपभोग मानक, उपरोक्त कोयला आधारित उत्पादक स्टेशनों के अनुषंगी ऊर्जा उपभोग मानकों से 0.5 प्रतिशत पॉइन्ट अधिक होंगे।

परन्तु सी.एफ.बी.सी. प्रौद्योगिकी का उपयोग करने वाले लिग्नाईट अग्नित स्टेशनों के लिए अनुषंगी ऊर्जा उपभोग मानक ऊपर विनिर्दिष्ट कोयला आधारित उत्पादक स्टेशनों के अनुषंगी ऊर्जा उपभोग मानकों से 1.5 प्रतिशत पॉइन्ट्स अधिक होंगे।

(5) अभिवहन व सम्हलाई हानियां

माह के दौरान कोयला आपूर्ति कंपनी द्वारा भेजे गये कोयले की मात्रा के प्रतिशत के रूप में, कोयला आधारित उत्पादक स्टेशनों के लिये अभिवहन व सम्हलाई हानियां नीचे दिये अनुसार होंगी:

i. पिट हैड उत्पादक स्टेशन्स 0.2 प्रतिशत

ii. नौन पिट हैड उत्पादक स्टेशंन्स 0.8 प्रतिशत

उपरोक्त मानक सभी प्रकार के कोयले अर्थात् घरेलू कोयला, धुला कोयला तथा आयातित कोयला के लिए लागू होंगे।

परन्तु सुपुर्दगी आधार पर कायेले के प्रापण के लिये कोई अभिवहन व सम्हलाई हानियां अनुमेय नहीं होंगी।

49. तापीय उत्पादक स्टेशनों के लिये प्रचालन एवं अनुरक्षण व्यय

मानकीय प्रचालन एवं अनुरक्षण व्यय निम्नानुसार होंगे:

(1) ....

(₹लाख/एम.डब्ल्यू. में)

वर्ष	200/210/250 एम. डब्ल्यू. सैट्स	300/330/350 एम. डब्ल्यू. सैट्स	500 एम.डब्ल्यू. सैट्स	600 एम.डब्ल्यू. व अधिक सैट्स
2013—14	22.74	19.99	16.24	14.62
2013—15	24.04	21.13	17.17	15.46
2013—16	25.42	22.34	18.15	16.34

परन्तु उपरोक्त मानक, उसी स्टेशन 01.04.2013 को या उसके पश्चात् होने वाली सी.ओ.डी. वाली यूनिटों के लिये संबंधित यूनिट आकारों में अतिरिक्त यूनिटों के लिए निम्नलिखित गुणनखण्डों द्वारा गुणा किये जायेंगे:

i. 200/210/250 एम.डब्ल्यू.
   - अतिरिक्त पांचवी व छठी यूनिटें — 0.9
   - अतिरिक्त सातवीं व अधिक यूनिटें — 0.85

ii. 300/330/350 एम.डब्ल्यू.
   - अतिरिक्त चौथी व पांचवीं यूनिटें — 0.9
   - अतिरिक्त छठी व अधिक यूनिटें — 0.85

iii. 500 एम.डब्ल्यू. व अधिक
   - अतिरिक्त तीसरी व चौथी यूनिटें — 0.9

- अतिरिक्त पांचवीं व अधिक यूनिटें — 0.85

टिप्पणी:—

200/210/250 एम.डब्ल्यू. सैट्स व 500 एम.डब्ल्यू. व इससे अधिक के सैट्स के मेल वाले उत्पादक स्टेशनों के लिये प्रचालन एवं अनुरक्षण व्ययों भारित औसत मूल्य निम्नानुसार अपनाया जाएगा:

(2) ओपन सायकल गैस टर्बाइन/संयुक्त चक्र उत्पादक स्टेशन

वर्ष	लघु गैस टर्बाइन ऊर्जा उत्पादक स्टेशनों से अन्य गैस टर्बाइन/संयुक्त चक्र उत्पादक स्टेशन	लघु गैस टर्बाइन ऊर्जा उत्पादक स्टेशन
2013—14	₹ 18.49 lakh/MW	₹ 28.61 lakh/MW
2013—15	₹ 19.55 lakh/MW	₹ 30.24 lakh/MW
2013—16	₹ 20.67 lakh/MW	₹ 31.97 lakh/MW

(3) लिग्नाईट—अग्निक उत्पादक स्टेशन

वर्ष	125 एम.डब्ल्यू. सैट्स
2013—14	₹ 18.49 lakh/MW
2013—15	₹ 19.55 lakh/MW
2013—16	₹ 20.67 lakh/MW

कोयला आधारित या लिग्नाईट—अग्निक तापीय उत्पादक स्टेशन के मामले में, उपयोगी जीवन के 10, 15 या 20 वर्षों के पूर्ण होने के अगले वर्ष से निम्नलिखित तरीके से, छोटी आस्तियों के स्वभाव सहित पूंजीगत स्वभाव की नई आस्तियों पर व्ययों को पूरा करने के लिए एक पृथक प्रतिपूर्ति भत्ता यूनिटवार स्वीकृत किया जाएगा।

प्रचालन का वर्ष	प्रतिपूर्ति भत्ता
0—10	NIL
11—15	0.15
16—20	0.35
21—25	0.65

50. कोयला आधारित तथा लिग्नाईट—अग्निक उत्पादक स्टेशन के लिये गौण ईंधन तेल उपभोग पर व्यय

(1) रूपयों के गौण ईंधन तेल पर व्यय निम्नलिखित फॉर्मूला के अनुसार विनियम 48(3) में विनिर्दिष्ट मानकीय गौण ईंधन तेल उपभोग (एस.एफ.सी.) के तत्समान संगणित किया जाएगा:

$$= SFC \times LPSFi \times NAPAF \times 24 \times NDY \times IC \times 10$$

माह के दौरान कोयला आपूर्ति कंपनी द्वारा भेजे गये कोयले की मात्रा के प्रतिशत के रूप में, कोयला आधारित उत्पादक स्टेशनों के लिये अभिवहन व सम्हलाई हानियां नीचे दिये अनुसार होंगी:

i. पिट हैड उत्पादक स्टेशन्स 0.2 प्रतिशत

ii. नौन पिट हैड उत्पादक स्टेशन्स 0.8 प्रतिशत

उपरोक्त मानक सभी प्रकार के कोयले अर्थात् घरेलू कोयला, धुला कोयला तथा आयातित कोयला के लिए लागू होंगे।

परन्तु सुपुर्दगी आधार पर कायेले के प्रापण के लिये कोई अभिवहन व सम्हलाई हानियां अनुमेय नहीं होंगी।

49. तापीय उत्पादक स्टेशनों के लिये प्रचालन एवं अनुरक्षण व्यय

मानकीय प्रचालन एवं अनुरक्षण व्यय निम्नानुसार होंगे:

(1) ....

(₹लाख / एम.डब्ल्यू. में)

वर्ष	200 / 210 / 250 एम. डब्ल्यू. सैट्स	300 / 330 / 350 एम. डब्ल्यू. सैट्स	500 एम.डब्ल्यू. सैट्स	600 एम.डब्ल्यू. व अधिक सैट्स
2013–14	22.74	19.99	16.24	14.62
2013–15	24.04	21.13	17.17	15.46
2013–16	25.42	22.34	18.15	16.34

परन्तु उपरोक्त मानक, उसी स्टेशन 01.04.2013 को या उसके पश्चात् होने वाली सी.ओ.डी. वाली यूनिटों के लिये संबंधित यूनिट आकारों में अतिरिक्त यूनिटों के लिए निम्नलिखित गुणनखण्डों द्वारा गुणा किये जायेंगे:

i. 200 / 210 / 250 एम.डब्ल्यू.
   - अतिरिक्त पांचवी व छठी यूनिटें — 0.9
   - अतिरिक्त सातवीं व अधिक यूनिटें — 0.85

ii. 300 / 330 / 350 एम.डब्ल्यू.
   - अतिरिक्त चौथी व पांचवीं यूनिटें — 0.9
   - अतिरिक्त छठी व अधिक यूनिटें — 0.85

iii. 500 एम.डब्ल्यू. व अधिक
   - अतिरिक्त तीसरी व चौथी यूनिटें — 0.9

जहां,

SFC	=	में मानकीय विशिष्ट ईंधन तेल उपभोग
LPSFi	=	प्रारम्भ में लिया गया Rs./ml में गौण ईधन का भारित औसत भू मूल्य
NAPAF	=	प्रतिशत में मानकीय वार्षिक संयंत्र उपलब्धता कारक
NDY	=	वर्ष में दिनों की संख्या
IC	=	एम.डब्ल्यू. में संस्थापित क्षमता

(2) प्रारम्भ में, गौण ईंधन तेल पर उत्पादक कंपनी द्वारा उपगत भू लागत, पूर्ववर्ती तीन माह के भारित औसत मूल्य के वास्तविकों के आधार पर ली जाएगी तथा पूर्ववर्ती तीन माहों की भू लागत की अनुपस्थिति में वर्ष के आरम्भ से पूर्व, उत्पादक स्टेशन के लिए नवीनतम प्रापण मूल्य लिया जाएगा।

गौण ईंधन तेल व्यय, निम्नलिखित फॉमूला के अनुसार शुल्क अवधि के प्रत्येक वर्ष के अंत में ईंधन मूल्य समायोजन के अधीन होंगे

SFC x NAPAF x 24 x NDY x IC x 10 x (LPSFy- LPSFi)

जहां,

LPSFy	=	Rs./ml में वर्ष के लिए गौण ईंधन तेल का वास्तविक भारित औसत भू मूल्य

51. जल विद्युत उत्पादक स्टेशन के लिए प्रचालन के मानक

यहां नीचे दिये गये प्रचालन के मानक लागू होंगे:

(1) मानकीय संयंत्र उपलब्धता कारक (NAPAF)

विवरण	मानकीय संयंत्र उपलब्धता कारक
8 प्रतिशत तक का न्यूनतम ड्रॉ डाउन स्तर (एम.डी.डी.एल.) तथा पूर्ण जलाशय स्तर (एफ.आर.एल.) के मध्य शीर्ष परिवर्तन के साथ स्टोरेज व पौण्डेज प्रकार के संयंत्र तथा जहां संयंत्र उपलब्धता मिट्टी के द्वारा प्रभावित नहीं है।	90 प्रतिशत
8 प्रतिशत से अधिक एफ.आर.एल. तथा एम.डी.डी.एल. के मध्य शीर्ष परिवर्तन के साथ स्टोरेज व पौण्डेज प्रकार के संयंत्र, जहां संयंत्र उपलब्धता मिट्टी के द्वारा प्रभावित नहीं	माहों की अवधि में जलाशय स्तर गिरने पर एम.डब्ल्यू. उत्पादन क्षमता में कमी के लिए एन.ए.पी.ए.एफ. में प्रदान किया जाने वाला संयंत्र विशिष्ट

है।	भत्ता। एक दिशा निर्देश के रूप में एक गुणक कारक के रूप में इस कारण रियायत, निम्नलिखित फॉर्मूला लागू कर शुद्ध शीर्ष के वार्षिक औसत के प्रक्षेपण से ज्ञात की जाएगी: (औसत शीर्ष/रेटेड शीर्ष) +0.02 ऐसा प्रक्षेपण करने में कठिनाई होने पर, वैकल्पिक रूप से गुणक कारक निम्नलिखित रूप से निर्धारित किया जाएगा: (एम.डी.डी.एल. पर शीर्ष/रेटेड शीर्ष) x 0.5 + 0.52
पौण्डेज प्रकार के संयंत्र जहां संयंत्र उपलब्धता मिट्टी द्वारा पर्याप्त रूप से प्रभावित होती है।	85 प्रतिशत
रन ऑफ रिवर प्रकार के संयंत्र	जहां उपलब्ध/सुसंगत हो वहां पूर्व अनुभव द्वारा मर्यादित, 10 दिवसीय डिजायन ऊर्जा डाटा के आधार पर संयंत्रवार अवधारण

विशेष परिस्थितियों, जैसे असामान्य स्थल समस्याओं या अन्य प्रचालन परिस्थितियों तथा ज्ञात संयंत्र परिस्थितियों के अधीन एन.ए.पी.ए.एफ. अवधारण में आयोग द्वारा अतिरिक्त रियायत दी जाएगी।

परन्तु नये जल विद्युत उत्पादक स्टेशन के मामले में विकासकर्ता के पास उपरोक्त सारिणी में दिये सिद्धान्त के आधार पर एन.ए.पी.ए.एफ. के निर्धारण हेतु अग्रिम में आयोग से संपर्क करने का विकल्प होगा।

परन्तु आगे यह कि उत्पादक कंपनी, आयोग का अनुमोदन प्राप्त करने के लिए इन विनियमों के परिशिष्ट III में दिये अनुसार एन.ए.पी.ए.एफ. के परिकलन हेतु दिशा–निर्देशों के अनुसार विस्तृत परिकलन व उसके कारणों के साथ संयंत्रवार एन.ए.पी.ए.एफ. जमा करेगी।

(2) ट्रांसफॉर्मर हानियों सहित अनुषंगी ऊर्जा उपभोग

(ए) सतह जल विद्युत ऊर्जा उत्पादक स्टेशन्स

i. जनरेटर शैफ्ट पर माउन्टेड रोटेटिंग एक्साइटर्स के साथ – 0.7 प्रतिशत

ii. स्टैटिक एक्साइटेशन सिस्टम के साथ – 1 प्रतिशत

(बी) भूतल जल विद्युत उत्पादक स्टेशन

i. जनरेटर शैफ्ट पर माउन्टेड रोटेटिंग एक्साइटर्स के साथ – 0.9 प्रतिशत

ii. स्टैटिक एक्साइटेशन सिस्टम के साथ – 1.2 प्रतिशत

52. जल विद्युत उत्पादन स्टेशन्स हेतु प्रचालन एवं अनुरक्षण व्यय

(1) प्रचालन एवं अनुरक्षण (ओ एण्ड एम) व्ययों में निम्नलिखित का समावेश होगा:–

(बी) वेतन, मजदूरी, पेंशन अंशदान तथा अन्य कर्मचारी लागतें,

(सी) बीमा प्रभारों सहित प्रशासनिक व सामान्य व्यय,

(डी) मरम्मत व रख–रखाव व्यय

(2) आधार वर्ष में पांच वर्ष से अधिक प्रचालन वाले उत्पादक स्टेशनों के लिये

नियंत्रण अवधि के प्रथम वर्ष हेतु प्रचालन एवं अनुरक्षण व्यय, कुशल जांच व आयोग द्वारा उपयुक्त समझे गये किन्हीं अन्य कारणों के अधीन, असामान्य प्रचालन एवं अनुरक्षण व्यय, यदि कोई हों, को छोड़कर संपरीक्षित तुलनपत्र के आधार पर आधार वर्ष तक पिछले पांच वर्षों के लिए वास्तविक ओ एण्ड एम व्ययों को ध्यान में रखते हुए आयोग द्वारा अनुमोदित किये जाएंगे।

(3) आधार वर्ष में 5 वर्षों से कम प्रचालन वाले उत्पादक स्टेशनों के लिए

ऐसे जल विद्युत उत्पादक स्टेशनों के मामले में जो कि वित्त वर्ष 2011–12 के आधार वर्ष में पांच वर्ष की अवधि से अस्तित्व में नहीं रहे हैं उनके वित्त वर्ष 2011–12 के आधार वर्ष हेतु प्रचालन एवं अनुरक्षण व्यय, प्रचालन के प्रथम वर्ष हेतु आयोग द्वारा स्वीकृत पूंजी लागत का 1.5 प्रतिशत निर्धारित किये जाएंगे तथा नीचे दिये गये उप–विनियम (6) में विनिर्दिष्ट वृद्धि के सिद्धान्तों के अनुसार पश्चातवर्ती वर्ष से बढ़ाये जाएंगे।

(4) 1.4.2013 को या उसके पश्चात् वाणिज्यिक प्रचालन के अधीन घोषित उत्पादक स्टेशनों के लिये

जल विद्युत उत्पादक स्टेशनों अर्थात् 1.4.2013 को या उसके पश्चात् वाणिज्यिक प्रचालन के अधीन घोषित जल विद्युत उत्पादक स्टेशनों के मामले में आधार प्रचालन एवं अनुरक्षण व्यय, कमीशनिंग के वर्ष के लिये आयोग द्वारा स्वीकृत वास्तविक पूंजी लागत का 2 प्रतिशत निर्धारित किये जाएंगे।

(5) उपरोक्त विनियम 52(2) में आधार ओ एंड एम व्ययों के अवधारण के पश्चात् दजी वर्ष के लिए तथा साथ ही नियंत्रण अवधि के तुरन्त पूर्ववर्ती वर्ष अर्थात् 2012–13 के लिये ओ एंड एम व्यय नीचे दिये गये फॉर्मूला के आधार पर अनुमोदित किये जाएंगेः–

$$O\&M_n = R\&M_n + EMP_n + A\&G_n$$

जहां,

$O\&M_n$ - n^{th} वर्ष के लिए प्रचालन एवं अनुरक्षण व्यय

EMPn - n^{th} वर्ष के लिए कर्मचारी लागतें

R&Mn - n^{th} वर्ष के लिए मुरम्मत व रख–रखाव लागतें

A&Gn - n^{th} वर्ष के लिए प्रशासनिक व सामान्य लागतें

उपरोक्त घटकों की संगणना नीचे दिये गये तरीके से की जाएगी:

EMPn = (EMPn-1) x (1+Gn) x (सी.पी.आई. इन्फ्लेशन)

R&Mn = K x (GFA n-1) x (डब्ल्यू.पी.आई. इन्फ्लेशन), और

A&Gn = (A&Gn-1) x (डब्ल्यू.पी.आई. इन्फ्लेशन) + प्रोविजन

जहां

- EMPn-1 - (n^{th}) वर्ष के लिए कर्मचारी लागतें
- A&Gn-1 - (n^{th}) वर्ष के लिए प्रशासनिक व सामान्य लागतें,
- प्रोविजन: कुशल जांच के पश्चात् आयोग द्वारा अनुमोदित तथा उत्पादक कंपनी द्वारा प्रस्तावित पहल या एक समय व्ययों के लिए लागत
- 'K' एक स्थिरांक है जिसे आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाएगा। नियंत्रण अवधि के प्रत्येक वर्ष हेतु K का मूल्य, उत्पादक कंपनी की फाइलिंग, मरम्मत व रख–रखाव व्ययों के तलचिह्नीकरण, पूर्व में आयोग द्वारा अनुमोदित जी.एफ.ए. के मुकाबले में अनुमोदित मरम्मत व रख–रखाव व्यय व आयोग द्वारा उपयुक्त समझे गये किन्हीं अन्य तथ्यों के आधार पर एम.वाय.टी. आदेश में आयोग द्वारा अवधारित किया जाएगा।
- CPIinflation= तुरन्त पूर्ववर्ती तीन वर्षों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सी.पी.आई.) में औसत वृद्धि,
- WPIinflation= तुरन्त पूर्ववर्ती तीन वर्षो के लिए थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यू.पी.आई.) में औसत वृद्धि,
- GFAn-1= nth वर्ष के लिए उत्पादक कंपनी की कुल स्थिर आस्तियां,
- Gn= nth वर्ष के लिए वृद्धि कारक है। Gn का मूल्य, उत्पादक कंपनी की फाइलिंग, तल चिह्नीकरण, अन्य कोई तथ्य जिसे आयोग उपयुक्त समझे, के आधार पर अतिरिक्त जनशक्ति आवश्यकता की पूर्ति के लिए एम.वाय.टी. शुल्क आदेश में आयोग द्वारा अवधारित किया जाएगा।

  परन्तु अवधारित मरम्मत व रख–रखाव व्ययों का उपयोग केवल मरम्मत व रख–रखाव कार्यों के लिए किय जाएगा।

(6) उपरोक्त उप–विनियम (3) व (4) में अवधारित ओ एंड एम व्ययों में, एक वर्ष विशेष (ज्ञजी वर्ष) के लिए वृद्धि कारक (म्ध्ज्ञ) लागू कर नियंत्रण अवधि के लिए ओ एंड एम व्यय ज्ञात करने के लिए पश्चात्वर्ती वर्षों हेतु वृद्धि की जाएगी जिसे निम्नलिखित फॉर्मूला का उपयोग कर परिकलित किया जाएगा:

$$EF_k=0\text{-}55xWPI_{Inflation}+0.45xCPI_{Inflation}$$

(7) सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण व ऊर्जा घटक वाले बहुउद्देशीय जल विद्युत स्टेशनों के मामले में केवल स्टेशन के ऊर्जा घटक को प्रभावित ओ एंड एम व्ययों पर ही शुल्क अवधारण हेतु विचार किया जाएगा।

53. तापीय ऊर्जा स्टेशनों के लिए वार्षिक स्थिर प्रभारों तथा ऊर्जा प्रभारों का संगणन व भुगतान

(1) तापीय उत्पादक स्टेशन की स्थिर लागत इन विनियमों के अधीन विनिर्दिष्ट मानकों पर आधारित, वार्षिक आधार पर संगणित की जाएगी, तथा क्षमता प्रभार के अधीन मासिक रूप से वसूल की जाएगी। एक उत्पादक स्टेशन के लिए संदेय कुल क्षमता प्रभार, उत्पादक स्टेशन की क्षमता में उनके संबंधित अंश/आवंटन के अनुसार इसके लाभार्थियों में बांटी जाएगी।

(2) एक कैलेण्डर माह के लिए एक तापीय उत्पादक स्टेशन का संदेय क्षमता प्रभार (प्रोत्साहन सहित) निम्नलिखित फॉर्मूला के अनुसार परिकलित किया जाएगा:

(ए) वित्त वर्ष की पहली अप्रैल को दस (10) वर्षों से कम के लिए वाणिज्य प्रचालन में उत्पादक स्टेशन

AFC x (NDM/NDY) x (0.5+0.5xPAFM/NAPAf=F) (रूपयों में)

परन्तु यदि एक वित्त वर्ष में साधित संयंत्र उपलब्धता कारक (PAFY) 70 प्रतिशत से कम है तो वर्ष के लिए कुल क्षमता प्रभार निम्नलिखित तक सीमित होगा।

AFC x (0.5+35/NAPAF) x (PAFY/70) (रूपयों में)

(बी) वर्ष की पहली अप्रैल को दस (10) या उससे अधिक वर्षों के लिए वाणिज्यिक प्रचालन में उत्पादक स्टेशन्स:

AFC x (NDM/NDY) x (PAFM/NAPAF) (रूपयों में)

जहां,

AFC	=	वर्ष के लिए विनिर्दिष्ट वार्षिक स्थिर लागत, रूपयों में
NAPAF	=	मानकीय वार्षिक संयंत्र उपलब्धता कारक, प्रतिशत में
NDM	=	माह में दिनों की संख्या
NDY	=	वर्ष में दिनों की संख्या
PAFM	=	माह के दौरान साधित संयंत्र उपलब्धता कारक, प्रतिशत में
PAFY	=	वर्ष के दौरान साधित संयंत्र उपलब्धता कारक, प्रतिशत में

(3) पी.ए.एफ.एम. व पी.ए.एफ.वाय. की संगणना निम्नलिखित फॉर्मूला के अनुसार की जाएगी:

$$PAFM \text{ or } PAFY = 10000 \times \sum_{I=1}^{N} DCi \, / \, \{ N \times IC \times (100\text{-}AUX) \}\%$$

जहां,

AUX	=	मानकीय अनुषंगी ऊर्जा उपभोग, प्रतिशत में
DCi	=	दिवस की समाप्ति के पश्चात् संबंधित भार प्रेषण केन्द्र द्वारा प्रमाणित, अवधि अर्थात् यथास्थिति माह या वर्ष के i^{th} दिन के लिए नीचे दिये खण्ड (4) के अधीन औसत घोषित क्षमता (एक्स. बस एम.डब्ल्यू. में)
IC	=	त्पादक स्टेशन की संस्थापित क्षमता (एम.डब्ल्यू. में)
N	=	अवधि अर्थात्, यथास्थिति माह या वर्ष में दिनों की संख्या

टिप्पणी:— DCi व IC में वाणिज्यिक प्रचालन के अधीन घोषित न की गयी उत्पादन यूनिटों की क्षमता सम्मिलित नहीं होगी। संबंधित अवधि में IC में परिवर्तन होने पर इसका औसत मूल्य लिया जाएगा।

(4) एक तापीय उत्पादक स्टेशन में ईंधन की कमी हो जाने पर उत्पादक कंपनी ऑफ पीक के दौरान ईंधन की बचत कर पीक लोड घंटों के दौरान ऊंची एम.डब्ल्यू. प्रेषित करना प्रस्तावित कर सकती है। संबंधित भार प्रेषण केन्द्र तब लाभार्थियों से परामर्श कर अपनी एम.डब्ल्यू. तथा ऊर्जा क्षमता का अधिकतम उपयोग करने के लिए उत्पादक स्टेशन हेतु एक प्रयोजनात्मक आगामी अनुसूची विनिर्दिष्ट करेगा। ऐसी

स्थिति में DCi उस दिन के लिए संबंधित भार प्रेषण केन्द्र द्वारा विनिर्दिष्ट अधिकतम पीक घंटा एक्स ऊर्जा संयंत्र एम.डब्ल्यू. अनुसूची के बराबर ली जाएगी।

(5) ऊर्जा प्रभारों में प्राथमिक ईंधन लागत तथा चूना उपभोग लागत (जहां लागू हो) सम्मिलित होगी तथा माह की ऊर्जा प्रभार दर (ईंधन व चूना मूल्य समायोजन के साथ) पर, एक्स ऊर्जा संयंत्र आधार पर कैलेण्डर माह के दौरान ऐसे लाभार्थियों को आपूर्ति की जाने के लिए अनुसूचित कुल ऊर्जा के लिए प्रत्येक लाभार्थी द्वारा संदेय होगी। एक माह के लिए उत्पादक कंपनी को संदेय कुल ऊर्जा निम्नलिखित होगी:

(रू0 / के.डब्ल्यू.एच. में ऊर्जा प्रभार दर) x {के.डब्ल्यू.एच. में माह हेतु अनुसूचित ऊर्जा (एक्स बस)}

(6) एक्स ऊर्जा संयंत्र आधार पर रूपया प्रति के.डब्ल्यू.एच. में ऊर्जा प्रभार दर (ई.सी.आर.) निम्नलिखित फॉर्मूला के अनुसार तीन दशमलव स्थान तक अवधारित किया जाएगा:

(ए) कोयला आधारित तथा लिग्नाईट अग्नित स्टेशन्स

$$ECR=\{(GHR-SFC \times CVSF) \times LPPF/CVPF+LC \times LPL\} \times 100/(100-AUX)$$

(बी) गैस तथा तरल ईंधन आधारित स्टेशन्स के लिए

$$ECR=GHR \times LPPF \times 100/\{CVPF \times (100-AUX)\}$$

जहां,

AUX = मानकीय अनुषंगी ऊर्जा उपभोग, प्रतिशत में।

CVPF = अग्नित रूप में प्राथमिक ईंधन का कुल कैलोरी मूल्य, लागू अनुसार kCal प्रति के.जी., प्रति लीटर या प्रति मानक घनमीटर

CVSF = गौण ईंधन का कैलोरी मूल्य kCal प्रति एम.एल. में

ECR = ऊर्जा प्रभार दर रूपये में प्रति के.डब्ल्यू.एच. सैन्ट आउट

GHR = कुल स्टेशन ताप दर, kCal प्रति के.डब्ल्यू.एच. में

LC = मानकीय चूना उपभोग के.डब्ल्यू.एच. प्रति के.जी. में

LPL = चूने का भारित औसत भू–मूल्य रूपया प्रति के.जी. में

LPPF = प्राथमिक ईंधन का भारित औसत भू–मूल्य, माह के दौरान लागू रूपया प्रति के.जी, प्रति लीटर या प्रति मानक घनमीटर में

SFC = विशिष्ट ईंधन तेल उपभोग; एम.एल. प्रति के.डब्ल्यू.एच. में

(7) ईंधन की भू–लागत में रॉयल्टी सहित ईंधन के कैलोरी मूल्य/गुणवत्ता/श्रेणी के तत्समान ईंधन का मूल्य, लागू कर व शुल्क, रेल, सड़क/गैस पाईप लाईन या किसी अन्य माध्यम द्वारा परिवहन लागत सम्मिलित होगी तथा ऊर्जा प्रभारों के संगणन के प्रयोजन हेतु इन विनियमों में विनिर्दिष्ट माह के दौरान ईंधन आपूर्ति कंपनी द्वारा प्रेषित ईंधन की मात्रा के प्रतिशत के रूप में मानकीय वहन व सम्हलाई हानियों का विचार कर ज्ञात की जाएगी।

54. जल विद्युत उत्पादक स्टेशनों के लिए क्षमता प्रभारों व ऊर्जा प्रभारों का संगणन व भुगतान

(1) जल विद्युत उत्पादक स्टेशन के वार्षिक स्थिर प्रभार, इन विनियमों के अधीन विनिर्दिष्ट मानकों पर आधारित, वार्षिक आधार पर संगणित किये जाएंगे तथा क्षमता प्रभार (प्रोत्साहन सहित) व ऊर्जा प्रभार के अधीन मासिक रूप से वसूल किये जाएंगे जो कि उत्पादन स्टेशन की विक्रय योग्य क्षमता, अर्थात् गृह राज्य को निःशुल्क ऊर्जा छोड़कर, उनके संबंधित प्रतिशत अंश/आवंटन के अनुपात में लाभार्थियों को संदेय होंगे।

(2) एक कैलेण्डर माह के लिए जल विद्युत उत्पादक स्टेशन को संदेय क्षमता प्रभार (प्रोत्साहन सहित) निम्नलिखित होंगे:

$$AFC \times 0.5 \times NDM/NDY \times (PAFM/NAPAF) \text{ (in Rupees)}$$

जहां,

AFC = वर्ष हेतु विनिर्दिष्ट वार्षिक स्थिर लागत, रूपयों में

NAPAF= मानकीय संयंत्र उपलब्धता कारक, प्रतिशत में

NDM = माह में दिनों की संख्या

NDY = वर्ष में दिनों की संख्या

PAFM = माह के दौरान साधित संयंत्र उपलब्धता कारक, प्रतिशत में

(3) पी.ए.एफ.एम. की संगणना निम्नलिखित फॉर्मूला से की जाएगी:

N

$$PAFM = 10000 \times \sum_{i=1} DCi / \{N \times IC \times (100-AUX)\}\%$$

जहां,

AUX = मानकीय अनुषंगी ऊर्जा उपभोग, प्रतिशत में

DCi = माह के i^{th} दिन के लिए घोषित क्षमता जिसे, दिन में समाप्त होने के पश्चात् उत्तराखंण्ड राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा प्रमाणित रूप में कम से कम तीन (3) घंटे के लिए राज्य प्रेषित कर सकता है।

IC = पूर्ण उत्पादक स्टेशन की संस्थापित क्षमता (एम.डब्ल्यू.में)

N = माह में दिनों की संख्या

(4) ऊर्जा प्रभार, संगणित ऊर्जा प्रभार दर पर, एक्स ऊर्जा संयंत्र आधार पर कैलेण्डर माह की अवधि में लाभार्थी को आपूर्ति की गयी कुल ऊर्जा के लिए प्रत्येक लाभार्थी द्वारा संदेय होगा। एक माह के लिए उत्पादक कंपनी को संदेय कुल ऊर्जा प्रभार निम्नलिखित होगाः

(रू0/के.डब्ल्यू.एच. में ऊर्जा प्रभार दर) x {के.डब्ल्यू.एच. में माह के लिए ऊर्जा (एक्स बस)} x (100--एफ.ई.एच.एस.)/100

(5) एक जल विद्युत उत्पादक स्टेशन के लिए एक्स ऊर्जा संयंत्र आधार पर रूपया प्रति के.डब्ल्यू.एच. में ऊर्जा प्रभार दर (ई.सी.आर.) निम्नलिखित फॉर्मूला के आधार पर तीन दशमलव अंक तक अवधारित की जाएगीः

$$ECR = AFC \times 0.5 \times 10 / \{DE \times (100-AUX) \times (100-FEHS)\}$$

जहां,

DE = जल विद्युत उत्पादक स्टेशन के लिए विनिर्दिष्ट वार्षिक डिजायन ऊर्जा, एम.डब्ल्यू. एच. में,

FEHS = लागू अनुसार, प्रतिशत में, गृहराज्य के लिए निःशुल्क ऊर्जा।

(6) यदि एक वर्ष के दौरान जल विद्युत उत्पादक स्टेशन द्वारा उत्पादित वास्तविक कुल ऊर्जा, उत्पादक कंपनी के नियंत्रण से बाहर के कारणों से डिजायन ऊर्जा से कम है तो रोलिंग आधार पर निम्नलिखित उपचार किया जाएगा:

(ए) यदि ऊर्जा में कमी, उत्पादक स्टेशन के वाणिज्यिक प्रचालन की तिथि से दस वर्ष के भीतर होती है तो ऊर्जा में कमी के वर्ष से आगामी वर्ष के लिए ई.सी.आर. इस आशोधन के साथ विनियम 54(5) में विनिर्दिष्ट फॉर्मूला के आधार पर संगणित की जाएगी कि वर्ष के लिए डी.ई., पिछले वर्ष की ऊर्जा प्रभार कमी की भरपाई होने तक, कमी के वर्ष के दौरान उत्पादित वास्तविक ऊर्जा के बराबर मानी जाएगी, इसके पश्चात् सामान्य ई.सी.आर. लागू होगी,

बी) यदि ऊर्जा में कमी उत्पादक स्टेशन क वाणिज्यिक प्रचालन की तिथि से दस वर्ष पश्चात् होती है, तो निम्नलिखित लागू होगा:

माना स्टेशन के लिए विनिर्दिष्ट वार्षिक डिजायन ऊर्जा (डी.ई.) डी.ई. एम.डब्ल्यू.एच. है, तथा संबंधित (प्रथम) व अगले (द्वितीय) वित्त वर्ष की अवधि में उत्पादित वास्तविक ऊर्जा क्रमशः ए 1 व ए 2 है, ए 1, डी.ई. से कम है, तब तृतीय वर्ष के लिए ई.सी.आर. के परिकलन के लिए उपरोक्त विनियम 54(5) में फॉर्मूला में विचार की जाने वाली डिजायन ऊर्जा (ए 1 + ए 2 — डी.ई.) एम. डब्ल्यू.एच. के रूप में अधिकतम डी.ई. एम.डब्ल्यू.एच. व न्यूनतम ए 1 एम.डब्ल्यू.एच. के अधीन मर्यादित की जाएगी।

सी) उत्पादित वास्तविक ऊर्जा (जैसे ए 1, ए 2) 100/(100—ए.यू.एक्स.) द्वारा स्टेशन से भेजी गयी शुद्ध मीटरीकृत ऊर्जा की गुणा कर ज्ञात की जाएगी।

(7) यदि उपरोक्तानुसार संगणित, एक जल विद्युत उत्पादक स्टेशन के लिए ऊर्जा प्रभार दर (ई.सी.आर.) अस्सी पैसा प्रति के.डब्ल्यू.एच. से अधिक हो जाती है तथा एक वर्ष में वास्तविक विक्रय योग्य ऊर्जा {DE x (100-AUX) x (100-FEHS)/10000} MWh से अधिक हो जाती है तो उपरोक्त से अधिक ऊर्जा के लिए ऊर्जा प्रभार की अस्सी पैसा प्रति के.डब्ल्यू.एच. पर ही बिलिंग की जाएगी:

परन्तु उत्पादक कंपनी के नियंत्रण से बाहर के कारणों से कुल ऊर्जा उत्पादन, डिजायन ऊर्जा से कम होने वाले वर्ष से अगले वर्ष में, ऊर्जा प्रभार दर, पिछले वर्ष के ऊर्जा प्रभार की भरपाई होने के पश्चात् घटाकर अस्सी पैसा प्रति के.डब्ल्यू.एच. कर दिया जाएगा।

(8) उत्तराखण्ड राज्य भार प्रेषण केन्द्र, उपलब्ध होने के लिए घोषित सभी ऊर्जा के अधिकतम उपयोग हेतु, लाभार्थियों के साथ परामर्श कर जल-विद्युत उत्पादक स्टेशन के लिए अनुसूची को अंतिम रूप देगा। जिसे उत्पादक स्टेशन में उनके संबंधित आवंटन के अनुपात में लाभार्थियों के लिए अनुसूचित किया जाएगा।

(9) उत्तराखण्ड राज्य भार प्रेषण केन्द्र, दैनिक आधार पर उत्पादक स्टेशनों की घोषित क्षमता प्रमाणित करेगा तथा उत्पादक कंपनी को वर्ष के दौरान पी.ए.एफ.एम. प्रमाणित करते हुए वर्ष के अंत में प्रमाण–पत्र जारी करेगा।

55. घोषित क्षमता का प्रदर्शन

(1) उत्पादन कंपनी को, राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा जब और जैसे पूछा जाए, अपनी घोषित क्षमता प्रदर्शित करना आवश्यक होगा। राज्य पारेषण यूटिलिटी द्वारा विनिर्दिष्ट सीमा तक उत्पादक कंपनी द्वारा घोषित क्षमता प्रदर्शन न करने की स्थिति में, उत्पादक कंपनी को देय क्षमता प्रभार एक दंड के रूप में कम कर दिये जाएंगे।

(2) एक दिन में एक अवधि या ब्लॉक के लिए पहली मिथ्या घोषणा के लिए दंड की मात्रा दो दिन के क्षमता प्रभारों के तत्समान प्रभार होगी। द्वितीय मिथ्या घोषणा के लिए दंड चार दिन के क्षमता प्रभार के बराबर होगा तथा इसके आगे की मिथ्या घोषणाओं के लिए दंड गुणेत्तर वृद्धि में होगा।

(3) उत्पादक स्टेशन की प्रचालक लॉग बुक्स एस.एल.डी.सी. द्वारा समीक्षा के लिए उपलब्ध करायी जाएंगी। इन लॉग बुक्स में मशीन प्रचालन व अनुरक्षण, जलाशय स्तर व स्पिलवे गेट प्रचालन का रिकॉर्ड होता है।

56. मीटरिंग व लेखांकरण

उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग (राज्य ग्रिड संहिता) विनियम, 2007 तथा केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (मीटरों का संस्थापन व प्रचालन) विनियम, 2006 समय–समय पर संशोधित रूप से लागू होंगे।

57. बिलिंग व प्रभारों का भुगतान

बिलिंग व प्रभारों का भुगतान निम्नलिखित तरीके से मासिक आधार पर किया जाएगा:–

(1) उत्पादक स्टेशनों के लिए वार्षिक स्थिर प्रभारों व ऊर्जा प्रभारों व प्रोत्साहनों की बिलिंग व भुगतान वर्ष के अंत में समायोजन के अधीन मासिक आधार पर किया जाएगा।

(2) वितरण अनुज्ञापी तथा ऐसे व्यक्ति जिनके पास एक वर्ष से अधिक से सशक्त ऊर्जा के लिए ऊर्जा क्रय करार है, एक उत्पादक कंपनी की संस्थापित क्षमता में अपने प्रतिशत शेयर, आवंटन या करार के अनुपात में स्थिर/क्षमता प्रभारों का भुगतान करेंगे।

(3) यदि किसी अवधि में कोई क्षमता अनाधिग्रहित रहती है तो विनियम 57(4) के अधीन विनियम 57(2) में उल्लिखित व्यक्तियों द्वारा पूर्ण क्षमता प्रभारों की आपस में भागीदारी की जाएगी।

(4) यदि किसी अवधि में कोई क्षमता अनाधिग्रहित रहती है तो उत्पादक कंपनी, राज्य के बाहर किसी व्यक्ति सहित किसी व्यक्ति को विद्युत विक्रय हेतु स्वतन्त्र होगी तथा ऐसा व्यक्ति जिसको विद्युत विक्रय की जाती है, तो विनियम 57(2) में उल्लिखित व्यक्तियों के अतिरिक्त वह भी ऐसे व्यक्तियों द्वारा उपयोग की जा रही क्षमता के अनुपात में स्थिर प्रभार/क्षमता प्रभारों में भागीदारी करेगा।

58. उत्पादक स्टेशन द्वारा विद्युत का क्रय/स्टार्टअप

(1) कोई व्यक्ति, जो एक उत्पादक स्टेशन स्थापित करता है, अनुरक्षण करता है व उसका प्रचालन करता है तथा जिसे सामान्य रूप से वर्ष भर अनुज्ञापी से ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती, अर्थात् जो अनुज्ञापी का उपभोक्ता नहीं है, किसी उत्पादक कंपनी या वितरण अनुज्ञापी से विद्युत क्रय कर सकेगा, यदि स्टार्टअप के लिए या अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उसका संयंत्र विद्युत उत्पादन करने की स्थिति में नहीं है तथा विद्युत वितरण अनुज्ञापी से लेनी पड़ रही है।

(2) यदि संयत्र से उत्पादित विद्युत वितरण अनुज्ञापी को विक्रय की जाती है तो स्टार्टअप की आवश्यकता पूरी करने के लिए राज्य वितरण अनुज्ञापी से उत्पादक स्टेशन द्वारा प्राप्त की गयी विद्युत (के.डब्ल्यू.एच. में), वितरण अनुज्ञापी को विक्रय की गयी विद्युत से समायोजित की जाएगी। वितरण अनुज्ञापी, उत्पादक कंपनी द्वारा उसको बेची गयी शुद्ध ऊर्जा, अर्थात् वितरण अनुज्ञापी को उत्पादक कंपनी द्वारा आपूर्ति की गयी कुल ऊर्जा तथा वितरण अनुज्ञापी द्वारा उत्पादक कंपनी को आपूर्ति की गयी ऊर्जा का अंतर, के लिए वितरण अनुज्ञापी को भुगतान करेगा।

(3) यदि संयत्र से उत्पादित विद्युत, राज्य वितरण अनुज्ञापी से अन्यथा तृतीय पक्ष को बेची जाती है तो राज्य वितरण अनुज्ञापी से उत्पादक कंपनी द्वारा विद्युत का ऐसा क्रय उस माह के लिए संविदाकृत मांग के रूप में माह के दौरान अधिक मांग का विचार करते हुए औद्योगिक उपभोक्ताओं के लिए उपयुक्त "शुल्क की दर अनुसूची" के अधीन अस्थायी आपूर्ति हेतु आयोग द्वारा अवधारित शुल्क के अनुसार प्रभारित किया जाएगा। उस माह के लिए स्थिर/मांग प्रभार उतने दिनों के लिए संदेय होंगे जितने दिनों के लिए यह आपूर्ति ली जाती है। तथापि, ऐसी उत्पादक कंपनियों की मासिक न्यूनतम प्रभारों या मासिक न्यूनतम उपभोग गारण्टी प्रभारों या किन्हीं अन्य प्रभारों से छूट प्राप्त होगी।

भाग – 6

पारेषण हेतु प्रभार

59. प्रयोज्यता

इस भाग में अन्तर्विष्ट विनियम, एक पारेषण प्रणाली के उपयोगकर्ता के साथ पारेषण अनुज्ञापी द्वारा किये गये थोक ऊर्जा पारेषण करार या किसी अन्य करार के अनुसरण में पारेषण अनुज्ञापी के राज्यान्तर्गत पारेषण प्रणाली तक पहुंच या उपयोग हेतु शुल्क अवधारण करने के लिए लागू होंगे।

परन्तु आयोग इस भाग में अन्तर्विष्ट मानकों से विचलित हो सकता है या मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, जहां उचित समझें, किसी विशेष मामले के लिए वैकल्पिक मानक तय कर सकता है:

परन्तु आगे यह कि ऐसे विचलन हेतु कारण अभिलिखित किये जाएंगे:

परन्तु यह भी कि एक वर्तमान पारेषण प्रणाली के मामले में आयोग, कार्य निष्पादन में सुधार के लिए युक्तियुक्त अवसरों के साथ नियंत्रण अवधि के आरम्भ में पारेषण अनुज्ञापी द्वारा दायर बहुवर्षीय शुल्क याचिका व व्यवसायिक योजना के आधार पर तथा ऐसी पारेषण प्रणाली के ऐतिहासिक कार्य निष्पादन को ध्यान में रखते हुए शुल्कों का अवधारण करेगा।

आयोग, विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 36 के परन्तुक के अधीन अनुज्ञापी द्वारा इस संबंध में किये गये एक आवेदन के अनुसरण में अन्तर्गत पारेषण सुविधाओं के उपयोग हेतु दर, प्रभार निबंधन एवं शर्तें विनिर्दिष्ट करते समय इस भाग में अन्तर्विष्ट निबंधन एवं शर्तों से दिशा–निर्देश प्राप्त करेगा।

60. नियंत्रण अवधि के प्रत्येक वित्त वर्ष हेतु वार्षिक पारेषण प्रभार

नियंत्रण अवधि के प्रत्येक वित्त वर्ष हेतु वार्षिक पारेषण प्रभार, आयोग द्वारा अनुमोदित गैर शुल्क आय, अन्य कारोबार से आय तथा लघु अवधि उन्मुक्त अभिगमन प्रभारों द्वारा कम किये गये, नियंत्रण अवधि के संबंधित वित्त वर्ष हेतु पारेषण अनुज्ञापी की कुल राजस्व आवश्यकता की वसूली हेतु उपबंध करेंगे तथा निम्नलिखित तरीके से संगणित किये जाएंगे:—

वार्षिक राजस्व आवश्यकता, निम्नलिखित का योग है:

(ए) प्रचालन एवं अनुरक्षण व्यय,

(बी) लीज प्रभार

(सी) ऋण पूंजी पर ब्याज व वित्त प्रभार

(डी) इक्विटी पूंजी पर प्रतिफल

(ई) आय कर

(एफ) अवक्षय

(जी) कार्यरत पूंजी पर ब्याज तथा पारेषण प्रणाली उपयोगकर्ताओं से जमा, तथा पारेषण अनुज्ञापी के वार्षिक पारेषण प्रभार = उपरोक्तानुसार कुल राजस्व आवश्यकता

घटाकर:

(एच) गैर शुल्क आय

(आई) लघु अवधि उन्मुक्त अभिगमन प्रभार

(जे) इन विनियमों में विनिर्दिष्ट सीमा तक अन्य कारोबार से आय

परन्तु अधिनियम की धारा 63 के अनुसरण में तथा पारेषण हेतु प्रतियोगी बोली के लिए दिशा–निर्देशों के अनुसार प्रतियोगी रूप से प्रदान की गयी पारेषण परियोजनाओं के मामले में, वार्षिक पारेषण प्रभार ऐसे प्रतियोगी रूप से प्रदत्त पारेषण परियोजनाओं द्वारा कोट किये गये वार्षिक पारेषण सेवा प्रभार (टी.एस.सी.) के अनुसार होंगे।

पारेषण अनुज्ञापी के वार्षिक पारेषण प्रभार, इन विनियमों के भाग–II के अनुसार पारेषण अनुज्ञापी द्वारा किये गये, यथास्थिति, प्रतियोगी रूप से दी गयी पारेषण प्रणाली परियोजना के मामले में वार्षिक पारेषण प्रभारों को अपनाने के लिए आवेदन या कुल राजस्व आवश्यकता के अवधारण हेतु आवेदन के आधार पर आयोग द्वारा अवधारित किये जाएंगे।

61. पूंजी निवेश योजना

(1) पारेषण अनुज्ञापी, भार वृद्धि, पारेषण हानियों में कमी, आपूर्ति की गुणवत्ता में सुधार, विश्वसनीयता, मीटरिंग, संकुलता में कमी इत्यादि की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, व्यावसायिक योजना के एक भाग के रूप में, नियंत्रण अवधि के प्रत्येक वित्त वर्ष के लिए एक विस्तृत पूंजी निवेश योजना, वित्त पोषण योजना तथा भौतिक लक्ष्य फाईल करेगा। व्यावसायिक योजना के साथ पूंजी निवेश योजना, इन विनियमों के भाग–प् में अन्तर्विष्ट विनियम–9 में विनिर्दिष्ट सभी पहलुओं का विवरण देते हुए, नियंत्रण अवधि के आरंभ में फाईल की जानी चाहिए।

(2) निवेश योजना, भार वृद्धि, पारेषण हानियों में कमी, आपूर्ति की गुणवत्ता में सुधार, विश्वसनीयता, मीटरिंग, संकुलता में कमी, इत्यादि की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए राज्यान्तर्गत पारेषण प्रणाली के सुदृढ़ीकरण व संवर्धन पर निवेशों की जिम्मेदारी लेने के लिए एक न्यूनतम लागत योजना होगी।

(3) निवेश योजना में, एम.वाए.टी. नियंत्रण अवधि में पारेषण अनुज्ञापी द्वारा ली जाने वाली सभी पूँजी व्यय परियोजनाएं सम्मिलित होंगी तथा ऐसे स्वरूप में होंगी जैसा समय–समय पर आयोग द्वारा तय किया जाए।

(4) रू.2.50 करोड़ से अधिक मूल्य की सभी पूंजी व्यय योजनाओं के लिए आयोग की पृथक पूर्व स्वीकृति आवश्यक होगी।

(5) निवेश योजना के साथ ऐसी जानकारी, विवरण व दस्तावेज संलग्न किये जाएंगे जो प्रस्तावित निवेशों, विकल्पों, लागत/लाभ विश्लेषण तथा ऐसे पहलू जिनका पारेषण प्रभारों पर प्रभाव पड़ता हो, की आवश्यकता प्रदर्शित करते हुए आवश्यक हों। निवेश योजना में पूंजीकरण अनुसूची तथा वित्त पोषण योजना भी सम्मिलित होंगे।

(6) पारेषण अनुज्ञापी, यथास्थिति, एम.वाय.टी. याचिका के साथ या वार्षिक कार्य निष्पादन समीक्षा हेतु याचिका के साथ पूंजी व्यय परियोजनाओं की प्रगति दर्शाते हुए विवरण जमा करेगा। इसके साथ ऐसी सूचना, विवरण व दस्तावेज भी संलग्न होंगे जो आयोग को ऐसी प्रगति के निर्धारण हेतु अपेक्षित हों।

(7) आयोग, यदि आवश्यक हो, आशोधन के साथ पारेषण अनुज्ञापी को पूंजी निवेश योजना पर विचार करेगा व उसे अनुज्ञापी को पूंजी निवेश योजना पर विचार करेगा व उसे अनुमोदित करेगा। एक दिये गये वर्ष के लिए पारेषण अनुज्ञापी की अनुमोदित निवेश योजना की तत्समान लागतें इसकी राजस्व आवश्यकताओं हेतु विचार में ली जाएंगी।

62. पूंजी लागत

(1) केवल ऐसे पूंजी व्ययों पर जो आयोग के अनुमोदन से उपगत हुए हों या उपगत होने हैं, जिनमें यू.ई. आर.सी. (कारोबार का संचालन) विनियम, 2004 में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार पूर्व स्वीकृति से छूट प्राप्त, सम्मिलित हैं, पर ही शुल्क के प्रयोजन से विचार किया जाएगा।

(2) अंतिम शुल्क, पारेषण प्रणाली के स्वीकृत पूंजी व्यय के आधार पर निर्धारित किया जाएगा तथा इसमें उच्चतम सीमा मानक के अधीन पूंजीगत प्रारम्भिक स्पेयर्स सम्मिलित होंगे।

(3) समय–समय पर संशोधित इन्स्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स ऑफ इण्डिया के लेखाकरण मानक (ए.एस.10): स्थिर आस्तियों हेतु लेखाकरण के उपबंध, पूंजीकृत स्थिर आस्तियों की मूल लागत या/और पूंजीगत व्यय परियोजनाओं की मूल लागत के अवधारण में इन विनियमों से संगत सीमा तक लागू होंगे।

63. पारेषण शुल्क के अवधारण हेतु याचिका

पारेषण अनुज्ञापी, इन विनियमों के भाग—II के उपबंध का अनुपालन करते हुए, समय—समय पर आयोग द्वारा अपेक्षित जानकारी, अपेक्षित प्रपत्र में विनियम—9 के अनुसार प्रस्तुत की गयी व्यवसायिक योजना पर आयोग के आदेश के आधार पर तथा ऐसी पारेषण प्रणाली के ऐतिहासिक कार्यनिष्पादन के अनुरूप अपनी राज्यान्तर्गत पारेषण प्रणाली के लिए शुल्कों के निर्धारण हेतु आवेदन करेगा।

64. प्रचालन के मानक

समय—समय पर आशोधनके अधीन, प्रचालन के मानक निम्नलिखित होंगे:—

i) उपस्टेशन में अनुषंगी ऊर्जा उपभोग

एयर कंडीशनिंग, लाइटिंग, तकनीकी उपभोग इत्यादि के प्रयोजन से उप—स्टेशन में अनुषंगी ऊर्जा उपभोग के प्रभार पारेषण अनुज्ञापी द्वारा वहन किये जाएंगे तथा मानकीय प्रचालन एवं अनुरक्षण व्ययों में सम्मिलित किये जाएंगे।

ii) पूर्ण पारेषण प्रभारों की वसूली के लिए लक्ष्य उपलब्धता

(ए)	ए.सी. सिस्टम	:	98 प्रतिशत
(बी)	एच.वी.डी.सी. बाई—पोल लिंक्स	:	92 प्रतिशत
(सी)	एच.वी.डी.सी. बैक—टु—बैक स्टेशन्स	:	95 प्रतिशत

टिप्पणी:—

(ए) लक्ष्य उपलब्धता के स्तर से नीचे स्थिर प्रभारों की वसूली यथानुपात आधार पर होगी। शून्य उपलब्धता पर कोई पारेषण प्रभार संदेय नहीं होंगे।

(बी) लक्ष्य उपलब्धता, इन विनियमों के परिशिष्ट—IV में दी गयी प्रक्रिया के अनुसार परिकलित की जाएगी तथा उत्तराखण्ड राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा प्रमाणित की जाएगी।

65. प्रचालन एवं अनुरक्षण व्यय

(1) प्रचालन एवं अनुरक्षण (ओ. एंड एम.) व्ययों में निम्नलिखित अन्तर्विष्ट होगा:—

(ए) वेतन, मजदूरी, पेंशन अंशदान तथा अन्य कर्मचारी लागतें,

(बी) बीमा प्रभार, यदि कोई हैं, के साथ—साथ प्रशासनिक व सामान्य व्यय

(सी) मरम्मत व रख—रखाव व्यय,

(2) नियंत्रण अवधि के प्रथम वर्ष हेतु ओ. एंड एम. व्यय, कुशल जांच व आयोग द्वारा उपयुक्त समझे गये किन्हीं अन्य कारकों के अधीन, आधार वर्ष तक पिछले पांच वर्षों के लिए वास्तविक ओ. एंड एम. व्ययों को ध्यान में रखते हुए आयोग द्वारा अनुमोदित किये जाएंगे।

(3) n^{th} वर्ष के लिए तथा साथ ही नियंत्रण अवधि से तुरन्त पूर्ववर्ती वर्ष, अर्थात् 2012–13 के लिए ओ. एंड एम. व्यय, निम्नलिखित फॉर्मूला के आधार पर अनुमोदित किये जाएंगे:–

$$O\&M_n = R\&M_n + EMP_n + A\&G_n$$

जहां,

- $O\&M_n$ - n^{th} वर्ष के लिए प्रचालन एवं अनुरक्षण व्यय
- EMP_n - n^{th} वर्ष के लिए कर्मचारी लागतें
- $R\&M_n$ - n^{th} वर्ष के लिए मरम्मत व रख–रखाव लागतें
- $A\&G_n$ - n^{th} वर्ष के लिए प्रशासनिक व सामान्य लागतें

(4) उपरोक्त घटकों का संगणन निम्नलिखित तरीके से किया जाएगा:–

$$EMP_n = (EMP_{n-1}) \times (1+G_n) \times (CPI\ inflation)$$

$$R\&M_n = K \times (GFA_{n-1}) \times (WPIinflation)\ and$$

$$A\&G_n = (A\&G_{n-1}) \times (WPIinflation) + Provision$$

जहां,

- EMP_{n-1} = $(n-1)^{th}$ वर्ष के लिए प्रचालन एवं अनुरक्षण व्यय
- $A\&G_{n-1}$= $(n-1)^{th}$ वर्ष के लिए प्रशासनिक व सामान्य लागतें,
- Provision: कुशल जांच के पश्चात् आयोग द्वारा अनुमोदित तथा पारेषण अनुज्ञापी द्वारा प्रस्तावित अन्य एक समय व्यय या पहल के लिए लागत
- 'K' प्रतिशत में आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट एक स्थिरांक है। नियंत्रण अवधि हेतु प्रत्येक वर्ष के लिए K का मूल्य, आयोग द्वारा अनुमोदित जी.एफ.ए. के मुकाबले में अनुमोदित मरम्मत एवं रख–रखाव व्यय, मरम्मत व रखरखाव व्ययों के तलचिह्नीकरण, पारेषण अनुज्ञापी की

फाईलिंग तथा आयोग द्वारा विचार किये गये किसी अन्य तथ्य के आधार पर एम.वाय.टी. आदेश में आयोग द्वारा अवधारित किया जाएगा

- CPIinflation = तुरन्त पूर्ववर्ती तीन वर्षों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सी.पी.आई.) में औसत वृद्धि है
- WPIinflation = तुरन्त पूर्ववर्ती तीन वर्षों के लिए थोक मूल्य सूचकांक (सी.पी.आई.) में औसत वृद्धि है
- GFA_{n-1}= वर्ष के लिए पारेषण अनुज्ञापी की कुल स्थिर आस्तियां
- Gn = वर्ष के लिए एक वृद्धि कारक है। Gn का मूल्य पारेषण अनुज्ञापी की फाईलिंग, तलचिह्नीकरण या आयोग द्वारा उपयुक्त समझे गये किसी अन्य तथ्य के आधार पर अतिरिक्त जनशक्ति की आवश्यकता को पूरा करने के लिए एम.वाय.टी. शुल्क आदेश में आयोग द्वारा अवधारित किया जाएगा:

(5) परन्तु अवधारित मरम्मत रख—रखाव व्यय केवल मरम्मत व रख—रखाव के लिए ही उपयोग में लाए जाने चाहियें।

66. गैर शुल्क आय

(1) आयोग द्वारा अनुमोदित पारेषण कारोबार से संबंधित गैर शुल्क आय की राशि, पारेषण अनुज्ञापी के वार्षिक पारेषण प्रभारों के अवधारण में कुल राजस्व आवश्यकता में से घटायी जाएगी:

(2) परन्तु पारेषण अनुज्ञापी, समय—समय पर आयोग द्वारा तय किये गये प्रपत्र में आयोग को अपनी गैर शुल्क आय के पूर्वानुमान का पूर्ण विवरण प्रस्तुत करेगा।

(3) गैर शुल्क आय के लिए विचार किये जाने वाले विभिन्न शीर्षों की सांकेतिक सूची निम्नलिखित है:—

(ए) भूमि या भवन पर किराये से आय

(बी) रद्दी की बिक्री से आय

(सी) सांविधिक निवेशों से आय

(डी) बिलों के विलंबित अथवा आस्थगित भुगतान पर ब्याज

(ई) आपूर्तिकर्ताओं / ठेकेदारों को अग्रिम पर ब्याज

(एफ) स्टाफ क्वार्टर्स से किराया

(जी) ठेकेदारों से किराया

(एच) ठेकेदारों व अन्यों से किराये प्रभार से आय

(आई) विज्ञापनों इत्यादि से आय

(जे) विविध प्राक्तियां

(के) भौतिक सत्यापन पर अधिप्राप्ति

(एल) निवेशों, स्थिर व मांग जमाओं और बैंक शेष पर ब्याज

(एम) पूर्व अवधि आय

परन्तु पारेषण अनुज्ञापी के विनियमित कारोबार के तत्समान इक्विटी पर प्रतिफल पर किये निवेश से अर्जित ब्याज, गैर शुल्क आय में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

67. अन्य कारोबार से आय

जहां अधिनियम की धारा 41 के अधीन पारेषण अनुज्ञापी किसी अन्य कारोबार में संलिप्त है वहां ऐसे अन्य कारोबार से संबंधित सभी प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष लागतों को घटाने के पश्चात् ऐसे अन्य कारोबार से प्राप्त राजस्व के एक तिहाई के बराबर राशि, पारेषण अनुज्ञापी के वार्षिक पारेषण प्रभारों के परिकलन में कुल राजस्व आवश्यकता में से घटाई जाएगी:

परन्तु पारेषण अनुज्ञापी, पारेषण कारोबार व अन्य कारोबारों के मध्य सभी संयुक्त व साझा लागतों के आवंटन के लिए एक युक्तियुक्त आधार अपनाएगा तथा शुल्क के अवधारण हेतु अपने आवेदन के साथ आयोग को, सांविधिक लेखा परीक्षक द्वारा प्रमाणित विधिवत् संपरीक्षित आवेदन विवरण प्रस्तुत करेगा:

परन्तु आगे यह कि जहां ऐसे अन्य कारोबार की प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष लागतों का कुल योग, किसी भी कारण से ऐसे अन्य कारोबार के राजस्व से अधिक होता है, वहां ऐसे कारोबार के कारण पारेषण अनुज्ञापी की कुल राजस्व आवश्यकता में कोई भी राशि जोड़े जाने की अनुमति नहीं होगी।

68. पारेषण प्रभारों का संगणन व भुगतान

(1) पारेषण अनुज्ञापी के लिए वार्षिक पारेषण प्रभारों का अवधारण इन विनियमों में विनिर्दिष्ट मानकों के आधार पर किया जाएगा तथा इनकी वसूली उपयोगकर्ताओं से मासिक आधार पर की जाएगी जो, आंवटित पारेषण क्षमता के अनुपात में पारेषण प्रभारों में भागीदारी करेंगे।

परन्तु पारेषण प्रणाली उपयोगकर्ताओं द्वारा संदेय प्रभारों में, अपने आदेश में आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट वोल्टेज, दूरी, दिशा, प्रवाह की मात्रा, उपयोग का समय जैसे कारकों का भी विचार किया जाएगा।

(2) एक पारेषण प्रणाली या उसके भाग के लिए एक कैलेण्डर माह हेतु संदेय पारेषण प्रभार (प्रोत्साहन सहित) का संगणन निम्नलिखित समीकरण के अनुसार किया जाएगा:

ATC X [NDM/NDY] X [TAFM/NATAF]

जहां,

ATC= वर्ष के लिए विनिर्दिष्ट वार्षिक पारेषण प्रभार, रूपयों में

NATAF = मानकीय वार्षिक पारेषण उपलब्धता कारक, प्रतिशत में,

NDM = माह में दिनों की संख्या

NDY = वर्ष में दिनों की संख्या

TAFM = माह के लिए पारेषण प्रणाली उपलब्धता कारक, प्रतिशत में, परिशिष्ट–IV के अनुसार संगणित

(3) उपरोक्त विनियम 68(2) के अनुसार आयोग द्वारा अवधारित मासिक पारेषण शुल्क में, अपनी आवंटित क्षमता के अनुपात में मासिक आधार पर सभी दीर्घावधि व मध्यम अवधि उन्मुक्त अभिगमन ग्राहकों (वर्तमान वितरण अनुज्ञापी सहित) द्वारा भागीदारी की जाएगी।

(4) पारेषण अनुज्ञापी अपने ही टी.ए.एफ.एम. के आंकलन पर आधारित एक माह के लिए पारेषण प्रभार (प्रोत्साहन सहित) के लिए बिल जारी करेगा। यदि कोई समायोजन है तो वह सुसंगत माह के अंतिम दिन से 30 दिनों के भीतर एस.एल.डी.सी. द्वारा प्रमाणित किये गये टी.ए.एफ.एम. के आधार पर किया जाएगा।

69. उन्मुक्त अभिगमन लेन–देन

उन्मुक्त अभिगमन लेन देन से संबंधित सभी मामले, समय–समय पर संशोधित व लागू उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग (राज्यान्तर्गत उन्मुक्त अभिगमन हेतु निबंधन एवं शर्तें) विनियम, 2010 के अनुसार निपटाए जाएंगे।

70. पारेषण हानियां

आयोग द्वारा अनुमोदित व राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा अवधारित, पारेषण अनुज्ञापी की पारेषण प्रणाली में ऊर्जा हानियां, राज्यान्तर्गत पारेषण प्रणाली के अपने उपयोग के यथानुपातिक आधार पर पारेषण प्रणाली के उपयोगकर्ताओं द्वारा वहन की जाएंगी।

परन्तु आयोग पारेषण अनुज्ञापी पर लागू बहुवर्षीय शुल्क संरचना के भाग के रूप में विनियम–10 के अनुसार पारेषण हानियों की कमी के लिए एक विक्षेप पथ तय कर सकता है।

भाग – 7

वितरण खुदरा आपूर्ति हेतु शुल्क

71. प्रयोज्यता

(1) ये विनियम अपने उपभोक्ता को वितरण अनुज्ञापी द्वारा विद्युत की खुदरा बिक्री के लिए शुल्क के अवधारण हेतु लागू होंगे।

परन्तु अपनी प्रणाली के उपयोग के लिए उन्मुक्त अभिगमन ग्राहकों द्वारा वितरण अनुज्ञापी को संदेय व्हीलिंग प्रभार समय–समय पर संशोधित व लागू, उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग (राज्यान्तर्गत उन्मुक्त अभिगमन के लिए निबंधन एवं शर्तें) अधिनियम, 2010 के अनुसार अवधारित किये जाएंगे।

परन्तु यह भी कि एक उन्मुक्त अभिगमन उपभोक्ता जो एक पारेषण प्रणाली से सीधे जुड़ा हुआ है उसे कोई व्हीलिंग शुल्क का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं होगी।

72. नियंत्रण अवधि के प्रत्येक वित्त वर्ष हेतु कुल राजस्व आवश्यकता

(1) नियंत्रण अवधि के प्रत्येक वित्त वर्ष हेतु वितरण अनुज्ञापी का कुल वार्षिक व्यय व इक्विटी पर प्रतिफल, इन विनियमों के निबंधनों में अनुमोदित व्ययों व प्रतिफल के आधार पर ज्ञात किया जाएगा।

(2) नियंत्रण अवधि के प्रत्येक वित्त वर्ष हेतु वितरण अनुज्ञापी के खुदरा आपूर्ति शुल्क, उस वित्त वर्ष के लिए राज्य सरकार से सहायिकी, यदि कोई है, आयोग द्वारा अनुमोदित सुसंगत वर्ष के लिए अतिरिक्त अधिभार व प्रति सहायिकी के कारण प्राप्तियां तथा अन्य कारोबार से आय, उन्मुक्त अभिगमन ग्राहकों के संबंध में व्हीलिंग से आय, गैर शुल्क आय की राशि द्वारा कम हुए, नियंत्रण अवधि के प्रत्येक वित्त वर्ष हेतु वितरण अनुज्ञापी की कुल राजस्व आवश्यकता की वसूली का उपबंध करेंगे तथा इनमें निम्नलिखित अन्तर्विष्ट होंगे:

(ए) ऊर्जा क्रय की लागत

(बी) पारेषण प्रभार

(सी) प्रणाली प्रचालन प्रभार, अर्थात् एन.एल.डी.सी. / आर.एल.डी.सी. / एस.एल.डी.सी. को भुगतान की गयी फीस एवं शुल्क

(डी) ऋण पूंजी तथा उपभोक्ता प्रतिभूति जमा पर ब्याज

(ई) अमूर्त आस्तियों के परिशोधन सहित अवक्षय

(एफ) पट्टा प्रभार

(जी) प्रचालन एवं अनुरक्षण व्यय

(एच) कार्यरत पूंजी पर ब्याज

(आई) इक्विटी पूंजी पर प्रतिफल

(जे) आयकर

(3) विद्युत के विक्रय से शुद्ध राजस्व आवश्यकता = उपरोक्तानुसार, कुल राजस्व आवश्यकता, घटाकरः

(ए) गैर शुल्क आय

(बी) उन्मुक्त अभिगमन ग्राहकों से वसूल किये गये व्हीलिंग प्रभारों से आय

(सी) विनियमों में विनिर्दिष्ट सीमा तक, अन्य कारोबार से आय

(डी) उन्मुक्त अभिगमन उपभोक्ताओं से प्रति सहायिकी अधिभार के कारण प्राप्तियां

(ई) उन्मुक्त अभिगमन उपभोक्ताओं से व्हीलिंग के प्रभारों पर अतिरिक्त अधिभार के कारण प्राप्तियां

(एफ) विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 65 के अधीन सब्सिडी से अन्यथा राज्य सरकार से प्राप्त कोई राजस्व सब्सिडी या अनुदान

73. व्यावसायिक योजना

(1) प्रत्येक वितरण अनुज्ञापी, इन विनियमों के भाग–II में अन्तर्विष्ट विनियम 9 में विनिर्दिष्ट तरीके से तथा समय–समय पर आयोग द्वारा तय किये गये पूर्ण विवरणों के साथ 1 अप्रेल 2013 से 31 मार्च 2016 तक तीन (3) वित्त वर्षों की नियंत्रण अवधि हेतु 31 मई 2012 तक एक व्यावसायिक योजना प्रस्तुत करेगा।

(2) इस व्यावसायिक योजना में अन्य विवरणों के साथ–साथ समय–समय पर आयोग द्वारा, दिशा–निर्देशों के स्वरूप के अनुसार पूंजी निवेश योजना, वित्त पोषण योजना व भौतिक लक्ष्यों का समावेश होगा।

74. पूंजी निवेश योजना

(1) वितरण अनुज्ञापी, व्यावसायिक योजना के एक भाग के रूप में आयोग को भार वृद्धि, वितरण हानियों में कमी, आपूर्ति की गुणवत्ता में सुधार, विश्वसनीयता, मीटरिंग, उपभोक्ता सेवाओं, इत्यादि की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, नियंत्रण अवधि के प्रत्येक वित्त वर्ष के लिए एक विस्तृत पूंजी निवेश योजना, वित्त पोषण योजना व भौतिक लक्ष्य फाईल करेगा।

(2) निवेश योजना, भार वृद्धि, वितरण हानियों में कमी, आपूर्ति की गुणवत्ता में सुधार, विश्वसनीयता, मीटरिंग, इत्यादि की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वितरण प्रणाली के सुदृढ़ीकरण व संवर्धन पर निवेश करने के लिए एक न्यूनतम लागत योजना होगी।

(3) निवेश योजना में, नियंत्रण अवधि में वितरण अनुज्ञापी द्वारा ली जाने वाली सभी पूंजी व्यय परियोजनाओं का समावेश होगा तथा ऐसे स्वरूप में होंगी जैसा समय–समय पर आयोग तय करे।

(4) 2.50 करोड़ रूपये से अधिक के मूल्य की सभी पूंजीगत व्यय योजनाओं के लिए आयोग की पूर्व स्वीकृति आवश्यक होगी।

(5) निवेश योजना के साथ, प्रस्तावित निवेशों, विचार किये विकल्पों, लागत/लाभ विश्लेषण तथा ऐसे अन्य पहलुओं जिनका व्हीलिंग शुल्क व खुदरा शुल्कों पर प्रभाव हो सकता है, की आवश्यकता प्रदर्शित करते हुए, ऐसी जानकारी, विवरण व दस्तावेज संलग्न किये जाएंगे जो अपेक्षित हो। निवेश योजना में पूंजीकरण अनुसूची व वित्त पोषण योजना सम्मिलित होगी।

(6) वितरण अनुज्ञापी, एम.वाय.टी. याचिका के साथ या वार्षिक कार्य निष्पादन समीक्षा के आवेदन के साथ, ऐसी प्रगति के आंकलन के लिए आयोग द्वारा अपेक्षित अन्य जानकारी, विवरण, दस्तावेजों के साथ पूंजीगत व्यय परियोजनाओं की प्रगति दर्शाते हुए विवरण प्रस्तुत करेगा।

(7) आयोग, अपेक्षित आशोधन के साथ वितरण अनुज्ञापी की पूंजी निवेश योजना पर विचार करेगा व इसे अनुमोदित करेगा। एक दिये गये वर्ष हेतु वितरण अनुज्ञापी को अनुमोदित निवेश योजना के तत्समान लागतों पर, इसको राजस्व आवश्यकता हेतु विचार किया जाएगा।

75. वितरण खुदरा आपूर्ति शुल्क के अवधारण हेतु याचिका

(1) एक वितरण अनुज्ञापी, इन विनियमों के भाग–५ के उपबंधों का अनुपालन करते हुए खुदरा शुल्क के अवधारण हेतु याचिका दायर करेगा।

(2) आगामी वर्ष के लिए शुल्क के अवधारण हेतु वितरण अनुज्ञापी द्वारा दायर याचिका में, इन विनियमों में अन्तर्विष्ट वितरण अनुज्ञापी की व्यावसायिक योजना व सिद्धांतों के आधार पर, आधार वर्ष के लिए डाटा, वर्तमान वर्ष के लिए वास्तविक व आंकलित डाटा तथा नियंत्रण अवधि के सभी वर्षों के लिए पूर्वानुमानों व लक्ष्यों का समावेश होगा।

(3) आयोग, इन विनियमों के अधीन विनिर्दिष्ट नियंत्रण अवधि के लिए, इन विनियमों में नियत एम.वाय.टी. सिद्धान्तों पर वितरण अनुज्ञापी की वार्षिक राजस्व आवश्यकता का अवधारण करेगा।

76. विक्रय पूर्वानुमान

(1) मौसमी परिवर्तनों के प्रग्रहण की महत्ता को ध्यान में रखते हुए, नियंत्रण अवधि के लिए मासिक पूर्वानुमान, जहां तक संभव हो पूर्व रूझानों पर आधारित ऐसी उपभोक्ता श्रेणी/उपश्रेणी के भीतर प्रत्येक शुल्क स्लैब के लिए तथा प्रत्येक उपभोक्ता श्रेणी/उपश्रेणी के संबंध में लगाया जाएगा तथा व्यावसायिक योजना के साथ अनुमोदन के लिए आयोग को प्रस्तुत किया जाएगा। पूर्व डाटा में किसी असामान्यता को दूर करते हुए, उपभोक्ताओं की संख्या, संयोजित भार तथा ज्ञात व माप योग्य परिवर्तनों को प्रक्षेपित करने के लिए उपयुक्त समायोजन किया जाएगा।

परन्तु जहां आयोग ने किसी विशेष शुल्क श्रेणी के लिए विक्रय पूर्वानुमान हेतु कार्य विधि नियत की है, वहां वितरण अनुज्ञापी ऐसी शुल्क श्रेणी हेतु विक्रय पूर्वानुमान विकसित करने में ऐसी कार्य विधि अपनाएगा।

(2) अनमीटर्ड उपभोक्ताओं के लिए विक्रय पूर्वानुमान को समय–समय पर आयोग द्वारा अनुमोदित मानकों के साथ प्रमाणीकृत किया जाएंगा।

(3) विक्रय पूर्वानुमान, इन विनियमों के अधीन व्यावसायिक योजना के एक भाग के रूप में जमा दीर्घावधि ऊर्जा प्रापण योजना के एक भाग के रूप में तैयार भार पूर्वानुमान के अनुरूप होगा।

(4) आयोग, उपभोक्ताओं की संख्या में वृद्धि पूर्व वर्षों में संयोजित भार तथा ऊर्जा उपभोग अगले वर्ष में अपेक्षित वृद्धि तथा कोई अन्य कारक जो उपयोग सुसंगत समझे, के आधार पर युक्तियुक्तता के लिए पूर्वानुमानों की जांच करेगा तथा जैसा उचित समझें वैसे आशोधनों के साथ उपभोक्ता को विद्युत की बिक्री अनुमोदित करेगा।

77. उपभोक्ताओं को विद्युत की बिक्री का अनुवीक्षण

(1) अनुमोदित विक्रय पूर्वानुमान के आधार पर, वितरण अनुज्ञापी, वर्ष के दौरान मांग में मौसमी परिवर्तन के ध्यान में रखते हुए, विभिन्न उपभोक्ता श्रेणियों को मासिक विक्रय की आवश्यकता ज्ञात करेगा।

(2) वितरण अनुज्ञापी, विभिन्न उपभोक्ता श्रेणियों को विक्रय का अनुवीक्षण करेगा तथा यह सुनिश्चित करेगा कि उपभोक्ता की किसी श्रेणी तक ही विद्युत विक्रय अनुचित रूप से सीमित नहीं है।

(3) वितरण अनुज्ञापी, विभिन्न उपभोक्ता श्रेणियों को विद्युत के विक्रय के संबंध में आयोग को मासिक रिपोर्ट देगा।

78. वितरण हानियां

(1) वितरण प्रणाली में ऊर्जा हानियां, वितरण हानि कहलाएगी।

(2) एक विशेष वोल्टेज स्तर तक या उससे ऊपर वितरण हानि का परिकलन, वितरण प्रणाली में प्रारंभ में अन्तःक्षेपित ऊर्जा तथा उस स्तर तक विक्रय की गयी ऊर्जा व अगले स्तर तक प्रेषित ऊर्जा के योग के मध्य के अंतर के रूप में किया जाएगा। विक्रय की गयी ऊर्जा, अनुमोदित मानकों के आधार पर मीटरीकृत विक्रय व गैर मीटरीकृत विक्रय के आंकलन का योग होगी।

एक विशेष वोल्टेज स्तर तक या उससे ऊपर वितरण हानि प्रतिशत, वितरण प्रणाली में प्रारम्भ में अन्तःक्षेपित ऊर्जा के प्रतिशत के रूप में उस स्तर तक वितरण हानि के संबंध में अभिव्यक्त किया जाएगा।

(3) आयोग, सर्किल वार/डिविजन वार व/या माह वार वितरण हानि परिकलन पर जानकारी मांगेगा।

(4) वितरण हानि परिकलनों की पुष्टि के लिए आयोग, वितरण अनुज्ञापी से उचित व विश्वसनीय ऊर्जा लेखा परीक्षण करवाएगा।

(5) वितरण अनुज्ञापी, आपूर्ति की वोल्टेज वार लागत के अवधारण हेतु नियंत्रण अवधि के प्रत्येक वर्ष के लिए वोल्टेज वार हानियां भी प्रस्तावित करेगा। आयोग, नियंत्रण अवधि के प्रत्येक वर्ष के लिए वितरण हानि विक्षेप पथ हेतु अनुज्ञापी द्वारा की गयी फाईलिंग की जांच करेगा तथा जैसा आवश्यक समझे वैसे आशोधन के साथ अनुमोदित करेगा।

(6) आयोग, वितरण अनुज्ञापी से, तकनीकी हानियों (लाईनों, उपस्टेशनों व उपकरणों में हानि) तथा वाणिज्यिक हानियों मीटर की अशुद्धियों/अपर्याप्तताओं, ऊर्जा की चोरी इत्यादि के कारण अलेखित ऊर्जा में पृथक करते हुए वोल्टेज वार वितरण हानियों पर विस्तृत जानकारी की मांग कर सकेगा। आयोग, वितरण हानि (तकनीकी हानि व वाणिज्यिक हानि में पृथक–पृथक रूप से) के संबंध में वितरण अनुज्ञापी द्वारा की गयी फाईलिंग की जांच करेगा तथा जैसा आवश्यक समझे वैसे आशोधन के साथ अनुमोदित करेगा।

(7) आयोग, वितरण अनुज्ञापी द्वारा प्रस्तुत की गयी जानकारी के आधार पर, वितरण हानि स्तरों (तकनीकी व वाणिज्यिक) को क्रमशः कार्यकुशलता के स्वीकृत मानकों तक लाने के लिए हानि में कमी हेतु नियंत्रण अवधि के प्रत्येक वर्ष के लिए दीर्घावधि व लघु अवधि लक्ष्य निर्धारित करेगा।

79. ऊर्जा की उपलब्धता

(1) शुल्क वर्ष के लिये, ऊर्जा की मासिक उपलब्धता निम्नलिखित के आधार पर सुनिश्चित की जायेगी।

i. केन्द्रीय/राज्य क्षेत्र उत्पादक स्टेशन।

(ए) केन्द्रीय/राज्य क्षेत्र उत्पादक स्टेशनों में आबंटित व अनाबंटित क्षमता में वितरण अनुज्ञापी की भागीदारी।

(बी) उत्पादकों द्वारा दिये गये प्रक्षेपणों पर तथा उत्पादकों से प्राप्त आपूर्ति के ऐतिहासिक डाटा के आधार पर प्रत्येक उत्पादक स्टेशन की संभावित उपलब्धता, या

(सी) केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा निर्धारित स्टेशन के लिए पी एल एफ/उत्पादन लक्ष्य, या

(डी) किसी नियोजित अनुरक्षण या बंदी के लिए समायोजित स्टेशन का ऐतिहासिक कार्य निष्पादन।

ii. अन्य स्रोतों से

(ए) किसी अन्य वितरण अनुज्ञापी, बोर्ड या ट्रेडिंग अनुज्ञापी के साथ वितरण अनुज्ञापी का बैंकिंग करार।

(बी) ऊर्जा के क्रय से संबंधित किसी वितरण अनुज्ञापी, बोर्ड, उत्पादक कंपनी या ट्रेडिंग अनुज्ञापी के साथ वितरण अनुज्ञापी का करार।

80. ऊर्जा क्रय की आवश्यकता का आंकलन।-

(1) वितरण अनुज्ञापी, अपने आपूर्ति क्षेत्र में विद्युत की मांग पूरी करने हेतु ऊर्जा के प्रामण के लिए एक दीर्घावधि योजना तैयार करेगा तथा व्यावसायिक योजना याचिका/ एम वाय टी याचिका के साथ ऐसी योजना को आयोग के अनुमोदन हेतु प्रस्तुत करेगा। लघु अवधि प्रामण योजना तैयार करते समय निम्नलिखित का ध्यान रखना चाहिये:

(ए) नियन्त्रण अवधि के दौरान प्रत्येक शुल्क श्रेणी से, आपूर्ति क्षेत्र के भीतर विद्युत की निर्बाध मांग का मात्रात्मक पूर्वानुमान,

(बी) उत्पादन के स्वीकृत स्रोतों से विद्युत आपूर्ति तथा ऊर्जा क्रय की मात्राओं का आंकलन।

(सी) ऊर्जा संरक्षण व ऊर्जा दक्षता के संबंध में लागू किये जाने के लिये प्रस्तावित उपाय।

(डी) नवीकरणीय ऊर्जा प्रतिशत का न्यूनतम अंश।

(ई) ऊर्जा उत्पादन व/या प्रमण के नये स्रोतों के लिये आवश्यकता।

(एफ) पारेषण व वितरण हानियों का अनुमोदित स्तर।

(2) वितरण अनुज्ञापी की ऊर्जा प्रापण योजना में आयोग द्वारा अनुमोदित, ऐसी तिमाही के लिये ऊर्जा प्रामण के, यथा स्थिति मात्रा या लागत के पांच (5) प्रतिशत अधिक, आयोग द्वारा अनुमोदित ऊर्जा प्रापण योजना में उल्लिखित से अन्यथा स्रोतों से किसी प्रापण या प्राप्त ऊर्जा की लागत या मात्रा में, एक वित्त वर्ष की किसी तिमाही में कोई परिवर्तन आयोग की पूर्वानुमति से ही किया जायेगा।

(3) जहाँ वित्त वर्ष की अवधि में आपूर्ति के किसी अनुमोदित स्रोत से विद्युत की आपूर्ति में कोई कमी या रूकावट आई हो वहाँ वितरण अनुज्ञापी, आयोग की पूर्वानुमति से, बिना ऊर्जा के प्रापण के लिए एक

लघु अवधि करार कर व्यवस्था कर सकेगा, जहॉ ऐसी व्यवस्था या करार के अधीन प्राप्त ऊर्जा के लिये शुल्क का अवधारण निम्नलिखित के अनुसार होता हो।

(ए) केन्द्र सरकार द्वारा प्रतियोगी बोली दिशा निर्देशों के अनुसार बोली की पारदर्शी प्रक्रिया।

(बी) जब उपयुक्त आयोग द्वारा ऐसे उत्पादक स्टेशनों का शुल्क अनुमोदित कर दिया गया हो।

(सी) जब आयोग के किसी आकस्मिक स्थिति के अधीन ऊर्जा प्रापण के लिये न्यूनतम व अधिकतम सीमा मूल्य विनिर्दिष्ट किया हो व ऊर्जा क्रय मूल्य बैंड के भीतर हो।

(डी) जब वितरण अनुज्ञापी ने आपूर्ति के एक नये लघु अवधि स्रोत की पहचान कर ली हो जिसके द्वारा ऐसे शुल्क से ऊर्जा उत्पन्न की जा सकती है जो उसकी कुल ऊर्जा प्रापण लागत कम करता हो। ऐसे नये स्रोतों में, ट्रेडिंग अनुज्ञाप से ऊर्जा प्रापण तथा साथ ही ऊर्जा विनिमय जैसे अन्य ट्रेडिंग मंचों से ऊर्जा प्रामण सम्मिलित होगा।

(ई) बैंकिंग लेने–देन के रूप में प्रापण।

(एफ) जब ऐसी आपात परिस्थितियों से सामना हो जिनसे वितरण प्रणाली की स्थिरता को खतरा हो, या ग्रिड विफलता को रोकने के लिये राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा ऐसा करने का निर्देश दिया गया हो।

परन्तु ऐसे मामलों, में वितरण प्रणाली अनुज्ञापी ऐसे ऊर्जा प्रापण, जिसके लिए पूर्वानुमति न ली गई हो, के लिए 15 दिन के भीतर आयोग से कार्योत्तर अनुमति प्राप्त करेगा।

(4) राज्य के बाहर के स्रोतों से विद्युत के क्रय हेतु, पी पी ए में सहमत या आर एल डी सी/एस एल डी सी/के ऊर्जा लेखों से ज्ञात पारेषण हानि स्तर, दोनों में से जो कम हो, से स्वीकार किया जायेगा।

(5) आयोग, ऐसे आशोधन के साथ ऊर्जा क्रय आवश्यकता का संवीक्षण व अनुमोदन करेगा जिसे आगामी वर्ष के लिए तथा विचाराधीन शुल्क अवधि के लिये वह आवश्यक समझें।

81. ऊर्जा क्रय लागत

(1) आयोग द्वारा अनुमोदित ऊर्जा क्रय/बैंकिंग/ट्रेडिंग करार पर वितरण अनुज्ञापी की ऊर्जा क्रय लागत अवधारित करने के लिए विचार किया जायेगा।

(2) नियन्त्रण अवधि के लिये, अपने उपभोक्ताओं को विक्रय हेतु ऊर्जा के क्रय की वितरण अनुज्ञापी की आवश्यकता नियन्त्रण अवधि हेतु लक्ष्य वितरण हानि स्तर व पारेषण हानि, विक्रय पूर्वानुमान के आधार पर आंकलित की जायेगा।

(3) नियन्त्रण अवधि के लिये, राज्य उत्पादक स्टेशनों से प्राप्त विद्युत की लागत, ऐसे उत्पादक स्टेशन से विद्युत के क्रय हेतु आयोग द्वारा अनुमोदित शुल्कों पर आधारित होगी तथा केन्द्रीय क्षेत्र के उत्पादक

स्टेशन से प्राप्त विद्युत की लागत, ऐसे उत्पादक स्टेशनों के लिये केन्द्र विद्युत नियामक आयोग द्वारा अनुमोदित शुल्कों पर आधारित होगी, अन्य स्रोतों से प्राप्त ऊर्जा की लागत, आयोग द्वारा अनुमोदित ऊर्जा क्रय/बैंकिग/ट्रेडिंग करार के अनुसार होगी।

(4) नियन्त्रण अवधि के विभिन्न वर्षों के लिये, वितरण अनुज्ञापी की ऊर्जा क्रय लागत श्रेष्ठता क्रम सिद्वान्त के आधार पर आंकलित की जायेगी। सभी ऊर्जा क्रय लागतों को तब तक विधि सम्मत समझा जायेगा जब तक कि वह स्थापित न हो जाये कि श्रेष्ठता क्रय सिद्वान्त का भौतिक रूप से उल्लंघन हुआ है या ऊर्जा का क्रय अयुक्तियुक्त दरों पर हुआ है।

(5) नियन्त्रण अवधि के विभिन्न वर्षों के लिए वितरण अनुज्ञापी की कुल ऊर्जा क्रय लागत का अवधारण करने के लिये, आयोग वितरण अनुज्ञापी के नवीकरणीय क्रय दायित्व तथा सुसंगत विनियमों आदेशों के अधीन विभिन्न प्रकार के नवीकरणीय स्रोतों के लिये आयोग द्वारा अवधारित शुल्कों पर भी विचार करेगा।

(6) जहॉ अर्न्तराज्यीय पारेषण प्रभार, केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग के आदेशों के अनुसार आंकलित किये जायेंगे वहीं, राज्यान्र्गत पारेषण प्रभारों का आंकलन, समय–समय पर आयोग द्वारा अनुमोदित पारेषण शुल्कों के अनुसार किया जायेगा। इसके अतिरिक्त, भार प्रेषण सेवाओं का उपयोग करने के लिये प्रणाली प्रचालकों (राष्ट्रीय भार प्रेषण केन्द्र, क्षेत्रीय भार प्रेषण केन्द्र, राज्य भार प्रेषण, इत्यादि) को देय भार प्रेषण प्रभारों का आंकलन, समय–समय पर उपयुक्त आयोग द्वारा अनुमोदित फीस व प्रभारों के अनुसार किया जायेगा, राज्य के बाहर विक्रय की गई ऊर्जा के लिए भुगतान किये गये एस एल डी सी प्रभारों, शुल्क अवधारण के लिये व्ययों के रूप में विचार नहीं किया जायेगा।

82. ऊर्जा क्रय में परिवर्तन

वितरण अनुज्ञापी द्वारा आयोग द्वारा अनुमोदित ऊर्जा की आवश्यकता से अधिक क्रय की गई किसी ऊर्जा पर या किसी वर्ष में ऊर्जा क्रय के मिश्र में परिवर्तन पर तब विचार किया जायेगा जब यह वितरण अनुज्ञापी के युक्तियुक्त नियन्त्रण से बाहर के कारणों से हो तथा परिणामी वित्तीय हानि का लाभ अगले वर्ष के शुल्क में समायोजित किया जायेगा।

83. ईंधन प्रभार समायोजन (एफ सी ए)

(1) एफ सी ए प्रभार, किसी उपभोक्ता को किसी छूट के बिना वितरण अनुज्ञापी के संपूर्ण विक्रय पर लागू होंगे।

(2) एफ सी ए प्रभार, स्वयं के उत्पादक स्टेशनों से उत्पादित ऊर्जा, व इन विनियमें के अनुसार ऐसी लागतें लगने के पश्चात् किसी माह के दौरान प्राप्त की गई ऊर्जा, से संबंधित लागतों में वास्तविक परिवर्तन के आधार पर संगणित व प्रभारित किये जायेंगे तथा इनका संगणन ईंधन लागतों में आंकलित या अपेक्षित परिवर्तन के आधार पर नहीं किया जायेगा।

(3) तिमाही के लिये एफ सी ए प्रभार, तिमाही समाप्ति के 15 दिनों के भीतर संगणित किये जायेगें तथा आयोग की पूर्वानुमति के बिना दूसरी तिमाही के ही पहले माह से तिमाही हेतु प्रभारित होंगे तथा कम या अधिक वसूली अगली तिमाही के लिए अग्रनीत की जायेगी।

(4) वितरण अनुज्ञापी, आयोग के कार्योत्तर अनुमोदन हेतु तिमाही के अंत के 30 दिनों की भीतर आयोग द्वारा प्रमाणीकरण हेतु आवश्यक विस्तृत संगणन व समर्थक दस्तावेजों के साथ, संपूर्ण तिमाही के लिए सभी उपभोक्ताओं पर उपगत व उपगत होने वाली वृद्विकारक ईंधन लागत का विवरण जमा करेगा।

(5) आयोग, एफ सी ए संगणनों की जॉच करेगा तथा यदि आवश्यक हुआ तो दूसरी तिमाही के अंत से पहले आशोधन के साथ इसे अनुमोदित करेगा। वितरण अनुज्ञापी कद्वारा प्रभारित एफ सी ए तथा आयोग द्वारा अनुमोदित एफ सी ए में कोई अंतर पश्चात वर्ती तिमाही के एफ सी ए संगणन में समायोजित किया जायेगा।

(6) यदि वितरण अनुज्ञापी, नियमित रूप से उपभोक्ता से अन्यायपूर्ण एफ सी ए प्रभार प्रभारित करने का दोषी पाया जाता है तो आयोग, अन्यायपूर्ण प्रभारों को ब्याज के साथ समायोजित करेगा।

(7) वितरण अनुज्ञापी, शुल्क डिजायन में एक घटक के रूप में एफ सी ए प्रभार नियमित करने के लिये बिलिंग व आई टी प्रणालियों का उन्नयन करेगा।

(8) एफ सी ए के संगणन हेतु फार्मूला निम्नलिखित रूप में होगा :–

FCA (करोड़ रूपये) = C + B,

जहॉ FCA = ईंधन लागत संशोधन

< = ईंधन लागत में अंतर के कारण स्वयं के उत्पादन तथा ऊर्जा कय की लागत में परिवर्तन।

B = पूर्व तिमाही हेतु अधिक वसूली/कम वसूली के लिए समायोजन कारण।

< (करोड़ रूपये) = AFC Gen + AFC, PP

जहॉ :

AFC Gen : स्वयं के उत्पादन की ईंधन लागत में परिवर्तन।

इसका संगणन ऊष्मा दर, अनुषंगी उपभोग, उत्पादन तथा ऊर्जा क्रय मिश्र, इत्यादित सहित, आयोग के मानकों व निर्देशों के आधार पर संगणित किया जायेगा।

AFC, PP : अन्य स्रोतों से प्राप्त ऊर्जा प्रभारों में परिवर्तन। यह परिवर्तन उस सीमा तक किया जायेगा, जहाँ तक वह लागू मानकों के अधीन तथा इन विनियमों व प्रचलित शुल्क आदेश में निर्धारित मानदण्ड को पूरा करता हो।

(9) किसी श्रेणी के लिये एफ सी ए प्रभार संबंधित श्रेणी के लिये आधार ऊर्जा का 10 प्रतिशत या समय समय पर आयोग द्वारा निर्धारित किसी ऐसी सीमा से अधिक नहीं होंगे।
परन्तु उपरोक्त सीमा से अधिक एफ सी ए प्रभार में किसी अधिकता को वितरण अनुज्ञापी द्वारा अग्रनीत किया जायेगा तथा भविष्य की ऐसी अवधि में वसूल किया जायेगा जो आयोग द्वारा निर्देशित की जाये।

(10) एफ सी ए प्रभार का परिकलन निम्नलिखित फार्मूला के अनुसार किया जायेगा :
औसत एफ सी ए प्रभार (रू0/ के डब्ल्यू एच) त्र ;एफ सी ए/मीटरीकृत विक्रय अनमीटरीकृत उपभोक्ता आंकलन अधिवितरण हानियॉ) ' 10
अधिवितरण हानि त्र ऊर्जा लागत त्र ऊर्जा विक्रय – (आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट वितरण हानि 'ऊर्जा उपगत)

(11) श्रेणीवार एफ सी ए प्रभार (रू0/के डब्ल्यू एच) निम्नलिखित फार्मूला के आधार पर परिकलित किये जायेंगे:—
औसत एफ सी ए (रू0/के डब्ल्यू एच में) वर्ष के लिये ग शुल्क आदेश में अनुमोदित वितरण अनुज्ञापी की औसत बिलिंग दर (ए वी आर) (रू0/के डब्ल्यू एच में)/वर्ष के लिये शुल्क आदेश के अनुमोदित उपभोक्ता की औसत बिलिंग दर ;।ठत्द्ध (रू0/के डब्ल्यू एच में)।

84. प्रचालन एवं अनुरक्षण व्यय

(1) प्रचालन एवं अनुरक्षण (ओ एंड एम) व्ययों में निम्नलिखित का समावेश होगा:
(ए) वेतन, मजदूरी, पेंशन अंशदान व अन्य कर्मचारी लागतें।
(बी) बीमा प्रभार, यदि कुछ है के साथ प्रशासनिक व सामान्य व्यय।
(सी) मरम्मत व रख—रखाव व्यय।

(2) नियन्त्रण अवधि के प्रथम वर्ष के लिए ओ एंड एम व्यय, कुशल जांच व आयोग द्वारा उपयुक्त समझे गये किसी अन्य कारक के अधीन आधार वर्ष तक पिछले पांच वर्षो के लिए वास्तविक ओ एंड एम व्ययों को ध्यान में रखते हुए आयोग द्वारा अनुमोदित किये जायेंगे।

(3) n^{th} वर्ष के लिए तथा साथ नियन्त्रण अवधि से ठीक पहले वर्ष अर्थात 2012–13 के लिए ओ एंड एम व्यय नीचे दिये फार्मूला के आधार पर अनुमोदित किये जायेंगे:

O & Mn = R & Mn + EMPn +A & Gn ३

जहॉ,

- O & Mn = n^{th} वर्ष के लिये प्रचालन एवं अनुरक्षण व्यय
- EMPn = n^{th} वर्ष के लिये कर्मचारी लागतें
- R & Mn = n^{th} वर्ष के लिये मरम्मत व रखरखाव लागतें
- A & Gn = n^{th} वर्ष के लिये प्रशासनिक व सामान्य लागतें

(4) उपरोक्त घटकों का संगणन नीचे दिये तरीके से किया जायेगा :

EMPn = (EMPn-1) x (1+Gn) x (CP nblation)

R & Mn = K (GNAn-1) x (WPl nblation)+ Provision

A & Gn = (A & Gn)x = (WPl nblation)+ Provision

जहॉ,

- EMPn-1 = (n-1) वर्ष के लिये कर्मचारी लागतें
- A & Gn-1 =(n-1) वर्ष के लिये प्रशासनिक एवं सामान्य लागतें
- Provision = वितरण अनुज्ञापी द्वारा प्रस्तावित तथा आयोग द्वारा प्रमाणित एक समय व्ययों या पहलों के लिये लागत।
- 'K" आयोग द्वारा % में विनिर्दिष्ट एक स्थिकांक है। नियन्त्रण अवधि के लिए K का मूल्य, पूर्व में आयोग द्वारा अनुज्ञापी के अनुमोदित जी एफ ए के मुकाबले में अनुमोदन मरम्मत एवं रख–रखाव, रख–रखाव व्यय, रख–रखाव व्ययों के तल चिन्हीकरण, फाइलिंग तथा आयोग द्वारा उपयुक्त समझे सके किसी अन्य कारक के आधार पर एम वाय टी शुल्क आदेश में आयोग द्वारा अवधारित होगा।

- CPInblation = ठीक पूर्व तीन वर्षो के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सी पी आई) में औसत वृद्वि है।
- Inflation = ठीक पूर्व तीन वर्षो के लिए थोक मूल्य सूचकांक (सी पी आई) में औसत वृद्वि है।
- CF An-1 = na-1 th वर्ष के लिए पारेषण अनुज्ञापी की कुल स्थिर आस्तियां।
- Gn = nth वर्ष के लिए एक वृद्वि कारक है। Gn का मूल्य, अनुज्ञापी की फाईलिंग, तल चिह्नीकरण तथा आयोग द्वारा उपयुक्त समझे गये किसी अन्य कारक के आधार पर अतिरिक्त जनशक्ति की आवश्यकता पूरी करने के लिए एम वाय टी शुल्क आदेश में आयोग द्वारा अवधारित किया जायेगा।

  परन्तु अवधारित मरम्मत एवं रख–रखाव व्यय केवल मरम्मत एवं रख–रखाव कार्यों के लिए ही उपयोग में लाये जायेंगे।

85. उपभोक्ता प्रतिभूति जमाओं पर ब्याज

उपभोक्ता प्रतिभूति जमाओं पर ब्याज, समय समय पर आयोग द्वारा निर्धारित दर होगा।

86. गैर शुल्क आय

आयोग द्वारा अनुमोदित वितरण कारोबार तथा/या खुदरा आपूर्ति कारोबार से संबंधित गैर शुल्क आय की राशि, वितरण अनुज्ञापी विद्युत खुदरा विक्रय से राजस्व आवश्यकता के परिकलन में कुल राजस्व आवश्यकता से कटायी जायेगी:

परन्तु वितरण अनुज्ञापी, शुल्क के अवधाण हेतु आवेदन के साथ आयोग को अपनी गैर शुल्क आय का पूर्वानुमान का पूर्ण विवरण प्रस्तुत करेगा।

गैर शुल्क आय के लिये विचार हेतु विभिन्न शीर्षो की सांकेतिक सूची निम्नलिखित होगी:

(ए) भूमि या भवनों के किराये से आय।

(बी) रद्दी के विक्रय से आय।

(सी) सांविधिक निवेशों से आय।

(डी) बिलों पर विलंबित या आस्थगित भुगतानों पर ब्याज।

(ई) आपूर्तिकर्ताओं/संविदाकारों को अग्रिम पर ब्याज।

(एफ) स्टाफ क्वार्टर्स से किराया।

(जी) संविदाकारों से किराया।

(एच) संविदाकारों व अन्यों से किराया प्रभार से आय।

(आई) विज्ञापनों इत्यादि से आय।

(जे) विभिन्न प्राप्तियाँ

(के) आपूर्तिकर्ताओं की अग्रिम पर ब्याज।

(एल) भौतिक सत्यापन पर अधि प्राप्ति।

(एम) पूर्व अवधि आय।

87. व्हीलिंग प्रभारों से आय।

समय–समय पर संशोधित उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग (राज्यान्तर्गत उन्मुक्त अभिगमन के निबंधन एवं शर्तें) विनियम, 2010 के अनुसार आयोग द्वारा अनुमोदित व्हीलिंग प्रभारों से किसी आय की राशि, वितरण अनुज्ञापी के विद्युत के खुदरा विक्रय से राजस्व आवश्यकता के परिकलन में कुल राजस्व आवश्यकता से घटायी जायेगी।

88. अन्य कारोबारों से आय।

जहाँ वितरण अनुज्ञापी किसी अन्य कारोबार में संलिप्त हो वहाँ ऐसे अन्य कारोबार की सभी प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष लागतों को घटाने के पश्चात् ऐसे अन्य कारोबार से प्राप्त राजस्वों के एक तिहाई के बराबर राशि, वितरण अनुज्ञापी के विद्युत के खुदरा विक्रय से राजस्व आवश्यकता के परिकलन में कुल राजस्व आवश्यकता से घटायी जायेगी।

परन्तु वितरण अनुज्ञापी, वितरण कारोबार व अन्य कारोबार के मध्य अभी संयुक्त साझा लागतों के आबंटन के लिए एक युक्तियुक्त आधार अपनायेगा तथा शुल्क आवेदन हेतु अपने आवेदन के साथ आयोग के पास सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा विधिवत संपरीक्षित व प्रमाणित आबंटन विवरणी जमा करेगा।

परन्तु आगे यह कि एक बार आयोग द्वारा विनियामक लेखों के प्रस्तुतीकरण हेतु विनियम अधिसूचित हो जाने पर, शुल्क अवधारण व सहीकरण के लिए आवेदन, विनियामक लेखों पर आधारित होना चाहिये।

परन्तु आगे यह भी कि जहाँ ऐसे अन्य कारोबार की प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष लागतों का कुल योग ऐसे अन्य कारोबार से या किसी अन्य कारण से प्राप्त राजस्व से अधिक हो जाता है, वहाँ ऐसे अन्य कारोबार के कारण वितरण अनुज्ञापी की कुल राजस्व आवश्यकता में किसी राशि के जोड़े जाने की अनुमति नहीं होगी।

89. प्रति सहायिकी अधिभार तथा अतिरिक्त अधिभार प्रभार के कारण प्राप्तियॉ।

(1) समय–समय पर संशोधित उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग (राज्यान्तर्गत उन्मुक्त अभिगमन के निबंधन एवं शर्तें) अधिनियम, 2010 के अनुसार आयोग द्वारा अनुमोदित प्रति सहायिकी अधिभार के द्वारा वितरण अनुज्ञापी द्वारा प्राप्त राशि, ऐसे वितरण अनुज्ञापी के विद्युत के खुदरा विक्रय से राजस्व आवश्यकता के परिकलन में कुल राजस्व आवश्यकता में से घटायी जायेगी।

(2) वितरण अनुज्ञापी द्वारा समय–समय पर संशोधित उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग (राज्यान्तर्गत उन्युक्त अधिगमन के निबंधन एवं शर्तें) अधिनियम, 2010 के अनुसार आयोग द्वारा अनुमोदित, ऐसे वितरण अनुज्ञापी से अन्यथा अनुज्ञापी या उत्पादक कंपनी से विद्युत की आपूर्ति चुनने वाले ऐसे वितरण अनुज्ञापी के उपभोक्ताओं से अतिरिक्त अधिभार के द्वारा प्राप्त राशि, ऐसे वितरण के विद्युत के खुदरा विक्रय से राजस्व आवश्यकता के परिकलन में कुल राज़स्व आवश्यकता से घटायी जायेगी।

90. राज्य सरकार सहायिकी।

(1) यदि राज्य सरकार, अग्रिम में या शुल्क फाईल करते समय उपभोक्ताओं की किसी विशेष श्रेणी के लिये विद्युत अधिनियम की धारा 65 के अधीन सहायिकी घोषित करती है तो आयोग दो शुल्क अनुसूची अधिसूचित करेगा, एक सहायिकी के साथ तथा दूसरी बिना सहायिकी के।

(2) यदि राज्य सरकार, शुल्क आदेश की अधिसूचना के पश्चात् उपभोक्ताओं की किसी विशेष श्रेणी के लिये सहायिकी घोषित करती है तो अनुज्ञापी इस शुल्क में सम्मिलित करेगा तथा संशोधित शुल्क अनुसूची को आयोग के अनुमोदन हेतु प्रस्तुत करेगा।

परन्तु सरकार की उपबंधित या घोषित सहायिकी के साथ भुगतान की समय अनुसूची, सहायिकी के भुगतान का माध्यम तथा इमदादी श्रेणियों में सहायिकी राशि के वर्गीकरण के दस्तावेजी साक्ष्य होगा।

(3) सरकार द्वारा सहायिकी के संवितरण न करने या विलंबित संवितरण के मामले में, अनुज्ञापी ऐसी शुल्क अनुसूची के अनुसार उपभोक्ताओं को प्रभारित करेगा जिसे आयोग द्वारा सरकारी सहायिकी के बिना अनुमोदित किया गया है।

91. वर्तमान शुल्क पर राजस्व।

(1) उपभोक्ताओं को विद्युत की आपूर्ति से राजस्व का निर्धारण, उपभोक्ताओं की विभिन्न श्रेणी तथा उनको विक्रय किये जाने के लिए आंकलित विद्युत की मात्रा के आधार पर किया जायेगा।

(2) शुल्क वर्ष के लिये, शुद्व ए आर आर तथा प्रचलित शुल्क पर पूर्वानुमानित राजस्व के मध्य का अंतर, राजस्व अन्तराल कहलायेगा।

(3) राजस्व अंतराल को आयोग द्वारा अनुमोदित, दक्षता में सुधार, सुरक्षितियों का उपयोग, शुल्क परिवर्तन इत्यादि जैसे अवयवों से भरा जायेगा।

92. आपूर्ति की लागत।

विभिन्न श्रेणियों/वोल्टेज्ज के लिये शुल्क को तलचिह्नित किया जायेगा तथा यह, अपने प्रचालन में वितरण अनुज्ञापी द्वारा किया बुद्धिमतापूर्वक उपगत लागतों पर आधारित लागत को उत्तरोत्तर प्रक्षेपित करेगा। आपूर्ति की श्रेणी वार/वोल्टेजवार लागत में भार कारक, वोल्टेज, तकनीकी व वाणिज्यिक हानियों की सीमा इत्यादि जैसे कारक होंगे। उच्च वोल्टेज पर विद्युतत प्राप्त कर रहे उपभोक्ता, आयोग द्वारा तय की गई उपयुक्त छूट के हकदार होंगे। तथापि, श्रेणीवार/वोल्टेजवार आपूर्ति की लागत युक्तियुक्त रूप से स्थापित करने वाले जानकारी की उपलब्धता विलंबित रहने तक शुल्कों के अवधारण हेतु आपूर्ति की औसत लागत का उपयोग तलचिह्न के रूप में किया जायेगा।

93. खुदरा आपूर्ति शुल्क का अवधारण।

(1) विद्युत की खुदरा आपूर्ति हेतु शुल्क का अवधारण करते समय आयोग, अधिनियम की धारा 61 व 62 के उपबंधों से दिशा निर्देशत होगा।

(2) आयोग, शुल्क का अवधारण करते समय विद्युत के किसी उपभोक्ता को अनुचित अधिमान नहीं देगा किंतु उपभोक्ता के भार कारक, वोल्टेज, किसी विनिर्दिष्ट अवधि या समय जिसमें आपूर्ति की आवश्यकता है, के दौरान विद्युत के कुल उपभोग या किसी क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति, आपूर्ति का स्वभाव तथा प्रयोजन जिस के लिये आपूर्ति आवश्यक है, के अनुसार भेद करेगा।

(3) शुल्क याचिका में वितरण अनुज्ञापी, उपभोक्ताओं की विभिन्न श्रेणी के लिये उपयुक्त शुल्क संरचना प्रस्तावित करेगा। वितरण अनुज्ञापी इसके अतिरिक्त ऐसे कार्यान्वयन के लिए उसके द्वारा समझी गई श्रेणियों के लिये के वी ए एच/टी ओ डी आधारित शुल्क प्रस्तावित करेगा।

(4) आयोग, एक सरल, समझने में आसान व तर्क संगत शुल्क संरचना विकसित करने के लिए श्रेणियों व उप श्रेणियों को विलीन करेगा।

94. वितरण अनुज्ञापी का कार्य निष्पादन।

(1) अपने उपभोक्ताओं को वितरण अनुज्ञापी द्वारा प्रदत्त सेवा की गुणवत्ता एक महत्वपूर्ण अनुचिंतन होगा तथा इसका निर्णय, आयोग द्वारा तय किये गये कार्य निष्पादन के मानकों के वित्तरण अनुज्ञापी द्वारा अनुपालन की सीमा द्वारा तय किया जायेगा।

(2) आयोग, एक पृथक आदेश द्वारा आपूर्ति उपलब्धता, तारों की उपलब्धता, ट्रांसपोर्ट विफलता दर में कमी, वोल्टेज अंसतुलन में कमी, अकार्यरत/त्रुटिपूर्ण मीटरों इत्यादि में कमी इत्यादि जैसी वितरण प्रणाली के तकनीकी सुधार के लिये दीर्घावधि लक्ष्य निर्धारित करेगा।

भाग–3

एस एल डी सी प्रभार

95. प्रयोज्यता।

इस भाग के विनिमय, राज्यान्तर्गत पारेषण प्रणाली के उपयोगकर्ताओं अर्थात उत्पादक कंपनियों, अनुज्ञापियों (अर्थात पारेषण, वितरण व ट्रेडिंग कंपनियां तथा उन्मुक्त अभिगमन ग्राहक) पर लागू होंगे जिनका अनुवीक्षण/सेवा राज्य भार प्रेषण केन्द्र (एस एल डी सी)द्वारा होती हैं तथा एस एल डी सी द्वारा संग्रहित किये जाने वाले फीस व प्रभारों के अवधारण हेतु उपयोग किया जाता है।

96. एस एल डी सी के साथ रजिस्ट्रीकरण के लिये आवेदन।

(1) राज्यान्तर्गत पारेषण प्रणाली का प्रत्येक उपयोगकर्ता जो एस एल डी सी के कार्यक्षेत्र के अधीन आता है, रू0 10,000 (दस हजार रूपये) की फीस या समय–समय पर आयोग द्वारा निर्धारित संशोधित फीस के साथ एस एल डी सी के पास आवेदन कर, इन विनियमों के प्रवृत्त होंगे के एक माह के भीतर स्वयं को एस एल डी सी के साथ रजिस्टर करवा देगा।

(2) एस एल डी सी के कार्यक्षेत्र के अधीन आने वाले, राज्यान्तर्गत पारेषण प्रणाली के नये उपयोगकर्ता, उपरोक्त फीस के साथ राज्यान्तर्गत पारेषण प्रणाली के संयोजन की प्रस्तावित तिथि से कम से कम एक माह पूर्व, एस एल डी सी के पास आवेदन प्रस्तुत करेंगे।

(3) आवेदन में दी गई जानकारी के पूर्ण व सही होने की संस्तुति होने के पश्चात् एस एल डी सी अपने अभिलेखों में आवेदन का रजिस्टर करेगा तथा आवेदन को ऐसे रजिस्ट्रीकरण की विधिवत् सूचना देगा।

(4) एस एल डी सी, कंपनी बेब साईट पर एक पृथक बेब पेज पर, राज्यान्तर्गत पारेषण प्रणाली से जुड़े व उसके द्वारा अनुवीक्षण/सेवा पा रहे सभी उपभोकर्ताओं के संबंध में समेकित जानकारी रखेगा।

97. एस एल डी सी प्रभारों के अवधारण हेतु याचिका।

(1) एस एल डी सी, आगामी वर्ष के आरम्भ से अधिकतम् चार माह के भीतर उक्त आगामी वित्त वर्ष के लिये अपनी कुल राजस्व आवश्यकता के परिकलन का पूर्ण विवतरण आयोग को उपलब्ध करायेगा।

(2) नियन्त्रण अवधि के प्रत्येक वित्त वर्ष के लिये एस एल डी सी के कुल वार्षिक व्यय व इक्विटि पर प्रतिफल, इन विनियमों के निबंधनों में अनुमोदित व्ययों व प्रतिफल के आधार पर ज्ञात किये जायेंगे।

(3) एस एल डी सी, इन विनियमों के अनुरूप अनुवीक्षण व सेवा पा रहे राज्यान्तर्गत पारेषण प्रणाली के सभी उपयोगकर्ताओं को प्रभारों का प्रस्तावित आबंटन भी फाईल करेगा। इसके अतिरिक्त एस एल डी सी, इसके द्वारा अनुवीक्षण व सेवा पर रहे राज्यान्तर्गत पारेषण प्रणाली के सभी उपयोगर्ताओं को प्रभारों के आबंटन के लिए प्रस्ताव के साथ कुल राजस्व आवश्यकता के अवधारण हेतु अपनी याचिका की एक प्रति भी अग्रसारित करेगा।

(4) एस एल डी सी, समय–समय पर आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट प्रारूप में, व्ययों व अन्य संबंधित जानकारी के परिकलन का विवरण उपलब्ध करायेगा।

(5) एस एल डी सी, नियन्त्रण अवधि के लिए पूँजी निवेश योजना का विवरण भी प्रस्तुत करेगा। दो करोड़ पचास हजार रूपये से अधिक लागत की पूँजी निवेश योजनाओं के लिये, कार्य के आरम्भ होने से पूर्व ऐसी प्रत्येक योजना के संबंध में आयेाग का अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा।

(6) एस एल डी सी, द्वारा फाईल की गई कुल राजस्व आवश्यकता तथा अन्य विवरणों की संवीक्षा की जायेगी तथा संवीक्षा संवीक्षा के परिणाम स्वरूप, आयोग ऐसी अन्य जानकारी व स्पष्टीकरण मांग सकता है जैसा कि आवश्यक हो।

(7) एस एल डी सी, द्वारा प्रस्तुत जानकारी के अधार पर तथा उचित जॉच संवीक्षा व परामर्शी प्रक्रिया के पश्चात् आयोग, एस एल डी सी के व्ययों को सम्मिलित की गई कुल राजस्व आवश्यकता को अनुमोदित करेगा तथा एल एल डी सी प्रभारों का अवधारण करेगा।

(8) किसी वर्ष में एस एल डी सी प्रभारों के संशोधित न होने की अवस्था में एस एल डी सी प्रभारों की वसूली में किसी परिवर्तन (कमी या अधिकता) को अगले वित्त वर्ष में अग्रनीत किया जायेगा तथा आयोग द्वारा निर्धारित तिथि अनुसार समायोजित किया जायेगा।

(9) एस एल डी सी, आयोग द्वारा निर्धारित किये अनुसार प्रचालक व लागत डाटा के समावेश के साथ आवधिक विवरणी जमा करेगा।

(10) एस एल डी सी, प्रभारों के अवधारण हेतु सभी फाईलिंग व आवेदन, इन विनियमों के किये अनुबंध किये जायेंगे।

98. एस एल डी सी प्रभारों का उद्ग्रहण।

अधिनियम की धारा 31 के अधीन राज्य सरकार द्वारा स्थापित एस एल डी सी द्वारा उपगत सभी व्ययों का लेखाकरण पृथक रूप से किया जायेगा।

परन्तु यदि इन विनियमों के प्रकाशन की तिथि, पर राज्य पारेषण यूटिलिटी (एस टी यू) राज्य भार प्रेषण केन्द्र का प्रचालन कर रही है तथा अधिनियम की धारा 31 के उप खण्ड 2 के अधीन उपबंधित किये अनुसार कार्यों का निष्पादन कर रही हैं तो एस टी यू, राज्य भार प्रेषण केन्द्र के प्रचालन से संबंधित व्ययों के लिये पृथक लेखा रखेगा।

परन्तु आने यह कि जब तक लेखे पृथक नहीं हो जाते तब तक एस टी यू सभी सुसंगत विवरणों के साथ आयोग को प्रस्तुत किये जाने वाले आबंटन विवरण के आधार पर अपनी लागतों का प्रभाजन करेगी।

99. वार्षिक एस एल डी सी प्रभार।

एस एल डी सी द्वारा वसूली किये जाने वाले वार्षिक प्रभारों में इक्विटी पर प्रतिफल के घटक तथा साथ ही निम्नलिखित व्यय सम्मिलित होंगे :—

(ए) ओ एंड एम व्यय।
(बी) इक्विटी पर प्रतिफल।
(सी) अवक्षय।
(डी) पट्टा प्रभार।
(ई) ब्याज एवं वित्त प्रभार।
(एफ) आय कर, यदि है।
(जी) कार्यरत पूँजी पर ब्याज, यदि है।
(एच) एस एल डी सी के कार्यो के निष्पादन में आकस्मिक कोई अन्य व्यय जो आयोग द्वारा उपयुक्त समझे जायें, घटाकर।
(आई) गैर षुल्क आय जिसमें निवेश पर ब्याज, एस एल डी सी प्रभारों से अन्यथा फीस/प्रभार, रद्दी की बिक्री से आय इत्यादि सम्मिलित है किंतु इन तक सीमित नहीं है।

100. प्रचालन एवं अनुरक्षण व्यय।

(1) प्रचालन एवं अनुरक्षण (ओ एडं एम) व्ययों में निम्नलिखित का समावेश होगा।

(ए) वेतन, मजदूरी, पेंशन अंशदान तथा अन्य कर्मचारी लागतें।

(बी) बीमा प्रभार, यदि है, के साथ प्रशासनिक व सामान्य व्यय।

(सी) मरम्मत एवं रख–रखाव व्यय।

(2) नियन्त्रण अवधि के प्रथम वर्ष के लिए ओ एडं एम व्यय, पूर्व वर्षो के वास्तविक ओ एंड एम व्यय तथा कोई अन्य कारक जिन्हें आयोग उपयुक्त समझे, को ध्यान में रख कर आयोग द्वारा अनुमोदित किये जायेंगे।

(3) n^{th} वर्ष के लिए तथा साथ नियन्त्रण अवधि से ठीक पूर्व वर्ष अर्थात 2012–13 के लिए ओ एंड एम व्यय व्यय निम्नलिखित फार्मूला के आधार पर अनुमोदित किये जायेंगे:

O & Mn = R & Mn + EMPn +A & Gn ॿ

जहॉं,

- O & Mn = nth वर्ष के लिये प्रचालन एवं अनुरक्षण व्यय
- EMPn = nth वर्ष के लिये कर्मचारी लागतें
- R & Mn = nth वर्ष के लिये मरम्मत व रखरखाव लागतें
- A & Gn = nth वर्ष के लिये प्रशासनिक व सामान्य लागतें

(4) उपरोक्त घटकों का संगणन निम्नलिखित तरीके से किया जायेगा :

EMPn = (EMPn-1) x (1+Gn) x (CP nblation)

R & Mn = K (GNAn-1) x (WPl nblation)+ तथा

A & Gn = (A & Gn)x = (WPl nblation)+ Provision

जहॉं,

- EMPn-1 = (n-1) वर्ष के लिये कर्मचारी लागतें
- A & Gn-1 =(n-1) वर्ष के लिंये प्रशासनिक एवं सामान्य लागतें
- Provision = एस एल डी सी द्वारा प्रस्तावित तथा आयोग द्वारा प्रमाणित पहलों के लिए लागत या एक समय व्यय।
- 'K" % में आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट एक स्थिकांक है। नियन्त्रण अवधि के प्रत्येक वर्ष हेतु K का मूल्य, पूर्व में आयोग द्वारा अनुमोदित जी एफ ए के मुकाबले में अनुमोदित मरम्मत एवं रख–रखाव व्यय, मरम्मत रख–रखाव व्ययों के तल चिह्निकरण, एस एल डी सी की फाइलिंग तथा अन्य कोई

कारक जिसे आयोग उचित समझे, के आधार पर एम वाय टी आदेश में आयोग द्वारा अवधारित किया जायेगा।

- CPInblation = ठीक पूर्व तीन वर्षो के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सी पी आई) में औसत वृद्वि है।
- WPIntlation = ठीक पूर्व तीन वर्षो के लिए थोक मूल्य सूचकांक (सी पी आई) में औसत वृद्वि है।
- CF An-1 = na-1 th वर्ष के लिए पारेषण अनुज्ञापी की कुल स्थिर आस्तियां।
- Gn = nth वर्ष के लिए एक वृद्वि कारक है। Gn का मूल्य, एस एल डी सी की फाईलिंग, तल चिहि्नकरण या कोई अन्य कारक जो आयोग उपयुक्त समझे, के आधार पर अतिरिक्त जनशक्ति की आवश्यकता को पूरा करने के लिये एम वाय टी शुल्क आदेश में आयोग द्वारा अवधारित किया जायेगा।

  परन्तु अवधारित मरम्मत एवं रख–रखाव व्ययों का उपयोग केवल मरम्मत एवं रख–रखाव कार्यो के लिए ही किया जायेगा।

101. एस एल डी सी प्रभारों के संग्रहण के लिए आधार।

(1) आयोग द्वारा अवधारित वार्षिक एस एल डी सी प्रभार, संविदाकृत पारेषण क्षमता के आधार पर राज्यान्तर्गत पारेषण प्रभाली का उपयोग करते हुए लाभार्थियों के मध्य आबंटित किये जायेंगे। परन्तु आगे यह कि एस एल डी सी, किन्हीं अन्य विनियमों में विनिर्दिष्ट उपयोगकर्ताओं व ऊर्जा विनियमों के प्रदान की गई किन्हीं अन्य सेवाओं के लिये फीस व प्रभार के उद्ग्रहण हेतु हकदार होगा।

(2) राज्यान्तर्गत पारेषण प्रणाली का उपयोग करने वाले लधु अवधि उन्मुक्त अभिगमन ग्राहक एस एल डी सी को केवल ऐसे अनुसूचक प्रभार का भुगतान करेंगे जो आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट किये जायेंगे।

102. एस एल डी सी प्रभारों के संग्रहण के लिए आधार।

(1) एस एल डी सी, पूर्व माह के अंतिम दिन के पश्चात् साथ दिनों के भीतर प्रत्येक बिलिंग माह के लिये इसके द्वारा अनुवीक्षण व सेवा पर रहे राज्यान्तर्गत पारेषण प्रणाली के उपदेयकर्ताताओं को, आयोग द्वारा अनुमोदित वार्षिक प्रभारों का एक बटा बारहवां की दर से आवश्यक मासिक बिल प्रस्तुत करेगा।

(2) लाभार्थी, बिल की प्राप्ति की तिथि से एक माह के भीतर एस एल डी सी को देय धनराशि का भुगतान करेंगे।

(3) एस एल डी सी प्रभारों की बिलिंग से उपजे विवाद, जहाँ तक संभव हो, आपसी सहमति से हल किये जायेंगे। यदि बिलों की प्राप्ति के साथ (60) दिनों के भीतर परस्पर बातचीत से विवाद नहीं सुलझने हैं तो किसी भी पक्ष द्वारा याचिका के माध्यम से मामला आयोग को संदर्भित किया जायेगा। आयोग का निर्णय अंतिम व सभी पक्षों पर बंधकारी होगा।

(4) विवाद के लंबित रहने तक बिल की 90 प्रतिशत राशि का देय तिथि के भीतर अभ्यापतिपूर्वक भुगतान किया जायेगा।

भाग—4

विविध

103. अपवाद।

(1) न्याय का उद्देश्य पूर्ण करने हेतु जैसे इन विनियमों में जैसा कुछ भी आवश्यक हो, आयोग को वैसा आदेश बनाने की शक्ति को अन्यथा प्रभावित करने या सीमित करने वाला नहीं समझा जायेगा।

(2) इन विनियमों द्वारा कुछ भी इन विनियमों के किन्हीं उपबन्धों से भिन्न प्रक्रिया, जो कि अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप है, अपनाने में आयोग के लिये बाधित नहीं होगा, यदि आयोग, उक्त मामले की विशेष परिस्थितियों की दृष्टि से ऐसा मामला या मामले निपटाने हेतु समीचीन समझता हो।

(3) जिनके लिए कोई विनियम नहीं बनाये गये है, ऐसे मामलों में कार्यवाही करने पर या अधिनियम के अंतर्गत शक्तियों का निर्वाह करने में इन विनियमों में कुछ भी अभिव्यक्त या विवक्षित रूप से आयोग के लिये बाधक नहीं होगा तथा ऐसे मामलों में आयोग जैसा उचित व सही समझे, उस प्रकार से इन मामलों में शक्तियों व कर्तव्यों का निर्वाह करेगा।

104. कठिनाईयां दूर करने की शक्तियॉं।

यदि इन विनियमों में प्रावधानों को प्रभावी बनाने में कोई कठिनाई आती है तो आयोग सामान्य या विशेष आदेश द्वारा अधिनियम के अनुरूप, ऐसे निर्देश दे सकता है जो आयोग को कठिनाई दूर करने के लिये आवश्यक या समीचीन लगते हों।

105. संशोधन की शक्तियॉं।

आयोग किसी भी समय इन विनियमों के किसी उपबंध में अभिवर्धन, परिवर्तन, उपान्तरण या संशोधन कर सकता है।

परिशिष्ट–I

परियोजनाओं की पूर्णता के लिये समय रेखा।

[विनियम 27 (2) के प्रथम परन्तुक का संदर्भ लें]

(1) पूर्णता समय अनुसूची, लागू अनुसार पारेषण परियोजना की यूनिट्स या ब्लॉक्स या अंशक के वाणिज्यिक प्रचालन की तिथि, यथास्थिति, कोई (उत्पादक कंपनी या पारेषण अनुज्ञापी के) या सी ई ए की अनुमति द्वारा निवेश अनुमोदन की तिथि से गिनी जायेगी।

(2) निम्नलिखित पैराग्राफ व सारिणियों में समय अनुसूची, माहों में इंगित की गई है :

i) तापीय ऊर्जा परियोजनाएं

कोयला/लिग्नाईट ऊर्जा संयंत्र

यूनिट आकार 200/210/250/300/330 एम डब्ल्यू तथा 125 एम डब्ल्यू सी एफ बी सी प्रौद्यौगिकी

(ए) हरित स्थल परियोजनाओं के लिये 33 माह, पश्चात्वर्ती यूनिट्स प्रत्येक 4 माह के अंतराल पर।

(बी) विस्तार परियोजना के लिये 31 माह, पश्चात्वर्ती यूनिट्स प्रत्येक 4 माह के अंतराल पर।

यूनिट आकार 250 एम डब्ल्यू सी एफ बी सी प्रौद्यौगिकी

(ए) हरित स्थल परियोजनाओं के लिये 36 माह, पश्चात्वर्ती यूनिट्स प्रत्येक 4 माह के अंतराल पर।

(बी) विस्तार परियोजना के लिये 34 माह, पश्चात्वर्ती यूनिट्स प्रत्येक 4 माह के अंतराल पर।

यूनिट आकार 500/600 एम डब्ल्यू

(ए) हरित स्थल परियोजनाओं के लिये 44 माह, पश्चात्वर्ती यूनिट्स प्रत्येक 6 माह के अंतराल पर।

(बी) विस्तार परियोजना के लिये 42 माह, पश्चात्वर्ती यूनिट्स प्रत्येक 6 माह के अंतराल पर।

यूनिट आकार 600/800 एम डब्ल्यू

(ए) हरित स्थल परियोजनाओं के लिये 52 माह, पश्चात्वर्ती यूनिट्स प्रत्येक 6 माह के अंतराल पर।

(बी) विस्तार परियोजना के लिये 50 माह, पश्चात्वर्ती यूनिट्स प्रत्येक 6 माह के अंतराल पर।

संयुक्त चक्र ऊर्जा संयंत्र

100 एम डब्ल्यू तक गैस टर्बाईन आकार (आई एस ओ रेटिंग)

(ए) हरित स्थल परियोजनाओं के प्रथम ब्लाक के लिये 26 माह, पश्चात्वर्ती यूनिट्स प्रत्येक 2 माह के अंतराल पर।

(बी) विस्तार परियोजना के प्रथम ब्लाक के लिये 2 माह, पश्चात्वर्ती यूनिट्स प्रत्येक 6 माह के अंतराल पर।

100 एम डब्ल्यू से ऊपर तक गैस टर्बाईन आकार

(आई एस ओ रेटिंग)

(ए) हरित स्थल परियोजनाओं के प्रथम ब्लाक के लिये 30 माह, पश्चात्वर्ती यूनिट्स प्रत्येक 4 माह के अंतराल पर।

(बी) विस्तार परियोजना के प्रथम ब्लाक के लिये 4 माह, पश्चात्वर्ती यूनिट्स प्रत्येक 6 माह के अंतराल पर।

100 एम डब्ल्यू से ऊपर तक गैस टर्बाईन आकार

(आई एस ओ रेटिंग)

ii) जल विद्युत परियोजनायें

जल विद्युत परियोजनाओं के लिए अर्हता समय, अधिनियम की धारा 8 के अधीन केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा जारी मूल सहमति में उल्लिलिखत किये गये अनुसार होगा।

ए) पारेषण योजनाएं

क्र0 सं0	पारेषण कार्य	मैदानी क्षेत्र (माह)	पहाड़ी भू–भाग (माह)	हिमाच्छादित क्षेत्र /अत्यन्त दुर्गम भू–भाग (माह)
ए	400 केवीडी/सी चौहरी पारेषण लाईन			
बी	400 केवीडी/सी तौहरी पारेषण लाईन			
सी	400 केवीडी/सी दोहरी पारेषण लाईन			
डी	400 केवीएस/सी चौहरी पारेषण लाईन			
ई	220 केवी/132 केवीडी/सी दोहरी पारेषण लाईन			
एफ	220 केवी/132 केवीडी/सी पारेषण लाईन			
जी	220 केवी/132 केवीएस/सी पारेषण लाईन			
एच	नया 220 केवी/132 एसी उप स्टेशन			
आई	नया 400 केवी एसी उप स्टेशन			

टिप्पणियां

i) उपरोक्त प्रकार के संयोजन वाली योजनाओं के मामलों में, अधिकतम समयावधि वाली गतिविधि को अर्हता समय अनुसूची पर पूर्ण रूपयोजना के लिये विचार किया जायेगा।

ii) यदि कोई पारेषण लाईन मैदानी व साथ ही पहाड़ी भू–भाग/हिमाच्छादित क्षेत्र/अत्यन्त दुर्गम भू–भूभाग में पड़ती है तो संयोजित अर्हता समय अनुसूची कर परिकलन, प्रत्येक क्षेत्र में पड़ने वाली लाईन की लंबाई को अनुपातिक भार प्रदान करते हुए किया जायेगा।

परिशिष्ट–2 अवक्षय अनुसूची

परियोजनाओं की पूर्णता के लिये समय रेखा।

[विनियम 29 (5) का संदर्भ लें]

क्र0 सं0	विवरण	अवक्षय एस एन एम
ए	पूर्ण स्वामित्व के अधीन भूमि	
बी	पट्टे के अधीन भूमि	
ए	भूमि में निवेश हेतु	
बी	स्थल के सफाई हेतु लागत	
सी	जल विद्युत उत्पादक स्टेशन के मामले में जलाशय हेतु भूमि	
सी	नयी क्रय की गई आस्तियां	
ए	उत्पादन स्टेशनों में पी–1 मशीनरी	
i)	जल विद्युत	
ii)	भाप विद्युत एन एच आर बी तथा अपशिष्ट ताप रिकवरी बायलर्स	
iii)	डीजल इलैक्ट्रिक व गैस संयंत्र	
बी	कूलिंग टावर्स व सर्कुलेटिंग वाटर प्रणाली	
सी	हायड्रो का भाग संरचित करने वाले हायड्रैलिक कार्य	
i)	बांध, स्पिलवेज, वीयर्स, नहरें, प्रबलित कंक्रीट	
ii)	प्रबलित कंक्रीट पाईप लाईन्स व सर्ज टैंक्स, स्टील	
डी	भवन व सिविल इंजीनियरिंग कार्य	
i)	कार्यालय व शोरूम	
ii)	ताप विद्युत उत्पादक संयंत्र अंतर्विष्ट	
iii)	जल विद्युत उत्पादक संयंत्र अंतर्विष्ट	
iv)	काष्ठ संरचना जैसे अस्थायी निर्माण	
v)	कच्चे मार्गों से अन्यथा अन्य मार्ग	
vi)	अन्य	
ई	ट्रांसफार्मर्स, किओस्क, उप–स्टेशन उपकरण व अन्य	
i)	100 की रेटिंग वाली नींव सहित ट्रांसफार्मर्स	
ii)	अन्य	
एफ	केबिल कनैक्शन सहित स्विच गियर	
जी	लाईटनिंग एरेस्टर	

i)	स्टेशन प्रकार	
ii)	पोल प्रकार	
iii)	सिन्क्रोंवस कन्डेन्सर	
एच	बैटरीज	
i)	ज्वाइंट बाक्सेज सहित अंडरग्राउंड केवल और	
ii)	केवल डक्ट प्रणाली	
iii)	प्रबलित कंक्रीट समर्थन पर स्टील पर लाईनें	
iv)	उपचारित काष्ठ समर्थन पर लाईनें	
जे	मीटर्स	
के	स्वतः चालित वाहन	
एल	वतानुकूलित संयंत्र	
i)	स्थिर	
ii)	वहनीय	
एम		
i)	कार्यालय फर्नीचर व सुसज्जा	
ii)	कार्यालय उपकरण	
iii)	फिटिंग व उपकरणों के साथ आंतरिक वायरिंग	
iv)	स्ट्रीट लाईट फिटिंग	
एन	किराये पर दिये उपकरण	
i)	मोटर्स से अन्यथा	
ii)	मोटर्स	
ओ	संचार उपलब्ध	
i)	रेडियो व उच्च फ्रीक्वेन्सी कैरियर प्रणाली	
ii)	टेलीफोन लाईनें व टेलीफोन	
पी	आई.टी. उपकरण	
क्यू	कोई अन्य आस्ति जो उपरोक्त में सम्मिलित न हो।	

परिशिष्ट–3

विभिन्न जल विद्युत उत्पादक स्टेशनों के मानकीय वार्षिक संयंत्र उपलब्धता कारक (एन ए पी ए एफ) के अवधारण हेतु दिशानिर्देश।

विभिन्न जल विद्युत उत्पादक स्टेशनों के मानकीय वार्षिक संयंत्र उपलब्धता कारक (एन ए पी ए एफ) का अवधारण निम्नलिखित मापदण्ड/दिशानिर्देश के आधार पर होगा।

i) 8% तक के न्यूनतम् ड्रा डाउन स्तर (एमडीडीएल) तथा पूर्ण जलाशय स्तर (एफ आर एल) के मध्य हैड–वेरिएशन के साथ स्टोरेज व पौण्डेज प्रकार के संयंत्र जहाँ मिट्टी के कारण संयंत्र उपलब्धता प्रभावित न होती हो। 90%

ii) 8% से अधिक के न्यूनतम् ड्रा डाउन स्तर तथा पूर्ण जलाशय स्तर के मध्य हैड वेरियेशन के साथ स्टोरेज व पौण्डेज प्रकार के संयंत्र जहाँ मिट्टी के कारण संयंत्र उपलब्धता प्रभावित न होती हो वहाँ डी पी आर (सी ई ए या राज्य सरकार द्वारा अनुयोजित) में परियोजना प्राधिकारियों द्वारा उप बंधित माह वार पीकिंज क्षमता एन ए पी ए एफ के निर्धारण का आधार संरक्षित करेगी। इसे निम्नलिखित उदाहरण द्वारा स्पष्ट किया गया है।

प्रस्तावित क्षमता : 4 x 250 एम डब्ल्यू

माह	प्रत्येक 3 घंटा पीकिंग क्षमता का अपेक्षित औसत
अप्रैल	
मई	
जून	
जुलाई	
अगस्त	
सितम्बर	
अक्टूबर	
नवम्बर	
दिसम्बर	
जनवरी	
फरवरी	
मार्च	

अपेक्षित दैनिक क्षमता का भारित औसत 790 = एम डब्ल्यू

पीकिंग क्षमता इस अवधारणा पर आधारित है कि एक यूनिट, मई, जुलाई, फरवरी व मार्च के माहों के दौरान वार्षिक रख–रखाव के अधीन होगी।

वर्ष के दौरान फोर्स्ड आउटेजेड के कारण संयंत्र क्षमता पर 2% की छूट का विचार करते हुए अपेक्षित औसत पीकिंग क्षमता 790 = एम डब्ल्यू

इस प्रकार, एन ए पी ए एफ 790/100 = 77%

iii) पौण्डेज प्रकार के संयंत्र, जहॉ संयंत्र उपलब्धता मिट्टी के कारण पर्याप्त रूप से प्रभावित होती है वहॉ 5% तक का अंतर अनुमन्य किया गया है तािी एन ए पी ए एफ 85% होगी।

iv) शुद्व रूप से रन आफ रिवर प्रकार के संयंत्रों के मामले में, एल ए पी ए एफ का अवधारक, परियोजना की डी पी आर में अनुमोदित इसके 90% निर्भरता योग्य 10 दैनिक इन फ्लो पैटर्न के आधार पर अवधारित होगा।

v) विशेष परिस्थितियों, अर्थात असामान्य मिट्टी की समस्या या अन्य प्रचालन परिस्थितियों या ज्ञात संयंत्र की सीमाओं के अधीन एन ए पी ए आर का अवधारण करते समय आयोग द्वारा अतिरिक्त छूट दी जायेगी।

vi) एफ आर एल और एम डी डी एल के मध्य हैड वेरियेशन 8% से अधिक होने पर निम्नलिखित गुणांक कारक लागू किये जायेंगे।

हैड–वेरिवेशन हेतु गुणांक कारक = (Head at MDDL/Rated Head) x 0.5+0.52

परिशिष्ट–4

पारेषण प्रणाली उपलब्धता के परिकलन हेतु प्रकिया।

[विनियम 64 (ii) के नोट (बी) का संदर्भ लें]

(1) पारेषण प्रणाली की उपलब्धता के परिकलन के प्रयोजन हेतु पारेषण अवयवों को निम्नलिखित श्रेणियों में रखा जायेगा:

i) ए सी पारेषण लाईनें : ए सी पारेषण लाईन का प्रत्येक सर्किट एक अवयव माना जायेगा।

ii) इन्टर कनेक्टिंग ट्रांसफार्मर्स (आई सी टीज): प्रत्येक आई सी टी बैंक (तीन एकल फेज ट्रांसफार्मर साथ में) एक अवयव संरचित करेंगे।

iii) 'स्थिर वी ए आर कम्पन्सेटर (एस वी सी): एस वी सी ट्रांसफार्मर के साथ में एस वी सी एक अवयव संरचित करेगा। तथापि, इन्डक्टिव को 50 प्रतिशत तथा कैपेसिटिव रेटिंग को 50 प्रतिशत श्रेय दिया जायेगा।

iv) स्विचड बस रिएक्टर रू प्रत्येक स्विच्ड बस रिएक्टर को एक अवयव माना जायेगा।

v) एच वी डी सी लिंक्स दोनों छोरों पर सहायक उपकरण के साथ एच वी डी सी लिंक कर प्रत्येक पोल एक अवयव माना जायेगा।

vi) एच वी डी सी कैक टू बैक स्टेशन: एच वी डी सी बैक टु बैक स्टेशन का प्रत्येक ब्लॉक एक अवयव माना जायेगा। यदि सहायक ए सी लाईन (एच वी डी सी बैक टु बैक स्टेशन के माध्यम से अंतर क्षेत्रीय ऊर्ज़ा के अन्तरण हेतु आवश्यक) उपलब्ध नहीं है तो बैक टु बैक स्टेशन ब्लॉक भी अनुपलब्ध समझा जायेगा।

1. पारेषण प्रणाली की उपलब्धता का निम्नलिखित तरीके से किया जायेगा:

ए सी प्रणाली के लिये % प्रणाली उपलब्धता $= \dfrac{Ox\ AVO+9xAV9+AVR+SxAVr}{O+9+r+S} = 100$

एच वी डी सी प्रणाली के लिये % प्रणाली उपलब्धता $= \dfrac{P\ x\ AVr + t\ x\ AVt}{p+t} = 100$

जहॉ,

o = ए सी लाईनों की कुल संख्या

AVO = ए सी लाईनों की 0 संख्या की उपलब्धता

p = एच वी डी सी पोल्स की कुल संख्या

AVp = एच वी डी सी पोल्स की p संख्या की उपलब्धता

a = आई सी टीज की कुल संख्या

Avq = आई सी टीज की q संख्या की उपलब्धता

r = एस वी सीज की कंल संख्या

AVr = एस वी सीज की r संख्या की उपलब्धता

s = स्विच्ड बेस रिएक्टर की कुल संख्या

AVs = स्विच्ड बेस रिएक्टर्स की s संख्या की उपलबधता

t = एच वी डी सी बैक टु बैक स्टेशन ब्लॉक्स की कुल संख्या

AVt = एच वी डी सी बैक टु बैक स्टेशन ब्लॉक्स t की संख्या की उपलब्धता

2. पारेषण अवयवों की प्रत्येक श्रेणी के लिये भार कारक निम्नलिखित अनुसार होगा:

(डी) ए सी लाईन के प्रत्येक सर्किट के लिये

i) सर्किट के एम द्वारा गुणित अवकम्पन्सेटैड लाईन हेतु सर्च इम्पेन्डेन्स लोडिंग (एस आई एल)

ii) विभिन्न वोल्टेज स्तरों तथा कंडक्टर कान्फिगरेशन के लिये एस आई एल रेटिंग नीचे दी गई है। तथापि जिनके लिये वोल्टेज स्तर तथा/या कंडक्टर कान्फिगरेशन यहां नहीं दिया गया है उनका उपलब्धता परिकलन के लिये तकनीकी लिहाज के आधार पर उपयुक्त एस आई एल उपयोग किया जायेगा तथा लाभार्थी को सूचित किया जायेगा।

ए सी लाईनों की सर्च इम्पेन्डेन्स लोडिंग

क्र० सं०	लाईन वोल्टेज (के०वी०)	कंडक्टर कान्फिगरेशनएव	आई एल (एम डब्ल्यू)
1	765	चौहरा बर्सिमिस	2250
2	400	चौहरा बर्सिमिस	691
3	400	दोहरा मूज	525
4	400	दोहरा ए ए ए सी	425
5	400	चौहरा जेबरा	647
6	400	चौहरा ए ए ए सी	646
7	400	तिहरा स्नो बर्ड	605
8	400	ए सी के सी (500/26)	556
9	400	दोहरा ए सी ए आर	557
10	220	दोहरा जेबरा	175
11	220	एकल जेबरा	132
12	132	एकल पैंथर	50
13	66	एकल डौग	10

(ई) प्रत्येक एच वी डी सी पोल के लिये = रेटेड एम डब्ल्यू क्षमता x सर्किट के एम।

(एफ) प्रत्येक आई सी टी बैंक के लिये = रेटेड एम बी ए क्षमता।

(जी) एस बी सी के लिये = रेटेड एम बी ए आर क्षमता (इन्डक्टिव व कैपेसिटिव)।

(एफ) स्विच्ड बस रिएक्टर के लिये = रेटेड एम बी ए क्षमता।

(आई) बैक टु बैक स्टेशन = प्रत्येक ब्लाक की रेटेड एम डब्ल्यू क्षमता।

3. पारेषण अवयवों की प्रत्येक श्रेणी के लिये उपलब्धता का परिकलन, भार कारक, विचाराधीन कुल घंटे तथा उस श्रेणी के प्रत्येक अवयव के लिये अनुपलब्ध घंटों के आधार पर किया जायेगा। पारेषण अवयवों की प्रत्येक श्रेणी की उपलब्धता के परिकलन हेतु फार्मूला निम्नलिखित है :

ए वी ओ (सभी लाईनों की ओ संख्या की उपलब्धता)

ए वी पी (एच वी डी सी पोल्स की पी संख्या की उपलब्धता)

ए वी क्यू (आई सी टीज की क्यू संख्या की उपलब्धता)

ए वी आर (एच वी बीज की आर संख्या की उपलब्धता)

ए वी एस (स्विच्ड बस रिएक्टर्स की एस संख्या की उपलब्धता)

ए वी टी (एच वी डी सी बैक टु बैक ब्लॉक्स की टी संख्या की उपलब्धता)

जहाँ,

Wi = ith पारेषण लाईन के लिये भार कारक

Wi = ith पारेषण लाईन के लिये भार कारक

Wk = kth आई सी टी के लिये भार कारक

W11&WC1 = 1th इन्डक्टिव व कैपेसिटिव प्रचालन के लिये भार कारक

Ti, Tj, Tk, T11, Tc1, Tu & Tn = विचाराधीन अवधि के दौरान (नीचे पैरा 6 में प्रक्रिया में दिये गये कारणों से पारेषण अनुज्ञापी पर उपारोप्य न होने वाले आउटेजेज के लिए समयावधि को छोड़कर) ith ए सी लाईन, ith एच वी डी सी पोल, kth आई सी टी, Lth एस वी सी (इन्डक्टिव प्रचालन), Lth एस वी सी (कैपेसिटिव प्रचालन), mth स्वच्छ बस रिएक्टर तथा nth एच वी डी सी बैक टु बैक ब्लॉक के कुल घंटे।

TNAi, TNAi, TNAK, TNAIL, TNAm TNAn = ith ए सी लाईन, ith एच वी डी सी पोल, kth आई सी टी, Lth एस वी सी (इन्डक्टिव प्रचालन), Lth एस वी सी (कैपेसिटिव प्रचालन), mth स्विच्ड बस रिएक्टर तथा nth एच वी डी सी बैक टु बैक ब्लॉक के लिए अनुपलब्धता घंटे (नीचे पैरा 5 में दी गई प्रक्रिया के अनुसार उपलब्धता के रूप में ली गई, पारेषण अनुज्ञापी पर उपारोप्य न हो कभी आउटेजेज के लिये समयावधि को छोड़कर)

4. पारेषण अनुज्ञापी पर उपारोप्य न होने वाले निम्नलिखित कारणों से आउटैज के अर्थात् पारेषण अवयव, उपलबध माने जायेंगे।

(ए) अपनी पारेषण प्रणाली के अनुरक्षण या निर्माण के लिये अन्य अभिकरण/अभिकरणों द्वारा उपयोग किये गये पारेषण अनुज्ञापी के पारेषण अवयवों की बंदी।

(बी) अति वोल्टेज के कारण पारेषण अनुज्ञापी की मैनुअल ट्रिपिंग तथा एस एल डी सी/आर एच डी सी के निर्देशों के अनुसार स्विच्ड बस रिएक्टर की मैनुअल ट्रिपिंग।

5. निम्नलिखित आकिस्मकताओं के लिए पारेषण अनुज्ञापी के पारेषण अवयवों का आउटेज समय, विचाराधीन अवधि के अधीन अवयव के कुल समय में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

(ए) दैवीय या अपरिहार्य कारणों, जो पारेषण अनुज्ञापी के नियन्त्रण के बाहर हों, से अवयवों की आउटेज तथापि, एस एल डी सी को यह संतुष्ट कराने का भार पारेषण अनुज्ञापी का होगा कि अवयवों की आउटेज उक्त घटनाओं के कारण हुई न कि डिजायन विफलता के कारण। एस एल डी सी द्वारा अवयव के लिये एक युक्तियुक्त पुनःस्थापन समय प्रदान किया जायेगा तथा तत्व के पुनः स्थापन के लिए युक्तियुक्त समय से अधिक लिया गया समय, पारेषण अनुज्ञापी पर उपारोप्य आउटेज समय माना जायेगा। एस एल डी सी, पुनः स्थापन समय का आंकलन करने के लिए पारेषण अनुज्ञापी द्वारा किसी विशेषज्ञ से परामर्श कर सकता है। ई आर एस (के माध्यम से पुनः स्थापित किये गये सर्किटस, उपलब्ध माने जायेंगे)

(बी) ग्रिड प्रसंगति/व्यवधान के कारण आउटेज जो पारेषण अनुज्ञापी पर उपारोप्य न हो, जैसे किसी अन्य अभिकरण के स्वामित्व वाले उप–स्टेशन या बेज में त्रुटि जिसके कारण पारेषण अनुज्ञापी के अवयवों की आउटेज, लाइनों, एच वी डी सी बैक टु बैक स्टेशन्स की ट्रिपिंग इत्यादि होती हो। तथापि, यदि ग्रिड प्रसंगति/व्यवधान को युक्तियुक्त समय के भीतर सामान्य अवस्था में लाते समय, एस एल डी सी/आर एल डी सी से निर्देश प्राप्त होने पर अवयव पुनः स्थापित नहीं किया जाता है तो आउटेज की पूर्ण वअधि में अवयव उपलबध नहीं माना जायेगा तथा आउटेज समय पारेषण अनुज्ञापी पर उपारोप्य होगा।

6. यदि किसी अवयव की आउटेज, केन्द्र/राज्य क्षेत्र स्टेशन (नों) पर उत्पादन की हानि उत्पन्न करती है तो उस अवयव हेतु आउटेज अवधि, उस दिन या उन दिनों जब यह उत्पादन की हानि हुई है, के लिए वास्तविक आउटेज अवधि को दोगुनी समझी जानी चाहिये।

7. यदि किसी अवयव की आउटेज के कारण वितरण अनुज्ञापी के आपूर्ति क्षेत्र में विद्युत कटौनी होती है तो उस तत्व के लिए आउटेज अवधि, उस दिन या उन दिनों जब विद्युत हुई है, के लिए वास्तविक आउटेज अवधि की दोगुनी समझी जायेगी।

8. आयोग से निवेश योजना अनुमोदित करवाते समय दी गई तिथि के बाद किसी पारेषण अवयव की कमीशनिंग में विलंब के मामले में, पारेषण अवयव उस तिथि से कमीशन्ड हुआ माना जायेगा तथा पारेषण की पूर्ण उपलबधता के परिकलन के प्रयोजन से बाधित आउटेज के कारण अनुपलब्ध समझा जायेगा।

परन्तु अपवादी अपरिहार्य मामलों में जहाँ अनुज्ञापी यह साक्ष्य प्रस्तुत करता है कि बिलंब उसके नियन्त्रण से बाहर के कारणों से हुआ है, व आयोग संतुष्ट होगा, वहाँ आयोग जितनी उचित समझे उतनी छूट बिलंब हेतु देगा।

उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग (शुल्क के अवधारण हेतु निबंधन एवं शर्तें) विनियम, 2011

उद्देश्यों व कारणों का विवरण

1. **प्रस्तावना**

1.1. विद्युत अधिनियम, 2003 (इससे आगे "अधिनियम" के रूप में संदर्भित) राज्य विद्युत नियामक आयोग को, अन्य कार्यों के साथ निम्नलिखित कार्य समनुदेशित करता है:

(ए) राज्य के भीतर, यथास्थिति विद्युत के उत्पादन, आपूर्ति व व्हीलिंग, थोक या खुदरा के लिए शुल्क अवधारित करना:

परन्तु जहां धारा 42 के अधीन उपभोक्ताओं की एक श्रेणी के लिए उन्मुक्त अभिगमन की अनुमति दी गयी है वहां राज्य आयोग उपभोक्ताओं की उक्त श्रेणी के लिए केवल व्हीलिंग प्रभार व उन पर अधिभार, यदि कोई है, का ही अवधारण करेगा,

(बी) वितरण अनुज्ञापी की विद्युत क्रय व प्रापण प्रक्रिया को विनियमित करना जिसमें वह मूल्य भी सम्मिलित है जिससे राज्य के भीतर वितरण के लिए ऊर्जा के क्रय हेतु करारों के माध्यम से अन्य स्रोतों से उत्पादक कंपनियों या अनुज्ञापियों से विद्युत प्राप्त की जाएगी,

(सी) विद्युत का राज्यान्तर्गत पारेषण व व्हीलिंग सुगम बनाना,

1.2. अधिनियम की धारा 61 आयोग को उक्त धारा के उपबंधों, राष्ट्रीय विनियमों द्वारा निबंधन एवं शर्तें विनिर्दिष्ट करने की शक्ति प्रदान करती है। अधिनियम की धारा 181 की उप–धारा (2) के खण्ड (zd) के निबंधनों के अनुसार आयोग के पास धारा 61 के अधीन शुल्क के निबंधन व शर्तों पर, अधिसूचना द्वारा विनियम बनाने की शक्ति निहित है। अधिनियम की धारा 181 (3) के अनुसार आयोग को, अधिनियम के अधीन विनियमों को अंतिम रूप देने से पहले उनका पूर्व प्रकाशन कराना आवश्यक है। इस प्रकार, अधिनियम के उपबंधों के अनुसार राज्य आयोग के लिए, पूर्व प्रकाशन के पश्चात्, राज्य के भीतर शुल्क के अवधारण हेतु, अधिसूचना के द्वारा निबंधन एवं शर्तें विनिर्दिष्ट करना आवश्यक है।

1.3. अधिनियम की धारा 61 व 181(2) (zd), (ze) व (zf) व सभी अन्य सक्षम शक्तियों के प्रयोग में तथा अधिनियम की धारा 181 (3) के अधीन अपेक्षाओं के अनुपालन में, उत्तराखण्ड

विद्युत नियामक आयोग ने अपने विज्ञापन संख्या 08/11—12 दिनांक 23.09.2011 के द्वारा शुल्क अवधि 01.04.2013 से 31.03.2016 के लिए प्रारूप उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग (शुल्क के अवधारण हेतु निबंधन एवं शर्तें) विनियम, 2011 सार्वजनिक नोटिस जारी किया (इसमें इससे आगे प्रारूप विनियम के रूप में संदर्भित)। आयोग ने अपने इस सार्वजनिक नोटिस के द्वारा प्रारूप विनियमों पर सभी स्टेक होल्डर्स व उपभोक्ताओं से टिप्पणियों/सुझाव/आपत्तियां आमंत्रित कीं। आयोग ने प्रारूप विनियमों पर विचार—विमर्श के लिए 28 नवम्बर, 2011 को राज्य सलाहकार समिति (एस.ए.सी.) की एक बैठक बुलाई।

2. **बहु वर्षीय शुल्क— उद्देश्य तथा अवलोकन**

2.1 आयोग ने उत्पादन, पारेषण व वितरण कारोबार के लिए पृथक रूप से यू.ई.आर.सी. (शुल्क के अवधारण हेतु निबंधन एवं शर्तें) विनियम, 2004 विनिर्दिष्ट किये थे, जो प्रारम्भ में 13 मई, 2009 तक 5 वर्षों की अवधि के लिए विधिमान्य थे। इसके पश्चात् इनकी विनियमों की प्रयोज्यता अनेक अवसरों पर विस्तारित की गयी तथा हाल में इन शुल्क विनियमों की प्रयोज्यता 30 अप्रैल 2012 तक के लिए विस्तारित की गयी है।

2.2 अधिनियम की धारा 61 के खण्ड (एफ) के अनुसार, शुल्क अवधारण करने के लिए निबंधन एवं शर्तें विनिर्दिष्ट करते समय आयोग, 'बहुवर्षीय शुल्क सिद्धान्तों' द्वारा दिशा—निर्देशित होगा। एम.वाय.टी. संरचना के अधीन नियंत्रण अवधि के कार्यकाल के संबंध में भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय द्वारा अधिसूचित शुल्क नीति के खण्ड 5.3 (एच) (1) के अनुसार *".........संरचना में एक पांच वर्ष की नियंत्रण अवधि अभिलिखित होनी चाहिए। तथापि प्रारंभिक नियंत्रण अवधि पारेषण व वितरण के लिए 3 वर्ष की हो सकती है, यदि डाटा अनिश्चितताओं या अन्य व्यवहारिक कारणों से आयोग ऐसा आवश्यक समझे। विश्वसनीय डाटा के अभाव वाले मामलों में, उपयुक्त आयोग, प्रथम नियंत्रण अवधि के लिए एम.वाय.टी. अवधारणाएं व्यक्त करेगा तथा और अधिक विश्वसनीय डाटा उपलब्ध हो जाने पर एक नयी नियंत्रण अवधि प्रारम्भ की जाएगी।"*

2.3 शुल्क नीति के उपरोक्त खण्ड पर विचार करते हुए, आयोग ने वित्त वर्ष 2013—14 से प्रारम्भ होने वाली 03 वर्षों की प्रथम नियंत्रण अवधि के बदले उत्पादन, पारेषण, वितरण व एस.एल.डी.सी. के लिए पृथम धाराओं वाले समग्र एम.वाय.टी. विनियमों को प्रतिस्थापित करने का निश्चय किया है।

2.4 बहुवर्षीय शुल्क प्रणाली के मुख्य उद्देश्यों को नीचे संक्षेप में दिया गया है:

- विनियामक उपागम की पारदर्शिता, सुसंगतता व पूर्वकथनीयता की प्रोन्नति द्वारा यूटिलिटीज, निवेशकों व उपभोक्ताओं को विनियामक निश्चितता प्रदान कराना तथा इस प्रकार विनियामक जोखिम की अवधारणा को न्यूनतम करना।
- नियंत्रण योग्य व नियंत्रण अयोग्य कारकों के आधार पर यूटिलिटीज व उपभोक्ताओं के मध्य जोखिम भागीदारी तंत्र विकसित करना।
- निवेश आकर्षित करने, वृद्धि सुनिश्चित करने तथा उपभोक्ताओं का हित सुरक्षित रखने के लिए वित्तीय जीविष्णुता सुनिश्चित करना।
- उत्पादन, पारेषण, वितरण व आपूर्ति कारोबारों से संबंधित मुद्दों के लिए प्रचालक मानकों की समीक्षा करना तथा ऐसे मुद्दों के निदान हेतु उपयुक्त उपायों की संस्तुति करना।
- प्रचालक दक्षता प्रोन्नत करना।
- प्रचालक दक्षता में सुधार कर दीर्घकाल में शुल्कों को युक्तियुक्त बनाना।

2.5 12 फरवरी, 2005 को भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय द्वारा जारी राष्ट्रीय विद्युत नीति के खण्ड 5.4.4 में भी एम.वाय.टी. संरचना की महत्ता को मान्यता देते हुए कहा गया है कि, "... *बहुवर्षीय शुल्क (एम.वाय.टी.) संरचना, यूटिलिटीज व उपभोक्ताओं के लिए जोखिम कम करने, दक्षता बढ़ाने व प्रणाली हानियों में त्वरित कमी लाने के लिए एक महत्वपूर्ण संरचनात्मक प्रोत्साहन है। यह आर्थिक दक्षता तथा बेहतर सेवा गुणवत्ता द्वारा जनहित का कार्य करेगा। यह ऊर्जा क्रय मूल्यों तथा वृद्धि सूचकांकों जैसे ज्ञात संकेतकों के शुल्क समायजनों को प्रतिबंधित कर उपभोक्ता शुल्कों में और अधिक पूर्वकथनीयता लाएगा।*"

2.6 इसके अतिरिक्त, बहुवर्षीय शुल्क (एम.वाय.टी.) सिद्धान्तों का आशय, राजस्व आवश्यकता व शुल्कों के अवधारण हेतु नियंत्रक सिद्धान्तों के संबंध में उत्पादक कंपनियों, पारेषण अनुज्ञापियों, वितरण अनुज्ञापियों व उपभोक्ताओं तथा स्टेकहोल्डर्स को स्पष्टता प्रदान करना है। इसके अतिरिक्त इसमें ऐसी कार्यविधियों का भी वर्णन होगा जो सबकी समझ में आ सके तथा भविष्य के लिए मार्गदर्शन कर सके। इस प्रकार सभी स्टेकहोल्डर्स को नियंत्रण अवधि के दौरान विभिन्न कार्यवाहियों/घटनाओं के परिणामों की जानकारी दी जाती है, ताकि वे तदनुसार अपनी योजना बना सकें। अनुज्ञापियों व उत्पादक कंपनियों के लिए ये सिद्धान्त, नियंत्रण अवधि के दौरान लागू किये गये नियमों में स्पष्टता प्रदान करते हैं तथा वित्त वृद्धि व बेहतर प्रचालन में सहायता करते हैं साथ ही उपभोक्ताओं को सेवा की गुणवत्ता में सुधार को सुगम बनाते हैं।

3. स्टेक होल्डर्स के दृष्टिकोणों का विचार तथा महत्वपूर्ण विषयों पर आयोग का विश्लेषण व निष्कर्ष

3.1 आयोग ने प्रारूप विनियमों पर स्टेकहोल्डर्स की टिप्पणियों के साथ–साथ एस.ए.सी. की बैठक के दौरान राज्य सलाहकार समिति के सदस्यों द्वारा व्यक्त किये गये दृष्टिकोणों पर विचार किया। स्टेकहोल्डर्स द्वारा उठाए गए विभिन्न मुद्दों पर का विस्तृत विश्लेषण व उन पर विचार करने के पश्चात् विनियमों को अंतिम रूप दिया गया है। स्टेकहोल्डर्स व जनता से प्राप्त टिप्पणियों/आपत्तियों तथा उन पर आयोग के दृष्टिकोण पर आगे के पैराग्राफ्स में चर्चा की गयी है।

4. प्रारूप यू.ई.आर.सी. (शुल्क के अवधारण हेतु निबंधन एवं शर्तें) विनियम, 2011 पर स्टेकहोल्डर्स के सुझाव और आपत्तियां तथा उन पर आयोग का दृष्टिकोणः

4.1 **उत्तराखण्ड जल विद्युत निगम लिमिटेड**

ए) प्रारूप विनियमों के खण्ड 3(31) में "उपगत व्ययों" को निम्नलिखित रूप में परिभाषित किया गया हैः

"उपगत व्यय" का अर्थ है निधि, चाहे वह इक्विटी हो, या ऋण हो या दोनों हो तथा जिसका एक उपयोगी परिसंपत्ति की संरचना या अधिग्रहण हेतु नकद या नकद के समतुल्य भुगतान किया जाए व वास्तव में परिनियोजन किया जाए तथा जिसमें ऐसी प्रतिबद्धताएं या दायित्व सम्मिलित न हों जिनके लिए कोई भुगतान नहीं किया गया है।

यू.जे.वी.एन.एल. का सुझाव था कि 'उपगत व्यय' पर संभूति आधार पर विचार किया जाए।

आयोग का दृष्टिकोण यह है कि "उपगत व्यय" शब्द का प्रयोग, उपयोगी आस्ति के अधिग्रहण या संरचना अर्थात् उपगत हुए वास्तविक पूंजीगत व्यय के संदर्भ में किया जाता है। पूंजीगत व्यय अनुमोदन में अधिक पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए यह वांछनीय होगा कि अनुमोदनीय व्यय को वास्तविक नकद निवेश तक सीमित रखा जाए। इसके अतिरिक्त विनियम, वाणिज्यिक परिचालन की तिथि के पश्चात् विभेदक तिथि तक हुए व्ययों को पूरा करने के लिए अतिरिक्त पूंजीकरण उपबंधित करेगा। अतः आयोग, उपगत हुए व्यय की परिभाषा में किसी परिवर्तन को सम्मिलित करने की कोई आवश्यकता नहीं समझता।

बी) प्रारूप विनियम के खण्ड 25 में, 'विशेष भत्ता' नवीकरण व आधुनिकीकरण के अधीन परिभाषित किया गया है।

यह भी उल्लिखित किया गया है कि "विशेष भत्ते' का विकल्प ऐसे उत्पादक स्टेशन या यूनिट जिसके लिए नवीकरण या आधुनिकीकरण आरम्भ किया गया है, तथा इन विनियमों के प्रारम्भ होने से पूर्व आयोग द्वारा स्वीकृत किया गया है, या ऐसे उत्पादक स्टेशन या यूनिट जो जीर्णावस्था में है या शिथिलीकृत प्रचालन व निष्पादन मानकों के अधीन प्रचलित हो रही है, के लिए उपलब्ध नहीं होगा।"

यू.जे.वी.एन.एल. ने निवेदन किया कि उसके अधिकांश ऊर्जा स्टेशनों ने प्रचालन के 35 वर्ष पूरे कर लिए हैं तथा कुछ ऐसे कारणों से, जिन पर उसका नियंत्रण नहीं है, इन ऊर्जा स्टेशनों का आर.एम.यू. पहले नहीं लिया जा सका। ऐसे में मशीनों की टूट–फूट, बढ़ी हुई रख–रखाव लागतों व इन पुराने संयंत्रों के प्रचालन में कठिनाईयों के कारण यू.जे.वी.एन.एल. पहले ही हानि उठा चुका है।

विभिन्न ऊर्जा स्टेशनों का आर.एम.यू. यूनिटवार किया जा रहा है। यू.जे.वी.एन.एल. ने निवेदन किया है कि किसी ऊर्जा स्टेशन की यूनिट विशेष का आर.एम.यू. कार्य 1 अप्रैल, 2013 को प्रगति पर है तो उन सभी अन्य यूनिटों को विशेष भत्ता प्रदान किया जाएगा जिनका आर.एम.यू. नहीं किया गया है तथा बाद में किया जाएगा।

आयोग यह स्पष्ट करना चाहेगा कि विशेष भत्ता केवल तापीय उत्पादक स्टेशनों के नवीनीकरण व आधुनिकीकरण के लिए लागू होगा क्योंकि तापीय ऊर्जा के नवीनीकरण व आधुनिकीकरण कार्य की लागत अब एक युक्तियुक्त सीमा तक मानकीकृत कर दी गयी है। तथापि, चूंकि जल विद्युत स्टेशनों व पारेषण प्रणाली के लिए आर. एण्ड एम. कार्य की लागत में प्रत्येक मामले में अलग–अलग पर्याप्त अन्तर होता है, अतः आयोग, कुशल जांच के अधीन प्रत्येक मामले में अलग–अलग आधार पर जल विद्युत स्टेशनों व पारेषण प्रणालियों के आर. एण्ड एम. कार्य के लिए लागत का अनुमोदन करेगा।

सी) प्रारूप विनियम के खण्ड 27(2) में इक्विटी पर प्रतिफल शीर्षक के अन्तर्गत आर.ओ.ई. की दर इस प्रकार परिभाषित की गयी है:–

इक्विटी पर प्रतिफल की संगणना, कर पश्चात् आधार पर, उत्पादक स्टेशनों, पारेषण अनुज्ञापी व एस.एल.डी.सी. के लिए 15.5 प्रतिशत तथा वितरण अनुज्ञापी के लिए 16 प्रतिशत की दर पर की जाएगी।

यू.जे.वी.एन.एल. ने निवेदन किया कि उत्पादक स्टेशनों के लिए इक्विटी पर प्रतिफल की दर भी 16 प्रतिशत करने पर विचार किया जाए।

आयोग, वितरण कारोबार के लिए प्रतिफल की दर के संबंध में शुल्क नीति का सुसंगत उद्धरण उल्लिखित करना चाहेगा, जिसके अनुसारः

"पारेषण के लिए सी.ई.आर.सी. द्वारा अधिसूचित प्रतिफल की दर की संलग्न उच्च जोखित को दृष्टिगत रखते हुए उपयुक्त आशोधनों के साथ वितरण हेतु राज्य विद्युत नियामक आयोगों (एस.ई.आर.सीज) द्वारा अपनाया जाना चाहिए। इस मामले में एक समान दृष्टिकोण हेतु, विनियामकों के मंच के माध्यम से एक राय बनाना वांछनीय होगा।"

अतः, आयोग ने वितरण अनुज्ञापियों के लिए जानबूझ कर 16 प्रतिशत की प्रतिफल की उच्च दर रखी है, जो कि वितरण कारोबार में संलग्न जोखिम को दृष्टिगत रखते हुए पारेषण अनुज्ञापी तथा उत्पादक कंपनी की तुलना में केवल 0.5 प्रतिशत ऊंची है, जो कि विनियामकों के मंच द्वारा जारी बहुवर्षीय वितरण शुल्क के लिए आदर्श विनियमों में उपबंधित प्रतिफल की दर तथा विभिन्न अन्य राज्य विद्युत नियामक आयोगों द्वारा जारी विनियमों के अनुरूप है।

डी) विनियम में, जल विद्युत स्टेशनों के प्रचालन के मानक खण्ड 50 में दिये गये हैं। यू.जे.वी.एन.एल. के जल विद्युत उत्पादक स्टेशनों के मानकीय संयंत्र उपलब्धता कारक (एन.ए.पी.ए.एफ.) की संगणना के लिए उत्पादक स्टेशनों की डी.पी.आर्स आयोग के समक्ष प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

यू.जे.वी.एन.एल. ने सुझाव दिया है कि चूंकि यू.जे.वी.एन.एल. की बड़ी जल विद्युत परियोजनाओं में से अधिकांश की डी.पी.आर. उपलब्ध नहीं है तथा अधिकांश परियोजनाएं अत्यंत पुरानी हैं, अतः आयोग, यू.जे.वी.एन.एल. के चालू जल विद्युत उत्पादक स्टेशनों के संबंध में मानकीय संयंत्र उपलब्धता कारक के प्रावधान की समीक्षा करेगा।

इन मामलों पर चर्चा करने के लिए आयोग ने 29 नवम्बर, 2011 को यू.जे.वी.एन.एल. के अधिकारियों के साथ बैठक की।

इस संबंध में, आयोग का यह दृष्टिकोण है कि इस अवस्था में एम.वाय.टी. विनियमों का आशोधन करना उपयुक्त नहीं होगा तथा यू.जे.वी.एन.एल. को प्रत्येक जल विद्युत उत्पादक स्टेशन के विशिष्ट मामलों पर विचार करते हुए सभी जल विद्युत उत्धादक स्टेशनों के लिए एन.ए.पी.ए.एफ. तथा अन्य संबंधित मानदण्डों के आंकलन के लिए एक तकनीकी परामर्शदाता नियुक्त करना चाहिए तथा इसे आयोग के

अनुमोदन हेतु व्यावसायिक योजना में रखना चाहिए। यू.जे.वी.एन.एल. द्वारा प्रस्तुत जानकारी व डाटा के विश्लेषण के आधार पर आयोग, व्यावसायिक योजना आदेश के एक भाग के रूप में स्टेशन विशिष्ट मामलों पर विचार करते हुए यू.जे.वी.एन.एल. के प्रत्येक उत्पादक स्टेशन के लिए एन.ए.पी.ए.एफ. अनुमोदित करेगा।

ई) विनियम में खण्ड 54(2) में घोषित क्षमता का प्रदर्शन शीर्षक के अंतर्गत दंड की मात्रा निम्नलिखित रूप में परिभाषित की गयी है:—

"एक दिन में अवधि या ब्लॉक के लिए पहली मिथ्या घोषणा के लिए दंड की मात्रा, दो दिनों के क्षमता प्रभार के समतुल्य प्रभार होगी। द्वितीय मिथ्या घोषणा के लिए दंड चार दिनों के क्षमता प्रभारों के बराबर होगी तथा इसके पश्चात् की मिथ्या घोषणाओं के लिए दण्ड गुणेत्तर वृद्धि में होगा"

यू.जे.वी.एन.एल. ने निवेदन किया कि अगले दिन के लिए एक जल विद्युत स्टेशन द्वारा क्षमता की घोषणा पिछले दिन के रीवर डिस्चार्ज व मशीनों की वर्तमान उपलब्धता के आधार पर की जाती है। एक जल विद्युत स्टेशन के लिए उत्पादन पूरी तरह रीवर डिस्चार्ज पर निर्भर होता है जिसका सही—सही पूर्वकथन नहीं किया जा सकता। ऐसे में, एक ऊर्जा के उदाहरण मिल सकते हैं। साथ ही कभी—कभी उपकरणों की विफलता तथा अन्य नियंत्रित न कर पाने योग्य कारणों से घोषित क्षमता साधित नहीं की जा सकती। इसके अतिरिक्त, मशीनों का प्रचालन एस.एल.डी.सी. की आवश्यकतानुसार किया जाता है, ऐसे में प्रायः संयंत्र की घोषित क्षमता का प्रतिरूप भी प्रभावित होता है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के प्रकाश में, उत्पादक कंपनी को देय क्षमता प्रभार, पुराने ऊर्जा स्टेशनों की विभिन्न सीमितताओं को ध्यान में रखते हुए घोषित क्षमता के प्रदर्शन के विफल होने के कारण दंड के उपाय के रूप में घटाए नहीं जाने चाहिए। साथ ही प्रस्तावित प्रावधानों के अनुसार सातवीं मिथ्या घोषणा पर क्षमता प्रभार शून्य होंगे। अतः उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए इसकी समीक्षा की जाएगी।

आयोग यह स्पष्ट करना चाहेगा कि घोषित क्षमता की मिथ्या घोषणा के कारण दंड केवल उन्हीं मामलों में उद्ग्रहीत किया जाएगा जिनमें, एस.एल.डी.सी. के ऐसा कहने पर, उत्पादक कंपनी घोषित क्षमता का प्रदर्शन करने में असमर्थ हो। इसके अतिरिक्त, घोषित क्षमता की परिभाषा जल की उपलब्धता का भी विचार करती है। अतः आयोग प्रारूप विनियमों में परिवर्तन को गुण योग्य नहीं पाता।

एफ) यू.जे.वी.एन.एल. ने इस ओर ध्यान दिलाया है कि परिवर्तक हानियां पद, प्रपत्र 1.1 व 2.1 में विनिर्दिष्ट नहीं किया गया है तथा उत्पादक कंपनी द्वारा परिवर्तक हानियों के समक्ष परिकलन भरा जाना आवश्यक है, जबकि प्रारूप विनियम में परिवर्तक हानियों की परिभाषा नहीं दी गयी है।

आयोग यह स्पष्ट करना चाहेगा कि विनियम में, परिवर्तक हानियों को सी.ई.आर.सी. (शुल्क पर निबंधन एवं शर्तें) विनियम, 2009 पर आधारित अनुषंगी उपभोग के साथ मिला दिया गया है। अतः तदनुसार, अंतिम प्रपत्र 1.1 व 1.2 में परिवर्तक हानियों को हटा दिया गया है।

जी) यू.जे.वी.एन.एल. ने आगे यू.ई.आर.सी. (जल विद्युत उत्पादन शुल्क के अवधारण हेतु निबंधन एवं शर्तें) विनियम, 2004 तथा सी.ई.आर.सी. (शुल्क हेतु निबंधन एवं शर्तें) विनियम, 2009 में सम्मिलित निम्नलिखित उपबंधों की ओर ध्यान दिलाया है।

(i) यू.ई.आर.सी. विनियम, 2004 की धारा 31, माने गये उत्पादन से संबंधित निम्नलिखित उपबंध विनिर्दिष्ट करती है: "उत्पादक कंपनी के नियंत्रण से बाहर के कारणों, जैसे किसी लाभार्थी की आपूर्ति हेतु पारेषण लाइनों की अनुपलब्धता का राज्य भार प्रेषण केन्द्र से नीचे हटने के अनुदेशों के फलस्वरूप जल छलकाव के कारण उत्पादन कंपनी को देय होंगे।"

यू.जे.वी.एन.एल. ने कहा कि माने गये उत्पादन का पूर्वोक्त प्रावधान प्रारूप विनियम में उपबंधित नहीं किया गया है तथा यह निवेदन किया है कि माने गये उत्पादन का प्रावधान संशोधित विनियम में जोड़ा जाए।

यू.ई.आर.सी. (जल विद्युत उत्पादन शुल्क हेतु निबंधन एवं शर्तें) विनियम, 2004 में उत्पादक कंपनी के नियंत्रण से बाहर के कारणों स जल–छलकाव के कारण उत्पादन में कमी के मामलों में ऊर्जा प्रभारों की वसूली का उपबंध किया गया है। विनियम ने यह भी उपबंधित किया कि माने गये उत्पादन के कारण ऊर्जा प्रभार स्वीकार नहीं होंगे। यदि वर्ष की अवधि में उत्पादित की गयी ऊर्जा, डिजायन ऊर्जा के बराबर या उससे अधिक है। अतः माने गये उत्पादन को अनुमोदित करने का स्पष्ट उद्देश्य, उत्पादक कंपनी पर उपारोप्य न होने वाले कारणों से वास्तविक उत्पादन में कमी के मामले में वार्षिक प्रभारों की वसूली का प्रावधान करना था।

विनियम, 2011 में, वार्षिक स्थिर प्रभार (ए.एफ.सी.), क्षमता प्रभार व ऊर्जा प्रभारों के माध्यम से वसूल किया जाना प्रस्तावित है, जहां ऊर्जा प्रभारों से वसूली ए.एफ.सी.

के 50 प्रतिशत तक की होगी। विनियम यह उपबंधित करता है कि यदि एक वर्ष में उत्पादित वास्तविक कुल ऊर्जा, उत्पादक कंपनी के नियंत्रण से बाहर के कारणों से, उत्पादक कंपनी के वाणिज्यिक प्रचालन की तिथि से दस वर्षों के भीतर, डिजायन ऊर्जा से कम है तो ऊर्जा में घटत के आगामी वर्ष के लिए ई.सी.आर. का संगणन, पिछले वर्ष की ऊर्जा प्रभार घटत की भरपाई होने तक, घटत वाले वर्ष के दौरान उत्पादित वास्तविक ऊर्जा को डिजायन ऊर्जा के रूप में लेकर किया जाएगा, इसके पश्चात् सामान्य ई.सी.आर. लागू होगा। यदि संयंत्र के लिए ऊर्जा घटत, प्रचालन के 10 वर्षों के पश्चात् होती है तो ई.सी.आर. के परिकलन हेतु डिजायन ऊर्जा, वास्तविक ऊर्जा उत्पादन का विचार करते हुए अनुसीमित की जाएगी।

अतः विनियमों में, माने गये उत्पादन पर विचार नहीं किया गया है। इस सीमा तक आयोग को प्रारूप विनियमों में किसी परिवर्तन करने में कोई गुण दृष्टिगत नहीं होता क्योंकि उत्पादक कंपनी, वार्षिक स्थिर प्रभारों का 50 प्रतिशत क्षमता प्रभारों से तथा शेष 50 प्रतिशत वार्षिक स्थिर प्रभारों की ऊर्जा प्रभारों के माध्यम से वसूल कर सकेगी, उत्पादन में कमी होने पर, विनियमों में उपयुक्त समायोजन पहले ही उपबंधित किये जा चुके हैं।

(ii) यू.ई.आर.सी. विनियम, 2004 के खण्ड 29 ने मानकीय कैपेसिटिव सूचकांक के अधिक होने पर प्रोत्साहन से संबंधित उपबंध किये।

यू.जे.वी.एन.एल. ने निवेदन किया है कि प्रारूप विनियम में मानकीय कैपेसिटिव सूचकांक बढ़ने पर किसी प्रोत्साहन का उपबंध नहीं किया है। उपयुक्त प्रोत्साहन योजना सम्मिलित करने पर विचार किया जाए।

आयोग ने सी.ई.आर.सी. कार्यविधि को अपनाया है जिसमें क्षमता सूचकांक की अवधारणा के स्थान पर एन.ए.पी.ए.एफ. को प्रतिस्थापित किया गया है, तदनुसार, वार्षिक स्थिर प्रभारों का 50 प्रतिशत क्षमता प्रभारों के रूप में वसूल किय जाता है तथा वार्षिक स्थिर प्रभारों का शेष 50 प्रतिशत ऊर्जा प्रभारों के माध्यम से वसूल किया जाता है। क्षमता प्रभारों की वसूली, माह के दौरान साधित वास्तविक संयंत्र उपलब्धता कारक पर निर्भर है। यदि वास्तविक उपलब्धता कारक एन.ए.पी.ए.एफ. से अधिक हो जाता है तो क्षमता प्रभारों के माध्यम से वसूली ए.एफ.सी. के 50 प्रतिशत से अधिक व विपर्ययेन होगी।

इस प्रकार इस तंत्र में अन्तःनिर्मित प्रोत्साहन/हतोत्साह युक्ति है। इसके अतिरिक्त, यदि वास्तविक ऊर्जा उत्पादन डिजायन ऊर्जा से अधिक हो जाता है तो उत्पादक कंपनी वार्षिक स्थिर प्रभारों के 50 प्रतिशत से अधिक ऊर्जा प्रभार, वसूल कर सकेगी। ऐसा प्रोत्साहन गौण ऊर्जा प्रभारों के रूप में होगा। चूंकि प्रोत्साहन तंत्र पहले से ही विनियम का एक भाग है, पृथक रूप से प्रोत्साहन तंत्र को विनिर्दिष्ट करना आवश्यक नहीं है।

(iii) सी.ई.आर.सी. विनियम, 2009 के खण्ड 35 ने विलंब भुगतान अधिभार से संबंधित उपबंध विनिर्दिष्ट किये हैं।

यू.जे.वी.एन.एल. ने निवेदन किया है कि विलंब भुगतान के इसी प्रकार के उपबंध संशोधित विनियम में सम्मिलित किये जाएं। आयोग का दृष्टिकोण है कि विलंब भुगतान अधिभार अनुज्ञापी व उत्पादक कंपनी के मध्य एक वाणिज्यिक व्यवस्था है, इसलिए अपने ऊर्जा क्रय करार में दोनों के मध्य इस तंत्र का निर्धारण होना चाहिए।

4.2 उत्तराखण्ड ऊर्जा निगम लिमिटेड

ए) <u>इक्विटी पर प्रतिफलः</u> विनियमों में यह उपबंधित किया गया है कि इक्विटी पर प्रतिफल, प्रत्येक वित्त वर्ष के आरम्भ में, उपयोग की आस्तियों के लिए अनुमोदित इक्विटी पूंजी की राशि पर अनुमोदित किया जाएगा।

यू0पी0सी0एल0 ने निवेदन किया है कि पूंजीगत प्रगति अधीन कार्यों में निवेशित इक्विटी पूंजी पर भी इक्विटी पर प्रतिफल के लिए विचार किया जाना चाहिए अन्यथा पूंजीगत प्रगति अधीन कार्य पर निवेश की गयी इक्विटी पूंजी की राशि, स्थिर आस्तियों की पूर्णता में व्यतीत समय के लिए अपना समय मूल्य खो देगी। यह भी निवेदन किया गया है कि विद्युत (आपूर्ति) अधिनियम, 1948 की छठी अनुसूची (वित्तीय सिद्धान्त एवं उनकी प्रयोज्यता) के अनुसार पूंजी आधार का परिकलन किया जाना आवश्यक था जिसमें प्रगति अधीन कार्य की लागत सम्मिलित थी तथा इस पूंजी आधार पर, प्रतिफल अनुमेय था। इसके अतिरिक्त पूंजीगत प्रगति अधीन कार्य भी कंपनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची-IV के अनुसार स्थिर आस्तियों का एक भाग है।

आयोग, पूंजीगत प्रगति अधीन कार्य में निवेश की गयी इक्विटी की राशि पर इक्विटी पर प्रतिफल प्रदान करने को पूर्ण रूप से अनुचित मानता है। इक्विटी

के रूप में किया गया निवेश, प्रतिफल की उच्च दर वाली जोखिम पूंजी माना जाता है तथा इसमें आस्ति के जीवन के अंत तक प्रतिफल का निरंतर प्रवाह बना रहता है जबकि ऋण के साथ ऐसा नहीं है। यू0पी0सी0एल0 द्वारा संदर्भित छठी अनुसूची अब लागू है तथा शुल्क, विद्युत अधिनियम, 2003 के अधीन आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट विनियमों के अधीन अवधारित किये जाते हैं जिसमें इक्विटी पर प्रतिफल अनुमोदित करने के लिए विशेष रूप से उपबंध है। इसके अतिरिक्त, एफ.ओ.आर. द्वारा जारी बहुवर्षीय वितरण शुल्क के लिए आदर्श विनियम भी इक्विटी पर प्रतिफल अनुमोदित करना विनिर्दिष्ट करते हैं न कि पूंजी आधार पर या नियोजित पूंजी पर प्रतिफल। अतः आयोग को दिये गये सुझाव में कोई गुण दृष्टिगत नहीं होता।

बी) अवक्षयः विनियमों में यह विनिर्दिष्ट किया गया है कि उपभोक्ता अंशदान तथा पूंजीगत सहायिकी/अनुदानों के माध्यम से निधि पोषित आस्तियों पर अवक्षय अनुमोदित नहीं किया जाएगा।

यू0पी0सी0एल0 ने निवेदन किया है कि स्थिर आस्तियों के निर्माण की मूल लागत पर उस पर अवक्षय के अनुमोदन हेतु विचार किया जाना चाहिए। यह दृष्टिकोण, विद्युत (आपूर्ति) अधिनियम, 1948 की छठी अनुसूची में नियत उपबंधों (वित्तीय सिद्धान्त एवं उनकी प्रयोज्यता) के अनुरूप है। इस तथ्य के दृष्टिगत यह भी आवश्यक है कि उपभोक्ता अंश/अनुदान, जिससे आस्ति संरचित हुई है, से एक बार प्राप्त किया जाए। ऐसी आस्ति के जीवन काल की समाप्ति पर, यूटिलिटी, इस प्रयोजन के लिए संरचित किसी निधि की अनुपस्थिति में किसी नई आस्ति का निर्माण करने की स्थिति में नहीं होगी तथा इस निधि को, ऐसी आस्ति के जीवन काल में अनुमोदित अवक्षय की राशि से संरचित किया जा सकता है।

आयोग यह स्पष्ट करना चाहेगा कि विद्युत नियामक संरचना में अवक्षय को, सामान्य लेखाकरण सिद्धान्तों के विरूद्ध ऋणों की वापसी के निधि पोषण का स्रोत समझा जाता है जिसमें अवक्षय को आस्ति के प्रतिस्थापन के निधि पोषण का स्रोत समझा जाता है।

इस संबंध में आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 43(1) यहां उद्धृत की गयी है:

"वास्तविक लागत का अर्थ है, लागत का भाग यदि है, तो उस भाग को कम कर निर्धारिती को आस्ति की वास्तविक लागत, जो किसी अन्य व्यक्ति या प्राधिकारी द्वारा प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से भरी गयी हो"

इस उप—धारा का स्पष्टीकरण 10 नीचे उद्धृत किया गया है:

"जहां निर्धारिती द्वारा अधिग्रहित आस्ति की लागत का एक भाग सहायिकी या अनुदान या प्रतिपूर्ति (किसी भी नाम से) केन्द्र सरकार या राज्य सरकार या किसी विधि के अधीन स्थापित किसी प्राधिकरण या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भरा गया हो, वहां उतनी लागत जितनी ऐसी सहायिकी या अनुदान या प्रतिपूर्ति से संबंधित हो निर्धारिती को आस्ति की वास्तविक लागत में सम्मिलित नहीं की जाएगी"

चार्टरित लेखाकारों के संस्थान द्वारा निर्धारित लेखाकरण मानक ए.एस.—10 में इस विषय पर उल्लेख किया गया है तथा इसमें नियत स्थिति नीचे दी गयी है:

"अनुदान को आस्ति के उपयोगी जीवन की अवधि में कम किये गये अवक्षय प्रभार के द्वारा लाभ—हानि विबरण में जो इस प्रकार मान्य है, ऐसे आस्ति के सकल मूल्य से व्यकलन के रूप में दर्शाना चाहिए। दूसरे तरीके के अंतर्गत, अवक्षयी आस्तियों से संबंधित अनुदान आस्थगित आय के रूप में लिये जाते हैं, जिसे आस्ति के उपयोगी जीवन की अवधि में एक व्यवस्थित व युक्तियुक्त आधार पर हानि व लाभ विवरण में मान्य किया जाता है। यह अनुदान मौद्रिक या अमौद्रिक हो सकता है।"

आयकर अधिनियम के तथा लेखाकरण मानकों के उपरोक्त पठन के अनुसार किसी भी पूंजीगत सहायिकी/अनुदान को आस्ति के सकल मूल्य में से घटाना होगा।

इसके अतिरिक्त, अवक्षय में से इस प्रयोजन हेतु संरचित किसी निधि की अनुपस्थिति में नयी आस्तियों के निर्माण का अनुज्ञापी का सरोकार पूर्णतः अनुचित है क्योंकि किसी स्थिर आस्ति के प्रतिस्थापन के निधि पोषण तंत्र का ध्यान आयोग द्वारा समय—समय पर पूंजीगत व्यय योजना के अनुमोदन द्वारा रखा जाता है। अतः ऐसी आस्तियों के संबंध में अवक्षय अनुमोदित करने का कोई औचित्य नहीं है जो कि उपभोक्ता अंशदान/अनुदान द्वारा निधि पोषित हैं, क्योंकि इससे अनुज्ञापी को अनुचित लाभ पहुंचेगा।

सी) **अशोध्य एवं संदिग्ध ऋण:** विनियमों मे यह उपबंधित किया गया है कि अशोध्य व संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान, पिछले वर्ष में अशोध्य ऋणों को वास्तव में बट्टे खाते में डालने के अधीन, संपरीक्षित खातों में प्राप्यों के रूप में दर्शायी गयी राशि का 0.25 प्रतिशत तक अनुमोदित होगा। इसके अतिरिक्त, अशोध्य व

संदिग्ध ऋणों की व्यवस्था की राशि, को वर्ष के आरम्भ पर प्राप्यों के 5 प्रतिशत की सीमा तक आगे लिया गया है।

यू0पी0सी0एल0 ने निवेदन किया है कि अशोध्य व संदिग्ध ऋणों की वार्षिक व्यवस्था, लेखाकरण का एक स्वीकार्य तरीका है तथा खुदरा विद्युत कारोबार की विशिष्टता को देखते हुए इसे राज्य विद्युत नियामक आयोग द्वारा मान्यता दी गयी है। यह राशि, यदि कुछ है, जो बट्टे खाते में डाली गयी है, किसी वित्त वर्ष के दौरान अशोध्य ऋणों की वास्तविक राशि का विचार किये बिना लेखा पुस्तिकाओं में संचित प्रावधानों के सम्मुख समायोजित किये जाएंगे। राज्य भर में विशाल उपभोक्ताओं के भौगोलिक विस्तार, जिसमें एक बड़ा भाग पहाड़ी व दुर्गम भू–भाग है तथा खुदरा उपभोक्ताओं से विद्युत देयों की समस्या को ध्यान में रखते हुए, अशोध्य ऋणों के लिए किसी वित्त वर्ष में राजस्व की बिलिंग 5 प्रतिशत की दर पर करने की व्यवस्था की जानी चाहिए। यहां यह उल्लेखनीय होगा कि यू0पी0सी0एल0 की संग्रहण दक्षता 90 प्रतिशत से 93 प्रतिशत के मध्य रहती है।

आयोग ने इस विषय पर विचार किया है तथा उसका यह मत है कि किसी भी कारोबार के स्वभाव में अशोध्य व संदिग्ध ऋण अन्तर्निहित है, किसी कारोबार अशोध्य व संदिग्ध ऋणों के लिए प्राप्यों व प्रावधान के कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं है, जो कि सामान्य रूप से कारोबार की मात्रा का एक कारक है। तथापि, वितरण अनुज्ञापी की, एक वित्त वर्ष के दौरान बिल किये राजस्व की 5 प्रतिशत की दर से अशोध्य व संदिग्ध ऋणों के लिए मांग पूर्णतः अनुचित है तथा इसके कारण संग्रहण की अदक्षता का समस्त भार ईमानदारी से भुगतान करने वाले उपभोक्ताओं पर पड़ेगा।

अतः आयोग ने प्रावधान में इस आशय का संशोधन करने का निश्चय किया है कि पिछले वर्ष में अशोध्य व संदिग्ध ऋणों के वास्तव में बट्टे खाते डालने की शर्त पर वार्षिक राजस्व के 1 प्रतिशत तक संदिग्ध व अशोध्य ऋण के लिए प्रावधान अनुमोदित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, अशोध्य व संदिग्ध ऋणों के प्रावधान की राशि, वर्ष के आरम्भ पर प्राप्यों के 5 प्रतिशत की सीमा तक आगे की जाएगी। ऐसा यह सुनिश्चित करने के लिए किया गया है कि अनुज्ञापी, अशोध्य व संदिग्ध ऋणों की पहचान करने व बट्टे खाते में डालने के लिए कार्यवाही करे अन्यथा कोई प्रावधान अनुमोदित नहीं किया जाएगा।

डी) कार्यशील पूंजी पर ब्याज

(i) यू0पी0सी0एल0 की संग्रहण दक्षता 90 प्रतिशत से 93 प्रतिशत के मध्य रहती है अतः शुल्क राजस्व में ऐसी कमी के वित्त पोषण हेतु आवश्यक पूंजी, कार्यशील पूंजी के रूप में आयोग द्वारा अनुमोदित की जानी चाहिए।

(ii) कार्यशील पूंजी ज्ञात करने के लिए, दो माह के औसत के बराबर प्रचलित दरों पर विद्युत के विक्रय से राजस्व को लिया गया है। इस संदर्भ में यह निवेदन किया गया है कि विद्युत की आपूर्ति के एक माह पश्चात्, 10 दिन बिल तैयार करने में व्यतीत हो जाते हैं तथा 15 दिन बिल के भुगतान के लिए अनुमन्य होते हैं व 15 दिन और रियायती अवधि के लिए अनुमेय होते हैं। अतः विद्युत के विक्रय से राजस्व को, कार्यशील पूंजी ज्ञात करने के लिए 2½ माह के औसत के बराबर माना जाना चाहिए।

आयोग यह स्पष्ट करना चाहेगा कि आगामी वर्ष के लिए शुल्क अवधारण का कार्य संचयी आधार पर किया जाता है न कि नकद आधार पर तथा अनुज्ञापी के पास आगामी वर्षों के लिए संग्रहण दक्षता में सुधार लाने का अवसर रहता है। इसके अतिरिक्त, आयोग, कार्यशील पूंजी आवश्यकता के एक भाग के रूप में दो माह के प्राप्य प्रदान कर रहा है। यह कहना कि यू0पी0सी0एल0 की संग्रहण दक्षता 90 प्रतिशत से 93 प्रतिशत के मध्य रहती है तथा इस कारण कमी को दूर करने के लिए वित्त पोषण हेतु आवश्यक पूंजी, कार्यशील पूंजी के रूप में अनुमोदित की जाए, स्वीकार्य नहीं है। यू0पी0सी0एल0 को संग्रहण कार्य में दक्षता लाने के प्रयास करने होंगे जिससे यह 100 प्रतिशत के समीप आ सके। एम.ओ.पी. आर.ए.पी.डी. आर.पी. कार्यक्रम को ध्यान में रखते हुए भी ऐसा करना आवश्यक है जिसमें अनुज्ञापी को अपनी ए.टी. एण्ड सी. हानियों को 15 प्रतिशत तक लाना है। इस संबंध में यह देखना आवश्यक है कि किसी वर्ष विशेष में राजस्व की कुछ राशि जो वसूल न की गयी हो उसे आने वाले वर्षों में वसूल किया जाए तथा इस प्रकार यह अनुज्ञापी को निरंतर नकद प्रवाह उपलब्ध कराएगा।

विद्युत के विक्रय से राजस्व के संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि यू0पी0सी0एल0 द्वारा प्राप्त ऊर्जा के विक्रय से प्राप्त राजस्व का अधिकांश

भाग एक माह के बिलिंग चक्र वाले एच.टी. उपभोक्ताओं से मिलता है। अतः कार्यशील पूंजी आवश्यकता के संगणन के लिए विद्युत के विक्रय से राजस्व हेतु उच्च मानक अनुमोदित करने के मामले में आयोग को कोई गुण नहीं दिखाई देता।

विनियमों के उपबंधों के अनुसार, आयोग कार्यशील पूंजी पर ब्याज, कार्यशील पूंजी के लिए उपयोग किये गये वास्तविक ऋण का विचार किये बिना मानकीय कार्यशील पूंजी आवश्यकता के आधार पर अनुमोदित करेगा। यह देखा गया है कि यूटिलिटीज द्वारा उपयोग किये गये वास्तविक कार्यशील पूंजी ऋण, इन विनियमों द्वारा अवधारित, मानकीय कार्यशील पूंजी आवश्यकता से बहुत कम है।

ई) **<u>ऊर्जा क्रय लागतः</u>** विनियमों में यह उपबंधित किया गया है कि वितरण अनुज्ञापी की ऊर्जा क्रय आवश्यकता का आंकलन नियंत्रण अवधि के लिए पारेषण हानि तथा लक्ष्य वितरण हानि स्तर, विक्रय पूर्वानुमान के आधार पर किया जाएगा। यू0पी0सी0एल0 ने निवेदन किया है कि वह आयोग द्वारा अनुमोदित हानि स्तर साधित करने के लिए पूरा प्रयास कर रहा है, किंतु संसाधनों की सीमितता व सामान्य जन की आदतों के कारण अब तक लक्षित स्तर प्राप्त नहीं किया जा सका है। अतः यह प्रस्तावित किया जाता है कि आयोग को वास्तविक ऊर्जा क्रय लागत अनुमोदित करनी चाहिए तथा कंपनी के शुल्क राजस्व के परिकलन हेतु अधि वितरण हानियों के लिए राजस्व का विचार किया जाना चाहिए।

इस पर निर्भर करते हुए कि वितरण हानि लक्ष्य तकनीकी हानियों से प्राप्त नहीं किया जा सका या वाणिज्यिक हानियों से आयोग इस मामले में उचित दृष्टिकोण अपनाएगा। तथापि, चाहे जो भी हो, हानि में कमी लाने का लक्ष्य प्राप्त न किये जाने के प्रभाव को लाभ व हानि तंत्र की भागीदारी के अधीन बांटा जाना प्रस्तावित है।

एफ) **<u>प्रशासन एवं सामान्य व्ययः</u>** प्रशासकीय एवं सामान्य व्ययों के परिकलन हेतु विनियमों में निम्नलिखित फॉर्मूला दिया गया है:

A&Gn=(A&Gn-1) x (WPIinflation)

यू0पी0सी0एल0 ने निवेदन किया है कि उपभोक्ताओं को अतिरिक्त सुविधाएं प्रदान करने तथा उपभोक्ता सेवाओं में नवीनतम प्रौद्योगिक लाने के लिए वृद्धि कारक का विचार किया जाना चाहिए।

आयोग का दृष्टिकोण है कि उपभोक्ताओं के लाभ हेतु अतिरिक्त सुविधाएं प्रदान करने के लिए तथा नवीनतम प्रौद्योगिकी अपनाने के लिए एक वृद्धिकारक सम्मिलित करने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि ये लागतें प्रारम्भिक रूप से पूंजीगत स्वभाव की होंगी तथा प्रशासनिक एवं सामान्य व्ययों के अन्तर्गत नहीं आएंगी। तथापि आयोग ने विनियामक मंच द्वारा जारी बहुवर्षीय वितरण शुल्क का संदर्भ लेते हुए एक अतिरिक्त उपबंध सम्मिलित करने का निश्चय किया है जिससे विभिन्न पहलों हेतु राजस्व लागत या अन्य एक समय व्ययों का समाधान हो जाएगा। यूटिलिटीज द्वारा प्रस्तावित अतिरिक्त प्रावधान, कुशल जांच पर आधारित व्यावसायिक योजना का अनुमोदन करते समय आयोग द्वारा अवधारित किया जाएगा।

जी) <u>वोल्टेजवार वितरण हानियां तथा आपूर्ति की लागत:</u> विनियमों में यह उपबंधित किया गया है कि यू0पी0सी0एल0, आयोग को वोल्टेज वार वितरण हानियां व आपूर्ति की लागत उपलब्ध कराएगा व प्रसारित कराएगा।

यह निवेदन किया गया है कि यू0पी0सी0एल0, वोल्टेजवार वितरण हानियां तथा आपूर्ति लागत के अवधारण हेतु एक तंत्र विकसित करने की प्रक्रिया में है। वर्तमान में यू0पी0सी0एल0, वोल्टेजवार वितरण हानियों तथा आपूर्ति की लागत का परिकलन करने की स्थिति में नहीं है, अतः आयोग से यह निवेदन किया जाता है कि वह विनियमों में कृपया यह उपबंधित करे कि वोल्टेजवार वितरण हानियों तथा आपूर्ति की लागत को अगली नियंत्रण अवधि से आवश्यक बनाया जाएगा।

<u>तकनीकी वितरण हानि एवं वाणिज्यिक वितरण हानि:</u> विनियमों में यह उपबंधित किया गया है कि यू0पी0सी0एल0 तकनीकी वितरण हानि व वाणिज्यिक वितरण हानि का पृथक रूप से परिकलन करेगा तथा नियंत्रण अवधि के लिए व्यावसायिक योजना के अनुमोदन हेतु याचिका के साथ इसे आयोग को उपलब्ध करवाएगा।

यू0पी0सी0एल0 ने निवेदन किया है कि वह तकनीकी हानि तथा वाणिज्यिक हानि को पृथक रूप से अवधारित करने की स्थिति में नहीं है तथा इसलिए, आयोग से

यह निवेदन किया जाता है कि वह विनियमों में यह उपबंधित करे कि द्वितीय नियंत्रण अवधि से तकनीकी व वाणिज्यिक हानि पृथक रूप से प्रदान किये जाएंगे।

आयोग का दृष्टिकोण है कि एम.वाय.टी. संरचना में तकनीकी व वाणिज्यिक वितरण हानियों का पृथक्करण, महत्वपूर्ण है तथा शुल्क नीति में मान्य भी है। इसके अतिरिक्त, वोल्टेज वार वितरण हानि का अवधारण भी आपूर्ति की वोल्टेजवार लागत ज्ञात करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।

प्रथम नियंत्रण अवधि के लिए अपनी व्यावसायिक योजना में यू0पी0सी0एल0, यथाशीघ्र आयोग को वांछित जानकारी प्रदान करने के लिए वांछित प्रणाली प्रारम्भ करने के लिए समग्र समयबद्ध योजना प्रस्तुत करेगा। आयोग तदानुसार मामले में दृष्टिकोण तय करेगा तथा व्यावसायिक योजना अनुमोदित करते समय उपयुक्त निर्देश जारी करेगा।

4.3 <u>अन्य टिप्पणियां/सुझावः</u>

ए) <u>स्टार्ट–अप ऊर्जाः</u> वाणिज्यिक प्रचालन घोषणा के पश्चात् परीक्षण व कमीशनिंग पूर्व गतिविधियों तथा आपात्/आन्तरायिक ऊर्जा आवश्यकता के लिए स्टार्ट–अप ऊर्जा हेतु उत्पादक स्टेशन/आई.पी.पी. द्वारा विद्युत के क्रय के लिए भी प्रावधान विनिर्दिष्ट किया जाना चाहिए। कमीशनिंग के प्रयोजन हेतु स्टार्ट–अप ऊर्जा आवश्यकता, उत्पादक/आई.पी.पी. द्वारा एम.वी.ए. आवश्यकता का विचार किये बिना 132 के0वी0 और इससे अधिक पर उपलब्ध करायी जानी चाहिए।

आयोग यह स्पष्ट करता है कि अंतिम विनियमों में "स्टार्ट–अप ऊर्जा/उत्पादक स्टेशन द्वारा विद्युत के क्रय" के लिए पृथक प्रावधान निम्नलिखित रूप में सम्मिलित किये गये हैं:

"कोई भी व्यक्ति जो एक उत्पादक स्टेशन स्थापित करता है, उसका रख–रखाव करता है व उसका प्रचालन करता है तथा सामान्यतः जिसे पूरे वर्ष अनुज्ञापी से ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती, अर्थात् जो अनुज्ञापी का उपभोक्ता नहीं है, किसी उत्पादक कंपनी या वितरण अनुज्ञापी से विद्युत क्रय कर सकता है यदि स्टार्ट–अप हेतु या अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उसका संयंत्र विद्युत उत्पादन करने की स्थिति में नहीं है तथा फलस्वरूप उसे वितरण अनुज्ञापी से ऊर्जा प्राप्त करना आवश्यक है।

ऐसे मामले में, जहां संयंत्र से उत्पादित ऊर्जा, राज्य वितरण अनुज्ञापी को बेची जाती है वहां स्टार्ट–अप की अपनी आवश्यकता को पूरा करने के लिए राज्य वितरण अनुज्ञापी से उत्पादक स्टेशन द्वारा प्राप्त की गयी विद्युत (के.डब्ल्यू.एच. में), वितरण अनुज्ञापी को बेची

गयी विद्युत से समायोजित की जाएगी। वितरण अनुज्ञापी, उत्पादक कंपनी द्वारा उसकी बेची गयी शुद्ध ऊर्जा, अर्थात् वितरण अनुज्ञापी को उत्पादक कंपनी द्वारा आपूर्ति की गयी कुल ऊर्जा तथा उत्पादक कंपनी को वितरण अनुज्ञापी द्वारा आपूर्ति की गयी ऊर्जा के अंतर, हेतु भुगतान करेगा।

ऐसे मामले मं, जहां संयंत्र से उत्पादित विद्युत राज्य वितरण अनुज्ञापी से अन्यथा किसी तीसरे पक्ष को बेची जाती है वहां राज्य वितरण अनुज्ञापी से उत्पादक कंपनी द्वारा विद्युत का ऐसा क्रय, उस माह के लिए संविदाकृत मांग के रूप में माह के दौरान अधिकतम मांग का विचार करते हुए औद्योगिक उपभोक्ता हेतु उपयुक्त "शुल्क की दर अनुसूची" के अधीन अस्थायी आपूर्ति के लिए आयोग द्वारा अवधारित शुल्क के अनुसार प्रभारित किया जाएगा। उस माह के लिए स्थिर/मांग प्रभार उतने दिनों के लिए संदेय होंगे जितने दिनों के दौरान ऐसी आपूर्ति ली जाती है। तथापि, ऐसी उत्पादक कंपनी को मासिक न्यूनतम प्रभारों या मासिक न्यूनतम उपभोग गारण्टी प्रभारों या किन्हीं अन्य प्रभारों के भुगतान से छूट प्राप्त होगी।"

बी) नियंत्रण योग्य व नियंत्रण अयोग्य कारकों विशिष्ट रूप से इंगित किया जाना चाहिए कि उत्पादन, पारेषण व वितरण में से किस से संबंधित है:

आयोग की राय है कि विनियमों में उपबंधित कारक, नियंत्रण योग्य व नियंत्रण अयोग्य कारकों के कुछ उदाहरण हैं तथा ये परिपूर्ण नहीं हैं। कुछ दूसरे कारक भी हो सकते हैं, अतः यूटिलिटीज के लिए पृथक रूप से वर्गीकृत नहीं किये गये हैं।

सी) वार्षिक रूप से उपगत वास्तविक पूंजीगत व्ययों का वार्षिक रूप से अनुवीक्षण होना चाहिए किंतु वार्षिक रूप से कोई समायोजन नहीं किया जाना चाहिए। समायोजन का कार्य नियंत्रण अवधि के समाप्त होने पर किया जाना चाहिए:

आयोग की राय है कि वार्षिक समायोजन दो कारणों से आवश्यक है:

ए) यूटिलिटीज की वित्तीय स्थिति को देखते हुए निष्पादन समीक्षा के दौरान वास्तविक व्ययों के आधार पर इनका समायोजन करना उपयुक्त होगा अन्यथा यूटिलिटी के नियंत्रण से बाहर के कारणों से पूंजीगत व्यय में कोई वृद्धि कंपनी के वित्त पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती है।

बी) इसके अतिरिक्त, यदि समायोजन नियंत्रण अवधि के अंत में किया जाता है तो उपभोक्ता शुल्कों पर संचित प्रभाव अति उच्च हो सकता है, अतः इस अवधि को विस्तृत किया जाना प्रस्तावित किया जाता है।

डी) पिछले शुल्क आदेश में अनुमोदित व्ययों पर आधारित नियंत्रण अवधि के प्रथम वर्ष के लिए इसे अनुमोदित करने से पहले ओ. एण्ड एम. व्ययों का विस्तृत विश्लेषण संचालित किया जाना चाहिए। इसमें पूर्व निर्धारित सिद्धान्त या दर पर वृद्धि की जानी चाहिए। चूंकि यह एक नियंत्रण योग्य कारक है, किसी लाभ या हानि को अनुज्ञापी के ए.आर.आर. में समायोजित नहीं किया जाना चाहिए।

आयोग यह स्पष्ट करता है कि विनियमों में पहले से ही यह उपबंधित है कि नियंत्रण अवधि के प्रथम वर्ष के लिए ओ. एंड एम. व्यय, कुशल जांच व आयोग द्वारा उपयुक्त समझे गये किन्हीं अन्य कारकों के अधीन असामान्य प्रचालन व अनुरक्षण व्यय, यदि कुछ हैं, को छोड़कर संपरीक्षित तुलनपत्र पर आधारित, आधार वर्ष तक पिछले पांच वर्षों के लिए वास्तविक ओ. एण्ड एम. व्ययों को ध्यान में रखते हुए आयोग द्वारा अनुमोदित किये जाएंगे। इसके अतिरिक्त, एन.टी.पी. यह भी विनिर्दिष्ट करता है कि नियंत्रण अवधि के आरंभ में "वास्तविक" लागतें, भविष्य के प्रक्षेपण हेतु आधार संरचित करेंगी।

इसके अतिरिक्त, पश्चात्वर्ती वर्षों के लिए ओ. एण्ड एम. व्ययों का परिकलन, आधार वर्ष के व्ययों के ऊपर क्रमशः सी.पी.आई. व डब्ल्यू.पी.आई. का उपयोग कर, किया जाएगा। ओ. एण्ड एम. व्ययों के सभी अवयव नियंत्रण अयोग्य नहीं हैं। उत्तराखण्ड में यूटिलिटीज सरकारी कंपनियां होने के कारण उनकी वेतन संरचना विभिन्न सरकारी आदेशों से जुड़ी हुई है, जैसे महंगाई भत्ता, जिसे वर्ष मे दो बार संशोधित किया जाता है। इसके अतिरिक्त, एक पर्वतीय राज्य होने के कारण, आर. एण्ड एम. व्यय, प्रकृति की दया पर निर्भर हैं। आगे, विनियम हानि व लाभों को उपभोक्ताओं व यूटिलिटीज के मध्य बांटना विनिर्दिष्ट करते हैं। एन.टी.पी. का खण्ड 8.2.1 (5) यह नियत करता है कि संक्रमण काल में नियंत्रण योग्य कारक एम.वाय.टी. संरचना के अधीन अवधारित अनुपात में यूटिलिटीज व उपभोक्ताओं के खातों में होना चाहिए।

ई) नियंत्रण अयोग्य कारकों से राजस्व व व्यय में अंतर को प्रत्येक वर्ष सही किया जाना चाहिए तथा नियंत्रण योग्य कारकों का सहीकरण नियंत्रण अवधि के अंत में किया जाना चाहिए।

वार्षिक समायोजन हेतु कारणों पर चर्चा क्रम संख्या 4.3 के बिंदु (सी) के अधीन पहले ही की जा चुकी है।

एफ) उत्पादन व पारेषण शुल्क के अंतर्गत प्रयोज्यता के अधीन विनिर्दिष्ट किया जाना चाहिए कि यह वहां लागू नहीं होगा जहां शुल्क बोली की पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से अवधारित किया गया है।

इसे विनियम 2 व विनियम 4(2) के अधीन पहले ही विनिर्दिष्ट किया जा चुका है अतः कहीं और दोहराया नहीं गया है।

जी) वितरण शुल्क को नेटवर्क कारोबार व खुदरा कारोबार के अधीन विभक्त किया जाना चाहिए।

आयोग स्पष्ट करना चाहेगा कि नेटवर्क कारोबार व खुदरा आपूर्ति कारोबार को विभक्त की आवश्यकता नहीं है क्योंकि आयोग पहले ही उन्मुक्त अभिगमन विनियम जारी कर चुका है जिनमें व्हीलिंग प्रभारों के अवधारण हेतु सिद्धांत विनिर्दिष्ट किये गये हैं।

एच) विनियमों को यह उपबंधित करना चहिए कि अनुज्ञापी एक ठोस व सुपरीक्षित पूर्वानुमान तकनीक विकसित करेगा। आयोग यह स्पष्ट करना चाहेगा कि विनियम यह उपबंधित करते हैं कि मौसमी परिवर्तनों के महत्व के कारण नियंत्रण अवधि हेतु मासिक विक्रय पूर्वानुमान प्रत्येक उपभोक्ता श्रेणी/उपश्रेणी के संबंध में किया जाएगा तथा ऐसी प्रत्येक उपभोक्ता श्रेणी/उपश्रेणी के भीतर प्रत्येक शुल्क स्लैब के लिए पूर्व प्रचलनों के आधार पर, उपभोक्ताओं की संख्या, संयोजित भार व ऊर्जा उपभोग के संबंध में ज्ञात व माप योग्य परिवर्तनों को प्रक्षेपित करने के लिए उपयुक्त संशोधन किये जाएंगे। इस प्रकार पूर्व डाटा की विसंगतियों को दूर किया जाएगा।

आई) ए.टी. एण्ड सी. हानियों का आरम्भिक स्तर आयोग को अपने पिछले आदेश के रूप में अवधारित करना चाहिए तथा बेहतर निष्पादन के फलस्वरूप हुए लाभों के कारण अनुज्ञापी व उपभोक्ताओं के मध्य बराबर की भागीदारी होनी चाहिए।

आयोग यह स्पष्ट करना चाहेगा कि एम.वाय.टी. आदेश जारी करते समय आयोग द्वारा हानियों के आरम्भिक स्तर पर विचार किया जाएगा तथा इसे विनियम में विनिर्दिष्ट नहीं किया जा सकता क्योंकि वित्त वर्ष 2011–12 की वास्तविक हानियों का भी विचार करना होगा। लाभ/हानियों की भागीदारी के संबंध में भागीदारी प्रणाली विनियम में उपबंधित की गयी है।

जे) प्रचलित शुल्क नीति में कोई परिवर्तन वांछनीय नहीं है तथा इस अवस्था में उसमें कोई परिवर्तन वांछनीय नहीं है। यदि ऐसा है तो कृपया विनियमों के गुण विवेचन हेतु उपलब्ध करायें।

आयोग यह स्पष्ट करना चाहेगा कि शुल्क नीति से कोई विचलन नहीं लिया गया है।

के) उल्लेखनीय है कि यह अपेक्षा की जाती है कि अनुज्ञापी/कंपनी पूर्व वर्ष के नवम्बर तक शुल्क प्रस्ताव जमा करेंगे अन्यथा आयोग के पास अगले वित्त वर्ष हेतु शुल्क निर्धारण करने

के लिए स्वप्रेरित कार्यवाही करने का अधिकार सुरक्षित है। हाल ही में विद्युत हेतु अपील अधिकरण (ए.टी.ई.) ने सभी आयोगों को सीधे निर्देश जारी किये हैं।

शुल्क अवधारण पर ए.पी.टी.ई.एल. के निर्णय दिनांक 11 नवम्बर, 2011 (ऊर्जा मंत्रालय से प्राप्त पत्र पर स्वप्रेरित कार्यवाही) तथा विनियामकों के मंच द्वारा प्रकाशित बहुवर्षीय वितरण शुल्क के लिए आदर्श विनियमों के प्रकाश में आयोग ने, जमा करने की अनुसूचित तिथि से एक माह से अधिक, शुल्क के अवधारण व वार्षिक कार्य निष्पादन समीक्षा के आवेदन में विलंब या जमा न करने के मामले में, अंतिम विनियमों के स्वप्रेरित कार्यवाहियों के संबंध में उपयुक्त उपबंध सम्मिलित किये गये हैं।

एल) शुल्क आदेश, अग्रिम में प्राप्त न की गयी संरकारी सहायिकी के साथ या उसके बिना शुल्क अवधारित करेगा।

आयोग ने विनियमों में आवश्यक उपबंध सम्मिलित किये हैं।

एम) आयोग को वितरण अनुज्ञापी से अपने कार्य निष्पादन में सुधार लाने के लिए अन्यथा सरकार से वितरण अनुज्ञापी के प्रबंधन में परिवर्तन कर नकदी की कमी हेतु उसके द्वारा उठायी गयी हानियों को अवशोषित करने के लिए कहना चाहिए।

यह आयोग के कार्यक्षेत्र से बाहर है।

एन) यदि अवधि के दौरान उत्पादन शुल्क में वृद्धि होती है तो बढ़ी हुई लागत तिमाही रूप से उपभोक्ताओं से वसूल करने की अनुमति दी जानी चाहिए।

आयोग ने ऊर्जा क्रय लागतों से संबंधित ईंधन में वृद्धि के प्रभाव को पास–ऑन करने के लिए एफ.सी.ए. तंत्र सम्मिलित किया है।

ओ) विनियामक आस्ति को दो वर्ष से अधिक नहीं बढ़ाना चाहिए।

आयोग ने इसे नोट कर लिया है।

पी) यदि वितरण अनुज्ञापी द्वारा प्राकृतिक आपदा या अत्यावश्यकताओं जैसे कारणों को छोड़कर अन्य कारणों से अतिरिक्त ऊर्जा क्रय की जाती है,तो क्रय की गयी अतिरिक्त ऊर्जा को लागत की प्रतिपूर्ति राज्य सरकार द्वारा की जाए या अगले वर्ष के शुल्क में डाल दी जाए।

अतिरिक्त ऊर्जा क्रय की लागत की सरकार द्वारा प्रतिपूर्ति, आयोग के कार्यक्षेत्र से बाहर है क्योंकि आयोग, शुल्कों के अवधारण के समय किसी उपभोक्ता श्रेणी को सहायिकी के भुगतान पर केवल सरकार का दृष्टिकोण मांग सकता है। तथापि, अगले शुल्क कार्य में अतिरिक्त ऊर्जा क्रय लागत के दायित्व अंतरण करने के संबंध में यह उल्लेख करना सुसंगत होगा कि शुल्क विनियम पर ए.पी.टी.ई.एल. के निर्णय दिनांक 11 नवम्बर, 2011

(ऊर्जा मंत्रालय द्वारा प्राप्त पत्र पर स्वप्रेरित कार्यवाही) तथा विनियामकों के मंच द्वारा प्रकाशित बहुवर्षीय वितरण शुल्क हेतु आदर्श विनियम तथा साथ ही दो शुल्क आदेशों के जारी होने के मध्य की अवधि में उपभोक्ताओं से ईंधन की तिमाही वसूली व ऊर्जा क्रय समायोजनों के लिए उपबंध सम्मिलित करने के संबंध में प्राप्त टिप्पणियों के प्रकाश में आयोग ने अंतिम विनियमों में ईंधन प्रभार समायोजन तंत्र सम्मिलित किया है।

क्यू) भविष्य में उन्मुक्त अभिगमन को टालने के लिए एच.टी. उपभोक्ताओं हेतु टी.ओ.डी. शुल्क प्रारम्भ करना आयोग के लिए अनिवार्य है। इसका विनियमों में उल्लेख करने की आवश्यकता है।

आयोग, शुल्क आदेश जारी करते समय टी.ओ.डी. शुल्क पर अपना दृष्टिकोण रखेगा।

4.4 **विनियमों में किये गये अन्य परिवर्तन**

इस भाग में, पिछले भागों में पहले से सम्मिलित को छोड़कर अब अधिसूचित किये जाने वाले अंतिम विनियमों तथा स्टैक होल्डर्स की टिप्पणियों के लिए आयोग द्वारा प्रकाशित प्रारूप विनियमों में किये जा रहे संशोधनों की युक्तियुक्तता का समावेश है।

ए) **लाभ व हानियों में भागीदारी**

शुल्क नीति के खण्ड 8.1(2) के अनुसार एम.वाय.टी. संरचना के कार्यान्वयन के समय आयोग को, उपभोक्ताओं के अधिलाभ व हानियों की भागीदारी हेतु तंत्र विकसित करना चाहिए। इसके अनुसार त्वरित कार्य निष्पादन सुधार को प्रोत्साहन देने तथा हानियों को कम करने की दृष्टि से, जो कि उपभोक्ताओं के दीर्घकालीन हित में है, प्रथम नियंत्रण अवधि में यूटिलिटीज के लिए प्रोत्साहन असमानित रखा जाएगा। इसका अर्थ है कि यूटिलिटी द्वारा रखे जाने वाले अधिलाभों के प्रतिशत को यूटिलिटी द्वारा वहन किये जाने वाली हानियों के प्रतिशत की अपेक्षा उच्च स्तर पर रखा जाएगा।

इस मुद्दे पर राज्य सलाहकार समिति की 28 नवम्बर, 2011 को हुई बैठक में भी चर्चा की गयी, जिसमें सदस्यों द्वारा इस ओर ध्यान दिलाया गया कि पूर्व के विनियमों में वितरण हानियों को कम न कर पाने में अनुज्ञापी की अदक्षता, शुल्कों में उपभोक्ताओं पर नहीं डाली गयी। तथापि प्रारूप एम.वाय.टी. विनियमों में नियंत्रण योग्य कारकों के कारण हानियों का भागीदारी तंत्र 50:50 के अनुपात में बांटना प्रस्तावित था। इससे न केवल उपभोक्ता शुल्कों पर बोझ पड़ता बल्कि यू0पी0सी0एल0 पर भी अपनी हानियों को कम करने के लिए आगे कोई दबाव न

रह जाता। अतः हानियों की भागीदारी का प्रभाव उपभोक्ता की अपेक्षा यूटिलिटी पर अधिक होना चाहिए। सदस्यों का प्रस्ताव था कि यूटिलिटी द्वारा लाभों का उच्च औसत रखे जाने की अनुमति दी जाए ताकि उन्हें अपनी हानियां कम करने का प्रोत्साहन मिले।

शुल्क नीति में उल्लिखित प्रावधानों के प्रकाश में तथा राज्य सलाहकार समिति की राय के सार पर विचार करते हुए आयोग ने अब उपभोक्ता व वितरण अनुज्ञापी के मध्य हानि व लाभों की भागीदारी के तंत्र को प्रथम नियंत्रण अवधि हेतु वितरण अनुज्ञापी के पक्ष में 'समान' से 'असमानित' रूप में संशोधित कर दिया है। अनुमोदित कुल लाभ को उपभोक्ता व यूटिलिटी के मध्य 20:80 के अनुपात में बांटा जाएगा तथा अनुमोदित कुल हानि को उपभोक्ता व यूटिलिटी के मध्य 25:75 के अनुपात में बांटा जाएगा।

बी) स्थिर प्रभारों में गौण ईंधन लागत को सम्मिलित करना

गौण ईंधन व्यय, जो असावधानीवश प्रारूप विनियम में छूट गया था, अब अंतिम विनियमों में स्थिर प्रभारों में सम्मिलित कर लिया गया है।

सी) ईंधन प्रभार समायोजन (एफ.सी.ए.)

शुल्क विनियम पर ए.पी.टी.ई.एल. के निर्णय दिनांक 11 नवम्बर, 2011 (ऊर्जा मंत्रालय द्वारा प्राप्त पत्र पर स्वप्रेरित कार्यवाही) तथा विनियामकों के मंच द्वारा प्रकाशित बहुवर्षीय वितरण शुल्क हेतु आदर्श विनियम तथा साथ ही दो शुल्क आदेशों के जारी होने के मध्य की अवधि में उपभोक्ताओं से ईंधन की तिमाही वसूली व ऊर्जा क्रय समायोजनों के लिए उपबंध सम्मिलित करने के संबंध में प्राप्त टिप्पणियों के प्रकाश में आयोग ने अंतिम विनियमों में ईंधन प्रभार समायोजन तंत्र सम्मिलित किया है।

प्रारूपों की सूची

Format for Distribution

1	प्रारूप एफ—1	वार्षिक राजस्व आवश्यकता का सार
2	प्रारूप एफ—2.1	ग्राहक विक्रय पूर्वानुमान
3	प्रारूप एफ—2.2	उपभोक्ता पूर्वानुमानों की संख्या
4	प्रारूप एफ—2.3	भार पूर्वानुमान
5	प्रारूप एफ—2.4	वितरण हानियां
6	प्रारूप एफ—2.5	ऊर्जा वितरण
7	प्रारूप एफ—2.6	ऊर्जा की उपलब्धता
8	प्रारूप एफ—2.7	केन्द्रीय उत्पादक स्टेशन से ओवर ड्रावल/अंडर ड्राउल के लिए देय/प्राप्त यूआई प्रभार व
9	प्रारूप एफ—2.8	ऊर्जा शेष
10	प्रारूप एफ—2.9	ऊर्जा क्रय व्यय
11	प्रारूप एफ—3	पारेषण व भार प्रेषण प्रभारों का विवरण
12	प्रारूप एफ—4	प्रचालन एवं अनुरक्षण व्यय
13	प्रारूप एफ—4.1	कर्मचारी व्यय
14	प्रारूप एफ—4.2	मरम्मत एवं रख—रखाव व्यय
15	प्रारूप एफ—4.3	प्रशासकीय एवं सामान्य व्यय
16	प्रारूप एफ—5.1	कुल स्थिर आस्ति आधार तथा वित्त पोषण योजना का विवरण
17	प्रारूप एफ—5.2	आस्तिकर अवक्षय का विवरण
18	प्रारूप एफ—5.3	अवक्षय का विवरण
19	प्रारूप एफ—5.4	पूंजीगत आस्तियों की लागत के अंशदान, अनुदान व सहायिकियाँ
20	प्रारूप एफ—6.1	पूंजीगत व्यय का विवरण
21	प्रारूप एफ—6.2	पूंजीगत प्रगति—अधीन—कार्यों का विवरण
22	प्रारूप एफ—6.3	पूंजी लागत व वित्त पोषण सरंचना का विवरण
23	प्रारूप एफ—7.1	वित्तीय पैकेज का विवरण
24	प्रारूप एफ—7.2	आईडीसी व वित्त पोषण प्रभारों के परिकलन हेतु ड्रॉ डाउन अनुसूची
25	प्रारूप एफ—7.3	बकाया ऋणों का विवरण
26	प्रारूप एफ—7.4	वास्तविक ऋणों पर ब्याज की भारित औसतन ब्याज दर का परिकलन
27	प्रारूप एफ—7.5	मानकीय ऋण पर ब्याज का परिकलन
28	प्रारूप एफ—8	कार्यशील पूंजी पर ब्याज का विवरण
29	प्रारूप एफ—9	अशोध्य ऋणों के लिए प्रावधान
30	प्रारूप एफ—10	इक्विटी पर प्रतिफल
31	प्रारूप एफ—11	गैर शुल्क आय का विवरण
32	प्रारूप एफ—12	व्हीलिंग प्रभार से आय
33	प्रारूप एफ—13	वर्तमान शुल्कों पर ऊर्जा के विक्रय से राजस्व
34	प्रारूप एफ—14	आगामी वर्ष के लिए प्रस्तावित शुल्क से राजस्व
35	प्रारूप एफ—15	संग्रहण दक्षता
36	प्रारूप एफ—16	सहीकरण का सार
37	प्रारूप एफ—17.1	प्रणाली औसत व्यवधान आवृत्ति सूचकांक (एसएआईएफआई)
38	प्रारूप एफ—17.2	प्रणाली औसत व्यवधान अवधि सूचकांक (एसएआईडीआई)
39	प्रारूप एफ—17.3	क्षणिक औसत व्यवधान आवृत्ति सूचकांक (एमएआईएफआई)
40	प्रारूप एफ—18.1	शंट कैपेसिटर परिवर्धन/मरम्मत कार्यक्रम
41	प्रारूप एफ—18.2	विद्युत दुर्घटनाएं
42	प्रारूप एफ—18.3	फीडर ट्रिपिंग के कारण आउटेज का सारांश
43	प्रारूप एफ—18.4	वर्ष की अवधि में की गई श्रेणीवार लोड शैडिंग
44	प्रारूप एफ—18.5	अति भारित फीडर्स
45	प्रारूप एफ—18.6	परिवर्तकों की विफलता
46	प्रारूप एफ—18.7	अति भारित वितरण प्रवर्तक (डीटीआर्स)
47	प्रारूप एफ—18.8	प्राप्यों की आयुकारक अनुसूची
48	प्रारूप एफ—18.9	मीटरिंग की प्रास्थिति
49	प्रारूप एफ—18.10	ग्राहक बिलों का जारी करना
50	प्रारूप एफ—18.11	लंबित सेवा संयोजन आवेदनों

यह दिनांक 10.03.2012 गजट के प्रकाशित अंग्रेजी का हिन्दी रूपान्तरण है। किसी भी तरह के निर्वचन (व्याख्या) के लिए अंग्रेजी विनियम के प्रारूप अन्तिम एवं मान्य होगा।

वितरण अनुज्ञापी का नाम ____________________

आपूर्ति का अनुज्ञापित क्षेत्र ____________________

प्रारूप एफ—1

वार्षिक राजस्व आवश्यकता का सार

[illegible]	[illegible]	[illegible]	वर्तमान वर्ष (एन)			[illegible]	[illegible]	[illegible]
			अप्रैल—सितम्बर (वास्तविक)	अक्टूबर—मार्च (आंकलित)	कुल (अप्रैल—मार्च)			
	व्यय							
1	ऊर्जा क्रय व्यय							
2	पारेषण प्रभार							
3	एनएलडीसी/आरएनडीसी/एसएलडीसी प्रभार							
4	कर्मचारी व्यय							
4.1	प्रशासनिक व्यय							
4.2	प्रशासनिक व सामान्य व्यय							
4.3	मरम्मत एवं रख—रखाव व्यय							
5	ब्याज प्रभार							
6	पट्टा प्रभार							
7	अवक्षय							
8	कार्यशील पूंजी पर ब्याज							
[illegible]								
	घटाकर : व्यय पूंजीकरण							
1	ब्याज पूंजीकरण							
[illegible]								
	अन्य व्यय / प्रभाजन							
1	अशोध्य व संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान							
2	इक्विटी पर प्रतिफल							
[illegible]								
1	घटाकर : गैर शुल्क आय							
2	घटाकर : अन्य व्यवसायों से आय (विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 51)							
3	घटाकर : व्हीलिंग प्रभार से आय							
4	घटाकर : प्रति सहायिकी अधिभार से प्राप्ति							
5	घटाकर : व्हीलिंग के प्रभार पर अतिरिक्त अधिभार से प्राप्ति							
	घटाकर : विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 65 के अधीन सहायिकी से अन्यथा राज्य सरकार से प्राप्त कोई राजस्व व सहायिकी							
[illegible]								

[illegible]

Format for Distribution

वितरण अनुज्ञापी का नाम ____________
आपूर्ति का अनुज्ञापित क्षेत्र ____________
प्रपत्र एफ 2.1
ग्राहक विक्रय पूर्वानुमान
गत वर्ष (एन–1)

(एमयू)

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
एचटी													
श्रेणी–1													
स्लैब–1													
स्लैब–2													
.....													
श्रेणी–एन													
एलटी													
श्रेणी–1													
स्लैब–1													
स्लैब–2													
.....													
श्रेणी–एन													
कुल													

अनुज्ञापियों से अपेक्षा है कि उनके कारोबार में लागू ग्राहक श्रेणियों का विवरण प्रदान करें।

वर्तमान वर्ष (एन)

(एमयू)

उपभोक्ता श्रेणी व उपभोग स्लैब	अप्रैल	मई	जून	जुलाई	अगस्त	सितम्बर	अक्टूबर	नवम्बर	दिसम्बर	जनवरी	फरवरी	मार्च	कुल
एचटी													
श्रेणी–1													
स्लैब–1													
स्लैब–2													
.....													
श्रेणी–एन													
एलटी													
श्रेणी–1													
स्लैब–1													
स्लैब–2													
.....													
श्रेणी–एन													
कुल													

पूर्व विक्रय आँकड़े

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
एचटी श्रेणी						
श्रेणी–1						
स्लैब–1						
स्लैब–2						
.....						
श्रेणी–एन						
एलटी श्रेणी						
श्रेणी–1						
स्लैब–1						
स्लैब–2						
.....						
श्रेणी–एन						
कुल						

Format for Distribution

आगामी वर्ष (एन+1)

(एमयू)

एचटी													
श्रेणी–1													
स्लैब–1													
स्लैब–2													
.....													
श्रेणी–एन													
एलटी													
श्रेणी–1													
स्लैब–1													
स्लैब–2													
.....													
श्रेणी–एन													
कुल													

आगामी वर्ष (एन+2)

(एमयू)

एचटी													
श्रेणी–1													
स्लैब–1													
स्लैब–2													
.....													
श्रेणी–एन													
एलटी													
श्रेणी–1													
स्लैब–1													
स्लैब–2													
.....													
श्रेणी–एन													
कुल													

Format for Distribution

आगामी वर्ष (एन+3)

(एमयू)

एचटी													
श्रेणी–1													
स्लैब–1													
स्लैब–2													
.....													
श्रेणी–एन													
एलटी													
श्रेणी–1													
स्लैब–1													
स्लैब–2													
.....													
श्रेणी–एन													
कुल													

Format for Distribution

वितरण अनुज्ञापी का नाम ____________________

आपूर्ति का अनुज्ञापित क्षेत्र ____________________

प्रपत्र एफ 2.2

उपभोक्ता पूर्वानुमान की संख्या

गत वर्ष (एन–1)

एचटी												
श्रेणी–1												
स्लैब–1												
स्लैब–2												
.....												
श्रेणी–एन												
एलटी												
श्रेणी–1												
स्लैब–1												
स्लैब–2												
.....												
श्रेणी–एन												
कुल												

अनुज्ञापियों से अपेक्षा है कि उनके कारोबार में लागू ग्राहक श्रेणियों का विवरण प्रदान करें।

पूर्व भार डाटा

उपभोक्ता श्रेणी व उपभोग स्लैब	एन–4	एन–3	एन–2	एन–1	एन	5 वर्ष सीएजीआर
एचटी						
श्रेणी–1						
स्लैब–1						
स्लैब–2						
.....						
श्रेणी–एन						
एलटी						
श्रेणी–1						
स्लैब–1						
स्लैब–2						
.....						
श्रेणी–एन						
कुल						

वर्तमान वर्ष (एन)

उपभोक्ता श्रेणी व उपभोग स्लैब	अप्रैल	मई	जून	जुलाई	अगस्त	सितम्बर						मार्च
एचटी												
श्रेणी–1												
स्लैब–1												
स्लैब–2												
.....												
श्रेणी–एन												
एलटी												
श्रेणी–1												
स्लैब–1												
स्लैब–2												
.....												
श्रेणी–एन												
कुल												

Format for Distribution

एमवाईटी वर्तमान अवधि

[redacted]						
एचटी						
श्रेणी–1						
स्लैब–1						
स्लैब–2						
.....						
श्रेणी–एन						
एलटी						
श्रेणी–1						
स्लैब–1						
स्लैब–2						
.....						
श्रेणी–एन						
कुल						

Format for Distribution

वितरण अनुज्ञापी का नाम ____________________

आपूर्ति का अनुज्ञापित क्षेत्र ____________________

प्रपत्र एफ 2.3

भार पूर्वानुमान

पूर्व वर्ष (एन–1)

[illegible]													
एचटी													
श्रेणी–1													
स्लैब–1													
स्लैब–2													
....													
श्रेणी–एन													
	MW/MVA/ BHP												
एलटी													
श्रेणी–1													
स्लैब–1													
स्लैब–2													
....													
श्रेणी–एन													
कुल (मेगावाट में परिवर्तित)													

(अनुज्ञापियों से अपेक्षा है कि उनके कारोबार में लागू ग्राहक श्रेणियों का विवरण प्रदान करें।)

पूर्व भार डाटा

उपभोक्ता श्रेणी व उपभोग स्लैब	एन–4	एन–3	एन–2	एन–1	एन	5 वर्ष सीएजीआर
एचटी						
श्रेणी–1						
स्लैब–1						
स्लैब–2						
....						
श्रेणी–एन						
एलटी						
श्रेणी–1						
स्लैब–1						
स्लैब–2						
....						
श्रेणी–एन						
कुल (मेगावाट में परिवर्तित)						

वर्तमान वर्ष (एन)

उपभोक्ता श्रेणी व उपभोग स्लैब	ईकाई	अप्रैल	मई	जून	जुलाई	अगस्त	सितम्बर	[redacted]					मार्च
एचटी													
श्रेणी–1													
स्लैब–1													
स्लैब–2													
.....													
श्रेणी–एन													
	MW/MVA/ BHP												
एलटी													
श्रेणी–1													
स्लैब–1													
स्लैब–2													
....													
श्रेणी–एन													
कुल (मेगावाट में परिवर्तित)													

Format for Distribution

एनवाईटी वर्तमान अवधि

एचटी							
श्रेणी–1							
स्लैब–1							
स्लैब–2							
....							
श्रेणी–एन							
	MW/MVA/ BHP						
एलटी							
श्रेणी–1							
स्लैब–1							
स्लैब–2							
....							
श्रेणी–एन							
कुल (मेगावाट में परिवर्तित)							

Format for Distribution

वितरण वितरण अनुज्ञापी का ______________________

आपूर्ति आपूर्ति का अनुज्ञापित ______________________

प्रपत्र एफ 2.4

वितरण हानियाँ

पूर्व वर्ष (एन–1)

(एमयू)

[redacted]											

वर्तमान वर्ष (एन)

(एमयू)

क्र0सं0	वोल्टेज स्तर	ऊर्जा आगत	निम्न नेटवर्क को भेजी गयी ऊर्जा	सीधी बिक्री	कुल निर्गत	कुल हानियां	कुल हानियां ऊर्जा आगत का %	कुल तकनीकी हानि	कुल हानियां (ऊर्जा आगत का %)	कुल वाणिज्यिक हानि	कुल हानियां (ऊर्जा आगत का %)

आगामी वर्ष (एन+1)

(एमयू)

[redacted]											

Format for Distribution

आगामी वर्ष (एन+2)

(एमयू)

क्र0सं0	वोल्टेज स्तर	[redacted]	निम्न नेटवर्क को भेजी गयी ऊर्जा	सीधी बिक्री	कुल निर्गत	कुल हानियां	कुल हानियां ऊर्जा आगत का %	कुल तकनीकी हानि	कुल हानियां (ऊर्जा आगत का %)	कुल वाणिज्यिक हानि	कुल हानियां (ऊर्जा आगत का %)

आगामी वर्ष (एन+3)

(एमयू)

क्र0सं0	वोल्टेज स्तर	[redacted]	निम्न नेटवर्क को भेजी गयी ऊर्जा	सीधी बिक्री	कुल निर्गत	कुल हानियां	कुल हानियां ऊर्जा आगत का %	कुल तकनीकी हानि	कुल हानियां (ऊर्जा आगत का %)	कुल वाणिज्यिक हानि	कुल हानियां (ऊर्जा आगत का %)

Format for Distribution

वितरण अनुज्ञापी का नाम ....

आपूर्ति का अनुज्ञापित क्षेत्र ....

प्रपत्र एफ 2.5
ऊर्जा वितरण

पूर्व वर्ष (एन–1)

[redacted]										
स्टेशन/स्रोत 1										
स्टेशन/स्रोत 2										
कुल										

वर्तमान वर्ष (एन)

ऊर्जा का स्रोत (स्टेशन वार)	संस्थापित क्षमता	यूटिलिटी भाग (%)	यूटिलिटी भाग (मेगावाट)	स्टेशन से उपलब्ध ऊर्जा (मेगावाट)	स्टेशन से प्रेषित ऊर्जा (मेगावाट)	अन्तर्राज्यीय पारेषण हानियां (%)	राज्य उपान्त क्षेत्र में प्राप्त यूनिट्स (एमयू)			टिप्पणी
स्टेशन/स्रोत 1										
स्टेशन/स्रोत 2										
कुल										

आगामी वर्ष (एन+1)

[redacted]										
स्टेशन/स्रोत 1										
स्टेशन/स्रोत 2										
कुल										

Format for Distribution

आगामी वर्ष (एन+2)

ऊर्जा का स्रोत (स्टेशन वार)	संस्थापित क्षमता	यूटिलिटी भाग (%)	यूटिलिटी भाग (मेगावाट)	स्टेशन से उपलब्ध ऊर्जा (मेगावाट)	स्टेशन से प्रेषित ऊर्जा (मेगावाट)	अन्तर्राज्यीय पारेषण हानियां (%)	राज्य उपान्त क्षेत्र में प्राप्त यूनिट्स (एमयू)			टिप्पणी
स्टेशन/स्रोत 1										
स्टेशन/स्रोत 2										
कुल										

आगामी वर्ष (एन+3)

[redacted]										
स्टेशन/स्रोत 1										
स्टेशन/स्रोत 2										
कुल										

ution

वितरण अनुज्ञापी का नाम ____________________

आपूर्ति का अनुज्ञापित क्षेत्र ____________________

प्रपत्र एफ 2.6

ऊर्जा की उपलब्धता

वर्तमान वर्ष (एन)

अप्रैल								
मई								
जून								
जुलाई								
अगस्त								
सितम्बर								
अक्टूबर								
नवम्बर								
दिसम्बर								
जनवरी								
फरवरी								
मार्च								
कुल								

आगामी वर्ष (एन+1)

(एमयू में)*

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
अप्रैल								
मई								
जून								
जुलाई								
अगस्त								
सितम्बर								
अक्टूबर								
नवम्बर								
दिसम्बर								
जनवरी								
फरवरी								
मार्च								
कुल								

ution',

आगामी वर्ष (एन+2) (एमयू में)*

स्रोत* / माह	स्रोत 1	स्रोत 2	स्रोत 3	...	....	....	स्रोत एन	कुल उपलब्धता
अप्रैल								
मई								
जून								
जुलाई								
अगस्त								
सितम्बर								
अक्टूबर								
नवम्बर								
दिसम्बर								
जनवरी								
फरवरी								
मार्च								
कुल								

आगामी वर्ष (एन+3) (एमयू में)*

स्रोत* / माह	स्रोत 1	स्रोत 2	स्रोत 3	...	....	....	स्रोत एन	कुल उपलब्धता
अप्रैल								
मई								
जून								
जुलाई								
अगस्त								
सितम्बर								
अक्टूबर								
नवम्बर								
दिसम्बर								
जनवरी								
फरवरी								
मार्च								
कुल								

युटिलिटी स्रोत के संबन्ध में वर्तमान वर्ष व आगामी वर्ष की आकलित अवधि के प्रत्येक माह हेतु उपरोक्त प्रारूप में डाटा उपलब्ध करवायेगी।

उपरोक्त प्रारूप में एक स्टेशन की संविदाकृत कोई पीकिंग क्षमता, प्रारूप में व आधार नोट में फूटनोट्स के द्वारा विशिष्ट रूप से चिन्हित की जायें।

निम्नलिखित सहित प्रत्येक प्राविष्टि के लिए समर्थक दस्तावेज संलग्न करें।

ऊर्जा कय तथा/या पारेषण/व्हीलिंग प्रभार करार।

बिलिंग, विवाद, यदि कोई हो, के वितरण के साथ, ऊर्जा आपूर्ति करने वी सभी कम्पनियों, राज्य विद्युत बोर्डों के लिए पिछले बारह माह हेतु ऊर्जा तथा/या पारेषण व्हीलिंग प्रभारों के बिल की प्रतियां।

अवधारणाएं, यदि कोई है, तो वाद में आधार नोट में स्पष्ट रूप से इंगित की जानी चाहिए।

वितरण अनुज्ञापी का नाम

आपूर्ति का अनुज्ञापित क्षेत्र

प्रपत्र एफ 2.7

केन्द्रीय उत्पादक स्टेशनों से ओवर ड्रावल/अंडर ड्रावल हेतु देय/प्राप्य यू0आई0 प्रभार व अतिरिक्त यू0आई0 प्रभार का विवरण

पूर्व वर्ष (एन–1)

									अंडर ड्रावल					
									एमयू	यूआई प्रभार				
अप्रैल														
मई														
जून														
जुलाई														
अगस्त														
सितम्बर														
अक्टूबर														
नवम्बर														
दिसम्बर														
जनवरी														
फरवरी														
मार्च														
वर्ष का योग														

वर्तमान वर्ष (एन)

									अंडर ड्रावल					
									एमयू	यूआई प्रभार				
अप्रैल														
मई														
जून														
जुलाई														
अगस्त														
सितम्बर														

प्रत्येक प्रविष्टि हेतु समर्थक दस्तावेज संलग्न करें।

अवधारणा, यदि कोई हैं, उपयुक्त स्थान पर स्पष्ट रूप से इंगित की जाए।

for Distribution

वितरण अनुज्ञापी का नाम ____________

आपूर्ति का अनुज्ञापित क्षेत्र ____________

प्रपत्र एफ 2.8

ऊर्जा शेष

पूर्व वर्ष (एन–1)

ऊर्जा का स्रोत													
यूजेवीएनएल													
सीजीएस													
आईपीपी													
बैंकिंग सहित अन्य (प्रत्येक मुख्य स्रोत को विनिर्दिष्ट करें)													
यूआई													
विक्रय या ऊर्जा आगत हेतु उपलब्ध कुल ऊर्जा													
राज्य के भीतर ऊर्जा विक्रय													
एलटी													
एचटी													
राज्य के भीतर कुल विक्रय													
वितरण हानि													
वितरण हानि (%)													
राज्यान्तर्गत पारेषण हानियां (%)													
राज्यान्तर्गत पारेषण हानियां (एमयू)													
राज्य के उपांत में ऊर्जा आवश्यकता													

वर्तमान वर्ष (एन)

विवरण	अप्रैल	मई	जून	जुलाई	अगस्त	सितम्बर	अक्टू–मार्च	कुल
			अन्तरिम				आंकलित	
ऊर्जा का स्रोत								
यूजेवीएनएल								
सीजीएस								
आईपीपी								
बैंकिंग सहित अन्य (प्रत्येक मुख्य स्रोत को विनिर्दिष्ट करें)								
यूआई								
विक्रय या ऊर्जा आगत हेतु उपलब्ध कुल ऊर्जा								
राज्य के भीतर ऊर्जा विक्रय								
एलटी								
एचटी								
राज्य के भीतर कुल विक्रय								
वितरण हानि								
वितरण हानि (%)								
राज्यान्तर्गत पारेषण हानियां (%)								
राज्यान्तर्गत पारेषण हानियां (एमयू)								
राज्य के उपांत में ऊर्जा आवश्यकता								

for Distribution

नियंत्रण अवधि

(एमयू में)*

वर्ष / विवरण	एन+1	एन+2	एन+3	योग
ऊर्जा का स्रोत				
यूजेवीएनएल				
सीजीएस				
आईपीपी				
बैंकिंग सहित अन्य (प्रत्येक मुख्य स्रोत को विनिर्दिष्ट करें)				
यूआई				
विक्रय या ऊर्जा आगत हेतु उपलब्ध कुल ऊर्जा				
राज्य के भीतर ऊर्जा विक्रय				
एलटी				
एचटी				
राज्य के भीतर कुल विक्रय				
वितरण हानि				
वितरण हानि (%)				
राज्यान्तर्गत पारेषण हानियां (%)				
राज्यान्तर्गत पारेषण हानियां (एमयू)				
राज्य के उपांत में ऊर्जा आवश्यकता				

युटिलिटी प्रत्येक स्रोत के सम्बन्ध में वर्तमान वर्ष व आगामी वर्ष की आंकलित अवधि के प्रत्येक माह हेतु उपरोक्त प्रारूप में उपलब्ध करवायेगी।

उपरोक्त प्रारूप में एक स्टेशन से संविदाकृत कोई पीकिंग क्षमता, प्रारूप में व आधार नोट में फूटनोट्स के द्वारा विशिष्ट रूप से चिहित की जाये।

निम्नलिखित सहित प्रत्येक प्रविष्टि के लिए समर्थक दस्तावेज संलग्न करें।

ऊर्जा क्रय तथा/या पारेषण/व्हीलिंग प्रभार करार।

बिलिंग, विवाद, यदि कोई हो, के विवरण में साथ, ऊर्जा आपूर्ति करने वाली सभी कम्पनियों, राज्य विद्युत बोर्डों के लिए पिछले बारह माह हेतु ऊर्जा तथा/या पारेषण/व्हीलिंग प्रभारों के बिल की प्रतियां।

अवधारणाएं, यदि कोई है तो बाद में आधार नोट में स्पष्ट रूप से इंगित की जानी चाहिए।

Format for Distribution

वितरण अ: ्पी का नाम
आपूर्ति का अनुज्ञापित क्षेत्र

प्रपत्र एफ 2.9

ऊर्जा क्रय विक्रय

पूर्व वर्ष (एन–1)

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
स्टेशन /स्रोत 1								
स्टेशन /स्रोत 2								
....								
....								
....								
स्टेशन /स्रोत एन								
कुल								

वर्तमान वर्ष (एन)*

ऊर्जा का स्रोत (स्टेशन वार)	कुल वार्षिक स्थिर प्रभार (करोड़ रुपये)	यूटिलिटी द्वारा संदाय/देय क्षमता प्रभार (करोड़ रुपये)	ईंधन मूल्य समायोजन सहित प्रति यूनिट परिवर्ती लागत (रु0/केडब्लूएच)	कुल परिवर्ती प्रभार (करोड़ रु0)	कोई अन्य प्रभार (प्रभार का प्रकार विनिर्दिष्ट करें)	प्राप्त ऊर्जा की कुल लागत (करोड़ रु0)		वितरण सपान्त क्षेत्र प्राप्त ऊर्जा की औसत लागत (रु0/केडब्लूएच)
स्टेशन /स्रोत 1								
स्टेशन /स्रोत 2								
कुल								

** वर्तमान वर्ष के प्रथम अर्ध–वर्ष के लिए वास्तविक व वर्तमान वर्ष के द्वितीय वर्ष के लिए आकलित पृथक रूप से प्रदान करें।*

आगामी वर्ष (एन+1)

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
स्टेशन /स्रोत 1								
स्टेशन /स्रोत 2								
कुल								

Format for Distribution

आगामी वर्ष (एन+2)

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
स्टेशन /स्रोत 1								
स्टेशन /स्रोत 2								
कुल								

आगामी वर्ष (एन+3)

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
स्टेशन /स्रोत 1								
स्टेशन /स्रोत 2								
कुल								

Format for Distribution

वितरण अनुज्ञापी का नाम ____________________

आपूर्ति का अनुज्ञापित क्षेत्र ____________________

प्रपत्र एफ 3

पारेषण व भार प्रेषण प्रभारों का विवरण

(आंकड़े करोड़ रूपये में)

			वर्तमान वर्ष (एन)						
			अप्रैल—सितम्बर (वास्तविक)	अक्टूबर—मार्च (आंकलित)	योग (अप्रैल—मार्च)				
1	पीजीसीआईएल पारेषण प्रभार								
2	पिटकुल पारेषण प्रभार								
3	एसएलडीसी प्रभार								
4	एनआरएलडीसी प्रभार								

वितरण अनुज्ञापी का नाम ______________

आपूर्ति का अनुज्ञापित क्षेत्र ______________

प्रपत्र एफ 4

प्रचालन एवं अनुरक्षण व्यय

(आंकड़े करोड़ रुपये में)

								वर्तमान वर्ष (एन)					
								अप्रैल–सितम्बर (वास्तविक)	अक्टूबर–मार्च (आंकलित)	योग (अप्रैल–मार्च)			
1	कर्मचारी व्यय	एफ 2.1											
2	प्रशासनिक व सामान्य लागतें	एफ 2.2											
3	मरम्मत एवं रख–रखाव व्यय	एफ 2.3											

Format for Distribution

वितरण अनुज्ञप्ती का नाम ____________

आपूर्ति का अनुज्ञापित क्षेत्र ____________

प्रपत्र एफ 4.1

कर्मचारी व्यय

(आंकड़े करोड़ रुपये में)

									वर्तमान वर्ष (एन)						
									अप्रैल–सितम्बर (वास्तविक)	अक्टूबर–मार्च (आंकलित)	योग (अप्रैल–मार्च)				
ए		**कर्मचारी लागत (सी व डी में आने से अन्यथा)**													
	1	वेतन													
	2	अतिरिक्त वेतन/महंगाई भत्ता (डीए)													
	3	अन्य भत्ते एवं राहत													
	4	अंतरिम राहत/वेतन संशोधन													
	5	मानदेय/ओवर टाईम													
	6	सांविधिक बोनस/अनुग्रह अनुदान													
		उप–योग													
बी		**अन्य लागतें**													
	1	चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति													
	2	यात्रा भत्ता (यातायात भत्ता)													
	3	छुट्टी यात्रा सहायता													
	4	अर्जित अवकाश नकदीकरण													
	5	कर्मकार प्रतिकार अधिनियम व ग्रेच्युटी के अधीन भुगतान													
	6	कर्मचारियों को इमदादी विद्युत													
	7	कोई अन्य मद													
	8	कर्मचारी कल्याण व्यय													
		उप–योग													
सी		**प्रशिक्षु व अन्य प्रशिक्षण व्यय**													
डी		**सेवांत सुविधाएं**													
	1	भविष्य निधि अंशदान													
	2	भविष्य निधि अंशदान हेतु प्रावधान													
	3	कोई अन्य मद													
		योग सी													
ई		**कुल योग**													
एफ		कर्मचारी व्यय पूंजीकृत													
जी		**शुद्ध कर्मचारी व्यय (ई)–(एफ)**													

Format for Distribution

बी– कर्मचारियों की संख्या का विवरण

[redacted]								वर्तमान वर्ष (एन)			[redacted]			
								अप्रैल–सितम्बर (वास्तविक)	अक्टूबर–मार्च (आंकलित)	योग (अप्रैल–मार्च)				
ए	अधिकारी/प्रबन्धक संवर्ग													
1	तकनीकी													
2	प्रशासनिक													
3	लेखा एवं वित्त													
4	अन्य (विनिर्दिष्ट करें)													
बी	स्टाफ संवर्ग													
5	तकनीकी													
5.1	ग्रेड 1													
5.2	ग्रेड 2													
5.3	ग्रेड 3													
5.4	ग्रेड 4													
6	प्रशासनिक													
6.1	ग्रेड 1													
6.2	ग्रेड 2													
6.3	ग्रेड 3													
6.4	ग्रेड 4													
7	लेखा एवं वित्त													
7.1	ग्रेड 1													
7.2	ग्रेड 2													
7.3	ग्रेड 3													
7.4	ग्रेड 4													
8	अन्य (विनिर्दिष्ट करें)													
8.1	ग्रेड 1													
8.2	ग्रेड 2													
8.3	ग्रेड 3													
8.4	ग्रेड 4													

Format for Distribution

वितरण अनुज्ञापी का नाम ____________________

आपूर्ति का अनुज्ञापित क्षेत्र ____________________

प्रपत्र एफ 4.2

मरम्मत एवं रख–रखाव व्यय

(रू0 करोड़ में)

[redacted]								वर्तमान वर्ष (एन)			[redacted]			
								अप्रैल–सितम्बर (वास्तविक)	अक्टूबर–मार्च (आंकलित)	योग (अप्रैल–मार्च)				
1	संयत्र एवं मशीनरी													
2	भवन													
3	सिविल कार्य													
4	हायड्रोलिक कार्य													
5	लाईन्स, केबल्स, नेटवर्क्स इत्यादि													
6	वाहन													
7	फर्नीचर एवं फिक्स्चर्स													
8	कार्यालय उपकरण													
9	स्टेशन आपूर्तियां													
10	आर एंड एम प्रभारों के अन्य													
	योग (1 से 10)													

Format for Distribution

वितरण अनुज्ञापी का नाम ____________

आपूर्ति का अनुज्ञापित क्षेत्र ____________

प्रपत्र एफ 4.3

प्रशासकीय एवं सामान्य व्यय

(रु० करोड़ में)

									वर्तमान वर्ष (एन)						
									अप्रैल–सितम्बर (वास्तविक)	अक्टूबर–मार्च (आंकलित)	योग (अप्रैल–मार्च)				
ए	प्रशासकीय व्यय														
1	किराया दरें व कर														
	पट्टा/किराया														
	दरें व कर														
2	बीमा														
3	राजस्व स्टेम्प व्यय खाता														
4	टेलीफोन, पोस्टेज, टेलीग्राम, टेलेक्स प्रभार														
5	कर्मचारियों, बाहरी व्यक्तियों को प्रोत्साहन, पारितोषिक														
6	परामर्श प्रभार														
7	तकनीकी फीस														
8	अन्य वृत्तिक व्यय														
9	यातायात व यात्रा														
10	अनुज्ञाप्ति व रजिस्ट्रेशन फीस	संयंत्र व मशीनरी की													
		वाहन की													
11	वाहन व्यय (ट्रक्स व डिलीवरी वाहन से अन्यथा)	वाहन चालन व्यय पेट्रौल व													
		वाहनों का किराया													
12	बाहरी अभिकरणों की संदाय सुरक्षा/सेवा प्रभार														
	उप–योग ए (1 से 12)														
बी	अन्य प्रभार														
1	पुस्तकों व पत्रिकाओं की फीस व ग्राहकी														
2	छपाई व लेखन सामग्री														
3	विज्ञापन व्यय (क्रय संबन्धी के अन्यथा) प्रदर्शनी														
4	बाहरी संस्थाओं/संघों का अंशदान/चंदा														
5	कार्यालयों को विद्युत प्रभार														
6	जल प्रभार														
7	मनोरंजन व्यय														
8	विविध व्यय														
	उप–योग बी (1 से 8)														
सी	विधिक प्रभार														
डी	लेखा परीक्षक की फीस														
ई	सामग्री सम्बन्धी व्यय														
1	पूंजीगत उपकरणों पर भाड़ा														
2	क्रय सम्बन्धी विज्ञापन व्यय														
3	वाहन चालन व किराया व्यय(ट्रक/डिलिवरी वैन)														
4	अन्य भाड़ा														
5	संक्रमण बीमा														
6	चुंगी														
7	आकस्मिक स्टोर व्यय														
8	फेब्रिकेशन व्यय														
	उप–योग ई (1 से 8)														
एफ	कुल योग (ए से ई)														
जी	एएंडजी व्यय पूंजीकृत														
एच	–शुद्ध एएंडजी व्यय (एफजी)														

mat for Distribution

वितरण अनुज्ञापी का नाम ____________________

आपूर्ति का अनुज्ञापित क्षेत्र ____________________

प्रपत्र एफ 5.1

सकल स्थिर आस्ति व वित्त पोषण योजना का विवरण

वाणिज्यिक प्रचालक की तिथि पर अंतिम अनुमोदित लागत

[redacted]		
(ए) परियोजना –1		(दिन / माह / वर्ष)
(बी) परियोजना –2		(दिन / माह / वर्ष)
(सी) परियोजना –3		(दिन / माह / वर्ष)
(डी) परियोजना –4		(दिन / माह / वर्ष)
(ई) परियोजना –5 इत्यादि		(दिन / माह / वर्ष)

मूल वित्त पोषण योजना (परियोजना वार)

रूपया आवधिक ऋण		
ऋण 1		
ऋण 2 *		
विदेशी मुद्रा ऋण		
ऋण 1		
ऋण 2 *		
इक्विटी		
रूपये में		
विदेशी मुद्रा में		
पूंजी अनुदान / पूंजी सहायिकी		
ब्वदेनउमत ब्वदजतपइनजपवद		

गत वर्ष (एन–1) (आंकड़े करोड़ रूपये में)

[redacted]				
ए) भूमि				
बी) भवन				
सी) इसी तरह आगे (विनियामकों में दिये वर्गीकरण के अनुसार)				
कुल				

आगामी वर्ष (एन+1) (आंकड़े करोड़ रूपये में)

[redacted]	प्रारम्भिक अधिशेष	वर्ष की अवधि में आस्तियों का परिवर्धन		वर्ष की अवधि में आस्तियों की निवृत्ति		अन्य अधिशेष
		अप्रैल–सितम्बर (वास्तविक)	अक्टूबर–मार्च (आंकलित)	अप्रैल–सितम्बर (वास्तविक)	अक्टूबर–मार्च (आंकलित)	
ए) भूमि						
बी) भवन						
सी) इसी तरह आगे (विनियामकों में दिये वर्गीकरण के अनुसार)						
कुल						

mat for Distribution

आपूर्ति का अनुज्ञापित क्षेत्र ____________

प्रपत्र एफ 5.1

सकल स्थिर आस्ति व वित्त पोषण योजना का विवरण

आगामी वर्ष (एन+1) (आंकड़े करोड़ रूपये में)

[redacted]				
ए) भूमि				
बी) भवन				
सी) इसी तरह आगे (विनियामकों में दिये वर्गीकरण के अनुसार)				
कुल				

आगामी वर्ष (एन+2) (आंकड़े करोड़ रूपये में)

[redacted]				
ए) भूमि				
बी) भवन				
सी) इसी तरह आगे (विनियामकों में दिये वर्गीकरण के अनुसार)				
कुल				

आगामी वर्ष (एन+3) (आंकड़े करोड़ रूपये में)

[redacted]				
ए) भूमि				
बी) भवन				
सी) इसी तरह आगे (विनियामकों में दिये वर्गीकरण के अनुसार)				
कुल				

कृपया वर्ष के दौरान स्थिर आस्तियों के परिवर्धन व निवृत्ति की वास्तविक/प्रस्तावित तिथि उपलब्ध करायें।

वितरण अनुज्ञापी का नाम ____________

आपूर्ति का अनुज्ञापित क्षेत्र ____________

not for Distribution

प्रपत्र एफ 5.2

आस्तिवार अवक्षय का विवरण

गत वर्ष (एन–1) (आकंडे रूपये करोड में)

[redacted]					
ए) भूमि					
बी) भवन					
सी) आगे इसी तरह (विनिमानकों में दिये वर्गीकरण के अनुसार)					
कुल					

वर्तमान वर्ष (एन) (आकंडे रूपये करोड में)

आस्तियों का विवरण	अवक्षय की दर (%)	वर्ष के प्रारम्भ में सकल अवक्षय	वर्ष हेतु उपबन्धित अवक्षय		वर्ष के दौरान निकासी		वर्ष के अन्त में सकल अवक्षय का अतिशेष
			अप्रैल–सितम्बर (वास्तविक)	अक्टूबर–मार्च (आंकलित)	अप्रैल–सितम्बर (वास्तविक)	अक्टूबर–मार्च (आंकलित)	
ए) भूमि							
बी) भवन							
सी) आगे इसी तरह (विनिमानकों में दिये वर्गीकरण के अनुसार)							
कुल							

आगामी वर्ष (एन+1) (आकंडे रूपये करोड में)

[redacted]					
ए) भूमि					
बी) भवन					
सी) आगे इसी तरह (विनिमानकों में दिये वर्गीकरण के अनुसार)					
कुल					

nat for Distribution

आपूर्ति का अनुज्ञापित क्षेत्र ____________

प्रपत्र एफ 5.2

आस्तिवार अवक्षय का विवरण

आगामी वर्ष (एन+2)

(आकंडे रूपये करोड में)

ए) भूमि					
बी) भवन					
सी) आगे इसी तरह (विनिमानकों में दिये वर्गीकरण के अनुसार)					
कुल					

आगामी वर्ष (एन+3)

(आकंडे रूपये करोड में)

ए) भूमि					
बी) भवन					
सी) आगे इसी तरह (विनिमानकों में दिये वर्गीकरण के अनुसार)					
कुल					

वितरण अनुज्ञापी का नाम ____________

आपूर्ति का अनुज्ञापित क्षेत्र ____________

प्रपत्र एफ 5.3

अवक्षय का विवरण

(आकंडे रुपये करोड़ में)

अतिरिक्त पूंजीकरण पर ब्याज																
अतिरिक्त पूंजीकरण की राशि																
अवक्षय राशि																
एफईआर वी का विवरण																
एफईआरवी की राशि जिस पर अवक्षय प्रभारित है																
अवक्षय राशि																
वर्ष के दौरान वसूला गया अवक्षय																
वर्ष के दौरान वसूले गये अवक्षय के सम्मुख अग्रिम																
वर्ष के दौरान वसूले गये अवक्षय के सम्मुख अग्रिम व अवक्षय																
वर्ष तंक वसूले गये अवक्षय के सम्मुख अग्रिम व सकल अवक्षय																

Format for Distribution

वितरण अनुज्ञापी का नाम ____________

आपूर्ति का अनुज्ञापित क्षेत्र ____________

प्रपत्र एफ 5.4

अवक्षय का विवरण

(आंकड़े रुपये करोड़

[redacted]			वर्तमान वर्ष (एन)			[redacted]			
			अप्रैल/सितम्बर (वास्तविक)	अक्टूबर—मार्च (आंकलित)	योग(अप्रैल—मार्च)				
1	पूंजीगत आस्तियों की लागत के लिए उपभोक्ता अंषदान								
	उप—योग								
1	पूंजीगत आस्तियों की लागत क लिए सहायिकियां								
2	पूंजीगत आस्तियों की लागत के लिए अनुदान								
	उप—योग								
	योग								

वितरण अनुज्ञापी का नाम ____________________

आपूर्ति का अनुज्ञापित क्षेत्र ____________________

प्रपत्र एफ 8.1

पूंजीगत व्यय का विवरण

(आंकड़े करोड़ रूपयें में)

			वर्तमान वर्ष (एन)									
			अप्रैल/सितम्बर (वास्तविक)	अक्टूबर–मार्च (आंकलित)	योग(अप्रैल–मार्च)							
ए) व्यय विवरण												
ए) भूमि												
बी) भवन												
सी) मुख्य सिविल कार्य												
डी) संयत्र व मशीनरी												
ई) वाहन												
एफ) फर्नीचर व फिक्चर्स												
जी) कार्यालय उपकरण व अन्य												
योग (ए)												
बी) वित्त पोषण के स्रोतों का विवरण												
रूपया आवधिक ऋण												
ऋण 1												
ऋण 2												
—												
विदेशी मुद्रा ऋण												
ऋण 1												
ऋण 2												
—												
इक्विटी												
रूपयें में												
विदेशी मुद्रा में												
सी) अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें)												
पूंजी अनुदान / सहायिकियां												
उपभोक्ता अंशदान												
—												
योग (बी)												

टिप्पणी :

1) जहां कहीं विवरण की आवश्यकता हो संबन्धित दस्तावेजों के साथ ऋणों व इक्विटी वित्त पोषण के सम्बन्ध में दिया जायें।

2) सक्षम प्राधिकारियों से अनुमोदन की प्रतियां, परियोजना की लागत, इसके घटकों व वित्त पोषण योजना के सम्बन्ध में प्रस्तुत किये जायें।

3) टिप्पणियां + यदि वर्तमान वर्ष की अवधि में वास्तविक व्यय, यूईआरसी याअन्य प्राधिकृत अभिकरण द्वारा अनुमोदित से भिन्न होने की अपेक्षा है तो विचलन के कारणों को स्पष्ट करें।

टिप्पणियां ++यदि कुल वास्तविक व्यय, यूईआरसी या अन्य अभिकरण द्वारा अनुमोदित से भिन्न है तो विचलन के कारणों को स्पष्ट करे।

वितरण अनुज्ञापी का नाम ____________

आपूर्ति का अनुज्ञापित क्षेत्र ____________

प्रपत्र एफ 6.2
पूंजीगत प्रगति अधीन कार्यों का विवरण

				वर्तमान वर्ष (एन)						
				अप्रैल/सितम्बर (वास्तविक)	अक्टूबर—मार्च (आंकलित)	योग(अप्रैल—मार्च)				
1	सीडब्लूआईपी का प्रारंभिक अतिशेष									
2	*जोड़कर : नये निवेश*									
	पूंजीगत व्यय									
	पूंजीकृत व्यय									
	निर्माण की अवधि में ब्याज									
3	*घटाकर : पूंजीकृत निवेश*									
4	सीडब्लूआईपी का अंत अतिशेष									

वितरण अनुज्ञापी का नाम ____________

आपूर्ति का अनुज्ञापित क्षेत्र ____________

प्रपत्रः एफ 6.3

पूँजी लागत व वित्त पोषण संरचना का विवरण

वर्षान्त मार्च	सी ओ डी का एफ वाय	पूर्व वर्ष (n-1)	वर्तमान वर्ष (n)			आगामी वर्ष (n-1)	आगामी वर्ष (n-2)	आगामी वर्ष (n-3)
		(वास्तविक/ संपरीक्षित)	अप्रैल—सित0 (वास्तविक)	अक्टू0—मार्च (आंकलित)	योग (अप्रैल—मार्च0)	प्रक्षेपित	प्रक्षेपित	प्रक्षेपित
मूल परियोजना वित्तीय मानदंड								
पूंजी लागत								
वर्ष की अवधि में परिवर्धन								
वर्ष की अवधि में विलोपन								
सकल पूँजी लागत—ए								
मूल परियोजना लागत के विरूद्व इक्विटी								
वर्ष की अवधि में परिवर्धन								
इक्विटी उपयोग —बी								
मूल परियोजना लागत के विरूद्व ऋण								
वर्ष की अवधि में जुड़े नये ऋण								
ऋण उपयोग—सी								
मूल परियोजना लागत के विरूद्व अनुदान								
वर्ष की अवधि में परिवर्धन								
अनुदान उपयोग—डी								
कुल वित्त पोषण (बी+सी +डी0)								

नोट :

1. अनुमोदित या वास्तविक पूंजी लागत, जो भी कम हो।
2. इक्विटी व ऋण, यदि लागू हो, तो विदेशी व घरेलू घटक में विभाजित किया जायेगा।

वितरण अनुज्ञापी का नाम ____________

आपूर्ति का अनुज्ञापित क्षेत्र ____________

प्रपत्रः ए 7.1

वित्तीय पैकेजेज् का विवरण

निधियों का स्रोत	एस सी में राशि	विनियम दर	भारतीय मुद्रा में राशि	वापसी के निबंधन	ग्रेस अवधि	ब्याज दर/ वापसी पर प्रतिफल	गांरटी कमीशन	अपफ्रंट फीस/ प्रदर्शन प्रीमियम	कुल ऋण का %	कुल इक्विटी का %	कुल पी सी का %
	(मुद्रा का नाम)	(रू0/एफ सी)	(करोड़ रू0 में)	(वर्ष)	(वर्ष)	%	(करोड़ रू0 में)	(करोड़ रू0 में)	%	%	%
(ए) ऋण											
विदेश :											
ऋण I											
ऋण II											
ऋण III											
ऋण IV इत्यादि											
भारतीय											
ऋण I											
ऋण II इत्यादि											
कुल ऋण (ए)											
(बी) इक्विटी											
विदेशी											
भारतीय											
कुल इक्विटी (बी)											
(सी) अनुदान											
विदेशी											
भारतीय											
कुल अनुदान (सी)											
कुल वित्त पोषण (ए+बी+सी)											
कुल परियोजना लागत											

नोट :

1. सी ओ डी साधित कर चुकी परियोजनाओं के मामले में– परियोजना के सी ओ डी पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत वित्तीय पैकेज विवरण, समर्थक दस्तावेजों के साथ प्रारूप में प्रस्तुत किये जायेंगे।
2. सी ओ डी साधित न की हुई परियोजनाओं के मामले में : सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित वित्तीय पैकेज विवरण समर्थक दस्तावेजों के साथ प्रारूप में प्रस्तुत किया जायेगा।
3. एफ सी = विदेशी मुद्रा।
4. पी सी = परियोजना लागत

वितरण अनुज्ञापी का नाम ____________

आपूर्ति का अनुज्ञापित क्षेत्र ____________

प्रपत्रः एफ 7.2

आई डी सी व वित्त पोषण प्रभारों के परिकलन के लिये ड्रा डाउन अनुसूची

क्रम सं0	ड्रा डाउन	तिमाही—1			तिमाही—2			तिमाही—n (सी ओ डी)		
	विवरण	विदेशी मुद्रा में मात्रा	ड्रा डाउन तिथि पर विनियम दर	भारतीय रूपये में	विदेशी मुद्रा में मात्रा	ड्रा डाउन तिथि पर विनियम दर	भारतीय रूपये में	विदेशी मुद्रा में मात्रा	ड्रा डाउन तिथि पर विनियम दर	भारतीय रूपये में
1	ऋण									
1.1	विदेशी ऋण									
1.1.1	विदेशी ऋण—1									
	ड्रा डाउन राशि									
	आई डी सी									
	वित्त पोषण प्रभार									
	एफ ई आर वी									
	प्रतिरक्षा लागत									
1.1.2	विदेशी ऋण—1									
	ड्रा डाउन राशि									
	आई डी सी									
	वित्त पोषण प्रभार									
	एफ ई आर वी									
	प्रतिरक्षा लागत									
1.1.n	विदेशी ऋण—n									
	ड्रा डाउन राशि									
	आई डी सी									
	वित्त पोषण प्रभार									
	एफ ई आर वी									
	प्रतिरक्षा लागत									
1.1	कुल विदेशी ऋण									
	ड्रा डाउन राशि									
	आई डी सी									
	वित्त पोषण प्रभार									
	एफ ई आर वी									
	प्रतिरक्षा लागत									

1.2	भारतीय ऋण									
1.2.1	भारतीय ऋण—1									
	ड्रा डाउन राशि									
	आई डी सी									
	वित्त पोषण प्रभार									
1.2.2	भारतीय ऋण—2									
	ड्रा डाउन राशि									
	आई डी सी									
	वित्त पोषण प्रभार									
1.1.n	भारतीय ऋण— n									
	ड्रा डाउन राशि									
	आई डी सी									
	वित्त पोषण प्रभार									
1.2	कुल भारतीय ऋण									
	ड्रा डाउन राशि									
	आई डी सी									
	वित्त पोषण प्रभार									
1.	निकासी किये गये ऋणों का योग									
	आई डी सी									
	वित्त पोषण प्रभार									
	एफ ई आर वी									
	प्रतिरक्षा लागत									
2	इक्विटी									
2.1	निकासी की गई विदेश इक्विटी									
2.2	निकासी की गई भारतीय इक्विटी									
2	कुल अभिनियोजित इक्विटी									

नोट—

1. ऋण व इक्विटी की निकासी, कमीशनिंग अनुसूची को पूरा करने के लिए तिमाही वार उसकी मात्र के आधार पर होगी। प्रारम्भ में उच्च इक्विटी की निकासी अनुमेय है।
2. संगणन हेतु उपयोग की गई पुनः नियत तिथि सहित लागू ब्याज दरें पृथक रूप से प्रस्तुत की जायें।
3. बहु यूनिट परियोजना के मामले में, उपयोग किया गया पूंजीकरण अनुपात प्रस्तुत किया जाये।

वितरण अनुज्ञापी का नाम ____________

आपूर्ति का अनुज्ञापित क्षेत्र ____________

प्रपत्रः एफ 7.3

बकाया ऋणों का विवरण

पूर्व वर्ष (n-1)

ऋण अभिकरण ऋण स्रोत	ब्याज की दर (%)	वापसी की अवधि (वर्ष)	वर्ष के आरम्भ पर अतिशेष	वर्ष की अवधि में प्राप्त राशि	वर्ष की अवधि में शोध्य मूल	बर्ष की अवधि में मूल वापसी	वर्षान्त में अतिशोध्य	वर्ष में शोध्य मूल	टिप्पणी
	(वास्तविक/संपरीक्षित)	(वास्तविक/संपरीक्षित)	(वास्तविक/संपरीक्षित)	(वास्तविक/संपरीक्षित)	(वास्तविक/संपरीक्षित)	(वास्तविक/संपरीक्षित)	(वास्तविक/संपरीक्षित)	(वास्तविक/संपरीक्षित)	
(ए) राज्य सरकार से अन्यथा									
ऋण I (उधारदाता का नाम)									
ऋण II (उधारदाता का नाम)									
ऋण III (उधारदाता का नाम) इत्यादि									
उप–योग (ए)									
(बी) सरकारी ऋण									
प्रकार I									
प्रकार II									
प्रकार III									
उप–योग (बी)									
उप–योग (ए + बी)									
(सी) मानकीय ऋण									
योग (ए+बी+सी)									

वर्तमान वर्ष (n)

ऋण अभिकरण ऋण स्रोत	ब्याज की दर (%)	वापसी की अवधि (वर्ष)	वर्ष के आरम्भ पर अतिशेष	वर्ष की अवधि में प्राप्त राशि	वर्ष की अवधि में शोध्य मूल	वर्ष की अवधि में मूल वापसी	वर्षान्त में अतिशोध्य	वर्ष में शोध्य मूल	टिप्पणी
	(वास्तविक/ संपरीक्षित)	(वास्तविक/ संपरीक्षित)	(वास्तविक/ संपरीक्षित)	(वास्तविक/ संपरीक्षित)	(वास्तविक/ संपरीक्षित)	(वास्तविक/ संपरीक्षित)	(वास्तविक/ संपरीक्षित)	(वास्तविक/ संपरीक्षित)	
(ए) राज्य सरकार से अन्यथा									
ऋण I (उधारदाता का नाम)									
ऋण II (उधारदाता का नाम)									
ऋण III (उधारदाता का नाम) इत्यादि									
उप–योग (ए)									
(बी) सरकारी ऋण									
प्रकार I									
प्रकार II									
प्रकार III									
उप–योग (बी)									
उप–योग (ए + बी)									
(सी) मानकीय ऋण									
योग (ए+बी+सी)									

आगामी वर्ष (n+1)

ऋण अभिकरण ऋण स्रोत	ब्याज की दर (%)	वापसी की अवधि (वर्ष)	वर्ष के आरम्भ पर अतिशेष	वर्ष की अवधि में प्राप्त राशि	वर्ष की अवधि में शोध्य मूल	वर्ष की अवधि में मूल वापसी	वर्षान्त में अतिशोध्य	वर्ष में शोध्य मूल	टिप्पणी
	(वास्तविक / संपरीक्षित)	(वास्तविक / संपरीक्षित)	(वास्तविक / संपरीक्षित)	(वास्तविक / संपरीक्षित)	(वास्तविक / संपरीक्षित)	(वास्तविक / संपरीक्षित)	(वास्तविक / संपरीक्षित)	(वास्तविक / संपरीक्षित)	
(ए) राज्य सरकार से अन्यथा									
ऋण I (उधारदाता का नाम)									
ऋण II (उधारदाता का नाम)									
ऋण III (उधारदाता का नाम) इत्यादि									
उप–योग (ए)									
(बी) सरकारी ऋण									
प्रकार I									
प्रकार II									
प्रकार III									
उप–योग (बी)									
उप–योग (ए + बी)									
(सी) मानकीय ऋण									
योग (ए+बी+सी)									

आगामी वर्ष (n+2)

ऋण अभिकरण ऋण स्रोत	ब्याज की दर (%)	वापसी की अवधि (वर्ष)	वर्ष के आरम्भ पर अतिशेष	वर्ष की अवधि में प्राप्त राशि	वर्ष की अवधि में शोध्य मूल	वर्ष की अवधि में मूल वापसी	वर्षान्त में अतिशोध्य	वर्ष में शोध्य मूल	टिप्पणी
	(वास्तविक / संपरीक्षित)	(वास्तविक / संपरीक्षित)	(वास्तविक / संपरीक्षित)	(वास्तविक / संपरीक्षित)	(वास्तविक / संपरीक्षित)	(वास्तविक / संपरीक्षित)	(वास्तविक / संपरीक्षित)	(वास्तविक / संपरीक्षित)	
(ए) राज्य सरकार से अन्यथा									
ऋण I (उधारदाता का नाम)									
ऋण II (उधारदाता का नाम)									
ऋण III (उधारदाता का नाम) इत्यादि									
उप–योग (ए)									
(बी) सरकारी ऋण									
प्रकार I									
प्रकार II									
प्रकार III									
उप–योग (बी)									
उप–योग (ए + बी)									
(सी) मानकीय ऋण									
योग (ए+बी+सी)									

आगामी वर्ष (n+3)

ऋण अभिकरण ऋण स्रोत	ब्याज की दर (%)	वापसी की अवधि (वर्ष)	वर्ष के आरम्भ पर अतिशेष	वर्ष की अवधि में प्राप्त राशि	वर्ष की अवधि में शोध्य मूल	वर्ष की अवधि में मूल वापसी	वर्षान्त में अतिशोध्य	वर्ष में शोध्य मूल	टिप्पणी
	(वास्तविक/ संपरीक्षित)	(वास्तविक/ संपरीक्षित)	(वास्तविक/ संपरीक्षित)	(वास्तविक/ संपरीक्षित)	(वास्तविक/ संपरीक्षित)	(वास्तविक/ संपरीक्षित)	(वास्तविक/ संपरीक्षित)	(वास्तविक/ संपरीक्षित)	
(ए) राज्य सरकार से अन्यथा									
ऋण I (उधारदाता का नाम)									
ऋण II (उधारदाता का नाम)									
ऋण III (उधारदाता का नाम) इत्यादि									
उप—योग (ए)									
(बी) सरकारी ऋण									
प्रकार I									
प्रकार II									
प्रकार III									
उप—योग (बी)									
उप—योग (ए + बी)									
(सी) मानकीय ऋण									
योग (ए+बी+सी)									

नोट :

1. यदि किसी ऋण का पुनः अनुसूचीकरण किया गया है तो पुनः अनुसूचीकरण के निबंधन रेखांकित करते हुए उधार दाता से पत्र की प्रति के साथ संलग्नक के माध्यम से अनुसूचीकरण के निबंधनों को स्पष्ट रूप से विनिर्दिष्ट किया जाये।
2. कोई ऋण जो किसी उत्पादक स्टेशन को आबंटित न किया गया हो तथा अनुमोदित वित्तीय पैकेज का भाग न हो, कारणों सहित पृथक रूप से दर्शाये जायें।
3. मूल वित्तीय योजना तथा इसके अनुसार संचयी वापसी, प्रत्येक ऋण हेतु दर्शायी जाये।
4. वर्तमान वर्ष के लिए निकासी किये गये ऋण व वर्षान्त तक निकासी हेतु प्रस्तावित ऋण पृथक रूप से दर्शाये जाये।
5. वर्तमान या नये उधारदाता से कोई नवीन ऋण, ऋण के रूप में पृथक रूप से दर्शाये जाये।
6. विदेशी मुद्रा ऋणों के मामले में, मुद्रा के नाम साथ उधार की मुद्रा के डाटा प्रदान किया जाये।

प्रपत्र: 7.4

वास्तविक ऋणों पर ब्याज की भारित औसत ब्याज दर का परिकलन

क्रम सं0	विवरण	पूर्व वर्ष (n-1)	वर्तमान (n)	आगामी वर्ष (n-1) प्रक्षेपित	आगामी वर्ष (n-2) प्रक्षेपित	आगामी वर्ष (n-3) प्रक्षेपित
	ऋण–1					
	सकल ऋण : आरम्भिक					
	पूर्व वर्ष तक ऋण के सकल भुगतान					
	शुद्व ऋण : आरम्भिक					
	जोड़कर : पूर्व की अवधि में निकासियां					
	हटाकर : पूर्व की अवधि में ऋण की वापसियां					
	शुद्व ऋण : अंत में					
	औसत शुद्व ऋण					
	वार्षिक आधार पर ऋण पर ब्याज की दर					
	ऋण पर ब्याज					
	ऋण– 2					
	सकल ऋण : आरम्भिक					
	पूर्व वर्ष तक ऋण के सकल भुगतान					
	शुद्व ऋण : आरम्भिक					
	जोड़कर : पूर्व की अवधि में निकासियां					
	हटाकर : पूर्व की अवधि में ऋण की वापसियां					
	शुद्व ऋण : अंत में					
	औसत शुद्व ऋण					
	वार्षिक आधार पर ऋण पर ब्याज की दर					
	ऋण पर ब्याज					
	ऋण–n					
	सकल ऋण : आरम्भिक					
	पूर्व वर्ष तक ऋण के सकल भुगतान					
	शुद्व ऋण : आरम्भिक					
	जोड़कर : पूर्व की अवधि में निकासियां					
	हटाकर : पूर्व की अवधि में ऋण की वापसियां					
	शुद्व ऋण : अंत में					
	औसत शुद्व ऋण					
	वार्षिक आधार पर ऋण पर ब्याज की दर					
	ऋण पर ब्याज					
	कुल ऋण					
	सकल ऋण–आरम्भिक					
	जोड़कर : पूर्व की अवधि में निकासियां					
	हटाकर : पूर्व की अवधि में ऋण की वापसियां					
	शुद्व ऋण : अंत में					
	औसत शुद्व ऋण					
	वार्षिक आधार पर ऋण पर ब्याज की दर					
	ऋण पर ब्याज					
	ऋणों पर ब्याज की भारित औसत दर					
	विदेशी ऋणों के मामले में परकिलन भारतीय रूपये में प्रस्तुत किया जाये					
	तथापि मूल मुद्रा में परिकलन भी उसी प्रारूप में पृथक रूप से प्रस्तुत किया जाये।					

वितरण अनुज्ञापी का नाम ________________

आपूर्ति का अनुज्ञापित क्षेत्र ________________

प्रपत्रः 7.5

मानकीय ऋण पर ब्याज का परिकलन

विवरण	वर्तमान 2011–12	2012–13	2013–14	2014–15
सकल ऋण : आरम्भिक				
पूर्व वर्ष तक ऋण के सकल भुगतान				
शुद्ध मानकीय ऋण : आरम्भिक				
वर्ष की अवधि में ए सी ई के कारण वृद्धि या कमी				
हटाकर : वर्ष की अवधि में मानकीय ऋण की वापसियां				
शुद्ध मानकीय ऋण : अंत में				
औसत मानकीय ऋण				
वार्षिक आधार पर वास्तविक ऋण पर ब्याज की दर				
मानकीय ऋण पर ब्याज				

वितरण अनुज्ञापी का नाम..........................
आपूर्ति पर अनुज्ञापित क्षेत्र.........................

प्रपत्र: एफ 8
कार्यशील पूंजी पर ब्याज का विवरण

क्रम सं0	विवरण	पूर्व वर्ष (n-1)	वर्तमान वर्ष (n)			आगामी वर्ष (n+1)	आगामी वर्ष (n+2)	आगामी वर्ष (n+3)	टिप्पणी
		(वास्तविक / संपरीक्षित)	अप्रैल–सित0 (वास्तविक)	अक्टू0–मार्च (आंकलित)	योग (अप्रैल–मार्च0)	प्रक्षेपित	प्रक्षेपित	प्रक्षेपित	
1.	ओ एडं एम व्यय = 1 माह								
2	अनुरक्षण स्पेयर्स (प्रचालन एवं अनुरक्षण व्यय का 15 %								
3	प्राप्य (उपभोक्ता बिलों का दो माह)								
	घटाकर :								
4	प्रतिभूति जमा के रूप में रखे गये समायोजन								
5	क्रय की गई ऊर्जा की लागत का एक माह समतुल्य								
6	कार्यशील पूॅजी आवश्यकता								
7	ब्याज दर (स्टेट बैंक अग्रिम दर एस बी ए आर)								
8	कार्यशील पूंजी पर ब्याज								

वितरण अनुज्ञापी का नाम..........................
आपूर्ति पर अनुज्ञापित क्षेत्र..........................

प्रपत्रः एफ 9

अशोध्य ऋणों के लिए प्रावधान **(Provision of Bed Debts)**

क्रम सं0	मद	पूर्व वर्ष (n-1)	वर्तमान वर्ष (n)			आगामी वर्ष (n-1)	आगामी वर्ष (n-2)	आगामी वर्ष (n-3)
		(वास्तविक/ संपरीक्षित)	अप्रैल—सित0 (वास्तविक)	अक्टू0—मार्च (आंकलित)	योग (अप्रैल—मार्च0)			
1.	प्राप्यों का आरम्भिक अतिशेष							
2	वर्ष के आरम्भ में उपलब्ध कुल प्रावधान							
3	उपलब्ध प्रावधानों का कुल % (2/1 x100)							
4	बिल किया गया राजस्व							
5	अशोध्य ऋणों के लिये प्रावधान (4 का 1 %)							

अशोध्य ऋणों के लिये प्रावधान पर केवल तब तक विचार किया जाना चाहिये जब तक क्रम संख्या 3, 5.00%से अधिक नहीं हो।

वितरण अनुज्ञापी का नाम..........................
आपूर्ति पर अनुज्ञापित क्षेत्र..........................

प्रपत्र: एफ 10

इक्विटी का प्रतिफल

क्रम सं0	मद	पूर्व वर्ष (n-1)	वर्तमान वर्ष (n)			आगामी वर्ष (n+1)	आगामी वर्ष (n+2)	आगामी वर्ष (n+3)	टिप्पणी
		(वास्तविक / संपरीक्षित)	अप्रैल–सित0 (वास्तविक)	अक्टू0–मार्च (आंकलित)	योग (अप्रैल–मार्च0)				
1.	वर्ष के आरम्भ में इक्विटी								
2	पूंजीगत व्यय								
3	पूंजीगत व्यय का इक्विटी भाग								
	वर्ष के अंत में इक्विटी								
	प्रतिफल संगणन								
	इक्विटी के आरम्भिक अतिशेष पर इक्विटी पर प्रतिफल								

वितरण अनुज्ञापी का नाम.........................
आपूर्ति पर अनुज्ञापित क्षेत्र.........................

प्रपत्रः एफ 11

गैर शुल्क आय का विवरण

कम सं0	मद	पूर्व वर्ष (n-1)	वर्तमान वर्ष (n)			आगामी वर्ष (n+1)	आगामी वर्ष (n+2)	आगामी वर्ष (n+3)	टिप्पणी
		(वास्तविक/संपरीक्षित)	अप्रैल—सित0 (वास्तविक)	अक्टू0—मार्च (आंकलित)	योग (अप्रैल—मार्च0)				
ए	उपभोक्ताओं से विविध आय								
1.	मीटर/सेवा लाईन किराया								
2	उपभोक्ताओं से विविध प्रभार								
3	डी पी एस								
	उप—योग (ए)								
बी	अन्य विविध प्रभार								
	निवेशों से आय								
	डपकरणों व रद्दी का विकय								
	व्हीलिंग प्रभार								
	विविध प्राप्तियों से आय								
	उप—योग (बी)								
सी	ट्रेडिंग /यू आई								
	अन्तर्राज्यी विकय/ग्रिड विकय हैंडलिंग प्रभार								
	योग								

वितरण अनुज्ञापी का नाम..........................
आपूर्ति पर अनुज्ञापित क्षेत्र..........................

प्रपत्रः एफ 12
व्हीलिंग प्रभारों से आय
पूर्व वर्ष (n-1)

क्रम सं0	उपयुक्त अभिगमन उपभोक्ता	संविदाकृत क्षमता (के डब्ल्यू)	ईंधन प्रभार रू0/ के डब्ल्यू माह	व्हील की गई ऊर्जा	आयोग द्वारा अनुमोदित कोई अन्य प्रभार (विनिर्दिष्ट)	स्थिर प्रभार से राजस्व	ऊर्जा प्रभार से राजस्व	अन्य प्रभार से राजस्व	कुल राजस्व

वर्तमान वर्ष (n)

क्रम सं0	उपयुक्त अभिगमन उपभोक्ता	संविदाकृत क्षमता (के डब्ल्यू)	ईंधन प्रभार रू0/ के डब्ल्यू माह	व्हील की गई ऊर्जा	आयोग द्वारा अनुमोदित कोई अन्य प्रभार (विनिर्दिष्ट)	स्थिर प्रभार से राजस्व	ऊर्जा प्रभार से राजस्व	अन्य प्रभार से राजस्व	कुल राजस्व

आगामी वर्ष (n+1)

क्रम सं0	उपयुक्त अभिगमन उपभोक्ता	संविदाकृत क्षमता (के डब्ल्यू)	ईंधन प्रभार रू0/ के डब्ल्यू माह	व्हील की गई ऊर्जा	आयोग द्वारा अनुमोदित कोई अन्य प्रभार (विनिर्दिष्ट)	स्थिर प्रभार से राजस्व	ऊर्जा प्रभार से राजस्व	अन्य प्रभार से राजस्व	कुल राजस्व
ट आ									
ग									

आगामी वर्ष (n+2)

कम सं0	उपयुक्त अभिगमन उपभोक्ता	संविदाकृत क्षमता (के डब्ल्यू)	ईंधन प्रभार रू0 / के डब्ल्यू माह	व्हील की गई ऊर्जा	आयोग द्वारा अनुमोदित कोई अन्य प्रभार (विनिर्दिष्ट)	स्थिर प्रभार से राजस्व	ऊर्जा प्रभार से राजस्व	अन्य प्रभार से राजस्व	कुल राजस्व
ट									

आगामी वर्ष (n+3)

कम सं0	उपयुक्त अभिगमन उपभोक्ता	संविदाकृत क्षमता (के डब्ल्यू)	ईंधन प्रभार रू0 / के डब्ल्यू माह	व्हील की गई ऊर्जा	आयोग द्वारा अनुमोदित कोई अन्य प्रभार (विनिर्दिष्ट)	स्थिर प्रभार से राजस्व	ऊर्जा प्रभार से राजस्व	अन्य प्रभार से राजस्व	कुल राजस्व

वितरण अनुज्ञापी का नाम.........................
आपूर्ति पर अनुज्ञापित क्षेत्र.........................
वर्तमान शुल्कों पर ऊर्जा के विक्रय से राजस्व
पूर्व वर्ष (n-1)

प्रपत्रः एफ 13

क्रम सं0	श्रेणी	उपभोक्ताओं की कुल संख्या	संविदाकृत भार	उपभोग	ऊर्जा प्रभार			स्थिर प्रभार	मांग प्रभार	अन्य प्रभार	ऊर्जा प्रभार			स्थिर प्रभार	मांग प्रभार	अन्य प्रभार	कुल राजस्व
					आफ पीक घंटे	सामान्य	पीक घंटे	रू0 करोड़ में	रू0 करोड़ में	रू0 करोड़ में	आफ पीक घंटे	सामान्य	पीक घंटे	रू0 करोड़ में	रू0 करोड़ में	रू0 करोड़ में	रू0 करोड़ में
	एल टी																
1	श्रेणी–1																
a	स्लैब–1																
b	स्लैब–2																
c	....																
1	श्रेणी–2																
a	स्लैब–1																
b	स्लैब–2																
c	....																
1	श्रेणी–3																
a	स्लैब–1																
b	स्लैब–2																
c	....																
	एच टी																
1	श्रेणी–1																
a	स्लैब–1																
b	स्लैब–2																
c	....																
1	श्रेणी–2																
a	स्लैब–1																
b	स्लैब–2																
c	....																
1	श्रेणी–3																
a	स्लैब–1																
b	स्लैब–2																
c	....																
1	श्रेणी– n																
a	स्लैब–1																
b	स्लैब–2																
	योग–																

वितरण अनुज्ञापी का नाम..........................

आपूर्ति पर अनुज्ञापित क्षेत्र..........................

वर्तमान शुल्कों पर ऊर्जा के विक्रय से राजस्व

पूर्व वर्ष (n-1)

प्रपत्रः एफ 13

क्रम सं0	श्रेणी	उपभोक्ताओं की कुल संख्या	संविदाकृत भार	उपभोग	ऊर्जा प्रभार			स्थिर प्रभार	मांग प्रभार	अन्य प्रभार	ऊर्जा प्रभार			स्थिर प्रभार	मांग प्रभार	अन्य प्रभार	कुल राजस्व
					आफ पीक घंटे	सामान्य	पीक घंटे	रू0 करोड़ में	रू0 करोड़ में	रू0 करोड़ में	आफ पीक घंटे	सामान्य	पीक घंटे	रू0 करोड़ में	रू0 करोड़ में	रू0 करोड़ में	रू0 करोड़ में
	एल टी																
1	श्रेणी–1																
a	स्लैब–1																
b	स्लैब–2																
c	....																
1	श्रेणी–2																
a	स्लैब–1																
b	स्लैब–2																
c	....																
1	श्रेणी–3																
a	स्लैब–1																
b	स्लैब–2																
c	....																
	एच टी																
1	श्रेणी–1																
a	स्लैब–1																
b	स्लैब–2																
c	....																
1	श्रेणी–2																
a	स्लैब–1																
b	स्लैब–2																
c	....																
1	श्रेणी–3																
a	स्लैब–1																
b	स्लैब–2																
c	....																
1	श्रेणी– n																
a	स्लैब–1																
b	स्लैब–2																
	योग–																

वितरण अनुज्ञापी का नाम ____________________

आपूर्ति का अनुज्ञापित क्षेत्र ____________________

वर्तमान शुल्कों पर ऊर्जा के विक्रय से राजस्व
पूर्व वर्ष (n-1)

प्रपत्र: एफ 13

क्रम सं0	श्रेणी	उपभोक्ताओं की कुल संख्या	संविदाकृत भार	उपभोग	ऊर्जा प्रभार			स्थिर प्रभार	मांग प्रभार	अन्य प्रभार	ऊर्जा प्रभार			स्थिर प्रभार	मांग प्रभार	अन्य प्रभार	कुल राजस्व
					आफ पीक घंटे	सामान्य	पीक घंटे	रू0 करोड़ में	रू0 करोड़ में	रू0 करोड़ में	आफ पीक घंटे	सामान्य	पीक घंटे	रू0 करोड़ में	रू0 करोड़ में	रू0 करोड़ में	रू0 करोड़ में
	एल टी																
1	श्रेणी–1																
a	स्लैब–1																
b	स्लैब–2																
c	....																
1	श्रेणी–2																
a	स्लैब–1																
b	स्लैब–2																
c	....																
1	श्रेणी–3																
a	स्लैब–1																
b	स्लैब–2																
c	....																
	एच टी																
1	श्रेणी–1																
a	स्लैब–1																
b	स्लैब–2																
c	....																
1	श्रेणी–2																
a	स्लैब–1																
b	स्लैब–2																
c	....																
1	श्रेणी–3																
a	स्लैब–1																
b	स्लैब–2																
c	....																
1	श्रेणी– n																
a	स्लैब–1																
b	स्लैब–2																
	योग–																

आपूर्ति का अनुज्ञापित क्षेत्र ____________

____

वर्तमान शुल्कों पर ऊर्जा के विक्रय से राजस्व

पूर्व वर्ष (n-1)

प्रपत्रः एफ 13

क्रम सं0	श्रेणी	उपभोक्ताओं की कुल संख्या	संविदाकृत भार	उपभोग	ऊर्जा प्रभार			स्थिर प्रभार	मांग प्रभार	अन्य प्रभार	ऊर्जा प्रभार			स्थिर प्रभार	मांग प्रभार	अन्य प्रभार	कुल राजस्व
					आफ पीक घंटे	सामान्य	पीक घंटे	रू0 करोड़ में	रू0 करोड़ में	रू0 करोड़ में	आफ पीक घंटे	सामान्य	पीक घंटे	रू0 करोड़ में	रू0 करोड़ में	रू0 करोड़ में	रू0 करोड़ में
	एल टी																
1	श्रेणी–1																
a	स्लैब–1																
b	स्लैब–2																
c	....																
1	श्रेणी–2																
a	स्लैब–1																
b	स्लैब–2																
c	....																
1	श्रेणी–3																
a	स्लैब–1																
b	स्लैब–2																
c	....																
	एच टी																
1	श्रेणी–1																
a	स्लैब–1																
b	स्लैब–2																
c	....																
1	श्रेणी–2																
a	स्लैब–1																
b	स्लैब–2																
c	....																
1	श्रेणी–3																
a	स्लैब–1																
b	स्लैब–2																
c	....																
1	श्रेणी– n																
a	स्लैब–1																
b	स्लैब–2																
	योग–																

वितरण अनुज्ञापी का नाम ____________________

आपूर्ति का अनुज्ञापित क्षेत्र ____________________

वर्तमान शुल्कों पर ऊर्जा के विक्रय से राजस्व
पूर्व वर्ष (n-1)

प्रपत्र: एफ 13

क्रम सं0	श्रेणी	उपभोक्ताओं की कुल संख्या	संविदाकृत भार	उपभोग	ऊर्जा प्रभार			स्थिर प्रभार	मांग प्रभार	अन्य प्रभार	ऊर्जा प्रभार			स्थिर प्रभार	मांग प्रभार	अन्य प्रभार	कुल राजस्व
					आफ पीक घंटे	सामान्य	पीक घंटे	रू0 करोड़ में	रू0 करोड़ में	रू0 करोड़ में	आफ पीक घंटे	सामान्य	पीक घंटे	रू0 करोड़ में	रू0 करोड़ में	रू0 करोड़ में	रू0 करोड़ में
	एल टी																
1	श्रेणी–1																
a	स्लैब–1																
b	स्लैब–2																
c	....																
1	श्रेणी–2																
a	स्लैब–1																
b	स्लैब–2																
c	....																
1	श्रेणी–3																
a	स्लैब–1																
b	स्लैब–2																
c	....																
	एच टी																
1	श्रेणी–1																
a	स्लैब–1																
b	स्लैब–2																
c	....																
1	श्रेणी–2																
a	स्लैब–1																
b	स्लैब–2																
c	....																
1	श्रेणी–3																
a	स्लैब–1																
b	स्लैब–2																
c	....																
1	श्रेणी– n																
a	स्लैब–1																
b	स्लैब–2																
	योग–																

वितरण अनुज्ञापी का नाम ____________________

आपूर्ति का अनुज्ञापित क्षेत्र ____________________

प्रपत्रः एफ 14

आगामी वर्ष हेतु प्रस्तावित शुल्क से राजस्व

क्रम सं0	श्रेणी	उपभोक्ताओं की कुल संख्या	संयोजित भार	उपभोग	ऊर्जा प्रभार						स्थिर प्रभार	मांग प्रभार	अन्य प्रभार	ऊर्जा प्रभार			स्थिर प्रभार	मांग प्रभार	अन्य प्रभार	कुल राजस्व
			(के डब्ल्यू)	(एम यू)	रू0/के (डब्ल्यू एच)	रू0/के (डब्ल्यू एच)	रू0/के (डब्ल्यू एच)	रू0/के (डब्ल्यू एच)	रू0/के (डब्ल्यू एच)	रू0/के (डब्ल्यू एच)	रू0/संमी	रू0/के वी ए/माह	यूनिट विनिर्दिष्ट करें	ऑफ पीक करोड़ रू0 में	सामान्य करोड़ रू0 में	पीक करोड़ रू0 में	करोड़ रू0 में	करोड़ रू0 में	करोड़ रू0 में	करोड़ रू0 में
	एल टी																			
1	श्रेणी–1																			
ए	स्लैब–1																			
बी	स्लैब–2																			
सी	....																			
1	श्रेणी–2																			
ए	स्लैब–1																			
बी	स्लैब–2																			
सी	....																			
1	श्रेणी–3																			
ए	स्लैब–1																			
बी	स्लैब–2																			
सी	....																			
1	श्रेणी–n																			
ए	स्लैब–1																			
बी	स्लैब–2																			
सी	....																			

क्रम सं0	श्रेणी	उपभोक्ताओं की कुल संख्या	संयोजित भार	उपभोग	ऊर्जा प्रभार						स्थिर प्रभार	मांग प्रभार	अन्य प्रभार	ऊर्जा प्रभार			स्थिर प्रभार	मांग प्रभार	अन्य प्रभार	कुल राजस्व
			(के डब्ल्यू)	(एम यू)	रू0/के (डब्ल्यू एच)	रू0/के (डब्ल्यू एच)	रू0/के (डब्ल्यू एच)	रू0/के (डब्ल्यू एच)	रू0/के (डब्ल्यू एच)	रू0/के (डब्ल्यू एच)	रू0/संमी	रू0/के वी ए/माह	यूनिट विनिर्दिष्ट करें	ऑफ पीक करोड़ रू0 में	सामान्य करोड़ रू0 में	पीक करोड़ रू0 में	करोड़ रू0 में	करोड़ रू0 में	करोड़ रू0 में	करोड़ रू0 में
	एच टी																			
1	श्रेणी–1																			
ए	स्लैब–1																			
बी	स्लैब–2																			
सी	....																			
1	श्रेणी–2																			
ए	स्लैब–1																			
बी	स्लैब–2																			
सी	....																			
1	श्रेणी–3																			
ए	स्लैब–1																			
बी	स्लैब–2																			
सी	....																			
1	श्रेणी–n																			
ए	स्लैब–1																			
बी	स्लैब–2																			
सी	....																			

वितरण अनुज्ञापी का नाम ________________

आपूर्ति का अनुज्ञापित क्षेत्र ________________

प्रपत्रः एफ 15

संग्रहण दक्षता

क्रम सं0	विवरण	पूर्व वर्ष (n-1)	वर्तमान वर्ष (n)			आगामी वर्ष (n+1)	आगामी वर्ष (n+2)	आगामी वर्ष (n+3)	टिप्पणी
		(वास्तविक / संपरीक्षित)	अप्रैल–सित0 (वास्तविक)	अक्टू0–मार्च (आंकलित)	योग (अप्रैल–मार्च0)	अक्षेपित	अक्षेपित	अक्षेपित	
	एच टी श्रेणी								
	श्रेणी–1								
	....								
	श्रेणी -n								
	एल टी श्रेणी								
	श्रेणी–1								
	....								
	श्रेणी -n								
	योग–								

वितरण अनुज्ञापी का नाम ________________

आपूर्ति का अनुज्ञापित क्षेत्र ________________

प्रपत्रः एफ 16

सहीकरण का सारांश

अंतिम सहीकरण के लिये पूर्व वर्ष (n+1)

क्रम सं०	विवरण	अनुमोदित	वास्तविक	विचलन	विचलन हेतु कारण	नियन्त्रण योग	नियन्त्रण अयोग्य
1	ऊर्जा क्रय व्यय						
2	प्रचालन एवं अनुरक्षण व्यय						
2.1	कर्मचारी व्यय						
2.2	प्रशासन एवं सामान्य व्यय						
2.3	मरम्मत एवं रखरखाव व्यय						
3	अवक्षय के समक्ष अग्रिम सहित अवक्षय						
4	दीर्घावधि ऋण पूँजी पर ब्याज						
5	कार्याशील पूंजी व उपभोक्ता प्रतिभूति जमा पर ब्याज						
6	पट्टा प्रभार						
7	अन्य व्यय (कृप्या विवरण तैयार करें)						
8	आय कर						
9	पारेषण अनुज्ञापी की संदाय पारेषण प्रभार						
10	एन एल डी सी/आर एल डी सी/एसएलडीसी प्रभार						
11	अशोध्य व संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान						
	कुल व्यय						
बी	इक्विटी पर प्रतिफल						
सी	राजस्व						
1.	विद्युत के विक्रय से राजस्व						
2.	अन्य आय						

नोटः कृपया नियन्त्रण अयोग्य कारकों के कारण विचलन हेतु पृथक रूप से विस्तृत स्पष्टीकरण दें।

प्रस्तावित सहीकरण के लिये वर्तमान वर्ष

क्रम सं०	विवरण	अनुमोदित	वास्तविक	विचलन	विचलन हेतु कारण	नियन्त्रण योग	नियन्त्रण अयोग्य
1	ऊर्जा क्रय व्यय						
2	प्रचालन एवं अनुरक्षण व्यय						
2.1	कर्मचारी व्यय						
2.2	प्रशासन एवं सामान्य व्यय						
2.3	मरम्मत एवं रखरखाव व्यय						
3	अवक्षय के समक्ष अग्रिम सहित अवक्षय						
4	दीर्घावधि ऋण पूँजी पर ब्याज						
5	कार्याशील पूंजी व उपभोक्ता प्रतिभूति जमा पर ब्याज						
6	पट्टा प्रभार						
7	अन्य व्यय (कृप्या विवरण तैयार करें)						
8	आय कर						
9	पारेषण अनुज्ञापी की संदाय पारेषण प्रभार						
10	एन एल डी सी/आर एल डी सी/एसएलडीसी प्रभार						
11	अशोध्य व संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान						
	कुल व्यय						
बी	इक्विटी पर प्रतिफल						
सी	राजस्व						
1.	विद्युत के विक्रय से राजस्व						
2.	अन्य आय						

नोटः कृपया नियन्त्रण अयोग्य कारकों के कारण विचलन हेतु पृथक रूप से विस्तृत स्पष्टीकरण दें।

वितरण अनुज्ञापी का नाम ____________________

आपूर्ति का अनुज्ञापित क्षेत्र ____________________

प्रपत्रः एफ 17.1

प्रणाली औसत व्यवधान आवृत्ति सूचकांक (एस ए आई एफ आई)

माह	Ai=माह हेतु पोषक पर धारित व्यवधान (प्रत्येक 5 मिनट से अधिक) की कुल संख्या	Ni=प्रत्येक व्यवधान के कारण प्रभावित पोषक का संयोजित भार	Nt=वितरण अनुज्ञापी के आपूर्ति क्षेत्र में 11 के वी में कुल संयोजित भार	N=आपूर्ति के अनुज्ञापित क्षेत्र 11 केवी पोषकों की संख्या (मुख्य रूप से कृषि भार सेवा करने वाले पोषकों को छोड़कर)	SAIFI $\sum_{i=1}^{n} \frac{(Ai \times Ni)}{Nt}$
अप्रैल					
मई					
जून					
जुलाई					
अगस्त					
सितम्बर					
अक्टूबर					
नवम्बर					
दिसम्बर					
जनवरी					
फरवरी					
मार्च					

नोटः

1. पोषकों का शहरी व ग्रामीण के रूप में पृथककरण लिया जाये तथा सूचकांकों का मूल्य प्रत्येक माह हेतु पृथक रूप से रिपोर्ट किया जाये।
2. सूचकांकों का परिकलन यूईआरसी (कार्य निष्पादन के मानक) विनियम, 2007 में विनिर्दिष्ट कार्यावधि के अनुसार भेजा जाये।

वितरण अनुज्ञापी का नाम ____________

आपूर्ति का अनुज्ञापित क्षेत्र ____________

प्रपत्रः एफ 17.2

प्रणाली औसत व्यवसाय अवधि सूचकांक (एस ए आई डी आई)

माह	Bi=माह हेतु ith पोषक पर सभी धारित व्यवधानों की कुल राशि	Ni=प्रत्येक व्यवधान के कारण प्रभावित पोषक का संयोजित भार	Nt=वितरण अनुज्ञापी के आपूर्ति क्षेत्र में 11 के वी में कुल संयोजित भार	N=आपूर्ति के अनुज्ञापित क्षेत्र 11 केवी पोषकों की संख्या (मुख्य रूप से कृषि भार सेवा करने वाले पोषकों को छोड़कर)	SAIDI $\sum_{i=1}^{n} \frac{(Bi \times Ni}{Nt}$
अप्रैल					
मई					
जून					
जुलाई					
अगस्त					
सितम्बर					
अक्टूबर					
नवम्बर					
दिसम्बर					
जनवरी					
फरवरी					
मार्च					

नोटः

1 पोषकों का शहरी व ग्रामीण के रूप में पृथककरण लिया जाये तथा सूचकांकों का मूल्य प्रत्येक माह हेतु पृथक रूप से रिपोर्ट किया जाये।

2 सूचकांकों का परिकलन यूईआरसी (कार्य निष्पादन के मानक) विनियम, 2007 में विनिर्दिष्ट कार्यावधि के अनुसार भेजा जाये।

वितरण अनुज्ञापी का नाम ____________________

आपूर्ति का अनुज्ञापित क्षेत्र ____________________

प्रपत्रः एफ 17.3

प्रणाली औसत व्यवधान आवृत्ति सूचकांक (एम ए आई एफ आई)

माह	Ci=माह हेतु ith पोषक पर सभी धारित व्यवधानों की कुल संख्या प्रत्येक 5 मिनट के बराबर या उससे कम	Ni=प्रत्येक व्यवधान के कारण प्रभावित ith पोषक का संयोजित भार	Nt=वितरण अनुज्ञापी के आपूर्ति क्षेत्र में 11 के वी में कुल संयोजित भार	N=आपूर्ति के अनुज्ञापित क्षेत्र 11 केवी पोषकों की संख्या (मुख्य रूप से कृषि भार सेवा करने वाले पोषकों को छोड़कर)	MAIFI $\sum_{i=1}^{n} \left(\frac{C_i \times N_i}{N_t}\right)$
अप्रैल					
मई					
जून					
जुलाई					
अगस्त					
सितम्बर					
अक्टूबर					
नवम्बर					
दिसम्बर					
जनवरी					
फरवरी					
मार्च					

नोटः

1 पोषकों का शहरी व ग्रामीण के रूप में पृथककरण लिया जाये तथा सूचकांकों का मूल्य प्रत्येक माह हेतु पृथक रूप से रिपोर्ट किया जाये।

2 सूचकांकों का परिकलन यूईआरसी (कार्य निष्पादन के मानक) विनियम, 2007 में विनिर्दिष्ट कार्यावधि के अनुसार भेजा जाये।

वितरण अनुज्ञापी का नाम ____________________

आपूर्ति का अनुज्ञापित क्षेत्र ____________________

प्रपत्र: एफ 18.1

शंट कैपेसिटर परिवर्धन मरम्मत कार्यकम

कम सं0	विवरण	क्षमता (एम वी ए आर)
	कैपेसिटर परिवर्धन	
1	पूर्व वर्ष के अंत में आवश्यक कुल कैपेसिटर्स	
2	पूर्व वर्ष के अंत में वास्तविक रूप से संस्थापित कैपेसिटर	
3	पूर्व वर्ष के अंत में बैक लौग/कमी (1-2)	
4	वर्तमान वर्ष अतिरिक्त आवश्यकता	
5	वर्तमान वर्ष के दौरान जोड़े जाने के लिए आवश्यक कुल क्षमता (3-4)	
6	वर्तमान वर्ष के प्रथमार्ध में वास्तव में संस्थापित	
7	वर्तमान वर्ष द्वितीयार्ध हेतु लक्ष्य	
8	वर्तमान वर्ष की अवधि में जोडे जाने के लिये संभावित कुल कैपेसिटर्स (6-7)	
9	वर्तमान वर्ष के अंत तक उपलब्ध होने वाली संभावित कुल क्षमता (2-8)	
10	कमी यदि कोई है (5-9)	
	त्रुटिपूर्ण शंट कैपेसिटर्स की मरम्मत	
11	पूर्व वर्ष के अंत में	
12	पूर्व वर्ष के अंत तक उपलब्ध शुद्व क्षमता (2-8)	
13	वर्तमान वर्ष के पूर्वाध में क्षतिग्रस्त कैपेसिटर्स	
14	वर्तमान वर्ष के पूर्वाध में मरम्मत किये गये कैपेसिटर्स	
15	वर्तमान वर्ष के अंत तक उपलब्ध शुद्व क्षमता (12-13-14)	
16	वर्तमान वर्ष के अंत क्षतिग्रस्त कैपेसिटर्स का लक्ष्य स्तर	
17	वर्तमान वर्ष के अंत तक उपलब्ध होने वाली संभावित शुद्व क्षमता (9-16)	
18	वर्तमान वर्ष के अंत तक शुद्व कमी (5-17)	

उपरोक्त विवरण के साथ, उसके कारणों सुधार हेतु किये गये उपाय/नियोजित उपायों का विस्तृत नोट संलग्न किया जाये।

वितरण अनुज्ञापी का नाम ______________________

आपूर्ति का अनुज्ञापित क्षेत्र ______________________

प्रपत्र: एफ 18.2

विद्युत संबंधी दुर्घटनाएं

दुर्घटना का प्रकार	दुर्घटनाओं की संख्या						
		पूर्व वर्ष			वर्तमान वर्ष		
		घातक	अघातक	योग	घातक	अघातक	योग
मानवीय							
पशु							
योग							

उपरोक्त विवरण के साथ उसके कारणों, सुधार हेतु किये गये व नियोजित उपायों का विस्तृत नोट संलग्न होना चाहिये।

वितरण अनुज्ञापी का नाम ______________

आपूर्ति का अनुज्ञापित क्षेत्र ______________

प्रपत्रः एफ 18.3

पोषक ट्रिपिंग के कारण आउटैजेज् का सार

कम सं0	मद	पूर्व वर्ष			वर्तमान वर्ष (वास्तविक)		
		पोषकों की संख्या	ट्रिपिंग की संख्या	ट्रिपिंग की कुल अवधि	पोषकों की संख्या	ट्रिपिंग की संख्या	ट्रिपिंग की कुल अवधि
1	पोषक वोल्टेज स्तर – 1						
2	पोषक वोल्टेज स्तर – 2						
3	पोषक वोल्टेज स्तर – 3						
4	वोल्टेज स्तर–1 के लिए प्रति पोषक व्यवधान की औसत अवधि						
5	वोल्टेज स्तर–2 के लिए प्रति पोषक व्यवधान की औसत अवधि						
6	वोल्टेज स्तर–3 के लिए प्रति पोषक व्यवधान की औसत अवधि						

विवरण अनुज्ञापी के लिए वोल्टेल स्तर 66 केवी, 33 केवी और 11 केवी हैं। प्रति पोषक औसत व्यवधान = व्यवधानों की कुल अवधि/पोषकों की संख्या ट्रिपिंग की संख्या

उपरोक्त विवरण के साथ उसके कारणों, सुधार हेतु किये गये व नियोजित उपायों का विस्तृत नोट संलग्न होना चाहिये।

वितरण अनुज्ञापी का नाम ______________________

आपूर्ति का अनुज्ञापित क्षेत्र ______________________

प्रपत्रः एफ 18.4

वर्ष के दौरान की गई श्रेणीवार लोड शैडिंग

क्रम सं0	विवरण	श्रेणी–1	श्रेणी–2	श्रेणी–3	अन्य विक्रय	योग
	पूर्ववर्ती वर्ष					
1	एस एल डी सी के अनुदेशों पर (ड्राउन के नियंत्रण हेतु)					
2	एस एल डी सी के अनुदेशों पर (पारेषण अनुज्ञापी के नेटवर्क में अतिभार टालने के लिये)					
3	एस एल डी सी के अनुदेशों पर (डी पीस सी एल नेट वर्क में लो वोल्टेज के कारण)					
4	पारेषण अनुज्ञापी के नेटवर्क में आउटेज के कारण					
5	स्वंय के नेटवर्क में आउटेज के कारण					
6	किसी अन्य विवरण अनुज्ञापी के नेटवर्क में आउटेज के कारण					
7	पारेषण अनुज्ञापी के नेटवर्क में पारेषण बाध्यता के कारण					
8	स्वयं के नेटवर्क में अतिभार टालने के लिए किसी अन्य वितरण अनुज्ञापी के नेटवर्क में					
9	अतिभार टालने के लिये					
10	कोई अन्य कारण					
	पूर्व वर्ष के लिये योग					

वर्तमान वर्ष (उस अवधि के लिये जिस के लिये डाटा उपलब्ध है)

क्रम सं0	विवरण	श्रेणी–1	श्रेणी–2	श्रेणी–3	अन्य विक्रय	योग
	पूर्ववर्ती वर्ष					
1	एस एल डी सी के अनुदेशों पर (ड्राउन के नियंत्रण हेतु)					
2	एस एल डी सी के अनुदेशों पर (पारेषण अनुज्ञापी के नेटवर्क में अतिभार टालने के लिये)					
3	एस एल डी सी के अनुदेशों पर (डी पीस सी एल नेट वर्क में लो वोल्टेज के कारण)					
4	पारेषण अनुज्ञापी के नेटवर्क में आउटेज के कारण					
5	स्वंय के नेटवर्क में आउटेज के कारण					
6	किसी अन्य विवरण अनुज्ञापी के नेटवर्क में आउटेज के कारण					
7	पारेषण अनुज्ञापी के नेटवर्क में पारेषण बाध्यता के कारण					
8	स्वयं के नेटवर्क में अतिभार टालने के लिए किसी अन्य वितरण अनुज्ञापी के नेटवर्क में					
9	अतिभार टालने के लिये					
10	कोई अन्य कारण					
	पूर्व वर्ष के लिये योग					

पूर्व वर्ष का विवरण तथा वर्तमान वर्ष हेतु वास्तविक उपलब्ध डाटा की अवधि प्रस्तुत की जाये।

तीव्र वोल्टेज उतार चढ़ाव व चक्रीय साप्ताहिक अवकाश को लोड शैडिंग न माना जाये।

उपरोक्त विवरण के साथ उसके कारणों, सुधार हेतु किये गये व नियोजित उपायों का विस्तृत नोट संलग्न होना चाहिये।

वितरण अनुज्ञापी का नाम ____________

आपूर्ति का अनुज्ञापित क्षेत्र ____________

प्रपत्र: एफ 18.5

अतिभारित पोषक

क्रम सं0	क्षेत्र	पूर्व वर्ष						वर्तमान वर्ष					
		पोषकों की संख्या	लाईन की लंबाई (सी के टी/कि मी)	अतिभारित पोषकों की संख्या	लाईन लंबाई अतिभारित पोषक (सी के टी/कि मी)	क्षेत्र में अतिभारित पोषकों की संख्या %	क्षेत्र में अतिभारित पोषकों की लंबाई %	पोषकों की संख्या	लाईन लंबाई (सी के टी/कि मी)	अतिभारित पोषकों की संख्या	लाईन लंबाई अतिभारित पोषकों (सी के टी/कि मी)	क्षेत्र में अतिभारित पोषकों की संख्या %	क्षेत्र में अतिभारित पोषकों की लंबाई %
1	सर्किल 1												
ए	66 के वी												
	जनपद–1												
	जनपद–2												
	जनपद–3												
	उपयोग सर्किल 66 केवी												
बी	33 के वी												
	जनपद–1												
	जनपद–2												
	जनपद–3												
	उपयोग सर्किल 33 केवी												
सी	11 के वी												
	जनपद–1												
	जनपद–2												
	जनपद–3												
	उपयोग सर्किल 11 केवी												
ए–2	सर्किल 2												
	66 के वी												
	जनपद–1												
	जनपद–2												
	जनपद–3												
	डपयोग सर्किल 66 केवी												

बी	33 के वी												
	जनपद–1												
	जनपद–2												
	जनपद–3												
	उपयोग सर्किल 33 केवी												
सी	11 के वी												
	जनपद–1												
	जनपद–2												
	जनपद–3												
	उपयोग सर्किल 11 केवी												
66 के वी पर सभी सर्किल्स का योग													
33 के वी पर सभी सर्किल्स का योग													
11 के वी पर सभी सर्किल्स का योग													

एक उपकरण को अतिभारित केवल तभी माना जाये यदि यह प्रतिदिन औसत एक घंटे के लिये रेटेड भार के 110% के अधिक ले रहा हो तथा जानकारी पूर्व वर्ष के लिये तथा वर्तमान वर्ष की वास्तविक अवधि हेतु प्रदान की जाये।

उपरोक्त विपरण के साथ उसके कारणों, सुधार हेतु किये गये/नियोजित उपायों का विस्तृत नोट संलग्न होना चाहिये।

वितरण अनुज्ञापी का नाम ____________________

आपूर्ति का अनुज्ञापित क्षेत्र ____________________

प्रपत्रः एफ 18.6

परिवर्तकों की विफलता

क्रम सं0	मद	पूर्ववर्ती वर्ष			वर्तमान वर्ष (वास्तविक)		
		परिवर्तकों की संख्या	विफलताओं की संख्या	विफलताओं की कुल अवधि (घंटे)	परिवर्तकों की संख्या	विफलताओं की संख्या	विफलताओं की कुल अवधि (घंटे)
	परिवर्तन अनुपात						
1	परिवर्तन अनुपात – 1						
2	परिवर्तन अनुपात – 2						
3	परिवर्तन अनुपात – 3						
4	परिवर्तन अनुपात – 4						
	व्यवधान की औसत अवधि						
5	परिवर्तन अनुपात–1 के लिए प्रति परिवर्तन व्यवधान की औसत अवधि						
6	परिवर्तन अनुपात–2 के लिए प्रति परिवर्तन व्यवधान की औसत अवधि						
7	परिवर्तन अनुपात–3 के लिए प्रति परिवर्तन व्यवधान की औसत अवधि						
8	परिवर्तन अनुपात–4 के लिए प्रति परिवर्तन व्यवधान की औसत अवधि						

विवरण अनुज्ञापी के लिए परिवर्तन अनुपात 66/33 केवी, 66/11 केवी, 33/11 केवी, और 11 केवी/400 हैं।

उपरोक्त विवरण के साथ उसके कारणों व सुधार हेतु किये गये व नियोजित उपायों का विस्तृत नोट संलग्न होना चाहिये।

वितरण अनुज्ञापी का नाम ____________

आपूर्ति का अनुज्ञापित क्षेत्र ____________

प्रपत्रः एफ 18.7

अतिभारित विवरण परिवर्तन (डी टी आर एस)

कम सं0	क्षेत्र	पूर्व वर्ष			वर्तमान वर्ष	
		क्षेत्र में डी टी आर्स की संख्या	क्षेत्र में अतिभारित डी टी आर्स की संख्या	अतिभारित डी टी आर्स की संख्या %	क्षेत्र में डी टी आर्स की संख्या	क्षेत्र में अ टी आर
1	सर्किल 1					
ए	33 के वी					
	जनपद–1					
	जनपद–2					
	जनपद–3					
	उपयोग सर्किल 33 केवी					
बी	11 के वी					
	जनपद–1					
	जनपद–2					
	जनपद–3					
	उपयोग सर्किल 11 केवी					
ए–2	सर्किल 2					
	33 के वी					
	जनपद–1					
	जनपद–2					
	जनपद–3					
	डपयोग सर्किल 66 केवी					
बी	11 के वी					
	जनपद–1					
	जनपद–2					
	जनपद–3					
	उपयोग सर्किल 11 केवी					
33 के वी पर सभी सर्किल्स के लिये योग						
11 के वी पर सभी सर्किल्स के लिये योग						

एक उपक्रण को अतिभारित केवल तभी माना जाये यदि यह प्रतिदिन औसत एक घंटे के लिये रेटेड भार के 110% के अधिक ले रहा हो।

जानकारी पूर्व वर्ष के लिये तथा वर्तमान वर्ष की वास्तविक अवधि हेतु प्रदान की जाये।

उपरोक्त विपरण के साथ उसके कारणों, सुधार हेतु किये गये/नियोजित उपायों का विस्त्ृत नोट संलग्न होना चाहिये।

वितरण अनुज्ञापी का नाम ______________

आपूर्ति का अनुज्ञापित क्षेत्र ______________

प्रपत्र: एफ 18.6
प्राप्यों की आयुकारक अनुसूची
(वर्तमान वर्ष के 30 सितम्बर पर)

रू0 करोड़ में

क्रम सं0	प्राप्य	आयु के साथ अनुज्ञापी के प्राप्त					
		< 6 माह	6 माह से 1 वर्ष	1 माह से 2 वर्ष	2 माह से 3 वर्ष	3 माह से 4 वर्ष	> 4 वर्ष
1	सर्किल 1						
	श्रेणी –1						
	श्रेणी –2						
	श्रेणी –3						
	श्रेणी –4						
	श्रेणी –5 इत्यादि						
	सर्किल के लिये उप योग						
2	सर्किल 1						
	श्रेणी –1						
	श्रेणी –2						
	श्रेणी –3						
	श्रेणी –4						
	श्रेणी –5 इत्यादि						
	सर्किल के लिये उप योग						
	योग						

उपरोक्त विवरण के साथ उसके कारणों, सुधार हेतु किये गये/नियोजित उपायों का विस्तृत नोट संलग्न होना चाहिये।

वितरण अनुज्ञापी का नाम ____________________

आपूर्ति का अनुज्ञापित क्षेत्र ____________________

प्रपत्र: एफ 18.9

मीटरिंग की प्रास्थिति

कम सं0	मद	श्रेणी—1	श्रेणी—2	श्रेणी—3 इत्यादि	अन्य विकय	योग
ए	**पूर्व वर्ष**					
1	पूर्व वर्ष के आरम्भ पर मीटरीकृत उपभोक्ताओं की संख्या					
2	पूर्व वर्ष के आरम्भ पर गैर मीटरीकृत उपभोक्ताओं की संख्या					
3	पूर्व वर्ष के आरम्भ पर उपभोक्ताओं की संख्या					
4	पूर्व वर्ष के आरम्भ पर त्रुटिपूर्ण मीटरों वाले उपभोक्ताओं का संख्या					
5	पूर्व वर्ष के आरम्भ पर मीटरीकृत उपभोक्ताओं के के % के रूप में त्रुटिपूर्ण मीटर वाले उपभोक्ता (4/7)					
6	पूर्व वर्ष के आरम्भ में कुल उपभोक्ताओं के % के रूप में गैर मीटरीकृत उपभोक्ता (2/3)					
बी	**वर्तमान वर्ष**					
1	वर्तमान वर्ष के आरम्भ पर मीटरीकृत उपभोक्ता					
2	वर्तमान वर्ष के आरम्भ पर गैर मीटरीकृत उपभोक्ता					
3	वर्तमान वर्ष के आरम्भ पर उपभोक्ताओं की संख्या (1/2)					
4	वर्तमान वर्ष के आरम्भ पर त्रुटिपूर्ण मीटर वाले उपभोक्ता					
5	वर्ष के आरम्भ पर मीटरीकृत उपभोक्ताओं के % के रूप में त्रुटिपूर्ण मीटर वाले उपभोक्ता (4/1)					
6	वर्तमान वर्ष के आरम्भ में कुल उपभोक्ताओं के % के रूप में गैर मीटरीकृत उपभोक्ता (2/3)					

वितरण अनुज्ञापी का नाम ____________________

आपूर्ति का अनुज्ञापित क्षेत्र ____________________

प्रपत्र: एफ 18.10

ग्राहक बिलों का जारी करना

क्रम सं0	श्रेणी	पूर्व वर्ष		वर्तमान वर्ष	
		बिलिंग अवधि के 30 दिन के भीतर जारी किये गये ग्राहक बिलों की संख्या	बिलिंग अवधि के 30 दिन के पश्चात् जारी किये गये ग्राहक बिलों की संख्या	बिलिंग अवधि के 30 दिन के भीतर जारी किये गये ग्राहक बिलों की संख्या	बिलिंग अवधि के 30 दिन के पश्चात् जारी किये गये ग्राहक बिलों की संख्या
1	श्रेणी – 1				
2	श्रेणी – 2				
3	श्रेणी – 3				
4	श्रेणी – 4				
5	श्रेणी – 5				
6	श्रेणी – 6				
7	श्रेणी – 7 इत्यादि				
	योग				

वितरण अनुज्ञापी का नाम ____________________

आपूर्ति का अनुज्ञापित क्षेत्र ____________________

प्रपत्रः एफ 18.11

लंबित सेवा संयोजन आवेदनों की संख्या

पूर्व वर्ष (n-1)

कम सं0	श्रेणी	अवधि के आरम्भ में लंबित	संबंधित भार (एम डब्ल्यू)	अवधि के दौरान प्राप्त आवेदनों का संख्या	संबंधित भार (एम डब्ल्यू)	अवधि के दौरान जारी संयोजनों की संख्या	संबंधित भार (एम डब्ल्यू)	अवधि के अंत में लंबित	संबंधित भार (एम डब्ल्यू)
1	श्रेणी – 1								
2	श्रेणी – 2								
3	श्रेणी – 3								
4	श्रेणी – 4								
5	श्रेणी – 5								
6	श्रेणी – 6								
7	श्रेणी – 7 इत्यादि								
	योग								

वर्तमान वर्ष (n)

कम सं0	श्रेणी	अवधि के आरम्भ में लंबित	संबंधित भार (एम डब्ल्यू)	अवधि के दौरान प्राप्त आवेदनों का संख्या	संबंधित भार (एम डब्ल्यू)	अवधि के दौरान जारी संयोजनों की संख्या	संबंधित भार (एम डब्ल्यू)	अवधि के अंत में लंबित	संबंधित भार (एम डब्ल्यू)
1	श्रेणी – 1								
2	श्रेणी – 2								
3	श्रेणी – 3								
4	श्रेणी – 4								
5	श्रेणी – 5								
6	श्रेणी – 6								
7	श्रेणी – 7 इत्यादि								
	योग								

हायड्रो के लिये प्रारूप

क्रम सं0	प्रारूप संख्या	विवरण
1.	प्रपत्रः एफ 1.1	प्रति यूनिट दर का संगणन
2.	प्रपत्रः एफ 1.2	राजस्व एवं राजस्व आवश्यकता का सारांश
3.	प्रपत्रः एफ 2.1	विक्रय योग्य ऊर्जा व पी ए एफ
4.	प्रपत्रः एफ 2.2	विद्युत उत्पादन (एम यू) पर जानकारी
5.	प्रपत्रः एफ 2.3	जल विद्युत परियोजना की मुख्य विशेषताएं
6.	प्रपत्रः एफ 3	शुद्व वार्षिक स्थिर प्रभारों का परिकलन
7.	प्रपत्रः एफ 4	सकल स्थिर आस्ति आधार व वित्त पोषण योजना का विवरण
8.	प्रपत्रः एफ 5.1	आस्तिवार अवक्षय का विवरण
9.	प्रपत्रः एफ 5.2	अवक्षय का विवरण
10.	प्रपत्रः एफ 6.1	पूंजीगत व्यय का विवरण
11.	प्रपत्रः एफ 6.2	पूंजीगत प्रगति–अधीन कार्य का विवरण
12.	प्रपत्रः एफ 6.3	पूंजीगत व्यय व नयी योजनाओं व सी ओ डी की अनुसूची का विवरण
13.	प्रपत्रः एफ 6.4	नयी योजनाओं के लिए पूँजीगत व्यय का ब्यौरा
14.	प्रपत्रः एफ 6.5	सी ओ डी पर जल उत्पादक स्टेशन के लिए पूँजीलागत का ब्यौरा (नये स्टेशनों के लिये)
15.	प्रपत्रः एफ 6.6	सी ओ डी पर निर्माण/आपूर्ति/सेवा पैकेजेज् का ब्यौरा (नये स्टेशनों के लिए)
16.	प्रपत्रः एफ 6.7	आई डी सी तथा वित्त पोषण प्रभारों के परिकलन हेतु ड्रा डाउन अनुसूची
17.	प्रपत्रः एफ 7	पूंजी लागत व वित्त पोषण संरचना का विवरण
18.	प्रपत्रः एफ 8	वित्तीय पैकेजेज का विवरण
19.	प्रपत्रः एफ 9.1	बकाया ऋणों का विवरण
20.	प्रपत्रः एफ 9.2	वास्तविक ऋणों पर ब्याज की भारित औसत ब्याज दर का परिकलन
21.	प्रपत्रः एफ 9.3	मानकीय ऋण पर ब्याज परिकलन
22.	प्रपत्रः एफ 10.	कार्यशील पूँजी पर ब्याज का विवरण
23.	प्रपत्रः एफ 11	प्रचालन एवं अनुरक्षण व्ययों का विवरण
24.	प्रपत्रः एफ 11.1	मरम्मत एवं रखरखाव व्यय का विवरण
25.	प्रपत्रः एफ 11.2	कर्मचारी व्ययों का विवरण
26.	प्रपत्रः एफ 11.3	प्रशासनिक व सामान्य व्ययों का विवरण
27.	प्रपत्रः एफ 12	गैर शुल्क आय
28.	प्रपत्रः एफ 13	सहीकरण का साराशं

यह दिनांक 10.03.2012 गजट के प्रकाशित अंग्रेजी का हिन्दी रूपान्तरण है। किसी भी तरह के निवर्चन (आख्या) के लिए अंग्रेजी विनियम के प्रारूप अन्तिम एवं मान्य होगा।

हायड्रो हेतु प्रारूप

उत्पादक कम्पनी का नाम ____________

उत्पादन स्टेशन का नाम ____________

प्रपत्र एफ:1.1

प्रति यूनिट दर का संगणन

क्रम सं0	मद	यूनिट	पूर्व (n-1)	वर्तमान वर्ष (n-1)			आगामी वर्ष (n+1)	आगामी वर्ष (n+2)	आगामी वर्ष (n+3)
			(वास्तविक / संपरीक्षित)	अप्रैल–सित0 (वास्तविक)	अक्टू0–मार्च (आंकलित)	योग (अप्रैल–सित0)	प्रक्षेपित	प्रक्षेपित	प्रक्षेपित
1	वार्षिक स्थिर लागत	करोड़ रू0							
2	विक्रय योग्य ऊर्जा (अनुषंगी उपभोग का सकल उत्पादन शुद्व)								
3	विक्रय योग्य ऊर्जा को प्रति यूनिट दर								

नोट

n= FY 2012-13

उत्पादक कम्पनी का नाम ____________________

उत्पादन स्टेशन का नाम ____________________

प्रपत्र एफ:1.2 हायड्रो हेतु प्रारूप

राजस्व एवं राजस्व आवश्यकता का सारांश

क्रम सं0	मद	यूनिट	पूर्व (n-1)	वर्तमान वर्ष (n-1)			आगामी वर्ष (n+1)	आगामी वर्ष (n+2)	आगामी वर्ष (n+3)
			(वास्तविक/ संपरीक्षित)	अप्रैल–सित0 (वास्तविक)	अक्टू0–मार्च (आंकलित)	योग (अप्रैल–सित0)	प्रक्षेपित	प्रक्षेपित	प्रक्षेपित
ए	**उत्पादन**								
1	एकल उत्पादन (एम यू)								
2	अनुषंगी उपभोग(%)								
3	अनुषंगी उपभोग (एम यू)								
4	शुद्व उत्पादन (एम यू) (1 से 3)								
बी	**राजस्व**								
1	ऊर्जा के विक्रय से राजस्व								
2	गैर शुल्क आय								
	कुल राजस्व (1+2)								
सी	**व्यय**								
1	ओ एंड एम व्यय								
	ए. आर एंड एम व्यय								
	बी. कर्मचारी लागत								
	सी. ए एंड जी व्यय								
2	अवक्षय								
3	पट्टा प्रभार								
4	ऋणों पर ब्याज								
5	कार्यशील पूँजी पर ब्याज								
	कुल व्यय (1+2+3+4+5)								
	डी. इक्विटी पर प्रतिफल								
	ई. राजस्व आवश्यकता (सी+डी)								
	अधिशेष(+)कमी (–) (बी–ई)								

नोट– n=FY 2012-13

उत्पादक कम्पनी का नाम ____________

उत्पादन स्टेशन का नाम ____________

प्रपत्र एफ: 2.1

हायड्रो हेतु प्रारूप

विक्रय योग्य ऊर्जा व पी ए एफ

क्रम सं0	मद	यूनिट	पूर्व (n-1)	वर्तमान वर्ष (n-1)			आगामी वर्ष (n-1)	आगामी वर्ष (n-2)	आगामी वर्ष (n-3)
			(वास्तविक/ संपरीक्षित)	अप्रैल—सित0 (वास्तविक)	अक्टू0—मार्च (आंकलित)	योग (अप्रैल—सित0)	प्रक्षेपित	प्रक्षेपित	प्रक्षेपित
1	एकल उत्पादन (एम यू)								
2	अनुषंगी उपभोग								
	ए— उत्पादित ऊर्जा के (%) मे (%)								
	बी— एम यू में (एम यू)								
3	वाहय प्रेषित ऊर्जा (a-2 B)								
4	गृह राज्य का भाग								
	विक्रय योग्य ऊर्जा 1—2बी) (एमयू) ((3)x(1-(4))								
	संयंत्र उपलब्धता कारक								

उत्पादक कम्पनी का नाम ____________

उत्पादन स्टेशन का नाम ____________

प्रपत्र एफ: 2.2

हायड्रो हेतु प्रारूप

ऊर्जा उत्पादन (एम यू) पर जानकारी

क्रम सं0	माह	डिजायन ऊर्जा	पूर्व (n-1)	वर्तमान वर्ष (n)		आगामी वर्ष (n+1)	आगामी वर्ष (n+2)	आगामी वर्ष (n+3)
			(वास्तविक / संपरीक्षित)	अप्रैल–सित0 (वास्तविक)	अक्टू0–मार्च (आंकलित)	प्रक्षेपित	प्रक्षेपित	प्रक्षेपित
1.	अप्रैल							
2.	मई							
3.	जून							
4.	जुलाई							
5.	अगस्त							
6.	सितम्बर							
7.	अक्टूबर							
8.	नवम्बर							
9.	दिसम्बर							
10.	जनवरी							
11.	फरवरी							
12.	मार्च							

उत्पादक कम्पनी का नाम ____________________

उत्पादन स्टेशन का नाम ____________________

प्रपत्र 2.3 हायड्रो हेतु प्रारूप

जल विद्युत परियोजना की मुख्य विशेषताएं

क्रम सं0	विवरण	
1	संस्थापित क्षमता (एम डब्लू)	
ए	यूनिट I	
बी	यूनिट II	
सी	यूनिट III	
डी	यूनिट IV इत्यादि	
2	वाणिज्यिक प्रचालन की तिथि (दिन/माह/वर्ष)	
ए	यूनिट I	
बी	यूनिट II	
सी	यूनिट III	
डी	यूनिट IV इत्यादि	
3	स्टेशन का प्रकार	
ए	धरातल /भूमिगत	
बी	शुद्व रूप से आर ओ आर/पौण्डेज/स्टोरेज	
सी	पीकिंग/ नौन पीकिंग	
डी	पीकिंग के घंटों की संख्या	
4	उत्तेजन का प्रकार	
ए	जनरेटर पर रोटेटिंग एक्साइटर्स	(हॉ/नहीं)
बी	स्थिर एक्साईटेटर्स	(हॉ/नहीं)
5	अवस्थिति	
	राज्य/जनपद	
	नदी	
6	विपथन सुरंग	
	माप, आकार	
	लंबाई	
7	बांध	
	प्रकार	
	अधिकतम बांध ऊंचाई	
8	स्पिल वे	
	प्रकार	
	स्पिल वे का क्रेस्ट स्तर	
9	जलाशय	
	पूर्ण जलाशय स्तर (एफ आर एल)	
	न्यूनतम ड्रा डाउन स्तर (एम डी डी एल)	
	लाईव स्टोरेज (एम सी एम)	
10	डिस्टिलिंग व्यवस्था	
	प्रकार	
	संख्या व आकार	
	हटाये जाने वाले कणों की संख्या (एम एम)	
11	हैंडरेस टवेल	
	आकार व प्रकार	
	डिजायन डिस्चार्ज (क्यूमेक्स)	
12	सर्च शैफ्ट	
	प्रकार	
	ब्याज	
	ऊंचाई	
13	पैनस्टॉक/प्रेशर शैफ्ट्स	
	प्रकार	
	ब्याज व लंबाई	

हायड्रो हेतु प्रारूप

14	पावर हाउस	
	प्रकार	
	संस्थापित क्षमता (यूनिटों की संख्या x एम डब्ल्यू)	
	मंद अवधि के दौरान पीकिंग क्षमता (एम डब्ल्यू)	
	टर्बाइन का प्रकार	
	रेटेड हैड	
	रेटेड डिस्चार्ज (क्यूमेक्स)	
	पूर्ण जलाशय स्तर पर हैड (एम)	
	न्यूनतम ड्रा डाउन स्तर पर हैड (एम)	
	एफ आर एल पर एम डब्लू क्षमता	
	एम डी डी एल पर एम डब्ल्यू क्षमता	
15	ट्रेल रेस टलेल	
	ब्याज, आकार	
	लंबाई न्यूनतम् टेल जल स्तर	
16	स्विच यार्ड	
	स्विच गियर का प्रकार	
	जनरेटर बेज की संख्या	
	बेस कपलर बेज की संख्या	
	लाईन बेज की संख्या	-

नोट– सिंचाई, पेयजल, औधौगिक, पर्यावरणीय, सरोकारों इत्यादि के कारण जल के उपयोग पर प्रतिबंध के कारण विशिष्ट समय अवधि के दौरान उत्पादन पर परिसीमन को विनिर्दिष्ट करें।

उत्पादक कम्पनी का नाम ____________

उत्पादन स्टेशन का नाम ____________

प्रपत्र एफ–3

हायड्रो हेतु प्रारूप

शुद्व वार्षिक स्थिर प्रभारों का संगणन

(रू0 करोड़ में)

क्रम सं0	वर्षान्त मार्च	पूर्व वर्ष (n-1)	वर्तमान वर्ष (n)			आगामी वर्ष (n+1)	आगामी वर्ष (n+2)	आगामी वर्ष (n+3)
		(वास्तविक/ संपरीक्षित)	अप्रैल–सित0 (वास्तविक)	अक्टू0–मार्च (आंकलित)	योग (अप्रैल–सित0)	प्रक्षेपित	प्रक्षेपित	प्रक्षेपित
1	ऋण पर ब्याज मे (मानकीय ऋणों पर ब्याज सहित)							
2	अवक्षय							
3	पटटा प्रभार							
4	इक्विटी पर प्रतिफल							
	ए– इक्विटी पर प्रतिफल की दर							
	बी– इक्विटी							
	सी– इक्विटी पर प्रतिफल (4ए) (4बी)							
5	ओ एंड एम व्यय							
	5.1– कर्मचारी लागतें							
	5.2– मरम्मत एवं रखरखाव व्यय							
	5.3– प्रशासकीय एवं सामान्य लागतें							
6	कार्यशील पूँजी पर ब्याज							
7	एकल वार्षिक स्थिर प्रभार (1+2+3+4(सी)+5+6)							
8	घटा कर : अन्य आय (विवरण प्रदान करें)							
9	शुद्व वार्षिक प्रभार (7–8)							

उत्पादक कम्पनी का नाम ____________________

उत्पादन स्टेशन का नाम ____________________

प्रपत्र एफ: 4 हायड्रो हेतु प्रारूप

सकल स्थिर आस्ति आधार व वित्त पोषण योजना का विवरण

वाणिज्यिक प्रचालन की तिथि पर अंतिम अनुमोदित लागत

	पूंजीगत व्यय	वाणिज्यिक प्रचालन की तिथि यूनिट
ए– यूनिट/ब्लाक–1		दिन/माह/वर्ष
बी–यूनिट/ब्लाक–2		दिन/माह/वर्ष
सी–यूनिट/ब्लाक–3		दिन/माह/वर्ष
डी–यूनिट/ब्लाक–4		दिन/माह/वर्ष
ई– यूनिट/ब्लाक–5 इत्यादि		दिन/माह/वर्ष

मूल वित्त पोषण योजना (यूनिट वार)

रूपया आवधिक ऋण		
ऋण 1		
ऋण 2 *		
विदेशी मुद्रा ऋण		
ऋण 1		
ऋण 2 *		
इक्विटी		
रूपये में		
विदेशी मुद्रा में		

पूर्व वर्ष (n-1) (रू0 करोड़ में)

आस्तियों का विवरण	आरम्भिक अतिशेष	वर्ष की अवधि में परिवर्धन	वर्ष की अवधि में आस्तियों का सेवांत	अंत अतिशेष
ए– भूमि				
बी– भवन				
सी– इसी प्रकार (विनियमों में दिये गये वर्गीकरण अनुसार)				
योग–				

सकल स्थिर आस्तितों का विवरण

वर्तमान वर्ष (n) (रू0 करोड़ में)

आस्तियों का विवरण	आरम्भिक अतिशेष	वर्ष की अवधि में आस्तियों का परिवर्धन*		वर्ष की अवधि में आस्तियों का सेवांत*		
		अप्रैल–सित0 (वास्तविक)	अक्टू0–मार्च (आंकलित)	अप्रैल–सित0 (वास्तविक)	अक्टू0–मार्च (आंकलित)	अंत अतिशेष
ए– भूमि						
बी– भवन						
सी– आगे इसी प्रकार (विनियमों में दिये गये वर्गीकरण अनुसार)						
योग–						

उत्पादक कम्पनी का नाम ______________________

उत्पादन स्टेशन का नाम ______________________

सकल स्थिर आस्ति आधार व वित्त पोषण योजना का विवरण

हायड्रो हेतु प्रारूप

आगामी वर्ष (n+1)

(रू0 करोड़ में)

आस्तियों का विवरण	आरम्भिक अतिशेष	वर्ष की अवधि में परिवर्धन*	वर्ष की अवधि में आस्तियों का सेवांत*	अंत अतिशेष
ए— भूमि				
बी— भवन				
सी— आगे इसी प्रकार (विनियमों में दिये गये वर्गीकरण अनुसार)				
योग—				

आगामी वर्ष (n+2)

(रू0 करोड़ में)

आस्तियों का विवरण	आरम्भिक अतिशेष	वर्ष की अवधि में परिवर्धन*	वर्ष की अवधि में आस्तियों का सेवांत*	अंत अतिशेष
ए— भूमि				
बी— भवन				
सी— आगे इसी प्रकार (विनियमों में दिये गये वर्गीकरण अनुसार)				
योग—				

आगामी वर्ष (n+3)

(रू0 करोड़ में)

आस्तियों का विवरण	आरम्भिक अतिशेष	वर्ष की अवधि में परिवर्धन*	वर्ष की अवधि में आस्तियों का सेवांत*	अंत अतिशेष
ए— भूमि				
बी— भवन				
सी— आगे इसी प्रकार (विनियमों में दिये गये वर्गीकरण अनुसार)				
योग—				

***कृपया वर्ष की अवधि में आस्तियों की परिवर्धन एवं सेवान्त की वास्तविक/प्रस्तावित तिथि भी उल्लिखित की जाय।**

उत्पादक कम्पनी का नाम ____________

उत्पादन स्टेशन का नाम ____________

प्रपत्र एफ: 5.1 हायड्रो हेतु प्रारूप

आस्तिवार अवक्षय का विवरण

पूर्व वर्ष (n-1) (रू0 करोड़ में)

आस्तियों का विवरण	अवक्षय की दर % में	वर्ष के आरम्भ पर संचयी अवक्षय	वर्ष हेतु उपबंधित अवक्षय	वर्ष की अवधि में निकासियां	वर्ष के अंत पर संचयी अवक्षय का अतिशेष
ए– भूमि					
बी– भवन					
सी– आगे इसी प्रकार (विनियमों में दिये गये वर्गीकरण अनुसार)					
योग–					

वर्तमान वर्ष (n) (रू0 करोड़ में)

आस्तियों का विवरण	अवक्षय की दर % में	वर्ष के आरम्भ पर संचयी अवक्षय	वर्ष हेतु उपबंधित अवक्षय		वर्ष की अवधि में निकासियां		वर्ष के अंत पर संचयी अवक्षय का अतिशेष
			अप्रैल–सित0 (वास्तविक)	अक्टू0–मार्च (आंकलित)	अप्रैल–सित0 (वास्तविक)	अक्टू0–मार्च (आंकलित)	
ए– भूमि							
बी– भवन							
सी– आगे इसी प्रकार (विनियमों में दिये गये वर्गीकरण अनुसार)							
योग–							

आगामी वर्ष **(n+1)** (रू0 करोड़ में)

आस्तियों का विवरण	अवक्षय की दर % में	वर्ष के आरम्भ पर संचयी अवक्षय	वर्ष हेतु उपबंधित अवक्षय	वर्ष की अवधि में निकासियां	वर्ष के अंत पर संचयी अवक्षय का अतिशेष
ए— भूमि					
बी— भवन					
सी— आगे इसी प्रकार (विनियमों में दिये गये वर्गीकरण अनुसार)					
योग—					

आगामी वर्ष **(n+2)** (रू0 करोड़ में)

आस्तियों का विवरण	अवक्षय की दर % में	वर्ष के आरम्भ पर संचयी अवक्षय	वर्ष हेतु उपबंधित अवक्षय	वर्ष की अवधि में निकासियां	वर्ष के अंत पर संचयी अवक्षय का अतिशेष
ए— भूमि					
बी— भवन					
सी— आगे इसी प्रकार (विनियमों में दिये गये वर्गीकरण अनुसार)					
योग—					

आगामी वर्ष **(n+3)** (रू0 करोड़ में)

आस्तियों का विवरण	अवक्षय की दर % में	वर्ष के आरम्भ पर संचयी अवक्षय	वर्ष हेतु उपबंधित अवक्षय	वर्ष की अवधि में निकासियां	वर्ष के अंत पर संचयी अवक्षय का अतिशेष
ए— भूमि					
बी— भवन					
सी— आगे इसी प्रकार (विनियमों में दिये गये वर्गीकरण अनुसार)					
योग—					

उत्पादक कम्पनी का नाम ____________

उत्पादन स्टेशन का नाम ____________

प्रपत्र: 52

हायड्रो हेतु प्रारूप

अवक्षय का विवरण

(रू0 करोड़ में)

वित्तीय वर्ष	Upto 2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
पूंजी लागत पर अवक्षय																
अतिरिक्त पूंजीकरण पर अवक्षय																
अतिरिक्त पूंजीकरण की राशि																
अवक्षय राशि																
एफ ई आर वी का विवरण																
एफ ई आर वी की राशि जिस पर अवक्षय अवक्षय प्रभारित है।																
वर्ष की अवधि में वसूली किया गया अवक्षय																
वर्ष की अवधि में वसूल किये गये अवक्षय के विरूद्ध अग्रिम																
वर्ष तक वसूल किया गया अवक्षय के विरूद्ध संचयी अवक्षय व अग्रिम																

उत्पादक कम्पनी का नाम ____________

उत्पादन स्टेशन का नाम ____________

प्रपत्र एफ: 6.1

हायड्रो हेतु प्रारूप

पूंजीगत व्यय का विवरण

मद	सी ओ डी का एफ वाय	पूर्व वर्ष (n-1)		वर्तमान वर्ष (n-1)		टिप्पणी	आगामी वर्ष (n+1)	आगामी वर्ष (n+2)	आगामी वर्ष (n+3)	सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित कुल व्यय	वास्तव में हुआ कुल व्यय	टिप्पणी
		(वास्तविक/ संपरीक्षित)	अप्रैल–सित0 (वास्तविक)	अक्टू0–मार्च (आंकलित)	योग (अप्रैल–मार्च)		प्रक्षेपित	प्रक्षेपित	प्रक्षेपित			
(ए) व्यय विवरण												
ए–भूमि												
बी–भवन												
सी–मुख्य सिविल कार्य												
डी–संयंत्र एवं मशीनरी												
ई–वाहन												
एफ–फर्नीचर्स व फिक्सचर्स												
जी–कार्यालय उपकरण व अन्य												
योग–ए												
बी– वित्त पोषण के स्रोतों का ब्यौरा												
रूपया अवधिक ऋण												
टर्म लोन रू0												
ऋण–1												
ऋण–2												
....												
विदेशी मुद्रा में ऋण												
ऋण–1												
ऋण–2												
....												
इक्विटी												
रूपये में												
विदेशी मुद्रा में												
सी– अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें)												
योग–बी												

नोट:

1. जहां आवश्यक व अपेक्षित हो वहां समर्थक दस्तावेजों के साथ ऋणों व वित्त पोषण के संबंध में दिया जाय।
2. परियोजना की लागत, इसके अवयवों व वित्त की योजना के संबंध में, सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन की प्रतियां प्रस्तुत की जाय।
3. टिप्पणी– यदि वर्ष की अवधि में वास्तविक व्यय, यूईआरसी या अन्य प्राधिकृत अभिकरणों द्वारा अनुमोदित से भिन्न होना अपेक्षित हो तो विचलन के कारणों को स्पष्ट करें।
4. टिप्पणी–यदि कुल वास्तविक व्यय, यूईआरसी या अन्य प्राधिकृत अभिकरणों द्वारा अनुमोदित से भिन्न हो तो विचलन के कारणों को स्पष्ट करें।

उत्पादक कम्पनी का नाम ____________

उत्पादन स्टेशन का नाम ____________

प्रपत्रः 6.2

हायड्रो हेतु प्रारूप

पूँजीगत–प्रगति–अधीन–कार्यों का विवरण

क्रम सं0	विवरण	यूनिट	पूर्व वर्ष (n-1)	वर्तमान वर्ष (n-1)			आगामी वर्ष (n+1)	आगामी वर्ष (n+2)	आगामी वर्ष (n+3)
			(वास्तविक/ संपरीक्षित)	अप्रैल–सित0 (वास्तविक)	अक्टू0–मार्च (आंकलित)	योग (अप्रैल–मार्च)	प्रक्षेपित	प्रक्षेपित	प्रक्षेपित
1	सी डब्ल्यू आई पी का आरम्भिक अतिशेष								
2	जोड़कर : नये निवेश								
	पूंजीगत व्यय								
	निर्माण की अवधि में ब्याज								
3	हटाकरः निवेश पूंजीकृत								
4	सी डब्ल्यू आई पी का अंत अतिशेष								

उत्पादक कम्पनी का नाम ____________________

उत्पादन स्टेशन का नाम ____________________

प्रपत्र: 6.3

हायड्रो हेतु प्रारूप

पूँजीगत–व्यय व नयी परियोजनाओं के सी ओ डी की अनुसूची का विवरण

ऊर्जा स्टेशन का नाम	
परियोजना लागत आकलन का अनुमोदन करने वाले अभिकरण का नाम	
पूंजी लागत आकलन के अनुमोदन की तिथि	

	वर्तमान दिवस लागत (.......तिथि पर)	सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित रूप में
पूंजी लागत		
पूंजी लागत आकलनों हेतु विचारित विदेशी विनियम दर		

लागत विवरण		**राशि**	**विनिमय दर**	**राशि करोड़ रूपये**
ए– प्राथमिक लागत				
विदेशी घटक (विदेशी मुद्रा में)				
घरेलू घटक				
योग प्राथमिक लागत	ए			
बी– आई डी सी व एफ सी				
विदेशी घटक (विदेशी मुद्रा में)				
भारतीय घटक				
कुल आई डी सी व एफ सी	बी			
सी– कुल लागत (आई डी सी व एफ सी सहित)	**सी=(ए+बी)**			

कमीशनिंग की अनुसूची		
यूनिट/ब्लाक–1 क सी ओ डी		
यूनिट/ब्लाक–2 की अनुसूची		
....		
अंतिम यूनिट की अनुसूची		

नोट– अनुमोदन की प्रति संलग्न की जाये

उत्पादक कम्पनी का नाम ____________

उत्पादन स्टेशन का नाम ____________

प्रपत्र एफ: 6.4 हायड्रो हेतु प्रारूप

नयी परियोजनाओं के लिये पूंजीगत व्यय का ब्यौरा

ऊर्जा स्टेशन का नाम	
परियोजना लागत आकलनों का अनुमोदन करने वाली एजेन्सी का नाम	
पूंजी लागत आकलन के अनुमोदन की तिथि	

(रू0 करोड़ में)

विवरण	सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित कुल व्यय	पूर्व वर्ष (n-1)	वर्तमान वर्ष		वर्तमान वर्ष तक हुआ कुल व्यय	अनुमोदित योजना के अनुसार वर्तमान वर्ष तक उपगत समझे गये कुल व्यय	स्तंभ 6 व 7 के मध्य अंतर	टिप्पणिया	आगामी वर्ष (n+1)	आगामी वर्ष (n+2)	आगामी वर्ष (n+3)
		वास्तव में हुआ उपगत व्यय	अप्रैल–सित0 (वास्तविक)	अक्टू0–मार्च (आंकलित)							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
(ए) व्यय विवरण											
ए– भूमि											
बी– भवन											
सी– मुख्य सिविल कार्य											
डी– संयंत्र एवं मशीनरी											
ई– वाहन											
एफ–फर्नीचर्स व फिक्सचर्स											
जी–कार्यालय उपकरण व अन्य											
योग–ए											
बी– वित्त पोषण के स्रोतों का ब्यौरा											
ए– ऋण/उधार											
बी–इक्विटी											
सी–अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें)											
....											
योग–बी											
नोट–											

टिप्पणी – 6 व 7 के मध्य अंतर के कारणों को स्पष्ट करें।

उत्पादक कम्पनी का नाम
उत्पादन स्टेशन का नाम ____________________

प्रपत्र एफ: 6.5

हायड्रो हेतु प्रारूप

सी ओ डी पर जल विद्युत उत्पादक स्टेशन के लिए पूँजीं लागत का ब्यौरा (नये स्टेशनों के लिये)

कम सं0	कार्यों का शीर्ष	प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित रूप में मूल लागत	सी ओ डी पर वास्तविक लागत	विभेदक तिथि तक अतिरिक्त पूंजीकरण	कुल पूर्ण की गई पूंजी लागत	परिवर्तन	परिवर्तन के कारण
1	2	3	4	5	6 =4+5	7=3-6	8
1.0	संरचना कार्य						
1.1	विकास सहित प्राथमिक कार्य						
1.2	भूमि						
1.3	भवन						
1.4	नगरी						
1.5	अनुरक्षण						
1.6	औजार एवं संयंत्र						
1.7	संप्रेषण						
1.8	पर्यावरण व पारिस्थिकी						
1.9	स्टॉक्स पर हानियां						
1.10	प्राप्तियां व वसूली						
1.11	योग (संरचना कार्य)						
2.0	मुख्य सिविल कार्य						
2.1	बंध, इन्टेक व डिस्टलिंग टैंबर्स						
2.2	एचआरटी टी आर टी० सर्च शैफ्ट्स व प्रैषर शैफ्ट्स						
2.3	ऊर्जा संयंत्र सिविल कार्य						
2.4	अन्य सिविल कार्य (विनिर्दिष्ट किये जायें)						
2.5	योग (मुख्य सिविल कार्य)						
3.0	हायड्रो मेकेनिकल उपकरण						
4.0	संयंत्र एवं उपकरण						
4.1	संयंत्र व उपकरण के प्रारंभिक स्पेयर्स						
4.2	योग (संयंत्र व उपकरण)						
5.0	कर व शुल्क						
5.1	सीमा शुल्क						
5.2	अन्य कर व शुल्क						
5.3	कुल कर व शुल्क						
6.0	निर्माण व कमीशनिंग पूर्व व्यय						
6.1	इरेक्शन, परीक्षण व कमीशनिंग						
6.2	निर्माण बीमा						
6.3	स्थल पर्यवेक्षण						
6.4	योग (निर्माण व कमीशनिंग)						
7.0	उपरिव्यय						
7.1	स्थापना						
7.2	डिजायन व इंजीनियरिंग						
7.3	लेखा परीक्षण व लेखा						
7.4	आकस्मिकताएं						
7.5	पुर्नवास व पुनःस्थापन						
7.6	योग (उपरिव्यय)						
6.0	आई डी सी व एफ सी के बिना पूंजी लागत						
9.0	वित्त पोषण प्रभार एफ सी						
10.0	निर्माण की अवधि में ब्याज (आई डी सी)						
11.0	आई डी सी व एफ सी के साथ पूंजी लागत						

नोट–परियोजना का समय व लागत बढ़ जाने पर ऐसी बढ़त का औचित्य बताते हुए एक विस्तृत नोट प्रस्तुत किया जाना चाहिये जिसमें स्पष्ट रूप से उत्तरदायी एजेन्सी का उल्लेख हो व यह भी कि क्या ऐसी समय व लागत की बढ़त उत्पादक कंपनी के नियन्त्रण के बाहर था।

उत्पादक कम्पनी का नाम ____________________

उत्पादन स्टेशन का नाम ____________________

हायड्रो हेतु प्रारूप

प्रपत्र: एफ 6.6

सी ओ डी पर निमार्ण/आपूर्ति/सेवा पैकेजज् का ब्यौरा (नये स्टेशनों के लिये)

क्रम सं0	निर्माण/आपूर्ति/सेवा पैकेज का नाम	कार्यों की परिधि (लागू अनुसार लागत ब्योरे के शीर्ष के अनुरूप)	क्या आई सी बी/डी सी बी/विभागीय जमा कार्य द्वारा प्रदान किया गया है।	प्राप्त बोलियों की संख्या	प्रदान किये जाने की तिथि	कार्य आरम्भ होने की तिथि	कार्य पूर्ण होने की तिथि	प्रदान कार्य का मूल्य (करोड़ रू. में)	स्थिर या वृद्धि के साथ मूल्य	कार्य पूर्ण होने या सी ओ डी, जो पहले ही, तक वास्तविक व्यय (करोड़ रू. में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

1. यदि कोई ऐसा पैकेज है, जिसे भारतीय रूपये या विदेशी मुद्रा में दर्शाया जाना है तो उसे मुद्रा, विनियम, दर व तिथि के साथ पृथक रूप से दर्शाया जाये।

उत्पादक कम्पनी का नाम ____________

उत्पादन स्टेशन का नाम ____________

हायड्रो हेतु प्रारूप

प्रपत्रः एफ 6.7

आई डी सी इत्यादि के परिकलन हेतु ड्रा डाउन अनुसूची

(रू0 करोड़ में)

क्रम सं0	ड्रा डाउन	तिमाही–1			तिमाही–2			तिमाही–n (सी ओ डी)		
	विवरण	विदेशी मुद्रा में मात्रा	ड्रा डाउन तिथि पर विनिमय दर	भारतीय रूपये में राशि	विदेशी मुद्रा में मात्रा	ड्रा डाउन तिथि पर विनिमय दर	भारतीय रूपये में राशि	विदेशी मुद्रा में मात्रा	ड्रा डाउन तिथि पर विनिमय दर	भारतीय रूपये में राशि
1	ऋण									
1.1	विदेशी ऋण									
1.1.1	विदेशी ऋण–1									
	ड्रा डाउन राशि									
	आई डी सी									
	वित्त पोषण प्रभार									
	एफ ई आर वी									
	प्रतिरक्षा लागत									
1.1.2	विदेशी ऋण–1									
	ड्रा डाउन राशि									
	आई डी सी									
	वित्त पोषण प्रभार									
	एफ ई आर वी									
	प्रतिरक्षा लागत									
1.1.n	विदेशी ऋण– n									
	ड्रा डाउन राशि									
	आई डी सी									
	वित्त पोषण प्रभार									
	एफ ई आर वी									
	प्रतिरक्षा लागत									
1.1	कुल विदेशी ऋण									
	ड्रा डाउन राशि									
	आई डी सी									
	वित्त पोषण प्रभार									
	एफ ई आर वी									
	प्रतिरक्षा लागत									

क्रम सं0	ड्रा डाउन	तिमाही–1			तिमाही–2			तिमाही–n (सी ओ डी)		
	विवरण	विदेशी मुद्रा में मात्रा	ड्रा डाउन तिथि पर विनिमय दर	भारतीय रूपये में राशि	विदेशी मुद्रा में मात्रा	ड्रा डाउन तिथि पर विनिमय दर	भारतीय रूपये में राशि	विदेशी मुद्रा में मात्रा	ड्रा डाउन तिथि पर विनिमय दर	भारतीय रूपये में राशि
1.2.	भारतीय ऋण–1									
1.2.1	भारतीय ऋण–1									
	ड्रा डाउन राशि									
	आई डी सी									
	वित्त पोषण प्रभार									
1.2.2	भारतीय ऋण–2									
	ड्रा डाउन राशि									
	आई डी सी									
	वित्त पोषण प्रभार									
1.2.n	भारतीय ऋण–n									
	ड्रा डाउन राशि									
	आई डी सी									
	वित्त पोषण प्रभार									
1.2	कुल भारतीय ऋण									
	ड्रा डाउन राशि									
	आई डी सी									
	वित्त पोषण प्रभार									
	लिए गए ऋणों का योग									
	आई डी सी									
	वित्त पोषण प्रभार									
	एफ ई आर वी									
	प्रतिरक्षा लागत									
2	इक्विटी									
2.1	निकासी की गई विदेश इक्विटी									
2.2	निकासी की गई भारतीय इक्विटी									
	कुल अभिनियोजित इक्विटी									

टिप्पणी :

1. ऋण व इक्विटी की निकासी, कमीशनिंग अनुसूची को पूरा करने के लिए तिमाही वार उसकी मात्र के आधार पर होगी। प्रारम्भ में उच्च इक्विटी की निकासी अनुमेय है।
2. संगणन एवं उपयोग की गई पुनः नियत तिथि सहित लागू ब्याज दरें पृथक रूप से प्रस्तुत की जायें।
3. बहु यूनिट परियोजना के मामले में, उपयोग किया गया पूंजीकरण अनुपात प्रस्तुत किया जाये।

उत्पादक कम्पनी का नाम ____________

उत्पादन स्टेशन का नाम ____________

प्रपत्रः एफ 7

हायड्रो हेतु प्रारूप

पूँजी लागत व वित्त पोषण संरचना का विवरण

वर्षान्त मार्च	सी ओ डी का एफ वाय	पूर्व वर्ष (n-1)	वर्तमान वर्ष (n)			आगामी वर्ष (n+1)	आगामी वर्ष (n+2)	आगामी वर्ष (n+3)	अभ्युक्ति
		(वास्तविक/ संपरीक्षित)	अप्रैल—सित0 (वास्तविक)	अक्टू0—मार्च (आंकलित)	योग (अप्रैल—मार्च)	प्रक्षेपित	प्रक्षेपित	प्रक्षेपित	
मूल परियोजना वित्तीय मानदंड									
पूंजी लागत									
वर्ष की अवधि में परिवर्धन									
वर्ष की अवधि में विलोपन									
सकल पूँजी लागत—ए									
मूल परियोजना लागत के विरूद्व इक्विटी									
वर्ष की अवधि में परिवर्धन									
इक्विटी उपयोग —बी									
मूल परियोजना लागत के विरूद्व ऋण									
वर्ष की अवधि में जुड़े नये ऋण									
ऋण उपयोग—सी									
मूल परियोजना लागत के विरूद्व अनुदान									
वर्ष की अवधि में परिवर्धन									
अनुदान उपयोग—डी									
कुल वित्त पोषण (बी+सी +डी0)									

टिप्पणी :

1. अनुमोदित या वास्तविक पूंजी लागत, जो भी कम हो।
2. इक्विटी व ऋण, यदि लागू हो, तो विदेशी व घरेलू घटक में विभाजित किया जायेगा।

उत्पादक कम्पनी का नाम ____________

उत्पादन स्टेशन का नाम ____________

हायड्रो हेतु प्रारूप

प्रपत्रः एफ 8

वित्तीय पैकेजेज् का विवरण

निधियों का स्रोत	एस सी में राशि	विनियम दर	भारतीय मुद्रा में राशि	वापसी के निबंधन	ग्रेस अवधि	ब्याज दर/वापसी पर प्रतिफल	गारंटी कमीशन	अपफ्रंट फीस/प्रदर्शन प्रीमियम	कुल ऋण का %	कुल इक्विटी का %	कुल पी सी का %
	(मुद्रा का नाम)	(रू0/एफ सी)	(करोड़ रू0 में)	(वर्ष)	(वर्ष)	%	(करोड़ रू0 में)	(करोड़ रू0 में)	%	%	%
(ए) ऋण											
विदेश :											
ऋण I											
ऋण II											
ऋण III											
ऋण IV इत्यादि											
भारतीय											
ऋण I											
ऋण II इत्यादि											
कुल ऋण (ए)											
(बी) इक्विटी											
विदेशी											
भारतीय											
कुल इक्विटी (बी)											
(सी) अनुदान											
विदेशी											
भारतीय											
कुल अनुदान (सी)											
कुल वित्त पोषण (ए+बी+सी)											
कुल परियोजना लागत											

नोट :

1. सी ओ डी साधित कर चुकी परियोजनाओं के मामले में– परियोजना के सी ओ डी पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत वित्तीय पैकेज विवरण, समर्थक दस्तावेजों के साथ प्रारूप में प्रस्तुत किये जायेंगे।
2. सी ओ डी साधित न की हुई परियोजनाओं के मामले में : समक्ष्म प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित वित्तीय पैकेज विवरण समर्थक दस्तावेजों के साथ प्रारूप में प्रस्तुत किया जायेगा।
3. एफ सी - विदेशी मुद्रा।
4. पी सी - परियोजना लागत

हायड्रो हेतु प्रारूप

उत्पादक कम्पनी का नाम ____________

उत्पादन स्टेशन का नाम ____________

प्रपत्र: एफ 9.1

बकाया ऋणों का विवरण

पूर्व वर्ष (n-1)

ऋण अभिकरण ऋण स्रोत	ब्याज की दर	वापसी की अवधि	वर्ष के आरम्भ पर अतिशेष	वर्ष की अवधि में प्राप्त राशि	वर्ष की अवधि में देय मूल	वर्ष की अवधि में मूल वापसी	वर्ष के अंत पर आतिदेय मूल	वर्ष के अंत पर देय मूल	टिप्पणी
	(वास्तविक/ संपरीक्षित)	(वास्तविक/ संपरीक्षित)	(वास्तविक/ संपरीक्षित)	(वास्तविक/ संपरीक्षित)	(वास्तविक/ संपरीक्षित)	(वास्तविक/ संपरीक्षित)	(वास्तविक/ संपरीक्षित)	(वास्तविक/ संपरीक्षित)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(6)-(7)	9=(4)+(5)-(6)	10
(ए) राज्य सरकार से अन्यथा									
ऋण I (ऋण दाता का नाम)									
ऋण II (ऋण दाता का नाम)									
ऋण III (ऋण दाता का नाम) इत्यादि									
उप–योग (ए)									
(बी) सरकारी ऋण									
प्रकार I									
प्रकार II									
प्रकार III इत्यादि									
उप–योग (बी)									
उप–योग (ए + बी)									
(सी) मानकीय ऋण									
योग (ए+बी+सी)									

वर्तमान वर्ष (n)

ऋण अभिकरण ऋण स्रोत	ब्याज की दर (आंकलित)	वापसी की अवधि (आंकलित)	वर्ष के आरम्भ पर अतिशेष (आंकलित)	वर्ष की अवधि में प्राप्त राशि (आंकलित)	वर्ष की अवधि में देय मूल (आंकलित)	बर्ष की अवधि में मूल वापसी (आंकलित)	वर्ष के अंत पर आतिदेय मूल (आंकलित)	वर्ष के अंत पर देय मूल (आंकलित)	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8=(6)-(7)	9=(4)+(5)-(6)	10
(ए) राज्य सरकार से अन्यथा									
ऋण I (ऋण दाता का नाम)									
ऋण II (ऋण दाता का नाम)									
ऋण III (ऋण दाता का नाम) इत्यादि									
उप–योग (ए)									
(बी) सरकारी ऋण									
प्रकार I									
प्रकार II									
प्रकार III इत्यादि									
उप–योग (बी)									
उप–योग (ए + बी)									
(सी) मानकीय ऋण									
योग (ए+बी+सी)									

आगामी वर्ष (n+1)

ऋण अभिकरण ऋण स्रोत	ब्याज की दर (आंकलित)	वापसी की अवधि (आंकलित)	वर्ष के आरम्भ पर अतिशेष (आंकलित)	वर्ष की अवधि में प्राप्त राशि (आंकलित)	वर्ष की अवधि में देय मूल (आंकलित)	वर्ष की अवधि में मूल वापसी (आंकलित)	वर्ष के अंत पर अतिदेय मूल (आंकलित)	वर्ष के अंत पर देय मूल (आंकलित)	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8=(6)-(7)	9=(4)+(5)-(6)	10
(ए) राज्य सरकार से अन्यथा									
ऋण I (ऋण दाता का नाम)									
ऋण II (ऋण दाता का नाम)									
ऋण III (ऋण दाता का नाम) इत्यादि									
उप–योग (ए)									
(बी) सरकारी ऋण									
प्रकार I									
प्रकार II									
प्रकार III इत्यादि									
उप–योग (बी)									
उप–योग (ए + बी)									
(सी) मानकीय ऋण									
योग (ए+बी+सी)									

आगामी वर्ष (n+2)

ऋण अभिकरण ऋण स्रोत	ब्याज की दर (आंकलित)	वापसी की अवधि (आंकलित)	वर्ष के आरम्भ पर अतिशेष (आंकलित)	वर्ष की अवधि में प्राप्त राशि (आंकलित)	वर्ष की अवधि में देय मूल (आंकलित)	वर्ष की अवधि में मूल वापसी (आंकलित)	वर्ष के अंत पर आतिदेय मूल (आंकलित)	वर्ष के अंत पर देय मूल (आंकलित)	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8=(6)-(7)	9=(4)+(5)-(6)	10
(ए) राज्य सरकार से अन्यथा									
ऋण I (ऋण दाता का नाम)									
ऋण II (ऋण दाता का नाम)									
ऋण III (ऋण दाता का नाम) इत्यादि									
उप–योग (ए)									
(बी) सरकारी ऋण									
प्रकार I									
प्रकार II									
प्रकार III इत्यादि									
उप–योग (बी)									
उप–योग (ए + बी)									
(सी) मानकीय ऋण									
योग (ए+बी+सी)									

आगामी वर्ष (n+3)

ऋण अभिकरण ऋण स्रोत	ब्याज की दर (आंकलित)	वापसी की अवधि (आंकलित)	वर्ष के आरम्भ पर अतिशेष (आंकलित)	वर्ष की अवधि में प्राप्त राशि (आंकलित)	वर्ष की अवधि में देय मूल (आंकलित)	वर्ष की अवधि में मूल वापसी (आंकलित)	वर्ष के अंत पर आतिदेय मूल (आंकलित)	वर्ष के अंत पर देय मूल (आंकलित)	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8=(6)-(7)	9=(4)+(5)-(6)	10
(ए) राज्य सरकार से अन्यथा									
ऋण I (ऋण दाता का नाम)									
ऋण II (ऋण दाता का नाम)									
ऋण III (ऋण दाता का नाम) इत्यादि									
उप–योग (ए)									
(बी) सरकारी ऋण									
प्रकार I									
प्रकार II									
प्रकार III इत्यादि									
उप–योग (बी)									
उप–योग (ए + बी)									
(सी) मानकीय ऋण									
योग (ए+बी+सी)									

टिप्पणी–

1. यदि ऋण का पुनः अनुसूचीकरण किया गया है तो पुनः अनुसूचीकरण के निबंधन रेखांकित करते हुए उधार दाता से पत्र की प्रति के साथ संलग्नक के माध्यम से अनुसूचीकरण के निबंधनों को स्पष्ट रूप से विनिर्दिष्ट किया जाये।
2. कोई ऋण जो किसी उत्पादक स्टेशन को आबंटित न किया गया हो तथा अनुमोदित वित्तीय पैकेज का भाग न हो, कारणों सहित पृथक रूप से दर्शाये जायें।
3. मूल वित्तीय योजना तथा इसके अनुसार संचयी वापसी, प्रत्येक ऋण हेतु दर्शायी जाये।
4. वर्तमान वर्ष के लिए निकासी किये गये ऋण व वर्षान्त तक निकासी हेतु प्रस्तावित ऋण पृथक रूप से दर्शाये जाये।
5. वर्तमान या नये उधारदाता से कोई नवीन ऋण, ऋण के रूप में पृथक रूप से दर्शाये जाये।
6. विदेशी मुद्रा ऋणों के मामले में, मुद्रा के नाम साथ उधार की मुद्रा के डाटा प्रदान किया जाये।

उत्पादक कम्पनी का नाम ____________________

उत्पादन स्टेशन का नाम ____________________

प्रपत्रः एफ 9.2 हायड्रो हेतु प्रारूप

वास्तविक ऋणों पर ब्याज की भारित औसत ब्याज दर का परिकलन

क्रम सं0	विवरण	पूर्व वर्ष (n-1)	वर्तमान वर्ष (n)	आगामी वर्ष (n+1)	आगामी वर्ष (n+2)	आगामी वर्ष (n+3)
				प्रक्षेपित	प्रक्षेपित	प्रक्षेपित
	ऋण--1					
	सकल ऋण : आरम्भिक					
	पूर्व वर्ष तक ऋण के सकल भुगतान					
	शुद्व ऋण : आरम्भिक					
	जोड़कर : पूर्व की अवधि में निकासियां					
	हटाकर : पूर्व की अवधि में ऋण की वापसियां					
	शुद्व ऋण : अंत में					
	औसत शुद्व ऋण					
	वार्षिक आधार पर ऋण पर ब्याज की दर					
	ऋण पर ब्याज					
	ऋण--2					
	सकल ऋण : आरम्भिक					
	पूर्व वर्ष तक ऋण के सकल भुगतान					
	शुद्व ऋण : आरम्भिक					
	जोड़कर : पूर्व की अवधि में निकासियां					
	हटाकर : पूर्व की अवधि में ऋण की वापसियां					
	शुद्व ऋण : अंत में					
	औसत शुद्व ऋण					
	वार्षिक आधार पर ऋण पर ब्याज की दर					
	ऋण पर ब्याज					
	ऋण-- n					
	सकल ऋण : आरम्भिक					
	पूर्व वर्ष तक ऋण के सकल भुगतान					
	शुद्व ऋण : आरम्भिक					
	जोड़कर : पूर्व की अवधि में निकासियां					
	हटाकर : पूर्व की अवधि में ऋण की वापसियां					
	शुद्व ऋण : अंत में					
	औसत शुद्व ऋण					
	वार्षिक आधार पर ऋण पर ब्याज की दर					
	ऋण पर ब्याज					
	कुल ऋण					
	सकल ऋण : आरम्भिक					
	पूर्व वर्ष तक ऋण के सकल भुगतान					
	शुद्व ऋण : आरम्भिक					
	जोड़कर : पूर्व की अवधि में निकासियां					
	हटाकर : पूर्व की अवधि में ऋण की वापसियां					
	शुद्व ऋण : अंत में					
	औसत शुद्व ऋण					
	वार्षिक आधार पर ऋण पर ब्याज की दर					
	ऋण पर ब्याज					

विदेशी ऋणों के मामले में परकिलन भारतीय रूपये में प्रस्तुत किया जाये तथापि मूल मुद्रा में परिकलन भी उसी प्रारूप में पृथक रूप से प्रस्तुत किया जाये।

उत्पादक कम्पनी का नाम ____________

उत्पादन स्टेशन का नाम ____________

प्रपत्र : एफ 9.3

हायड्रो हेतु प्रारूप

मानकीय ऋण पर ब्याज का परिकलन

(रू0 करोड़ में)

विवरण	पूर्व वर्ष (n-1)	वर्तमान वर्ष (n)	आगामी वर्ष (n+1)	आगामी वर्ष (n+2)	आगामी वर्ष (n+3)
			प्रक्षेपित	प्रक्षेपित	प्रक्षेपित
सकल मानकीय ऋण : आरम्भिक					
पूर्व वर्ष तक मानकीय ऋण के संचयी भुगतान					
शुद्ध मानकीय ऋण —: आरम्भिक					
वर्ष की अवधि में वृद्धि या कमी					
हटाकर :वर्ष की अवधि में मानकीय ऋणों की वापसियां					
शुद्ध मानकीय ऋण : अंत में					
वार्षिक आधार पर वास्तविक ऋण पर ब्याज की भारित औसत दर					
मानकीय ऋण पर ब्याज					

उत्पादक कम्पनी का नाम ____________

उत्पादन स्टेशन का नाम ____________

प्रपत्रः एफ 10

हायड्रो हेतु प्रारूप

कार्यशील पूंजी पर ब्याज का विवरण

(रू0 करोड़ में)

क्रम सं0	विवरण	पूर्व वर्ष (n-1)	वर्तमान वर्ष (n)			आगामी वर्ष (n+1)	आगामी वर्ष (n+2)	आगामी वर्ष (n+3)	टिप्पणी
		(वास्तविक/ संपरीक्षित)	अप्रैल–सित0 (वास्तविक)	अक्टू0–मार्च (आंकलित)	योग (अप्रैल–मार्च0)	आंकलित	आंकलित	आंकलित	
1.	ओ एडं एम व्यय = 1 माह								
2	स्पेयर्स ओ एंड एम व्ययों का 15%								
3	प्राप्य– 2 माह								
4	कुल कार्यशील पूँजी (1+2+3)								
5	मानकीय ब्याज दर (%)								
6	कार्यशील पूँजी पर मानकीय ब्याज (4x5)								

उत्पादक कम्पनी का नाम ____________

उत्पादन स्टेशन का नाम ____________

प्रपत्रः एफ 11

हायड्रो हेतु प्रारूप

प्रचालन एवं अनुरक्षण व्ययों का विवरण

(रू0 करोड़ में)

कम सं0	ऋण अभिकरण ऋण स्रोत	पूर्व वर्ष (n+6)	पूर्व वर्ष (n+5)	पूर्व वर्ष (n+4)	पूर्व वर्ष (n+3)	पूर्व वर्ष (n+2)	पूर्व वर्ष (n+1)	वर्तमान वर्ष (n)			आगामी वर्ष (n+1)	आगामी वर्ष (n+2)	आगामी वर्ष (n+3)	टिप्पणी
		(वास्तविक/ संपरीक्षित)	(वास्तविक/ संपरीक्षित)	(वास्तविक/ संपरीक्षित)	(वास्तविक/ संपरीक्षित)	(वास्तविक/ संपरीक्षित)	(वास्तविक/ संपरीक्षित)	(अप्रैल–सित0 (आंकलित)	अक्टू–मार्च (आंकलित)	योग अप्रैल–मार्च	आकलित	आकलित	आकलित	
(ए)	मरम्मत एवं रख–रखाव व्यय													
	संयंत्र व मशीनरी													
	भवन													
	सिविल कार्य													
	हायड्रोलिक कार्य													
	लाईन्स, केबल नेट वर्क्स इत्यादि													
	वाहन													
	फर्नीचर्स व फिक्सचर्स													
	कार्यालय उपकरण एवं अन्य मदें													
	स्टोर्स व स्पेयर्स का उपभोग													
	जनरेटर्स, टर्बाईन्स व उपसाधनों से संबंधित													
	अनुषंगी विद्युत उपकरणों से संबंधित													
	अनुषंगी उपकरण व उर्जा स्टेशन के लिए सेवाओं से संबंधित													
	उप–योग													
(बी)	प्रशासनिक व्यय													
	बीमा													
	किराया													
	विद्युत प्रभार													
	यात्रा व यातायात													
	स्टाफ कार													
	टेलीफोन, टेलेक्स, पोस्टेज													
	विज्ञापन													
	मनोरंजन													
	कार्पोरेट प्रबन्धन व्यय													
	विधिक व्यय													
	अन्य (अवयव विनिर्दिष्ट करें)													
	उप–योग													

(रू0 करोड़ में)

क्रम सं0	ऋण अभिकरण ऋण स्रोत	पूर्व वर्ष (n+6) (वास्तविक/संपरीक्षित)	पूर्व वर्ष (n+5) (वास्तविक/संपरीक्षित)	पूर्व वर्ष (n+4) (वास्तविक/संपरीक्षित)	पूर्व वर्ष (n+3) (वास्तविक/संपरीक्षित)	पूर्व वर्ष (n+2) (वास्तविक/संपरीक्षित)	पूर्व वर्ष (n+1) (वास्तविक/संपरीक्षित)	वर्तमान वर्ष (n) (अप्रैल–सित0 (आंकलित)	वर्तमान वर्ष (n) अक्टू–मार्च (आंकलित)	वर्तमान वर्ष (n) योग अप्रैल–मार्च	आगामी वर्ष (n+1) आकलित	आगामी वर्ष (n+2) आकलित	आगामी वर्ष (n+3) आकलित	टिप्पणी
(सी)	कर्मचारी लागत													
	मूल वेतन													
	मंहगाई भत्ता													
	अन्य भत्ते													
	बोनस													
	स्टाफ कल्याण व्यय													
	चिकित्सा भत्ता													
	अन्य व्यय (अवयव विनिर्दिष्ट करें)													
	सेवांत लाभ													
	उप–योग													
(डी)	कार्पोरेट कार्यालय आबंटित													
	कर्मचारी लागत													
	मरम्मत एवं रखरखाव													
	प्रशिक्षण एवं भर्ती													
	संप्रेषण													
	यात्रा													
	सुरक्षा													
	किराया													
	अन्य (अवयव विनिर्दिष्ट करें)													
	उप–योग													
	कुल ओ एंड एम व्यय													
	घटाकर : ओ एंड एम व्यय पूंजीकृत													
	शुद्ध ओ एंड एम व्यय													

नोट–

1. उत्पादक स्टेशनों को कार्पोरेट व्यय आबंटित करने की प्रकिया को विनिर्दिष्ट किया जाये।
2. डाटा को सांविधि लेखा परीक्षकों द्वारा प्रमाणित किया जाये।

उत्पादक कम्पनी का नाम ____________

उत्पादन स्टेशन का नाम ____________

प्रपत्रः एफ 11.1

हायड्रो हेतु प्रारूप

मरम्मत एवं रखरखाव का विवरण

(रू0 करोड़ में)

क्रम सं0	ऋण अभिकरण ऋण स्रोत	पूर्व वर्ष (n+6)	पूर्व वर्ष (n+5)	पूर्व वर्ष (n+4)	पूर्व वर्ष (n+3)	पूर्व वर्ष (n+2)	पूर्व वर्ष (n+1)	वर्तमान वर्ष (n)			आगामी वर्ष (n+1)	आगामी वर्ष (n+2)	आगामी वर्ष (n+3)	टिप्पणी
		(वास्तविक / संपरीक्षित)	(वास्तविक / संपरीक्षित)	(वास्तविक / संपरीक्षित)	(वास्तविक / संपरीक्षित)	(वास्तविक / संपरीक्षित)	(वास्तविक / संपरीक्षित)	(अप्रैल–सित0 (आंकलित)	अक्टू–मार्च (आंकलित)	योग अप्रैल–मार्च	आकलित	आकलित	आकलित	
1	संयंत्र एवं मशीनरी													
2	भवन													
3	सिविल कार्य													
4	हायड्रोलिक कार्य													
5	लाईन्स, केबल नेट वर्क्स इत्यादि													
6	वाहन													
7	फर्नीचर्स व फिक्सचर्स													
8	कार्यालय उपकरण													
9	स्टेशन आपूर्ति, स्टोर्स व उपभोज्य													
	जनरेटर्स,टर्बाईन्स एवं एसेसिरीज से संबंधित													
	विद्युत अनुषंगी उपकरण से संबंधित													
	अनुषंगी उपकरण व उर्जा स्टेशन के लिए सेवाओं से संबंधित													
11	कोई अन्य मदें													
12	घटाकर : पूंजीकरण													
	योग–													

उत्पादक कम्पनी का नाम ____________________

उत्पादन स्टेशन का नाम ____________________

प्रपत्रः एफ 11.2 हायड्रो हेतु प्रारूप

कर्मचारी लागतों का विवरण (रू0 करोड़ में)

	क सं0	ऋण अभिकरण ऋण स्रोत	पूर्व वर्ष (n+6)	पूर्व वर्ष (n+5)	पूर्व वर्ष (n+4)	पूर्व वर्ष (n+3)	पूर्व वर्ष (n+2)	पूर्व वर्ष (n+1)	वर्तमान वर्ष (n)			आगामी वर्ष (n+1)	आगामी वर्ष (n+2)	आगामी वर्ष (n+3)	टिप्पणी
			(वास्तविक/ संपरीक्षित)	(वास्तविक/ संपरीक्षित)	(वास्तविक/ संपरीक्षित)	(वास्तविक/ संपरीक्षित)	(वास्तविक/ संपरीक्षित)	(वास्तविक/ संपरीक्षित)	(अप्रैल–सित0 (आंकलित)	अक्टू–मार्च (आंकलित)	योग अप्रैल–मार्च	आकलित	आकलित	आकलित	
ए		कर्मचारी लागत ("सी"वृ"डी" में उल्लिखित से अन्यथा)													
	1	वेतन													
	2	अतिरिक्त वेतन/मंहगाई भत्ता													
	3	अन्य भत्ते एवं राहत													
	4	अंतरिम/राहत/मजदूरी संशोधन													
	5	मानदेय/ओवर टाईम													
	6	संविधिक बोनस/एक्स ग्रेशिया													
		उप–योग													
(बी)		अन्य लागतें													
	1	चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति													
	2	यात्रा भत्ता/कन्वैन्स एलाउन्स													
	3	अवकाश यात्रा सहायता													
	4	अर्जित अवकाश भुगतान													
	5	कर्मकार प्रतिकार अधिनियम के अधीन भुगतान व ग्रेच्युटी													
	6	कर्मचारियों को सहायता रूप में विद्युत													
	7	कोई अन्य मद													
	8	स्टाफ कल्याण व्यय													
		उप–योग													
(सी)		शिक्षु व अन्य प्रशिक्षण व्यय													
(डी)		सेवांत लाभों के लिये अंशदान													
		1 भविष्य निधि में अंशदान													
		2 भविष्य निधि हेतु प्राविधान													
		3 कोई अन्य मद													
		योग सी													
(ई)		कुल योग													
(डी)		कर्मचारी व्यय पूंजीकृत													
(जी)		शुद्व कर्मचारी व्यय (ई)–(एफ)													

बी. कर्मचारियों की संख्या का विवरण

(रू0 करोड़ में)

क्रम सं0	विवरण	पूर्व वर्ष (n+6)	पूर्व वर्ष (n+5)	पूर्व वर्ष (n+4)	पूर्व वर्ष (n+3)	पूर्व वर्ष (n+2)	पूर्व वर्ष (n+1)	वर्तमान वर्ष (n)			आगामी वर्ष (n+1)	आगामी वर्ष (n+2)	आगामी वर्ष (n+3)	टिप्पणी
		(वास्तविक/ संपरीक्षित)	(वास्तविक/ संपरीक्षित)	(वास्तविक/ संपरीक्षित)	(वास्तविक/ संपरीक्षित)	(वास्तविक/ संपरीक्षित)	(वास्तविक/ संपरीक्षित)	(अप्रैल–सित0 (आंकलित)	अक्टू–मार्च (आंकलित)	योग अप्रैल–मार्च	आकलित	आकलित	आकलित	
ए	अधिकारी/प्रबंधक संवर्ग													
1	तकनीकी													
2	प्रशासकीय													
3	लेखा एवं वित्त													
4	अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें)													
बी	स्टाफ संवर्ग													
5	तकनीकी													
5.1	श्रेणी I													
5.2	श्रेणी II													
5.3	श्रेणी III													
5.4	श्रेणी IV													
सी	प्रशासकीय													
6.1	श्रेणी I													
6.2	श्रेणी II													
6.3	श्रेणी III													
6.4	श्रेणी IV													
डी	लेखा एवं वित्त													
7.1	श्रेणी I													
7.2	श्रेणी II													
7.3	श्रेणी III													
7.4	श्रेणी IV													
ई	अन्य (विनिर्दिष्ट करें)													
8.1	श्रेणी I													
8.2	श्रेणी II													
8.3	श्रेणी III													
8.4	श्रेणी IV													
	कुल कर्मचारी													

उत्पादक कम्पनी का नाम ____________________

पादन स्टेशन का नाम ____________________

हायड्रो हेतु प्रारूप

प्रपत्रः एफ 11.3

प्रशासकीय एवं सामान्य व्ययों का विवरण

(रू0 करोड़ में)

क्रम सं0	विवरण		पूर्व वर्ष (n+6)	पूर्व वर्ष (n+5)	पूर्व वर्ष (n+4)	पूर्व वर्ष (n+3)	पूर्व वर्ष (n+2)	पूर्व वर्ष (n+1)	वर्तमान वर्ष (n)			आगामी वर्ष (n+1)	आगामी वर्ष (n+2)	आगामी वर्ष (n+3)	टिप्पणी
			(वास्तविक संपरीक्षित)	(वास्तविक/ संपरीक्षित)	(वास्तविक/ संपरीक्षित)	(वास्तविक/ संपरीक्षित)	(वास्तविक/ संपरीक्षित)	(वास्तविक/ संपरीक्षित)	(अप्रैल–सित0 (आंकलित)	अक्टू–मार्च (आंकलित)	योग अप्रैल–मार्च	आकलित	आकलित	आकलित	
ए	प्रशासकीय व्यय														
1	किरायादरें व कर														
	पट्टा/किराया														
	दरें व कर														
2	बीमा														
3	राजस्व स्टैम्प व्यय लेखा														
4	टेलीफोन, पोस्टेज, टेलीग्राम, टेलेक्स व्यय														
5	कर्मचारियों/बाहरी व्यक्तियों को प्रोत्साहन व इनाम														
6	परामर्श प्रभार														
7	तकनीकी फीस														
8	अन्य वृत्तिक प्रभार														
9	यातायात व यात्रा														
10	लाईसेन्स व रजिस्ट्रेशन फीस	संयंत्र व मशीनरी													
		वाहन													
11	वाहन व्यय (ट्रक व डिलीवरी वैन से अन्यथा)	वाहन चालक व्यय पेट्रोल व ईंधन													
		वाहनों का किराया													
12	वाह्य अभिकरण को संदेय सुरक्षा/सेवा प्रभार														
13	उप–योग "ए" (1 से 12)														
(बी)	अन्य प्रभार														
1	पुस्तक व पत्रिकाओं की फीस व चंदा														
2	छपाई व लेखन सामग्री														
3	विज्ञापन व्यय–क्रय संबंधी से अन्यथा प्रदर्शनी														
4	वाह्य संस्थाओं/संघों को अंशदान/दान														
5	कार्यालयों को विद्युत प्रभार														
6	जल प्रभार														
7	मनोरंजन प्रभार														
8	विविध प्रभार														
	उप–योग "बी" (1 से 8)														

क्रम सं0	विवरण	पूर्व वर्ष (n+6)	पूर्व वर्ष (n+5)	पूर्व वर्ष (n+4)	पूर्व वर्ष (n+3)	पूर्व वर्ष (n+2)	पूर्व वर्ष (n+1)	वर्तमान वर्ष (n)			आगामी वर्ष (n+1)	आगामी वर्ष (n+2)	आगामी वर्ष (n+3)	टिप्पणी
		(वास्तविक संपरीक्षित	(वास्तविक / संपरीक्षित)	(वास्तविक / संपरीक्षित)	(वास्तविक / संपरीक्षित)	(वास्तविक / संपरीक्षित)	(वास्तविक / संपरीक्षित)	(अप्रैल—सित0 (आंकलित)	अक्टू—मार्च (आंकलित)	योग अप्रैल—मार्च	आकलित	आकलित	आकलित	
(सी)	विधि प्रभार													
(डी)	लेखा परीक्षक की फीस													
(ई)	सामग्री संबंधी व्यय													
1	पूंजीगत व्ययों पर भाड़ा													
2	क्रय संबंधी विज्ञापन व्यय													
3	वाहन चालक व किराया व्यय (ट्रक डिलीवरी वैन)													
4	अन्य भाड़ा													
5	पारगमन बीमा													
6	चुंगी													
7	आकस्मिक स्टोर्स व्यय													
8	फेब्रीकेशन प्रभार													
	उप—योग													
(एफ)	कुल योग (ए से ई)													
(जी)	ए एडं जी व्यय पूंजीकृत													
(एच)	शुद्व ए एंड जी व्यय (एफ—जी)													

उत्पादक कम्पनी का नाम ____________

उत्पादन स्टेशन का नाम ____________

प्रपत्र: एफ 12

हायड्रो हेतु प्रारूप

गैर शुल्क आय

कम सं0	विवरण	पूर्व वर्ष (n-1)	वर्तमान वर्ष (n)			आगामी वर्ष (n+1)	आगामी वर्ष (n+2)	आगामी वर्ष (n+3)
		(वास्तविक / संपरीक्षित)	अप्रैल–सित0 (वास्तविक)	अक्टू0–मार्च (आंकलित)	योग (अप्रैल–मार्च0)			
ए	निवेश, स्थिर व मांग जमाओं से आय							
1	निवेश से ब्याज आय							
2	अवधि जमाओं से ब्याज							
3	साविधि जमाओं से अन्यथा बैंकों से ब्याज							
4	(किन्ही अन्य मदों) पर ब्याज उप–योग							
बी	अन्य गैर शुल्क आय							
1	स्टाफ को ऋणों व अग्रिमों पर ब्याज							
2	अनुज्ञापी को ऋणों व अग्रिमों पर ब्याज							
3	पट्टा दाताओं को ऋणों व अग्रिमों पर ब्याज							
4	आपूर्तिकर्ताओं व संविदाकारों को अग्रिमों पर ब्याज							
5	ट्रेडिंग से आय							
6	स्थिर आस्तियों के विक्रय से प्राप्ति							
7	स्टाफ कल्याण कियाकलापों के द्वारा फीस / आय / संग्रह							
8	विविध प्राप्तियां							
9	लाभार्थी से विलंबित भुगतान प्रभार							
10	यू आई प्रभारों से शुद्व लाभ							
12	विलंब इत्यादि के लिये संविदाकार / आपूर्तिकर्ता हेतु दंड							
13	लाभार्थी से विविध प्रभार							
	उप–योग							
	योग–							

उत्पादक कम्पनी का नाम ____________

उत्पादन स्टेशन का नाम ____________

प्रपत्रः एफ 13

हायड्रो हेतु प्रारूप

सहीकरण का सारांश

अंतिम सहीकरण हेत पूर्व वर्ष (n+1)

(रू0 करोड़ में)

कम सं0	विवरण	अनुमोदित	वास्तविक	विचलन	विचलन हेतु कारण	नियन्त्रण योग्य	अनियन्त्रणीय
ए	शुद्व वार्षिक स्थिर प्रभार						
1	ऋण पर ब्याज (मानकीय ऋणों पर ब्याज सहित)						
2	अवक्षय						
3	पट्टा प्रभार						
4	इक्विटी पर प्रतिफल						
5	ओ एंड एम व्यय						
6	कार्यशील पूंजी पर ब्याज						
7	आय कर						
8	सकल वार्षिक स्थिर प्रभार						
9	घटाकर अन्य आय						
10	शुद्व वार्षिक स्थिर प्रभार						
बी	ऊर्जा के विकय से राजस्व						
सी	अधिशेष / (अंतराल)						

टिप्पणीः अनियन्त्रणीय कारकों के कारण विचलन हेतु पृथक रूप से विस्तृत स्पष्टीकरण दें।

वार्षिक कार्य निष्पादन समीक्षा हेतु वर्तमान वर्ष (n)

क्रम सं0	विवरण	अनुमोदित	अर्धवार्षिक वास्तविक कार्य निष्पादन पर आधारित संशोधित आंकलन	विचलन	विचलन हेतु कारण	नियन्त्रण योग्य	अनियन्त्रणीय
ए	शुद्ध वार्षिक स्थिर प्रभार						
1	ऋण पर ब्याज (मानकीय ऋणों पर ब्याज सहित)						
2	अवक्षय						
3	पट्टा प्रभार						
4	इक्विटी पर प्रतिफल						
5	ओ एंड एम व्यय						
6	कार्यशील पूंजी पर ब्याज						
7	आय कर						
8	स्कल वार्षिक स्थिर प्रभार						
9	घटाकर अन्य आय						
10	शुद्ध वार्षिक स्थिर प्रभार						
बी	ऊर्जा के विक्रय से राजस्व						
सी	अधिशेष / (अंतराल)						

टिप्पणी: अनियन्त्रणीय कारकों के कारण विचलन हेतु पृथक रूप से विस्तृत स्पष्टीकरण दें।

तापीय/गैस हेतु प्रारूप

प्रारूपों की सूची

क्रम सं0	प्रारूप संख्या	विवरण
1.	प्रपत्रः एफ 1.1	प्रति यूनिट दर का संगणन
2.	प्रपत्रः एफ 1.2	राजस्व एवं राजस्व आवश्यकता का सारांश
3.	प्रपत्रः एफ 2.1	विक्रय योग्य ऊर्जा व पी ए एफ
4.	प्रपत्रः एफ 2.2	ऊर्जा उत्पादन (एम यू) पर जानकारी
5.	प्रपत्रः एफ 2.3	तापीय परियोजना की मुख्य विशेषताएं
6.	प्रपत्रः एफ 3	शुद्व वार्षिक स्थिर प्रभारों का परिकलन
7.	प्रपत्रः एफ 4.1	ऊर्जा प्रभारों व ईंधन भंडारों का संगणन
8.	प्रपत्रः एफ 4.2ए	ऊर्जा प्रभारों—कोयला/लिग्नाईट के संगणन हेतु ईधन के संबंध में जमा किया जाने वाला विवरण/जानकारी
9.	प्रपत्रः एफ 4.2बी	ऊर्जा प्रभारों—गैस/तरल के संगणन हेतु ईंधन के संबंध में जमा किया जाने वाला विवरण/जानकारी
10.	प्रपत्रः एफ 5.1	स्कल स्थिर आस्ति आधार व वित्त पोषण योजना का विवरण
11.	प्रपत्रः एफ 5.2	आस्तिवार अवक्षय का विवरण
12.	प्रपत्रः एफ 5.3	अवक्षय का विवरण
13.	प्रपत्रः एफ 6.1	पूंजीगत व्यय का विवरण
14.	प्रपत्रः एफ 6.2	पूंजीगत प्रगति—अधीन कार्य का विवरण
15.	प्रपत्रः एफ 6.3	पूंजीगत व्यय व नयी योजनाओं व सी ओ डी की अनुसूची का विवरण
16.	प्रपत्रः एफ 6.4	नयी योजनाओं के लिए पूँजीगत व्यय का ब्यौरा
17.	प्रपत्रः एफ 6.5ए	सी ओ डी पर गैस/तरल आधारित परियोजनाओं के लिए पूँजीलागत का ब्यौरा
18.	प्रपत्रः एफ 6.5बी	सी ओ डी पर कोयला/लिग्नाइट आधारित परियोजनाओं
19.	प्रपत्रः एफ 6.6	सी ओ डी पर निर्माण/आपूर्ति/सेवा पैकेडोज का ब्यौरा (नये स्टेशनों के लिए)
20.	प्रपत्रः एफ 6.7	आई डी सी तथा वित्त पोषण प्रभारों के परिकलन हेतु ड्रा डाउन अनुसूची
21.	प्रपत्रः एफ 7	पूंजी लागत व वित्त पोषण संरचना का विवरण
22.	प्रपत्रः एफ 8	वित्तीय पैकेजज का विवरण
23.	प्रपत्रः एफ 9.1	बकाया ऋणों का विवरण
24.	प्रपत्रः एफ 9.2	वास्तविक ऋणों पर ब्याज की भारित औसत ब्याज दर का परिकलन
25.	प्रपत्रः एफ 9.3	मानकीय ऋण पर ब्याज परिकलन
26.	प्रपत्रः एफ 10.ए	गैस/तरल आधारित स्टेशनों के लिए कार्यशील पूँजी पर ब्याज का वितरण
27.	प्रपत्रः एफ 10बी	कोयला/लिग्नाइट आधारित स्टेशनों के लिए कार्यशील पूँजी पर ब्याज का विवरण
28.	प्रपत्रः एफ 11	प्रचालन एवं अनुरक्षण व्ययों का विवरण
29.	प्रपत्रः एफ 11.1	मरम्मत एवं रखरखाव व्यय का विवरण
30.	प्रपत्रः एफ 11.2	कर्मचारी व्ययों का विवरण
31.	प्रपत्रः एफ 11.3	प्रशासनिक व सामान्य व्ययों का विवरण
32.	प्रपत्रः एफ 12	गैर शुल्क आय
33.	प्रपत्रः एफ 13	सहीकरण का साराशं

यह दिनांक 10.03.2012 गजट के प्रकाशित अंग्रेजी का हिन्दी रूपान्तरण है। किसी भी तरह के निवर्चन (आख्या) के लिए अंग्रेजी विनियम के प्रारूप अन्तिम एवं मान्य होगा।

तापीय/गैस हेतु प्रारूप

उत्पादन कम्पनी का नाम..

उत्पादक स्टेशन का नाम..

प्रपत्र एफ:1.1

प्रति यूनिट दर का संगणन

क्रम सं0	मद	यूनिट	पूर्व (n-1)	वर्तमान वर्ष (n-1)			आगामी वर्ष(n+1)	आगामी वर्ष(n+2)	आगामी वर्ष (n+3)
			(वास्तविक/ संपरीक्षित)	अप्रैल–सित0 (वास्तविक)	अक्टू0–मार्च (आंकलित)	योग (अप्रैल–सित0)	प्रक्षेपित	प्रक्षेपित	प्रक्षेपित
1	वार्षिक स्थिर लागत करोड़ रू0								
2	प्राथमिक ईंधन लागत करोड़ रू0								
3	विक्रय योग्य ऊर्जा (अनुषंगी उपभोग का सकल उत्पादन शुद्ध)								
4	विक्रय योग्य ऊर्जा की प्रति यूनिट दर								

तापीय/गैस हेतु प्रारूप

उत्पादन कम्पनी का नाम..

उत्पादक स्टेशन का नाम..

प्रपत्र एफ:1.2

राजस्व एवं राजस्व आवश्यकता का सारांश

क्रम सं0	मद	यूनिट	पूर्व (n-1)	वर्तमान वर्ष (n-1)			आगामी वर्ष (n+1)	आगामी वर्ष (n+2)	आगामी वर्ष (n+3)
			(वास्तविक/ संपरीक्षित)	अप्रैल—सित0 (वास्तविक)	अक्टू0—मार्च (आंकलित)	योग (अप्रैल—सित0)	प्रक्षेपित	प्रक्षेपित	प्रक्षेपित
ए	**उत्पादन**								
1	एकल उत्पादन (एम यू)								
2	अनुषंगी उपभोग(%)								
3	अनुषंगी उपभोग (एम यू)								
4	शुद्व उत्पादन (एम यू) (1 से 3)								
बी	**राजस्व**								
1	ऊर्जा के विक्रय से राजस्व								
2	गैर शुल्क आय								
सी	**व्यय**								
1	प्राथमिक ईंधन प्रभार								
2	ओ एंड एम व्यय								
	ए. आर एंड एम व्यय								
	बी. कर्मचारी लागत								
	सी. ए एंड जी व्यय								
3	गौण ईंधन तेल लागत								
4	अवक्षय								
5	पट्टा प्रभार								
6	ऋणों पर ब्याज								
7	कार्यशील पूँजी पर ब्याज								
	कुल व्यय (1+2+3+4+5+6+7)								
डी.	इक्विटी पर प्रतिफल								
ई.	राजस्व आवश्यकता (सी+डी)								
	अधिशेष(+)/कमी (—) (बी—ई)								

नोट— n=FY 2012-13

तापीय/गैस हेतु प्रारूप

उत्पादन कम्पनी का नाम..

उत्पादक स्टेशन का नाम..

प्रपत्र एफ: 2.1

विक्रय योग्य ऊर्जा व पी ए एफ

क्रम सं0	मद	यूनिट	पूर्व (n-1)	वर्तमान वर्ष (n-1)			आगामी वर्ष (n+1)	आगामी वर्ष (n+2)	आगामी वर्ष (n+3)
			(वास्तविक/संपरीक्षित)	अप्रैल–सित0 (वास्तविक)	अक्टू0–मार्च (आंकलित)	योग (अप्रैल–सित0)	प्रक्षेपित	प्रक्षेपित	प्रक्षेपित
1	एकल उत्पादन	(एम यू)							
2	अनुषंगी उपभोग								
	ए– उत्पादित ऊर्जा के (%) मे	(%)							
	बी– एम यू में	(एम यू)							
3	विक्रय योग्य ऊर्जा 1–2बी)	(एम यू)							
4	संयंत्र उपलब्धता कारक	%							

तापीय/गैस हेतु प्रारूप

उत्पादन कम्पनी का नाम...

उत्पादक स्टेशन का नाम..

प्रपत्र एफ: 2.2

ऊर्जा उत्पादन पर जानकारी (एम यू)

क्रम सं0	माह	पूर्व वर्ष (n-1)			वर्तमान वर्ष			आगामी वर्ष (n+1)			आगामी वर्ष (n+2)			आगामी वर्ष (n+3)		
		सकल उत्पादन	अनुषंगी उपभोग	शुद्ध उत्पादन	सकल उत्पादन	अनुषंगी उपभोग	शुद्ध उत्पादन	सकल उत्पादन	अनुषंगी उपभोग	शुद्ध उत्पादन	सकल उत्पादन	अनुषंगी उपभोग	शुद्ध उत्पादन	सकल उत्पादन	अनुषंगी उपभोग	शुद्ध उत्पादन
1.	अप्रैल															
2.	मई															
3.	जून															
4.	जुलाई															
5.	अगस्त															
6.	सितम्बर															
7.	अक्टूबर															
8.	नवम्बर															
9.	दिसम्बर															
10.	जनवरी															
11.	फरवरी															
12.	मार्च															
	योग–															

तापीय/गैस हेतु प्रारूप

उत्पादन कम्पनी का नाम...

उत्पादक स्टेशन का नाम..

प्रपत्र 2.3

तापीय परियोजना की मुख्य विशेषताएं

क्रम सं0	विवरण		यूनिट I	यूनिट II	यूनिट III
	यूनिट ब्लाक मानदंड	(केजी/सी एम–2)			
1	दाब	(0 सी)			
2	तापमान				
	सुपर हीटर आउटलेट पर				
	रीहीटर आउटलेट पर				
3	गारंटीकृत डीसियन हीट रेट	(के/कैल/के डब्लू एच)			
	शर्ते जिन पर गारंटीकृत है				
ए	% एम सी आर				
बी	% मेक अप				
सी	डिजायन ईंधन				
डी	डिजायन कूलिंग जल तापमान				
ई	बैक प्रेशर				
	नोटः यदि गारंटीकृत उष्मा दर उपलबध नहीं है तो गारंटीकृत टर्बाइन सायकल उष्मा दर तथा गारंटीकृत बायलर एफिशियेन्सी, गारंटी की शर्तो के साथ पृथक रूप से प्रस्तुत करें।				
4	कूलिंग टावर का प्रकार	(एम डब्लू)			
5	संस्थापित क्षमता (आई सी)				
6	वणिज्यिक प्रचालन की तिथि				
7	कूलिंग प्रणाली का प्रकार				
8	बॉयलर फीड पम्प2 का प्रकार				
9	ईंधन विवरण3				
ए	–प्राथमिक ईंधन				
बी	–गौण ईंधन				
सी	–वैकल्पिक ईंधन				
10	मुख्य विशेषताएं/स्थल विशिष्ट विशेषताएं4				
11	विशेष प्रौद्योगिक विशेषताएं5				
12	पर्यावरण विनियम संबंधी विशेषताएं6				
13	कोई अन्य विशेषताएं				

1– क्लोज सर्किट कूलिंग, वन्स दो कूलिंग, नेचुरल ड्राफ्ट कूलिंग, इन्डयूस्ड ड्राफ्ट कूलिंग इत्यादि

2– मोटर चालित, भाप चलित इत्यादि

3– कोयला या प्राकृतिक गैस या नाप्था या लिग्नाइट इत्यादि

4– कोई स्थल विशिष्ट विशेषताएं जैसे कैरी गो रांउड, विसिनिटी टू सी, इन्टेक/मेक अप जल प्रणाली इत्यादि, स्कबर्स इत्यादि।

5– गैस टर्बाइन में उन्नत श्रेणी एफ ए प्रौद्योगिकी जैसी कोई विशेष प्रौद्योगिकी विशेषताएं

6– एफ जी डी, ई एस पी इत्यादि जैसी पर्यावरण विनियम संबंधी विशेषताएं

तापीय/गैस हेतु प्रारूप

उत्पादन कम्पनी का नाम...

उत्पादक स्टेशन का नाम...

प्रपत्रः 3

शुद्ध वार्षिक स्थिर प्रभार (रू0 करोड़ में)

क्रम सं0	वर्षान्त मार्च	पूर्व वर्ष (n-1)	वर्तमान वर्ष (n-1)			आगामी वर्ष (n+1)	आगामी वर्ष (n+2)	आगामी वर्ष (n+3)
		(वास्तविक/ संपरीक्षित)	अप्रैल—सित0 (वास्तविक)	अक्टू0—मार्च (आंकलित)	योग (अप्रैल—सित0)	प्रक्षेपित	प्रक्षेपित	प्रक्षेपित
1	ऋण पर ब्याज (मानकीय ऋणों पर ब्याज सहित)							
2	अवक्षय							
3	पटटा प्रभार							
4	इक्विटी पर प्रतिफल							
	ए— इक्विटी पर प्रतिफल की दर							
	बी— इक्विटी							
	सी— इक्विटी पर प्रतिफल (4ए) (4बी)							
5	ओ एडं एम व्यय							
	5.1— कर्मचारी लागतें							
	5.2— मरम्मत एवं रखरखाव व्यय							
	5.3— प्रशासकीय एवं सामान्य लागतें							
6	कार्यशील पूँजी पर ब्याज							
7	गौण ईंधन लागत							
8	एकल वार्षिक स्थिर प्रभार (1+2+3+4(सी)+5+6+7)							
9	घटा कर : अन्य आय (विवरण प्रदान करें)							
10	शुद्ध वार्षिक प्रभार (8–9)							

तापीय/गैस हेतु प्रारूप

उत्पादन कम्पनी का नाम..
उत्पादक स्टेशन का नाम..

प्रपत्र: 4.1

ऊर्जा प्रभारों व ईधन भंडारों का संगणन

क्रम सं0	विवरण	यूनिट	पूर्व वर्ष (n-1)	वर्तमान वर्ष (n)			आगामी वर्ष (n+1)	आगामी वर्ष (n+2)	आगामी वर्ष (n+3)
			(वास्तविक/संपरीक्षित)	अप्रैल—सित0 (वास्तविक)	अक्टू0—मार्च (आंकलित)	योग (अप्रैल—सित0)	प्रक्षेपित	प्रक्षेपित	प्रक्षेपित
1	रेटेड क्षमता	(एम डब्ल्यू)							
2	लक्ष्य उपलब्धता (पी एल एफ)	%							
3	मानकीय पी एल एफ पर उत्पादन की यूनिट	एम यू							
4	एकल स्टेशन उष्मा दर (जी एच आर)	kcal/Kwh							
5	विशिष्ट ईधन उपभोग (एस एफ सी)	ml/Kwh							
6	गौण ईधन का कैलोरिफिक मूल्य (सी वी एस एफ)	Kcal/L							
7	प्राथमिक ईधन का भारित औसत भू मूल्य (एल पी पी एफ)	(Rs./MT/ or Rs./KL							
8	गौण ईधन का भारित औसत भू मूल्य	Rs. /KL							
9	प्राथमिक ईधन का सकल कैलोरिफिक मूल्य (सी वी पी एफ)	kcal/Kg							
10	मानकीय अनुषंगी उपभोग %	%							
11	एक्स प्राथमिक ईधन प्रभार	Rs./KWG							
12	एक माह में ऊर्जा उत्पादन	(एम यू)							
13	एक माह वाह्य प्रेषित ऊर्जा	(एम यू)							
14	प्रति माह प्राथमिक ईधन की औसत लागत	(करोड़ रू0)							
15	प्रति माह गौण ईधन की औसत लागत	(करोड़ रू0)							
16	प्रतिमाह मुख्य गौण ईधन की औसत लागत (डब्ल्यू सी के लिए)	(करोड़ रू0)							

तापीय/गैस हेतु प्रारूप

उत्पादन कम्पनी का नाम..
उत्पादक स्टेशन का नाम..

प्रपत्रः 4.2 ए

ऊर्जा प्रभारों–कोयला/लिग्नाईट के संगणन हेतु ईंधन के संबंध में जमा किया जाने वाला विवरण/जानकारी।

क्रम सं0	विवरण	यूनिट	पूर्व वर्ष (n-1)	वर्तमान वर्ष (n)			आगामी वर्ष (n+1)	आगामी वर्ष (n+2)	आगामी वर्ष (n+3)
			(वास्तविक/संपरीक्षित)	अप्रैल–सित0 (वास्तविक)	अक्टू0–मार्च (आंकलित)	योग (अप्रैल–मार्च)	प्रक्षेपित	प्रक्षेपित	प्रक्षेपित
1	कोयला/लिग्नाईट कंपनी द्वारा आपूर्ति किये गये कोयले/लिग्नाईट की गुणवत्ता	(एमएमटी)							
2	कोयले/लिग्नाईट कंपनी द्वारा की गई आपूर्ति में समायोजन (+/-)	(एमएमटी)							
3	कोयले/लिग्नाईट कंपनी द्वारा आपूर्ति किया गया कोयला (1+2)	(एमएमटी)							
4	मानकीय पारवहन व निर्वाह हानियां	(एमएमटी)							
5	आपूर्ति किया गया शुद्ध कोयला लिग्नाईट (3–4)	(एमएमटी)							
6	कोयला/ लिग्नाईट कंपनी द्वारा प्रभारित राशि	(रू0करोड़ में)							
7	कोयले/लिग्नाईट कंपनी द्वारा प्रभारित राशि में समायोजन (+/-)	(रू0करोड़ में)							
8	कुल प्रभारित राशि (6+7)	(रू0करोड़ में)							
9	रेल/जहाज सड़क परिवहन द्वारा परिवहन प्रभार	(रू0करोड़ में)							
10	रेलवे/परिवहन कंपनी द्वारा प्रभारित राशि में समायोजन (+/-)	(रू0करोड़ में)							
11	विलंब शुल्क प्रभार, यदि है	(रू0करोड़ में)							
12	अन्य प्रभार	(रू0करोड़ में)							
13	कुल परिवहन प्रभार (9+/-10-11+12)	(रू0करोड़ में)							
14	आपूर्ति किये गये कोयले/ लिग्नाईट हेतु प्रभारित कुल राशि जिसमें परिवहन सम्मिलित है (8+13)								
15	प्रति एम टी कोयले की दर (14/1)								
16	कोयले की भारित औसत दर								
17	अग्निन्त रूप में कोयले/ लिग्नाईट की औसत जी सी वी								
18	अग्निन्त रूप में कोयले/ लिग्नाईट की भारित औसत जी सी वी								

तापीय/गैस हेतु प्रारूप

उत्पादन कम्पनी का नाम...

उत्पादक स्टेशन का नाम..

प्रपत्र: 4.2बी

ऊर्जा प्रभारों – गैस/तरल के संगणन हेतु ईंधन के संबंध में जमा किया जाने वाला विवरण/जानकारी।

क्रम सं0	विवरण	यूनिट	पूर्व वर्ष (n-1)	वर्तमान वर्ष (n)			आगामी वर्ष (n+1)	आगामी वर्ष (n+2)	आगामी वर्ष (n+3)
			(वास्तविक/संपरीक्षित)	अप्रैल–सित0 (वास्तविक)	अक्टू0–मार्च (आंकलित)	योग (अप्रैल–सित0)	प्रक्षेपित	प्रक्षेपित	प्रक्षेपित
1	क्रय किये गये ईंधन की मात्रा	(MMSCM/KL)							
2	ईंधन आपूर्तिकर्ता को देय राशि	(रू0 करोड में)							
3	कुल परिवहन प्रभार	(रू0 करोड में)							
	ईंधन की कुल लागत	(रू0 करोड में)							
4	ईंधन की भारित औसत जी सी वी	(kCal/Kg)(kCal/KL)							

तापीय/गैस हेतु प्रारूप

उत्पादन कम्पनी का नाम..
उत्पादक स्टेशन का नाम..

प्रपत्रः 5.1

सकल स्थिर आस्ति आधार व वित्त पोषण योजना का विवरण

वाणिज्यिक प्रचालन की तिथि पर अंतिम अनुमोदिन लागत

	पूंजीगत व्यय	वाणिज्यिक प्रचालन की तिथि यूनिट
ए— यूनिट/ब्लाक—1		दिन/माह/वर्ष
बी—यूनिट/ब्लाक—2		दिन/माह/वर्ष
सी—यूनिट/ब्लाक—3		दिन/माह/वर्ष
डी—यूनिट/ब्लाक—4		दिन/माह/वर्ष
ई— यूनिट/ब्लाक—5 इत्यादि		दिन/माह/वर्ष

मूल वित्त पोषण योजना (यूनिट वार)

रूपया आवधिक ऋण		
ऋण 1		
ऋण 2 *		
विदेशी मुद्रा ऋण		
ऋण 1		
ऋण 2 *		
इक्विटी		
रूपये में		
विदेशी मुद्रा में		

पूर्व वर्ष (n-1)

(रू0 करोड़ में)

आस्तियों का विवरण	आरम्भिक अतिशेष	वर्ष की अवधि में परिवर्धन	वर्ष की अवधि में आस्तियों का सेवांत	अंत अतिशेष
ए— भूमि				
बी— भवन				
सी— आगे इसी प्रकार (विनियमों में दिये गये वर्गीकरण अनुसार)				
योग—				

वाणिज्यिक प्रचालन की तिथि पर अंतिम अनुमोदित लागत

वर्तमान वर्ष (n)

(रू0 करोड़ में)

आस्तियों का विवरण	**आरम्भिक अतिशेष**	**वर्ष की अवधि में आस्तियों का परिवर्धन**		**वर्ष की अवधि में आस्तियों का सेवांत**		
		अप्रैल–सित0 (वास्तविक)	**अक्टू0–मार्च (आंकलित)**	**अप्रैल–सित0 (वास्तविक)**	**अक्टू0–मार्च (आंकलित)**	**अंत अतिशेष**
ए– भूमि						
बी– भवन						
सी– आगे इसी प्रकार (विनियमों में दिये गये वर्गीकरण अनुसार)						
योग–						

आगामी वर्ष (n+1)

(रू0 करोड़ में)

आस्तियों का विवरण	आरम्भिक अतिशेष	वर्ष की अवधि में परिवर्धन	वर्ष की अवधि में आस्तियों का सेवांत	अंत अतिशेष
ए– भूमि				
बी– भवन				
सी– आगे इसी प्रकार (विनियमों में दिये गये वर्गीकरण अनुसार)				
योग–				

आगामी वर्ष (n+2)

(रू0 करोड़ में)

आस्तियों का विवरण	आरम्भिक अतिशेष	वर्ष की अवधि में परिवर्धन	वर्ष की अवधि में आस्तियों का सेवांत	अंत अतिशेष
ए— भूमि				
बी— भवन				
सी— आगे इसी प्रकार (विनियमों में दिये गये वर्गीकरण अनुसार)				
योग—				

आगामी वर्ष (n+3)

(रू0 करोड़ में)

आस्तियों का विवरण	आरम्भिक अतिशेष	वर्ष की अवधि में परिवर्धन	वर्ष की अवधि में आस्तियों का सेवांत	अंत अतिशेष
ए— भूमि				
बी— भवन				
सी— आगे इसी प्रकार (विनियमों में दिये गये वर्गीकरण अनुसार)				
योग—				

वर्ष की अवधि में स्थिर आस्तियों व परिवर्धन तथा सेवांत की वास्तविक/प्रस्तावित तिथि उल्लिखित करें।

तापीय/गैस हेतु प्रारूप

उत्पादन कम्पनी का नाम..

उत्पादक स्टेशन का नाम..

प्रपत्र: 5.2

आस्तिवार अवक्षय का विवरण

पूर्व वर्ष (**n-1**)

(रू0 करोड़ में)

आस्तियों का विवरण	**अवक्षय की दर % में**	**वर्ष के आरम्भ पर संचयी अवक्षय**	**वर्ष हेतु उपबंधित अवक्षय**	**वर्ष की अवधि में निकासियां**	**वर्ष के अंत पर संचयी अवक्षय का अतिशेष**
ए– भूमि					
बी– भवन					
सी– आगे इसी प्रकार (विनियमों में दिये गये वर्गीकरण अनुसार)					
योग–					

वर्तमान वर्ष (n)

(रू0 करोड़ में)

आस्तियों का विवरण	**अवक्षय की दर % में**	**वर्ष के आरम्भ पर संचयी अवक्षय**	**वर्ष हेतु उपबंधित अवक्षय**		**वर्ष की अवधि में निकासियां**		**वर्ष के अंत पर संचयी अवक्षय का अतिशेष**
			अप्रैल–सित0 (वास्तविक)	**अक्टू0–मार्च (आंकलित)**	**अप्रैल–सित0 (वास्तविक)**	**अक्टू0–मार्च (आंकलित)**	
ए– भूमि							
बी– भवन							
सी– आगे इसी प्रकार (विनियमों में दिये गये वर्गीकरण अनुसार)							
योग–							

आगामी वर्ष (n+1) (रू0 करोड़ में)

आस्तियों का विवरण	अवक्षय की दर % में	वर्ष के आरम्भ पर संचयी अवक्षय	वर्ष हेतु उपबंधित अवक्षय	वर्ष की अवधि में निकासियां	वर्ष के अंत पर संचयी अवक्षय का अतिशेष
ए— भूमि					
बी— भवन					
सी— आगे इसी प्रकार (विनियमों में दिये गये वर्गीकरण अनुसार)					
योग—					

आगामी वर्ष (n+2) (रू0 करोड़ में)

आस्तियों का विवरण	अवक्षय की दर % में	वर्ष के आरम्भ पर संचयी अवक्षय	वर्ष हेतु उपबंधित अवक्षय	वर्ष की अवधि में निकासियां	वर्ष के अंत पर संचयी अवक्षय का अतिशेष
ए— भूमि					
बी— भवन					
सी— आगे इसी प्रकार (विनियमों में दिये गये वर्गीकरण अनुसार)					
योग—					

पूर्व वर्ष (n+3) (रू0 करोड़ में)

आस्तियों का विवरण	अवक्षय की दर % में	वर्ष के आरम्भ पर संचयी अवक्षय	वर्ष हेतु उपबंधित अवक्षय	वर्ष की अवधि में निकासियां	वर्ष के अंत पर संचयी अवक्षय का अतिशेष
ए— भूमि					
बी— भवन					
सी— आगे इसी प्रकार (विनियमों में दिये गये वर्गीकरण अनुसार)					
योग—					

तापीय/गैस हेतु प्रारूप

उत्पादन कम्पनी का नाम..

उत्पादक स्टेशन का नाम..

प्रपत्र: 5.3

अवक्षय का विवरण (रू0 करोड़ में)

वित्तीय वर्ष	Upto 2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
पूंजी लागत पर अवक्षय																
अतिरिक्त पूंजीकरण पर अवक्षय																
अतिरिक्त पूंजीकरण की राशि																
अवक्षय राशि																
एफ ई आर वी का विवरण																
एफ ई आर वी की राशि जिस पर अवक्षय अवक्षय प्रभारित है।																
वर्ष की अवधि में वसूली किया गया अवक्षय																
वर्ष की अवधि में वसूल किये गये अवक्षय के विरूद्ध अग्रिम																
वर्ष तक वसूल किया गया अवक्षय के विरूद्ध संचयी अवक्षय व अग्रिम																

उत्पादन कम्पनी का नाम..

उत्पादक स्टेशन का नाम..

तापीय/गैस हेतु प्रारूप

प्रपत्रः 6.1

पूंजीगत व्यय का विवरण

मद	सी ओ डी का एफ वाय	पूर्व वर्ष (n-1)		वर्तमान वर्ष (n-1)		टिप्पणियां	आगामी वर्ष (n+1) (आंकलित)	आगामी वर्ष (n+2) (आंकलित)	आगामी वर्ष (n+3) (आंकलित)	टिप्पणिया	सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित कुल व्यय	वास्तव में हुआ कुल व्यय	टिप्पणिया
		(वास्तविक/संपरीक्षित)	अप्रैल–सित0 (वास्तविक)	अक्टू0–मार्च (आंकलित)	योग (अप्रैल–सित0)								
(ए) व्यय विवरण													
ए– भूमि													
बी– भवन													
सी– मुख्य सिविल कार्य													
डी– संयंत्र एवं मशीनरी													
ई– वाहन													
एफ–फर्नीचर्स व फिक्सचर्स													
जी–कार्यालय उपकरण व अन्य													
योग–ए													
बी– वित्त पोषण के स्रोतों का ब्यौरा													
रूपया अवधिक ऋण													
ऋण–1													
ऋण–2													
....													
विदेशी मुद्रा ऋण													
ऋण–1													
ऋण–2													
....													
इक्विटी													
रूपये में													
विदेशी मुद्रा में													
सी– अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें)													
योग–बी													

नोटः

1. जहां कहीं ब्यौरा अपेक्षित व आवश्यक हो वहां इसे संबंधित दस्तावेजों के साथ ऋणों व इक्विटी वित्त पोषण के संबंध में दिया जाये।
2. परियोजना की लागत, इसके घटक व वित्त की योजना के संबंध में, सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन की प्रतियां भी प्रस्तुत की जायें।
3. टिप्पणी यदि वर्तमान वर्ष की अवधि में वास्तविक व्यय, यूईआरसी या अन्य प्राधिकृत अभिकरणों द्वारा अनुमोदित से भिन्न होना अपेक्षित हो तो विचलन के कारणों को स्पष्ट करें।
4. यदि वास्तविक व्यय, यूईआरसी या अन्य प्राधिकृत अभिकरणों द्वारा अनुमोदित से भिन्न हो तो विचलन के कारणों को स्पष्ट करें।

तापीय/गैस हेतु प्रारूप

उत्पादन कम्पनी का नाम...
उत्पादक स्टेशन का नाम...

प्रपत्र: 6.2

पूँजीगत–प्रगति–अधीन–कार्यों का विवरण

क्रम सं0	विवरण	पूर्व वर्ष (n-1)	वर्तमान वर्ष (n)			आगामी वर्ष (n+1)	आगामी वर्ष (n+2)	आगामी वर्ष (n+3)	अभ्युक्ति
		(वास्तविक/ संपरीक्षित)	अप्रैल–सित0 (वास्तविक)	अक्टू0–मार्च (आंकलित)	योग (अप्रैल–सित0)	प्रक्षेपित	प्रक्षेपित	प्रक्षेपित	
1	सी डब्ल्यू आई पी का आरम्भिक अतिशेष								
2	जोड़कर : नये निवेश								
	पूंजीगत व्यय								
	व्यय पूंजीकृत								
	निर्माण की अवधि में ब्याज								
3	घटाकरः निवेश पूंजीकृत								
4	सी डब्ल्यू आई पी का अंत अतिशेष								

तापीय/गैस हेतु प्रारूप

उत्पादन कम्पनी का नाम...

उत्पादक स्टेशन का नाम...

प्रपत्र: 6.3

पूंजीगत—व्यय व नयी योजनाओं के सी ओ डी की अनुसूची का विवरण

ऊर्जा स्टेशन का नाम	
परियोजना लागत आकलनों का अनुमोदन करने वाले एजेन्सी का नाम	
पूंजी लागत आकलन के अनुमोदन की तिथि	

	वर्तमान दिवस लागत (......तिथि पर)	सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित रूप में
पूंजी लागत		
पूंजी लागत आकलनों हेतु विचारित विदेशी विनियम दर		

लागत विवरण		**राशि**	**विनिमय दर**	**राशि करोड़ रूपये**
ए— प्राथमिक लागत				
विदेशी घटक (विदेशी मुद्रा में)				
घरेलू घटक				
कुल प्राथमिक लागत	ए			
बी— आई डी सी एवं एफ सी				
विदेशी घटक (विदेशी मुद्रा में)				
घरेलू घटक				
योग आई डी सी व एफ सी	बी			
सी— कुल लागत आई डी सी एवं एफ सी	सी=(ए+बी)			

कमीशनिंग की अनुसूची		
यूनिट/ब्लाक—1 का सी ओ डी		
यूनिट/ब्लाक—2 का सी ओ डी		
अंतिम यूनिट/ब्लाक का सी ओ डी		

नोट— अनुमोदन की प्रति संलग्न की जाये

तापीय/गैस हेतु प्रारूप

उत्पादन कम्पनी का नाम...

उत्पादक स्टेशन का नाम...

प्रपत्र: 6.4

नयी परियोजनाओं के लिये पूंजीगत व्यय का ब्यौरा

ऊर्जा स्टेशन का नाम	
परियोजना लागत आकलनों का अनुमोदन करने वाले एजेन्सी का नाम	
पूंजी लागत आकलन के अनुमोदन की तिथि	

विवरण	सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित कुल व्यय	पूर्व वर्ष (n-1)	वर्तमान वर्ष(n)		वर्तमान वर्ष तक हुआ कुल व्यय	अनुमोदित योजना के अनुसार वर्तमान वर्ष तक उपगत होना माना गया कुल व्यय	स्तंभ 6 व 7 के मध्य अंतर	टिप्पणिया	आगामी वर्ष (n+1)	आगामी वर्ष (n+2)	आगामी वर्ष (n+3)
		वास्तव में हुआ व्यय	अप्रैल–सित0 (वास्तविक)	अक्टू0–मार्च (आंकलित)							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
(ए) व्यय विवरण											
ए– भूमि											
बी– भवन											
सी– मुख्य सिविल कार्य											
डी– संयंत्र एवं मशीनरी											
ई– वाहन											
एफ–फर्नीचर्स व फिक्सचर्स											
जी–कार्यालय उपकरण व अन्य											
योग–ए											
बी– वित्त पोषण के स्रोतों का ब्यौरा											
ए– ऋण/उधार											
बी–इक्विटी											
सी–अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें)											
....											
योग–बी											

नोट–टिप्पणी 6 व 7 के मध्य अंतर के कारणों को स्पष्ट करें।

तापीय/गैस हेतु प्रारूप

उत्पादन कम्पनी का नाम..
उत्पादक स्टेशन का नाम..

प्रपत्रः 6.5ए

सी ओ डी पर गैस/तरल आधारित परियोजना के लिए पूँजीं लागत का ब्यौरा　(करोड़ रू0 में)

क्रम सं0	कार्यो का शीर्षक	प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित रूप में मूल लागत	सी ओ डी पर लागत परिवर्तन	अंतर	परिवर्तन के कारण
1.0	भूमि व स्थल विकास की लागत				
1.1	भूमि				
1.2	पुर्नवास एवं पुनः स्थापन (आर एडं आर)				
1.3	प्रारम्भिक अन्वेषण व स्थल विकास				
	कुल भूमि व स्थल विकास				
2.0	संयन्त्र एवं उपकरण				
2.1	स्टीम टर्बाइन जनरेटर आईलैंड				
2.2	गैस टर्बाइन जनरेटर आईलैंड				
2.3	डब्ल्यू एच आर बी आईलैंड				
2.4	बी ओ पी मैकेनिकल				
2.4.1	ईंधन हैडलिंग व स्टोरेज प्रणाली				
2.4.2	वाहय जल आपूर्ति प्रणाली				
2.4.3	सी डब्ल्यू प्रणाली				
2.4.4	कूलिगं टावर्स				
2.4.5	डी एम जल संयंत्र				
2.4.6	सफाई संयंत्र				
2.4.7	क्लोरिनेशन संयंत्र				
2.4.8	एयर कंडीशन व वेंटीलेशन प्रणाली				
2.4.9	फायर फाईटिंग प्रणाली				
2.4.10	एच पी/एल पी पाईपिंग				
	कुल बी ओ पी मेकेनिकल				
2.5	बी ओ पी इलैक्टिकल				
2.5.1	स्विच यार्ड पैकेज				
2.5.2	ट्रांसफार्मस पैकेज				
2.5.3	स्विच गियर पैकेज				
2.5.4	केवल्स, केबल सुविधाएं व ग्राउन्डिंग				
2.5.5	लाईटिंग				
2.5.6	आपातकालीन डी जी सेट				
	कुल बी ओ पी इलैक्टिकल				
2.6	कन्ट्रोल व इन्सट्रूमैंटेशन (सी एडं आई) पैकेज				
	शुल्क व करों को छोडकर कुल संयंत्र एवं उपकरण				
2.7	शुल्क एवं कर				
2.71	सीमा शुल्क/उत्पादन शुल्क/बिकी कर				
2.7.2	अन्य कर व शुल्क–चुंगी				
	कुल शुल्क व कर				
	कुल संयंत्र एवं उपकरण				

(करोड़ रू0 में)

कम सं0	कार्यो का शीर्ष	प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित रूप में मूल लागत	सी ओ डी पर लागत परिवर्तन	अंतर	परिवर्तन के कारण
3	प्रारम्भिक स्पेयर्स				
4	सिविल कार्य				
4.1	मुख्य संयंत्र/प्रशासनिक भवन				
4.2	वाह्य जल आपूर्ति प्रणाली				
4.3	सी डब्ल्यू प्रणाली				
4.4	कूलिंग टावर्स				
4.5	डी एम जल संयंत्र				
4.6	सफाई संयंत्र				
4.7	ईंधन हैंडलिंग व स्टोरेज प्रणाली				
4.8	नगरी व कालोनी				
4.9	अस्थायी निमार्ण व समर्थक कार्य				
4.10	मार्ग व जल विकास				
4.11	फायर फाइटिंग प्रणाली				
	कुल सिविल कार्य				
5.0	निर्माण व कमीशनिंग पूर्व व्यय				
5.1	इरेक्शन परीक्षण व कमीशनिंग				
5.2	स्थल पर्यवेक्षण				
5.3	प्रचालक प्रशिक्षण				
5.4	निर्माण बीमा				
5.5	औजार एवं संयंत्र				
5.6	स्टार्ट अप ईंधन				
5.7	अन्य व्यय				
	कुल निर्माण व कमीशनिंग पूर्व व्यय				
6	उपरिव्यय				
6.1	स्थापना				
6.2	डिजायन द इन्जिनियरिंग				
6.3	लेखा परीक्षा व लेखा				
6.4	आकस्मिकताएं				
	कुल उपरिव्यय				
7.0	आई डी सी व एफ सी को छोड़कर पूंजी लागत				
8.0	आई डी सी, एफ सी, एफ ई आर बी व प्रतिरक्षा लागत				
8.1	निर्माण की अवधि में ब्याज (आई डी सी)				
8.2	वित्त पोषण प्रमार (एफ सी)				
8.3	विदेशी विनियम दर परिवर्तन (एफ ई आर डी)				
8.4	प्रतिरक्षा लागत				
	आई डी सी एफ सी, एफ सी, एफ ई आर डी व प्रतिरक्षा लागत का योग				
9.0	आई डी सी, एफ सी, एफ ई आर वी व प्रतिरक्षा सहित सहित पूंजी लागत				

नोट— परियोजना का समय व लागत ओवर रन के मामले में ऐसे समय व लागत ओवर रन का औचित्य प्रदान करते हुए, इस स्पष्टीकरण के साथ जमा किया जाना चाहिए कि उत्तरदायी अभिकरण कौन है तथा क्या ऐसा समय व लागत ओवर रन उत्पादन कंपनी के नियन्त्रण से बाहर था।

तापीय/गैस हेतु प्रारूप

उत्पादन कम्पनी का नाम..

उत्पादक स्टेशन का नाम..

प्रपत्रः एफ 6.5बी

सी ओ डी पर गैस/तरल आधारित परियोजना के लिए पूँजीं लागत का ब्यौरा (करोड़ रू0 में)

क्रम सं0	कार्यो का शीर्ष	प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित रूप में मूल लागत	सी ओ डी पर लागत	अंतर	अंतर के कारण
1.0	भूमि व स्थल विकास की लागत				
1.1	भूमि				
1.2	पुनर्वास एवं पुनः स्थापन (आर एडं आर)				
1.3	प्रारम्भिक अन्वेषण व स्थल विकास				
	कुल भूमि व स्थल विकास				
2.0	संयन्त्र एवं उपकरण				
2.1	स्टीम जनरेटर आईलैंड				
2.2	टर्बाइन जनरेटर आईलैंड				
2.3	बी ओ पी मेकेनिकल				
2.3.1	वाहय जल आपूर्ति प्रणाली				
2.3.2	सी डब्लू प्रणाली				
2.3.3	डी एम जल संयंत्र				
2.3.4	सफाई संयंत्र				
2.3.5	क्लोरिनेशन संयंत्र				
2.3.6	ईंधन हैंडलिंग व स्टोरेज प्रणाली				
2.3.7	राख हैंडलिंग प्रणाली				
2.3.8	कोयला हैंडलिंग प्रणाली				
2.3.9	रोलिंग स्टॉक व लोकामोटिव्स				
2.3.10	एम जी आर				
2.3.11	एअर कम्प्रैशर प्रणाली				
2.3.12	एअर कंडीशन व वेंटीलेशन प्रणाली				
2.3.13	फायर फाइटिंग प्रणाली				
2.3.14	एच पी /एल पी पाइपिंग				
	कुल बी ओ पी मैकेनिकल				
2.4	बी ओ पी इलैक्टिकल				
2.4.1	स्विच यार्ड पैकेज				
2.4.2	ट्रांसफार्मस पैकेज				
2.4.3	स्विच गियर पैकेज				
2.4.4	केबल्स, केबल सुविधाएं व ग्राउन्डिंग				
2.4.5	लाईटिंग				
2.4.6	आपातकालीन डी जी सेट				
	कुल बी ओ पी इलैक्टिकल				
2.5	कन्ट्रोल व इन्सट्रूमैंटेशन (सी एडं आई) पैकेज				
	शुल्क व करों को छोडकर कुल संयंत्र एवं उपकरण				
2.6	शुल्क एवं कर				
2.6.1	सीमा शुल्क/उत्पादन शुल्क/बिकी कर				
2.6.2	अन्य कर व शुल्क (चुंगी)				
	कुल शुल्क व कर				
	कुल संयंत्र एवं उपकरण				

(करोड़ रू0 में)

क्रम सं0	कार्यों का शीर्ष	प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित रूप में मूल लागत	सी ओ डी पर लागत परिवर्तन	अंतर	परिवर्तन के कारण
3	प्रारम्भिक स्पेयर्स				
4	सिविल कार्य				
4.1	मुख्य संयंत्र/प्रशासनिक भवन				
4.2	सी डब्ल्यू प्रणाली				
4.3	कूलिंग टावर्स				
4.4	डी एम जल संयंत्र				
4.5	सफाई संयंत्र				
4.6	क्लोरिनेशन संयंत्र				
4.7	ईंधन हैंडलिंग व स्टोरेज प्रणाली				
4.8	कोयला हैंडलिंग प्रणाली				
4.9	एम जी आर व मार्शलिंग यार्ड				
4.10	राख हैंडलिंग प्रणाली				
4.11	राख निस्तारण क्षेत्र विकास				
4.12	फायर फाइटिंग प्रणाली				
4.13	नगरी व कालोनी				
4.14	अस्थायी निर्माण व समर्थक कार्य				
4.15	मार्ग व जल निकासी				
	कुल सिविल कार्य				
5.0	निर्माण व कमीशनिंग पूर्व व्यय				
5.1	इरेक्शन परीक्षण व कमीशनिंग				
5.2	स्थल पर्यवेक्षण				
5.3	प्रचालक प्रशिक्षण				
5.4	निर्माण बीमा				
5.5	औजार एवं संयंत्र				
5.6	स्टार्ट अप ईंधन				
5.7	अन्य व्यय				
	कुल निर्माण व कमीशनिंग पूर्व व्यय				
6	उपरिव्यय				
6.1	स्थापना				
6.2	डिजायन व इन्जिनियरिंग				
6.3	लेखा परीक्षा व लेखा				
6.4	आकस्मिकताएं				
	कुल उपरिव्यय				
7.0	आई डी सी व एफ सी को छोड़कर पूंजी लागत				
8.0	आई डी सी, एफ सी, एफ ई आर बी व प्रतिरक्षा लागत				
8.1	निर्माण की अवधि में ब्याज (आई डी सी)				
8.2	वित्त पोषण प्रभार (एफ सी)				
8.3	विदेशी विनियम दर परिवर्तन (एफ ई आर डी)				
8.4	प्रतिरक्षा लागत				
	आई डी सी एफ सी, एफ सी, एफ ई आर डी व प्रतिरक्षा लागत का योग				
9.0	आई डी सी, एफ सी, एफ ई आर वी व प्रतिरक्षा सहित सहित पूंजी लागत				

नोट– परियोजना का समय व लागत ओवर रन के मामले में ऐसे समय व लागत ओवर रन का औचित्य प्रदान करते हुए, इस स्पष्टीकरण के साथ जमा किया जाना चाहिए कि उत्तरदायी अभिकरण कौन है तथा क्या ऐसा समय व लागत ओवर रन उत्पादन कंपनी के नियन्त्रण से बाहर था।

तापीय/गैस हेतु प्रारूप

उत्पादन कम्पनी का नाम..
उत्पादक स्टेशन का नाम..

प्रपत्रः एफ 6.6

सी ओ डी पर निमार्ण/आपूर्ति/सेवा पैकेजज् का (ब्यौरा नये स्टेशनों के लिये) (करोड़ रू0 में)

क्रम सं0	निर्माण/आपूर्ति/सेवा पैकेज का नाम/संस्था	कार्यों की परिधि (लागू अनुसार लागत ब्योरे के शीर्ष के अनुरूप)	क्या आई सी बी/डी सी बी/विभागीय जमा कार्य द्वारा प्रदान किया गया है।	प्राप्त बोलियों की संख्या	कार्य प्रदान किये जाने की तिथि	कार्य आरम्भ होने की तिथि	कार्य पूर्ण होने की तिथि	प्रदत्त कार्य का मूल्य 1 (करोड़ रू. में)	स्थिर या वृद्वि के साथ मूल्य	कार्य पूर्ण होने या सी ओ डी, जो पहले हो, तक वास्तविक व्यय (करोड़ रू. में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

1. यदि कोई ऐसा पैकेज है, जिसे भारतीय रूपये या विदेशी मुद्रा में दर्शाया जाना है तो उसे मुद्रा, विनियम, दर व तिथि के साथ पृथक रूप से दर्शाया जाये।

तापीय/गैस हेतु प्रारूप

उत्पादन कम्पनी का नाम..

उत्पादक स्टेशन का नाम..

प्रपत्रः एफ 6.7

आई डी सी तथा वित्त पोषण प्रभारों के परिकलन हेतु ड्रा डाउन अनुसूची

(रू0 करोड़ में)

क्रम सं0	ड्रा डाउन	तिमाही–1			तिमाही–2			तिमाही–n (सी ओ डी)		
	विवरण	विदेशी मुद्रा में मात्रा	ड्रा डाउन तिथि पर विनियम दर	भारतीय रूपये में	विदेशी मुद्रा में मात्रा	ड्रा डाउन तिथि पर विनियम दर	भारतीय रूपये में	विदेशी मुद्रा में मात्रा	ड्रा डाउन तिथि पर विनियम दर	भारतीय रूपये मे
1	ऋण									
1.1	विदेशी ऋण									
1.1.1	विदेशी ऋण–1									
	ड्रा डाउन राशि									
	आई डी सी									
	वित्त पोषण प्रभार									
	एफ ई आर वी									
	प्रतिरक्षा लागत									
1.1.2	विदेशी ऋण–1									
	ड्रा डाउन राशि									
	आई डी सी									
	वित्त पोषण प्रभार									
	एफ ई आर वी									
	प्रतिरक्षा लागत									
1.1.n	विदेशी ऋण–n									
	ड्रा डाउन राशि									
	आई डी सी									
	वित्त पोषण प्रभार									
	एफ ई आर वी									
	प्रतिरक्षा लागत									
1.1	कुल विदेशी ऋण									
	ड्रा डाउन राशि									
	आई डी सी									
	वित्त पोषण प्रभार									
	एफ ई आर वी									
	प्रतिरक्षा लागत									

क्रम सं0	ड्रा डाउन	तिमाही–1			तिमाही–2			तिमाही–n (सी ओ डी)		
	विवरण	विदेशी मुद्रा में मात्रा	ड्रा डाउन तिथि पर विनियम दर	भारतीय रूपये में	विदेशी मुद्रा में मात्रा	ड्रा डाउन तिथि पर विनियम दर	भारतीय रूपये में	विदेशी मुद्रा में मात्रा	ड्रा डाउन तिथि पर विनियम दर	भारतीय रूपये मे
1.2	भारतीय ऋण									
1.2.1	भारतीय ऋण–1									
	ड्रा डाउन राशि									
	आई डी सी									
	वित्त पोषण प्रभार									
1.2.2	भारतीय ऋण–2									
	ड्रा डाउन राशि									
	आई डी सी									
	वित्त पोषण प्रभार									
1.1. n	भारतीय ऋण– n									
	ड्रा डाउन राशि									
	आई डी सी									
	वित्त पोषण प्रभार									
1.2	कुल भारतीय ऋण									
	ड्रा डाउन राशि									
	आई डी सी									
	वित्त पोषण प्रभार									
1.	निकासी किये गये ऋणों का योग									
	आई डी सी									
	वित्त पोषण प्रभार									
	एफ ई आर वी									
	प्रतिरक्षा लागत									
2	इक्विटी									
2.1	निकासी की गई विदेश इक्विटी									
2.2	निकासी की गई भारतीय इक्विटी									
2	कुल अभिनियोजित इक्विटी									

नोट– 1. ऋण व इक्विटी की निकासी, कमीशनिंग अनुसूची को पूरा करने के लिए तिमाही वार उसकी मात्र के आधार पर होगी। प्रारम्भ में उच्च इक्विटी की निकासी अनुमेय है।

2. संगणन हेतु उपयोग की गई पुनः नियत तिथि सहित लागू ब्याज दरें पृथक रूप से प्रस्तुत की जायें।

3. बहु यूनिट परियोजना के मामले में, उपयोग किया गया पूंजीकरण अनुपात प्रस्तुत किया जाये।

तापीय/गैस हेतु प्रारूप

उत्पादन कम्पनी का नाम..
उत्पादक स्टेशन का नाम..

प्रपत्र: एफ 7

पूँजी लागत व वित्त पोषण संरचना का विवरण

वर्षान्त मार्च	सी ओ डी का वित्तीय वर्ष	पूर्व वर्ष (n-1)	वर्तमान वर्ष (n)			आगामी वर्ष (n+1)	आगामी वर्ष (n+2)	आगामी वर्ष (n+3)	टिप्पणी
		(वास्तविक/संपरीक्षित)	अप्रैल–सित0 (वास्तविक)	अक्टू0–मार्च (आंकलित)	योग (अप्रैल–मार्च0)	आंकलित	आंकलित	आंकलित	
मूल परियोजना वित्तीय मानदंड									
पूंजी लागत *									
वर्ष की अवधि में परिवर्धन									
वर्ष की अवधि में विलोपन									
सकल पूँजी लागत–(ए)									
मूल परियोजना लागत के विरूद्व इक्विटी									
वर्ष की अवधि में परिवर्धन									
इक्विटी उप–योग (बी)									
मूल परियोजना लागत के विरूद्व ऋण									
वर्ष की अवधि में जुड़े नये ऋण									
ऋण उप–योग(सी)									
मूल परियोजना लागत के विरूद्व अनुदान									
वर्ष की अवधि में परिवर्धन									
अनुदान उप–योग (डी)									
कुल वित्त पोषण (बी+सी+डी0)									

नोट :

1. *अनुमोदित या वास्तविक पूंजी लागत, जो भी कम हो
2. इक्विटी व ऋण, यदि लागू हो, तो विदेशी व घरेलू घटक में विभाजित किये जायेंगे।

तापीय/गैस हेतु प्रारूप

उत्पादन कम्पनी का नाम...
उत्पादक स्टेशन का नाम...

प्रपत्र: एफ 8

वित्तीय पैकेजेज् का विवरण

निधियों का स्रोत	एफ सी में राशि	विनियम दर	भारतीय मुद्रा में राशि	वापसी के निबंधन	ग्रेस अवधि	ब्याज दर/वापसी पर प्रतिफल	गांरटी कमीशन	अपफ्रंट फीस/प्रदर्शन प्रीमियम	कुल ऋण का %	कुल इक्विटी का %	कुल पी सी का %
	(मुद्रा का नाम)	(रू0/एफ सी)	(करोड़ रू0 में)	(वर्ष)	(वर्ष)	%	(करोड़ रू0 में)	(करोड़ रू0 में)	%	%	%
(ए) ऋण											
विदेशी :											
ऋण I											
ऋण II											
ऋण III											
ऋण IV इत्यादि											
भारतीय											
ऋण I											
ऋण II इत्यादि											
कुल ऋण (ए)											
(बी) इक्विटी											
विदेशी											
भारतीय											
कुल इक्विटी (बी)											
(सी) अनुदान											
विदेशी											
भारतीय											
कुल अनुदान (सी)											
कुल वित्त पोषण (ए+बी+सी)											
कुल परियोजना लागत											

नोट :

1. सी ओ डी साधित कर चुकी परियोजनाओं के मामले में:– परियोजना के सी ओ डी पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत वित्तीय पैकेज विवरण, समर्थक दस्तावेजों के साथ प्रारूप में प्रस्तुत किये जायेंगे।
2. सी ओ डी साधित न हुई परियोजनाओं के मामले में : समक्ष्म प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित वित्तीय पैकेज विवरण समर्थक दस्तावेजों के साथ प्रारूप में प्रस्तुत किया जायेगा।
3. एफ सी - विदेशी मुद्रा।
4. पी सी - परियोजना लागत

तापीय/गैस हेतु प्रारूप

उत्पादन कम्पनी का नाम..
उत्पादक स्टेशन का नाम..

प्रपत्रः एफ 9.1

बकाया ऋणों का विवरण

पूर्व वर्ष (n-1)

ऋण अभिकरण ऋण स्रोत	ब्याज की दर (वास्तविक/ संपरीक्षित)	वापसी की अवधि (वास्तविक/ संपरीक्षित)	वर्ष के आरम्भ पर अतिशेष (वास्तविक/ संपरीक्षित)	वर्ष की अवधि में प्राप्त राशि (वास्तविक/ संपरीक्षित)	वर्ष की अवधि में देय मूल (वास्तविक/ संपरीक्षित)	वर्ष की अवधि में मूल वापसी (वास्तविक/ संपरीक्षित)	वर्ष के अंत पर आतिदेय मूल (वास्तविक/ संपरीक्षित)	वर्ष के अंत पर देय मूल (वास्तविक/ संपरीक्षित)	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
(ए) राज्य सरकार से अन्यथा									
ऋण I (उधारदाता का नाम)									
ऋण II (उधारदाता का नाम)									
ऋण III (उधारदाता का नाम)									
ऋण IV (उधारदाता का नाम) आदि									
उप–योग (ए)									
(बी) सरकारी ऋण									
प्रकार I									
प्रकार II									
प्रकार III									
उप–योग (बी)									
उप–योग (ए + बी)									
(सी) मानकीय ऋण									
योग (ए+बी+सी)									

वर्तमान वर्ष (n)

ऋण अभिकरण ऋण स्रोत	ब्याज की दर (वास्तविक/संपरीक्षित)	वापसी की अवधि (वास्तविक/संपरीक्षित)	वर्ष के आरम्भ पर अतिशेष (वास्तविक/संपरीक्षित)	वर्ष की अवधि में प्राप्त राशि (वास्तविक/संपरीक्षित)	वर्ष की अवधि में देय मूल (वास्तविक/संपरीक्षित)	वर्ष की अवधि में मूल वापसी (वास्तविक/संपरीक्षित)	वर्ष के अंत पर आतिदेय मूल (वास्तविक/संपरीक्षित)	वर्ष के अंत पर देय मूल (वास्तविक/संपरीक्षित)	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
(ए) राज्य सरकार से अन्यथा									
ऋण I (उधारदाता का नाम)									
ऋण II (उधारदाता का नाम)									
ऋण III (उधारदाता का नाम)									
ऋण IV (उधारदाता का नाम) इत्यादि									
उप–योग (ए)									
(बी) सरकारी ऋण									
प्रकार I									
प्रकार II									
प्रकार III									
उप–योग (बी)									
उप–योग (ए + बी)									
(सी) मानकीय ऋण									
योग (ए+बी+सी)									

आगामी वर्ष (n+1)

ऋण अभिकरण ऋण स्रोत	ब्याज की दर (वास्तविक / संपरीक्षित)	वापसी की अवधि (वास्तविक / संपरीक्षित)	वर्ष के आरम्भ पर अतिशेष (वास्तविक / संपरीक्षित)	वर्ष की अवधि में प्राप्त राशि (वास्तविक / संपरीक्षित)	वर्ष की अवधि में देय मूल (वास्तविक / संपरीक्षित)	बर्ष की अवधि में मूल वापसी (वास्तविक / संपरीक्षित)	वर्ष के अंत पर आतिदेय मूल (वास्तविक / संपरीक्षित)	वर्ष के अंत पर देय मूल (वास्तविक / संपरीक्षित)	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
(ए) राज्य सरकार से अन्यथा									
ऋण I (उधारदाता का नाम)									
ऋण II (उधारदाता का नाम)									
ऋण III (उधारदाता का नाम)									
ऋण IV (उधारदाता का नाम) इत्यादि									
उप–योग (ए)									
(बी) सरकारी ऋण									
प्रकार I									
प्रकार II									
प्रकार III									
उप–योग (बी)									
उप–योग (ए + बी)									
(सी) मानकीय ऋण									
योग (ए+बी+सी)									

आगामी वर्ष (n+2)

ऋण अभिकरण ऋण स्रोत	ब्याज की दर (वास्तविक/संपरीक्षित)	वापसी की अवधि (वास्तविक/संपरीक्षित)	वर्ष के आरम्भ पर अतिशेष (वास्तविक/संपरीक्षित)	वर्ष की अवधि में प्राप्त राशि (वास्तविक/संपरीक्षित)	वर्ष की अवधि में देय मूल (वास्तविक/संपरीक्षित)	वर्ष की अवधि में मूल वापसी (वास्तविक/संपरीक्षित)	वर्ष के अंत पर आतिदेय मूल (वास्तविक/संपरीक्षित)	वर्ष के अंत पर देय मूल (वास्तविक/संपरीक्षित)	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
(ए) राज्य सरकार से अन्यथा									
ऋण I (उधारदाता का नाम)									
ऋण II (उधारदाता का नाम)									
ऋण III (उधारदाता का नाम)									
ऋण IV (उधारदाता का नाम) इत्यादि									
उप–योग (ए)									
(बी) सरकारी ऋण									
प्रकार I									
प्रकार II									
प्रकार III									
उप–योग (बी)									
उप–योग (ए + बी)									
(सी) मानकीय ऋण									
योग (ए+बी+सी)									

आगामी वर्ष (n+3)

ऋण अभिकरण ऋण स्रोत	ब्याज की दर (वास्तविक/संपरीक्षित)	वापसी की अवधि (वास्तविक/संपरीक्षित)	वर्ष के आरम्भ पर अतिशेष (वास्तविक/संपरीक्षित)	वर्ष की अवधि में प्राप्त राशि (वास्तविक/संपरीक्षित)	वर्ष की अवधि में देय मूल (वास्तविक/संपरीक्षित)	वर्ष की अवधि में मूल वापसी (वास्तविक/संपरीक्षित)	वर्ष के अंत पर आतिदेय मूल (वास्तविक/संपरीक्षित)	वर्ष के अंत पर देय मूल (वास्तविक/संपरीक्षित)	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
(ए) राज्य सरकार से अन्यथा									
ऋण I (उधारदाता का नाम)									
ऋण II (उधारदाता का नाम)									
ऋण III (उधारदाता का नाम)									
ऋण IV (उधारदाता का नाम) इत्यादि									
उप–योग (ए)									
(बी) सरकारी ऋण									
प्रकार I									
प्रकार II									
प्रकार III									
उप–योग (बी)									
उप–योग (ए + बी)									
(सी) मानकीय ऋण									
योग (ए+बी+सी)									

नोट :

1. यदि किसी ऋण का पुनः अनुसूचीकरण किया गया है तो पुनः अनुसूचीकरण के निवबंधन रेखांकित करते हुए उधार दाता से पत्र की प्रति के साथ संलग्नक के माध्यम से अनुसूचीकरण के निबंधनों को स्पष्ट रूप से विनिर्दिष्ट किया जाये।
2. कोई ऋण जिन्हें किसी उत्पादक स्टेशन को आबंटित न किया गया हो तथा अनुमोदित वित्तीय पैकेज का भाग न हो, कारणों सहित पृथक रूप से दर्शाये जायें।
3. मूल वित्तीय योजना तथा इसके अनुसार संचयी वापसी, प्रत्येक ऋण हेतु दर्शायी जाये।
4. वर्तमान वर्ष के लिए निकासी किये गये ऋण व वर्षान्त तक निकासी हेतु प्रस्तावित ऋण पृथक रूप से दर्शाये जाये।
5. वर्तमान या नये उधारदाता से कोई नवीन ऋण, ऋण के रूप में पृथक रूप से दर्शाये जाये।
6. विदेशी मुद्रा ऋणों के मामले में, मुद्रा के नाम के साथ उधार की मुद्रा का डाटा प्रदान किया जाये।

तापीय/गैस हेतु प्रारूप

उत्पादन कम्पनी का नाम...

उत्पादक स्टेशन का नाम...

प्रपत्रः 9.2

वास्तविक ऋणों पर ब्याज की भारित औसत ब्याज दर का परिकलन* (करोड रू0 में)

कम सं0	विवरण	पूर्व वर्ष (n-1)	वर्तमान वर्ष (n)	आगामी वर्ष (n+1) प्रक्षेपित	आगामी वर्ष (n+2) प्रक्षेपित	आगामी वर्ष (n+3) प्रक्षेपित
	ऋण–1					
	सकल ऋण : आरम्भिक					
	पूर्व वर्ष तक ऋण के सकल भुगतान					
	शुद्व ऋण : आरम्भिक					
	जोड़कर : वर्ष की अवधि में निकासियां					
	घटाकर : वर्ष की अवधि में ऋण की वापसियां					
	शुद्व ऋण : अंत में					
	औसत शुद्व ऋण					
	वार्षिक आधार पर ऋण पर ब्याज की दर					
	ऋण पर ब्याज					
	ऋण– 2					
	सकल ऋण : आरम्भिक					
	पूर्व वर्ष तक ऋण के सकल भुगतान					
	शुद्व ऋण : आरम्भिक					
	जोड़कर : वर्ष की अवधि में निकासियां					
	घटाकर : बर्ष की अवधि में ऋण की वापसियां					
	शुद्व ऋण : अंत में					
	औसत शुद्व ऋण					
	वार्षिक आधार पर ऋण पर ब्याज की दर					
	ऋण पर ब्याज					
	ऋण–n					
	सकल ऋण : आरम्भिक					
	पूर्व वर्ष तक ऋण के सकल भुगतान					
	शुद्व ऋण : आरम्भिक					
	जोड़कर : वर्ष की अवधि में निकासियां					
	घटाकर : वर्ष की अवधि में ऋण की वापसियां					
	शुद्व ऋण : अंत में					
	औसत शुद्व ऋण					
	वार्षिक आधार पर ऋण पर ब्याज की दर					
	ऋण पर ब्याज					
	कुल ऋण					
	सकल ऋण : आरम्भिक					
	पूर्व वर्ष तक ऋण के सकल भुगतान					
	शुद्व ऋण : आरम्भिक					
	जोड़कर : वर्ष की अवधि में निकासियां					
	घटाकर : वर्ष की अवधि में ऋण की वापसियां					
	शुद्व ऋण : अंत में					
	औसत शुद्व ऋण					
	वार्षिक आधार पर ऋण पर ब्याज की दर					
	ऋण पर ब्याज					
	ऋणों पर ब्याज की भारित औसत दर					

*विदेशी ऋणों के मामले में परकिलन भारतीय रूपये में प्रस्तुत किया जाये तथापि मूल मुद्रा में परिकलन भी उसी प्रारुप में पृथक रूप से प्रस्तुत किया जाये।

तापीय/गैस हेतु प्रारूप

उत्पादन कम्पनी का नाम...
उत्पादक स्टेशन का नाम...

प्रपत्र: 9.3

मानकीय ऋण पर ब्याज का परिकलन

क्रम सं0	विवरण	पूर्व वर्ष (n-1)	वर्तमान वर्ष (n)	आगामी वर्ष (n+1)	आगामी वर्ष (n+2)	आगामी वर्ष (n+3)
				प्रक्षेपित	प्रक्षेपित	प्रक्षेपित
1	सकल ऋण : आरम्भिक					
2	पूर्व वर्ष तक ऋण के सकल भुगतान					
3	शुद्ध मानकीय ऋण : आरम्भिक					
4	वर्ष की अवधि में ए सी ई के कारण वृद्धि या कमी					
5	घटाकर : वर्ष की अवधि में मानकीय ऋण की वापसियां					
6	शुद्ध मानकीय ऋण : अंत में					
7	औसत मानकीय ऋण					
8	वार्षिक आधार पर वास्तविक ऋण पर ब्याज की दर					
9	मानकीय ऋण पर ब्याज					

तापीय/गैस हेतु प्रारूप

उत्पादन कम्पनी का नाम..

उत्पादक स्टेशन का नाम..

प्रपत्रः 10 ए

गैस/तरल आधारित स्टेशनों के लिये कार्यशील पूंजी पर ब्याज का विवरण

क्रम सं0	विवरण	पूर्व वर्ष (n-1)	वर्तमान वर्ष (n)			आगामी वर्ष (n+1)	आगामी वर्ष (n+2)	आगामी वर्ष (n+3)	टिप्पणी
		(वास्तविक/संपरीक्षित)	अप्रैल–सित0 (वास्तविक)	अक्टू0–मार्च (आंकलित)	योग (अप्रैल–मार्च0)	आंकलित	आंकलित	आंकलित	
1.	एन ए पी ए एफ के अनुरूप एक (1) माह के लिए भू ईंधन लागत								
2	एन ए पी ए एफ के अनुरूप आधे (1/2) माह के लिए तरल ईंधन लागत								
3	ओ एडं एम व्यय = 1 माह								
4	अनुरक्षण स्पेयर्स (ओ एंड एम व्ययों का 20 %)								
5	प्राप्य क्षमता व परिवर्तनीय प्रभारों के 2 माह								
6	कुल कार्यशील पूँजी (1+2+3+4+5)								
7	मानकीय ब्याज दर %								
8	कार्यशील पूँजी पर मानकीय ब्याज (6x7)								

तापीय/गैस हेतु प्रारूप

उत्पादन कम्पनी का नाम...

उत्पादक स्टेशन का नाम..

प्रपत्र: 10 बी

कोयला/लिग्नाईट आधारित स्टेशनों के लिये कार्यशील पूँजी पर ब्याज का विवरण

क्रम सं0	विवरण	पूर्व वर्ष (n-1)	वर्तमान वर्ष (n)			आगामी वर्ष (n+1)	आगामी वर्ष (n+2)	आगामी वर्ष (n+3)	टिप्पणी
		(वास्तविक/संपरीक्षित)	अप्रैल–सित0 (वास्तविक)	अक्टू0–मार्च (आंकलित)	योग (अप्रैल–मार्च0)	आंकलित	टांकलित	आंकलित	
1.	एन ए पी ए एफ के अनुरूप पिट हैड स्टेशनों के लिए डेढ़ माह हेतु नौनपिट हैड स्टेशनों के लिये दो माह हेतु कोयला लिग्नाईट की भू लागत								
2	एन ए पी ए एफ के अनुरूप दो माह के लिए गौंण ईंधन लागत								
3	ओ एडं एम व्यय = 1 माह								
4	अनुरक्षण स्पेयर्स (ओ एंड एम व्ययों का (20 %)								
5	प्राप्य क्षमता व परिवर्तनीय प्रभारों के 2 माह								
6	कुल कार्यशील पूँजी (1+2+3+4+5)								
7	मानकीय ब्याज दर								
8	कार्यशील पूँजी पर मानकीय ब्याज (6x7) (%)								

उत्पादन कम्पनी का नाम...

उत्पादक स्टेशन का नाम..

प्रपत्रः एफ 11 **तापीय/गैस हेतु प्रारूप**

प्रचालन एवं अनुरक्षण व्ययों का विवरण

क्रम सं0	विवरण	पूर्व वर्ष (n+6)	पूर्व वर्ष (n+5)	पूर्व वर्ष (n+4)	पूर्व वर्ष (n+3)	पूर्व वर्ष (n+2)	पूर्व वर्ष (n+1)	वर्तमान वर्ष (n)			आगामी वर्ष (n+1)	आगामी वर्ष (n+2)	आगामी वर्ष (n+3)	टिप्पणी
		(वास्तविक/ संपरीक्षित)	(वास्तविक/ संपरीक्षित)	(वास्तविक/ संपरीक्षित)	(वास्तविक/ संपरीक्षित)	(वास्तविक/ संपरीक्षित)	(वास्तविक/ संपरीक्षित)	(अप्रैल–सित (वास्तविक)	अक्टु–मार्च आंकलित	योग अप्रैल–मार्च	आकलित	आकलित	आकलित	
(ए)	मरम्मत एवं रखरखाव व्यय													
	संयंत्र व मशीनरी													
	भवन													
	सिविल कार्य													
	हायड्रोलिक कार्य													
	लाईन्स, केबल नेट वर्क्स इत्यादि													
	वाहन													
	फर्नीचर्स व फिक्सचर्स													
	कार्यालय उपकरण एवं अन्य मदें													
	स्टोर्स व स्पेयर्स का उपभोग													
	जनरेटर्स, टर्बाईन्स व उपसाधनों से संबंधित													
	अनुषंगी विद्युत उपकरणों से संबंधित													
	अनुषंगी उपकरण व उर्जा स्टेशन के लिए सेवाओं से संबंधित													
	उप–योग													
(बी)	प्रशासनिक व्यय													
	बीमा													
	किराया													
	विद्युत प्रभार													
	यात्रा व यातायात													
	स्टाफ कार													
	टेलीफोन, टेलेक्स, पोस्टेज													
	विज्ञापन													
	मनोरंजन													
	कार्पोरेट													
	विधिक व्यय													
	अन्य (अवयव विनिर्दिष्ट करें)													
	उप–योग													

क्रम सं0	विवरण	पूर्व वर्ष (n+6)	पूर्व वर्ष (n+5)	पूर्व वर्ष (n+4)	पूर्व वर्ष (n+3)	पूर्व वर्ष (n+2)	पूर्व वर्ष (n+1)	वर्तमान वर्ष (n)			आगामी वर्ष (n+1)	आगामी वर्ष (n+2)	आगामी वर्ष (n+3)	टिप्पणी
		(वास्तविक / संपरीक्षित)	(वास्तविक / संपरीक्षित)	(वास्तविक / संपरीक्षित)	(वास्तविक / संपरीक्षित)	(वास्तविक / संपरीक्षित)	(वास्तविक / संपरीक्षित)	(अप्रैल–सित (वास्तविक)	अक्टु–मार्च आंकलित	योग अप्रैल–मार्च	आकलित	आकलित	आकलित	
(सी)	कर्मचारी लागत													
	मूल वेतन													
	मंहगाई भत्ता													
	अन्य भत्ते													
	बोनस													
	स्टाफ कल्याण व्यय													
	चिकित्सा भत्ता													
	अन्य व्यय (सी)													
	सेवांत लाभ													
	उप–योग													
(डी)	कार्पोरेट कार्यालय आबंटित													
	कर्मचारी लागत													
	मरम्मत एवं रखरखाव													
	प्रशिक्षण एवं भर्ती													
	संप्रेक्षण													
	यात्रा													
	सुरक्षा													
	किराया													
	अन्य (अवयव विनिर्दिष्ट करें)													
	उप–योग													
	कुल ओ एंड एम व्यय													
	घटाकर : ओ एंड एम व्यय पूंजीकृत													
	शुद्ध ओ एंड एम व्यय													

नोट–

1. उत्पादक स्टेशनों को कार्पोरेट व्यय आबंटित करने की प्रकिया को विनिर्दिष्ट किया जाये।
2. डाटा को सांविधि लेखा परीक्षकों द्वारा प्रमाणित किया जाये।

तापीय/गैस हेतु प्रारूप

उत्पादन कम्पनी का नाम...

उत्पादक स्टेशन का नाम...

प्रपत्र: 11.1

मरम्मत एवं रखरखाव व्यय का विवरण

क्रम सं0	विवरण	पूर्व वर्ष (n+6)	पूर्व वर्ष (n+5)	पूर्व वर्ष (n+4)	पूर्व वर्ष (n+3)	पूर्व वर्ष (n+2)	पूर्व वर्ष (n+1)	वर्तमान वर्ष (n)			आगामी वर्ष (n+1)	आगामी वर्ष (n+2)	आगामी वर्ष (n+3)	टिप्पणी
		(वास्तविक/ संपरीक्षित)	(वास्तविक/ संपरीक्षित)	(वास्तविक/ संपरीक्षित)	(वास्तविक/ संपरीक्षित)	(वास्तविक/ संपरीक्षित)	(वास्तविक/ संपरीक्षित)	(अप्रैल–सित (वास्तविक)	अक्टु–मार्च आंकलित	योग अप्रैल–मार्च	आकलित	आकलित	आकलित	
1	संयंत्र व मशीनरी													
2	भवन													
3	सिविल कार्य													
4	हायड्रोलिक कार्य													
5	लाईन्स, केबल नेट वर्क्स इत्यादि													
6	वाहन													
7	फर्नीचर्स व फिक्सचर्स													
8	कार्यालय उपकरण एवं अन्य मदें													
9	स्टेशन आपूर्ति, स्टोर्स व उपभोज्य													
	जनरेटर्स, टर्बाईन्स व उपसाधनों से संबंधित													
	जनरेटर्स, टर्बाईन्स व उपसाधनों से संबंधित													
	अनुषंगी उपकरण व उर्जा स्टेशन के लिए सेवाओं से संबंधित													
11	कोई अन्य मदें													
12	घटाकर : पूंजीकरण													
	योग–													

उत्पादन कम्पनी का नाम..

उत्पादक स्टेशन का नाम..

तापीय/गैस हेतु प्रारूप

प्रपत्र: 11.2

कर्मचारी व्ययों का विवरण

क्रम सं0	विवरण	पूर्व वर्ष (n+6)	पूर्व वर्ष (n+5)	पूर्व वर्ष (n+4)	पूर्व वर्ष (n+3)	पूर्व वर्ष (n+2)	पूर्व वर्ष (n+1)	वर्तमान वर्ष (n)			आगामी वर्ष (n+1)	आगामी वर्ष (n+2)	आगामी वर्ष (n+3)	टिप्पणी
		(वास्तविक/संपरीक्षित)	(वास्तविक/संपरीक्षित)	(वास्तविक/संपरीक्षित)	(वास्तविक/संपरीक्षित)	(वास्तविक/संपरीक्षित)	(वास्तविक/संपरीक्षित)	(अप्रैल–सित (वास्तविक)	अक्टू–मार्च आंकलित	योग अप्रैल–मार्च	आकलित	आकलित	आकलित	
(ए)	कर्मचारी लागत "सी" व "डी" में उल्लिखित से अन्यथा													
1	वेतन													
2	अतिरिक्त वेतन/मंहगाई भत्ता													
3	अन्य भत्ते व राहत													
4	अंतरिम/राहत/मजदूरी संशोधन													
5	मानदेय/ओवर टाईम													
6	संविधिक बोनस/एक्स ग्रेशिया													
(बी)	अन्य लागतें													
1	चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति													
2	यात्रा भत्ता													
3	अवकाश यात्रा सहायता													
4	अर्जित अवकाश भुगतान													
5	कर्मकार प्रतिकार अधिनियम के अधीन भुगतान व ग्रेच्युटी													
6	कर्मचारियों को सहायता रूप में विद्युत													
7	कोई अन्य मद													
8	स्टाफ कल्याण व्यय													
	उप–योग													
(सी)	शिक्षु व अन्य प्रशिक्षण व्यय													
(डी)	सेवांत लाभों के लिये अंशदान													
	1 भविष्य निधि													
	2 भविष्य निधि हेतु प्राविधान													
	3 कोई अन्य मद													
	कुल सी													
(ई)	कुल योग													
(डी)	कर्मचारी व्यय पूंजीकृत													
(जी)	शुद्व कर्मचारी व्यय (ई)–(एफ)													

बी–कर्मचारी व्ययों का विवरण

क्रम सं0	विवरण	पूर्व वर्ष (n+6)	पूर्व वर्ष (n+5)	पूर्व वर्ष (n+4)	पूर्व वर्ष (n+3)	पूर्व वर्ष (n+2)	पूर्व वर्ष (n+1)	वर्तमान वर्ष (n)			आगामी वर्ष (n+1)	आगामी वर्ष (n+2)	आगामी वर्ष (n+3)	टिप्पणी
		(वास्तविक/ संपरीक्षित)	(वास्तविक/ संपरीक्षित)	(वास्तविक/ संपरीक्षित)	(वास्तविक/ संपरीक्षित)	(वास्तविक/ संपरीक्षित)	(वास्तविक/ संपरीक्षित)	(अप्रैल–सित (वास्तविक)	अक्टू–मार्च आंकलित	योग अप्रैल–मार्च	आकलित	आकलित	आकलित	
ए	अधिकारी/प्रबंधक संवर्ग													
1	तकनीकी													
2	प्रशासकीय													
3	लेखा एवं वित्त													
4	अन्य कृपया (विनिर्दिष्ट करें)													
बी	स्टाफ संवर्ग													
5	तकनीकी													
5.1	श्रेणी I													
5.2	श्रेणी II													
5.3	श्रेणी III													
5.4	श्रेणी IV													
6	प्रशासकीय													
6.1	श्रेणी I													
6.2	श्रेणी II													
6.3	श्रेणी III													
6.4	श्रेणी IV													
7	लेखा एवं वित्त													
7.1	श्रेणी I													
7.2	श्रेणी II													
7.3	श्रेणी III													
7.4	श्रेणी IV													
8	अन्य (विनिर्दिष्ट करें)													
8.1	श्रेणी I													
8.2	श्रेणी II													
8.3	श्रेणी III													
8.4	श्रेणी IV													
	कुल कर्मचारी													

तापीय/गैस हेतु प्रारूप

उत्पादन कम्पनी का नाम..

उत्पादक स्टेशन का नाम..

प्रपत्र: एफ 11.3

प्रशासनिक व सामान्य व्ययों का विवरण

क्र सं	विवरण		पूर्व वर्ष (n+6)	पूर्व वर्ष (n+5)	पूर्व वर्ष (n+4)	पूर्व वर्ष (n+3)	पूर्व वर्ष (n+2)	पूर्व वर्ष (n+1)	वर्तमान वर्ष (n)			आगामी वर्ष (n+1)	आगामी वर्ष (n+2)	आगामी वर्ष (n+3)	टिप्पणी
			(वास्तविक/ संपरीक्षित)	(वास्तविक/ संपरीक्षित)	(वास्तविक/ संपरीक्षित)	(वास्तविक/ संपरीक्षित)	(वास्तविक/ संपरीक्षित)	(वास्तविक/ संपरीक्षित)	(अप्रैल–सित (वास्तविक)	अक्टु–मार्च आंकलित	योग अप्रैल–मार्च	आकलित	आकलित	आकलित	
ए	प्रशासकीय व्यय														
1	किराया दरें व कर														
	पट्टा/किराया														
	दरें व कर														
2	बीमा														
3	राजस्व स्टैम्प व्यय लेखा														
4	टेलीफोन, पोस्टेज, टेलीग्राम, टेलेक्स व्यय														
5	कर्मचारियों/बाहरी व्यक्तियों को प्रोत्साहन व इनाम														
6	परामर्श प्रभार														
7	तकनीकी फीस														
8	अन्य वृत्तिक प्रभार														
9	यातायात व यात्रा														
10	लाईसेन्स व रजिस्ट्रेशन फीस	संयंत्र व मशीनरी													
		वाहन													
11	वाहन व्यय (ट्रक्स व डिलीवरी वैन से अन्यथा	वाहन चालक व्यय पेट्रोल व ईंधन													
		वाहनों का किराया													
12	वाह्य अभिकरण को संदेय सुरक्षा/सेवा प्रभार														
13	उप–योग "ए" (1 से 12)														

क सं	विवरण	पूर्व वर्ष (n+6)	पूर्व वर्ष (n+5)	पूर्व वर्ष (n+4)	पूर्व वर्ष (n+3)	पूर्व वर्ष (n+2)	पूर्व वर्ष (n+1)	वर्तमान वर्ष (n)			आगामी वर्ष (n+1)	आगामी वर्ष (n+2)	आगामी वर्ष (n+3)	टिप्पणी
		(वास्तविक / संपरीक्षित)	(वास्तविक / संपरीक्षित)	(वास्तविक / संपरीक्षित)	(वास्तविक / संपरीक्षित)	(वास्तविक / संपरीक्षित)	(वास्तविक / संपरीक्षित)	(अप्रैल–सित (वास्तविक)	अक्टु–मार्च आंकलित	योग अप्रैल–मार्च	आकलित	आकलित	आकलित	
(बी)	अन्य प्रभार													
1	पुस्तक व पत्रिकाओं की फीस व चंदा													
2	छपाई व लेखन सामग्री													
3	विज्ञापन व्यय–कय संबंधी से अन्यथा प्रदर्शनी													
4	वाह्य संस्थाओं / संघों को अंशदान / दान													
5	कार्यालयों को विद्युत प्रभार													
6	जल प्रभार													
7	मनोरंजन प्रभार													
8	विविध प्रभार													
	उप–योग "बी" (1 से 8)													
(सी)	विधि प्रभार													
(डी)	लेखा परीक्षक की फीस													
(ई)	सामी संबंधी व्यय													
1	पूंजीगत व्ययों पर भाड़ा													
2	कय संबंधी विज्ञापन व्यय													
3	वाहन चालक व किराया व्यय (ट्रक डिलीवरी वैन)													
4	अन्य भाड़ा													
5	परगमन बीमा													
6	चुंगी													
7	आकस्मिक स्टोर्स व्यय													
8	फेब्रीकेशन प्रभार													
	उप–योग(1 से 8)													
(एफ)	कुल योग (ए से ई)													
(जी)	ए एडं जी व्यय पूंजीकृत													
(एच)	शुद्व ए एंड जी व्यय (एफ–जी)													

तापीय/गैस हेतु प्रारूप

उत्पादन कम्पनी का नाम...
उत्पादक स्टेशन का नाम..

प्रपत्रः एफ 12

गैर शुल्क आय

क्रम सं0	विवरण	पूर्व वर्ष (n-1)	वर्तमान वर्ष (n)			आगामी वर्ष (n+1)	आगामी वर्ष (n+2)	आगामी वर्ष (n+3)
		(वास्तविक/ संपरीक्षित)	अप्रैल—सित0 (वास्तविक)	अक्टू0—मार्च (आंकलित)	योग (अप्रैल—मार्च0)			
ए	निवेश, स्थिर व मांग जमाओं से आय							
1	निवेश से ब्याज आय							
2	सावधि जमाओं से ब्याज							
3	साविधि जमाओं से अन्यथा बैंकों से ब्याज							
4	(किन्ही अन्य मदों) पर ब्याज							
	उप—योग							
बी	अन्य गैर शुल्क आय							
1	स्टाफ को ऋणों व अग्रिमों पर ब्याज							
2	अनुज्ञापी को ऋणों व अग्रिमों पर ब्याज							
3	पट्टाकारों को ऋणों व अग्रिमों पर ब्याज							
4	आपूर्तिकर्ताओं/संविदाकारों को अग्रिमों पर ब्याज							
5	लेनदेन (विद्युत से अन्यथा) से आय							
6	स्थिर आस्तियों के विक्रय से प्राप्ति							
7	स्टाफ कल्याण कियाकलापों से संग्रहित फीस आय							
8	विविध प्राप्तियां							
9	लाभार्थी से विलंबित भुगतान प्रभार							
10	यू आई प्रभारों से शुद्ध लाभ							
12	विलंब के कारण संविदाकार/ आपूर्तिकर्ता हेतु दंड							
13	लाभार्थी से विभिन्न प्रभारं							
	उपयोग—							
	योग—							

तापीय/गैस हेतु प्रारूप

उत्पादन कम्पनी का नाम..
उत्पादक स्टेशन का नाम..

प्रपत्र: एफ 13

सहीकरण का सांराश

अंतिम सहीकरण हेत पूर्व वर्ष (n-1)

कम सं0	विवरण	अनुमोदित	वास्तविक	विचलन	विचलन हेतु कारण	नियन्त्रण योग्य	अनियन्त्रणीय
ए	शुद्व वार्षिक स्थिर प्रभार						
1	ऋण पर ब्याज (मानकीय ऋणों पर ब्याज सहित)						
2	अवक्षय						
3	पट्टा प्रभार						
4	इक्विटी पर प्रतिफल						
5	ओ एंड एम व्यय						
6	कार्यशील पूंजी पर ब्याज						
7	गौंण ईंधन लागत						
8	आय कर						
9	स्कल वार्षिक स्थिर प्रभार (1+2+3+4+5+6+7+8)						
10	घटाकर अन्य आय (विवरण प्रस्तुत करें)						
11	शुद्व वार्षिक स्थिर प्रभार (9-10)						
बी	ऊर्जा प्रभार (प्राथमिक ईंधन लागत)						
सी	ऊर्जा के विकय से राजस्व						
डी	अधिशेष/(अंतराल) (सी–बी–ए)						

नोटः अनियन्त्रणीय अयोग्य कारकों के कारण विचलन हेतु पृथक रूप से विस्तृत स्पष्टीकरण दें।

वार्षिक कार्य निष्पादन समीक्षा हेतु वर्तमान वर्ष (n)

कम सं0	विवरण	अनुमोदित	वास्तविक	विचलन	विचलन हेतु कारण	नियन्त्रण योग्य	अनियन्त्रणीय अयोग्य
ए	शुद्व वार्षिक स्थिर प्रभार						
1	ऋण पर ब्याज (मानकीय ऋणों पर ब्याज सहित)						
2	अवक्षय						
3	पट्टा प्रभार						
4	इक्विटी पर प्रतिफल						
5	ओ एंड एम व्यय						
6	कार्यशील पूंजी पर ब्याज						
	गौण ईंधन लागत						
7	आय कर						
8	स्कल वार्षिक स्थिर प्रभार (1+2+3+4+5+6+7+8)						
9	घटाकर अन्य आय (विवरण प्रस्तुत करें)						
10	शुद्व वार्षिक स्थिर प्रभार (9-10)						
	ऊर्जा प्रभार (प्राथमिक ईंधन लागत)						
बी	ऊर्जा के विकय से राजस्व						
सी	अधिशेष/(अंतराल) (सी बी ए)						

Format for SLDC

एस एल डी सी हेतु प्रारूप

सूची

क्रम सं0	प्रपत्र सं0	विवरण
1	2	3
1	प्रपत्र : एफ 1.1	कुल राजस्व आवश्यकता का सारांश
2	प्रपत्र : एफ 2.1	राजस्व व अन्य आय का विवरण
3	प्रपत्र : एफ 2.2	पूंजी अंशदान, अनुदान, सहायिकियां
4	प्रपत्र : एफ 3	प्रचालन एवं अनुरक्षण व्यय
5	प्रपत्र : एफ 3.1	कर्मचारी व्यय
6	प्रपत्र : एफ 3.2	प्रशासकीय एवं सामान्य व्यय
7	प्रपत्र : एफ 3.3	मरम्मत एवं रखरखाव व्यय
8	प्रपत्र : एफ 3.4	पूंजीकृत व्ययों का सारांश
9	प्रपत्र : एफ 4.1	सकल स्थिर आस्ति
10	प्रपत्र : एफ 4.2	आस्तिवार अवक्षय
11	प्रपत्र : एफ 5	आगामी 3 वर्षों के लिये निवेश योजना
12	प्रपत्र : एफ 6.1	पूंजीकृत व्यय का विवरण
13	प्रपत्र : एफ 6.2	पूंजीकृत प्रगति–अधीन– कार्यों का विवरण
14	प्रपत्र : एफ 7	परिकलन हेतु ड्रा डाउन अनुसूची
15	प्रपत्र : एफ 8	पूंजी लागत व वित्तपोषण संरचना का विवरण
16	प्रपत्र : एफ 9	वित्तीय पैकेजेज का विवरण
17	प्रपत्र : एफ 10.1	बकाया ऋणों का विवरण
18	प्रपत्र : एफ 10.2	वास्तविक ऋणों पर ब्याज की भारतीय औसत ब्याज दर का परिकलन
19	प्रपत्र : एफ 10.3	मानकीय ऋण पर ब्याज का परिकलन
20	प्रपत्र : एफ 11	कार्यशील पूंजी आवश्यकता
21	प्रपत्र : एफ 12	आर एल डी सी फीस एवं प्रभार
22	प्रपत्र : एफ 13.1	वर्तमान फीस व प्रभारों से राजस्व
24	प्रपत्र : एफ 13.2	आगामी वर्षों में प्रस्तावित फीस व प्रभारों से राजस्व

यह दिनांक 10.03.2012 गजट के प्रकाशित अंग्रेजी का हिन्दी रूपान्तरण है। किसी भी तरह के निर्वचन (आख्या) के लिए अंग्रेजी विनियम के प्रारूप अन्तिम एवं मान्य होगा।

Format for SLDC

प्रपत्र : एफ 1.1

कुल राजस्व आवश्यकता का सारांश

राशि करोड़ रू0 में

			वर्तमान वर्ष(n)						
			अप्रैल–सित. (वास्तविक)	अक्तू.–मार्च (आकलित)	योग (अप्रैल – मार्च)				
1	2	-4	5	6	7 = 6+5	8	9	10	11
1	प्राप्तियां								
ए	प्रणाली प्रचालन हेतु फीस व प्रभारों से राजस्व								
बी	निर्णय समर्थन प्रणाली व आई टी संरचना के लिये शुल्क								
सी	प्रचालन प्रभार								
डी	सरकार द्वारा अनुदान								
ई	अन्य प्राप्तियां व आय								
	योग								
2	व्यय								
ए	ओ एंड एम व्यय								
बी	अवक्षय								
सी	ब्याज व वित्तप्रभार								
डी	कार्यशील पूंजी पर ब्याज								
ई	पट्टा प्रभार								
एफ	आर एल डी सी फीस व प्रभार								
	योग								
3	अधिशेष (+) कमी (–) : (1)–(2)								
4	आर ओ ई								

प्रपत्र एफ 2.1

राजस्व व अन्य आय का सारांश

राशि करोड़ रू0 में

क्रम सं0	विवरण	पूर्व वर्ष (n-1)	वर्तमान वर्ष (n)			आगामीवर्ष(n+1)			आगामीवर्ष(n+2)			आगामी वर्ष (n+3)			टिप्पणी
		वास्तविक संपरीक्षित	कुल राजस्व			वार्षिक एस एल डीसी फीस व प्रभार	एस एल डी सी प्रचालन प्रभार	कुल एस एल डी सी प्रभार	वार्षिक एस एल डीसी फीस व प्रभार	एस एल डी सी प्रचालन प्रभार	कुल एस एल डी सी प्रभार	वार्षिक एस एल डीसी फीस व प्रभार	एस एल डी सी प्रचालन प्रभार	कुल एस एल डी सी प्रभार	
			अप्रै.—सित. (वास्तविक)	अक्टू. मार्च(आकलित)	अप्रैल.—मार्च										
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	**प्रणाली प्रचालन हेतु फीस व प्रभार**														
ए	डिस्कौम –1														
बी	डिस्कौम –2														
सी	डिस्कौम –3														
डी	उत्पादक कं0 1														
ई	उत्पादक कं0 2														
एफ	उत्पादक कं0 3														
जी	अन्य दीर्घकालिक उपयोग कर्ता (कृप्या विनिर्दिष्ट करें)														
2	**निर्णय समर्थन प्रणाली व आई टी संरचना प्रभार**														
1	**प्रणाली प्रचालन हेतु फीस व प्रभार**														
ए	डिस्कौम –1														
बी	डिस्कौम –2														
सी	डिस्कौम –3														
डी	उत्पादक कं0 1														
ई	उत्पादक कं0 2														
एफ	उत्पादक कं0 3														
जी	अन्य दीर्घकालिक उपयोग कर्ता (कृपया विनिर्दिष्ट करें)														

प्रपत्र एफ 2.1

राजस्व व अन्य आय का सारांश

3	**अनुसूचीकरण, मीटरिंग व व्यवस्थापन के लिये प्रचालन प्रभार**														
ए	डिस्कौम –1														
बी	डिस्कौम –2														
सी	डिस्कौम –3														
डी	उत्पादक कं0 1														
ई	उत्पादक कं0 2														
एफ	उत्पादक कं0 3														
जी	टेडिंग कंपनियां														
एच	कैप्टिव उपभोगता														
आई	अन्य तृतीय पक्ष लेन देन														
जे	कोई अन्य उपयोगकर्ता (कृपया														
4	**सरकार द्वारा अनुदान या अन्य अंशदान**														
5	**अन्य राजस्व**														
ए	परामर्शी सेवाएं														
बी	जनशक्ति विकास														
सी	विविध प्राप्तियां														
ई	**योग (1+2+3+4+5)**														

Format for SL3C

प्रपत्र : एफ– 2.2

पूंजी अंशदान, अनुदान, सहायिकियां

राशि करोड़ रू0 में

क्र0सं0	विवरण	पूर्व वर्ष (n-1)	वर्तमान वर्ष(n)			आगामीवर्ष(n+1)	आगामीवर्ष(n+2)	आगामी वर्ष (n +3)	टिप्पणी
		(वास्तविक / संपरीक्षित)	अप्रैल–सित. (वास्तविक)	अक्टू –मार्च	योग (अप्रैल – मार्च)	प्रक्षेपित	प्रक्षेपित	प्रक्षेपित	
1	2	3	4	5	6 = 4+5	7	8	9	10
1	पूंजी आस्तियों की लागत हेतु सहायिकी								
2	पूंजीगत आस्तियों की लागत अनुदान								
3	अनुदान / सहायिकी के रूप में किसी योजना के अधीन राज्य सरकार से प्राप्तियां								
	योग (1+2+3)								

Format for SLDC

प्रपत्र : एफ –3

प्रचालन एवं अनुरक्षण व्यय

राशि करोड़ रू0 में

क्र0सं0	विवरण	पूर्व वर्ष (n-1)	वर्तमान वर्ष(n)			आगामीवर्ष(n+1)	आगामीवर्ष(n+2)	आगामी वर्ष (n +3)	टिप्पणी
		(वास्तविक/संपरीक्षित)	अप्रैल–सित. (वास्तविक)	अक्टू. –मार्च (आकलित)	योग (अप्रैल – मार्च)	प्रक्षेपित	प्रक्षेपित	प्रक्षेपित	
1	2	3	4	5	6 = 4+5	7	8	9	10
1	कर्मचारी लागतें								
2	प्रशासकीय व सामान्य व्यय								
3	मरम्मत व रखरखाव व्यय								
	योग								

Format for SLDC

प्रपत्र : एफ 3.1

...धारी लागत

राशि करोड़ रु0 में

क्रम सं0	विवरण	पूर्व वर्ष (n-6)	पूर्व वर्ष (n-5)	पूर्व वर्ष (n-4)	पूर्व वर्ष (n-3)	पूर्व वर्ष (n-2)	पूर्व वर्ष (n-1)	वर्तमान वर्ष(n)			आगामीवर्ष (n+1)	आगामीवर्ष (n+2)	आगामी वर्ष (n +3)	टिप्पणी
		(वास्तविक / संपरीक्षित)	(वास्तविक / संपरीक्षित)	(वास्तविक / संपरीक्षित)	(वास्तविक / संपरीक्षित)	(वास्तविक / संपरीक्षित)	(वास्तविक / संपरीक्षित)	अप्रैल-सित. (वास्तविक)	अक्टू-मार्च (आकलित)	योग(अप्रै.-मार्च)	प्रक्षेपित	प्रक्षेपित	प्रक्षेपित	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1= 9+1	12	13	14	15
I	कर्मचारी लागत ('IV व V' में अतिरिक्त से अन्यथा													
1	वेतन													
2	अतिरिक्त वेतन/ महंगाई भत्ता (डी ए)													
3	अन्य भत्ते व राहत													
4	अंतरिम राहत/मजदूरी संसोधन													
5	मानदेय/ओवर टाईम													
6	सांविधिक बोनस /एक्स ग्रेशिया													
	उप—योग													
II	अन्य लागतें													
1	चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति													
2	यात्रा भत्ता(यातायात भत्ता)													
3	अवकाश यात्रा सहायता													
4	भार प्रेषण भत्ता													
5	अर्जित अवकाश का भुगतान													
6	कर्मकार प्रतिकार के अधीन भुगतान व ग्रेच्युटी													
7	कोई अन्य मद													
8	मजदूरी संशोधन का बकाया													
9	स्टाफ कल्याण व्यय													
	उप—योग													
III	शिशु व अन्य प्रशिक्षण व्यय													
IV	भविष्य निधि स्टाफ पेंशन व ग्रेच्युटी का भुगतान/अंशदान													
1	सेवांत लाभ													
2	भविष्य निधि अंशदान													
3	भविष्य निधि हेतु प्रावधान													
4	पेंशन भुगतान													
5	अधिवार्षिकी पर ग्रेच्युटी भुगतान													
6	अधिवार्षिकी निधि, यदि कोई है													
7	कोई अन्य सेवांत लाभ (भुगतान)													
8	कोई अन्य मदें													
	उप—योग													
V	प्रोत्साहन भुगतान													
VII	कुल योग (I+II+III+IV+V)													
VII	घटा व्यय पूंजीकृत													
VIII	शुद्ध कर्मचारी व्यय													

Format for SLDC

प्रपत्र : एफ 3.1

कर्मचारी लागत

राशि करोड़ रु0 में

क्रम सं0	विवरण	पूर्व वर्ष (n-6)	पूर्व वर्ष (n-5)	पूर्व वर्ष (n-4)	पूर्व वर्ष (n-3)	पूर्व वर्ष (n-2)	पूर्व वर्ष (n-1)	वर्तमान वर्ष(n)			आगामीवर्ष (n+1)	आगामीवर्ष (n+2)	आगामी वर्ष (n +3)	टिप्पणी
		(वास्तविक / संपरीक्षित)	(वास्तविक / संपरीक्षित)	(वास्तविक / संपरीक्षित)	(वास्तविक / संपरीक्षित)	(वास्तविक / संपरीक्षित)	(वास्तविक / संपरीक्षित)	अप्रैल.सित. (वास्तविक)	अक्टू.मार्च (आकलित)	योग(अप्रै. मार्च)	प्रक्षेपित	प्रक्षेपित	प्रक्षेपित	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1= 9+1	12	13	14	15

बी कर्मचारियों की संख्या का विवरण

क्रम सं0	दर	पूर्व वर्ष (n-6)	पूर्व वर्ष (n-5)	पूर्व वर्ष (n-4)	पूर्व वर्ष (n-3)	पूर्व वर्ष (n-2)	पूर्व वर्ष (n-1)	वर्तमान वर्ष(n)			आगामीवर्ष (n+1)	आगामीवर्ष (n+2)	आगामी वर्ष (n +3)	टिप्पणी
		(वास्तविक / संपरीक्षित)	(वास्तविक / संपरीक्षित)	(वास्तविक / संपरीक्षित)	(वास्तविक / संपरीक्षित)	(वास्तविक / संपरीक्षित)	(वास्तविक / संपरीक्षित)	अप्रैल.सित. (वास्तविक)	अक्टू.मार्च (आकलित)	योग(अप्रै. मार्च)	प्रक्षेपित	प्रक्षेपित	प्रक्षेपित	
ए	अधिकारी / प्रबंधक संवर्ग													
1	तकनीकी													
2	प्रशासकीय													
3	लेखा एवं वित्त													
4	अन्य (विनिर्दिष्ट करें)													
बी	स्टाफ संवर्ग													
5	तकनीकी													
5.1	श्रेणी I													
5.2	श्रेणी II													
5.3	श्रेणी III													
5.4	श्रेणी IV													
6	प्रशासकीय													
6.1	श्रेणी I													
6.2	श्रेणी II													
6.3	श्रेणी III													
6.4	श्रेणी IV													
7	लेखा एवं वित्त													
7.1	श्रेणी I													
7.2	श्रेणी II													
7.3	श्रेणी III													
7.4	श्रेणी IV													
8	अन्य(कृपया विनिर्दिष्ट करें)													
8.1	श्रेणी I													
8.2	श्रेणी II													
8.3	श्रेणी III													
8.4	श्रेणी IV													
	कुल कर्मचारी													

प्रपत्र :एफ 3.2

प्रशासकीय एवं सामान्य व्यय

राशि करोड़ रु0 में

क्रम सं0	विवरण		पूर्व वर्ष (n-6)	पूर्व वर्ष (n-5)	पूर्व वर्ष (n-4)	पूर्व वर्ष (n-3)	पूर्व वर्ष (n-2)	पूर्व वर्ष (n-1)	वर्तमान वर्ष(n)			आगामीवर्ष (n+1)	आगामीवर्ष(n+2)	आगामी वर्ष (n+3)	टिप्पणी
			(वास्तविक/ संपरीक्षित)	(वास्तविक/ संपरीक्षित)	(वास्तविक/ संपरीक्षित)	(वास्तविक/ संपरीक्षित)	(वास्तविक/ संपरीक्षित)	वास्तविक/ संपरीक्षित	अतीत.वित. (वास्तविक)	अवशेष माह (आकलित)	योग (अनु.मान)	प्रक्षेपित	प्रक्षेपित	प्रक्षेपित	
ए	प्रशासकीय व्यय														
1	किराया दरें व कर														
	पट्टा/ किराया														
	दरें व कर														
2	बीमा														
3	राजस्व स्टाम्प व्यय लेखा														
4	टेलीफोन, पोस्टेज, टेलीग्राम,टेलेक्स प्रभार														
5	कर्मचारियों व वाह्य व्यक्तियों को प्रोत्साहन व ईनाम														
7	तकनीकी फीस														
8	अन्य वृत्तिक प्रभार														
9	यातायात व यात्रा														
10	लाइसेन्स व रजिस्ट्रेशन फीस	संयंत्र व मशीनरी													
		वाहन													
11	वाहन व्यय (ट्रक व डिलीवरी वैन के अन्यथा	वाहन चालक व्यय पेट्रोल, ईंधन													
		वाहनों का किराया													
12	वाह्य अभिकरण को संदेय सुरक्षा/ सेवा प्रभार														
	उप—योग 'ए' (1से 12)														
बी	अन्य प्रभार														
1	पुस्तक व पत्रिकाओं का शुल्क व चंदा														
2	छपाई व लेखन सामग्री														
3	विज्ञापन व्यय (क्रय संबंधी को छोड़ कर)														
4	वाह्य संस्थाओं/संघों को अंशदान/दान														
5	कार्यालयों को विद्युत प्रभार														
6	जल प्रभार														
7	मनोरंजन प्रभार														
8	विविध प्रभार														
	उप—योग 'बी' (1से 8)														
सी	विधिक प्रभार														
डी	लेखा परीक्षक की फीस														
ई	सामग्री संबंधी व्यय														
1	पूंजीगत उपकरणों पर भाड़ा														
2	क्रय संबंधी विज्ञापनों का व्यय														
3	वाहन चालक व किराया व्यय (ट्रक/डिलीवरी वैन)														
4	अन्य भाड़ा														
5	पारगमन बीमा														
6	चुंगी														
7	आकस्मिक स्टोर्स व्यय														
8	फैब्रीकेशन प्रभार														
	उप—योग 'ई' (1 से 8)														
एफ	कुल योग (ए से ई)														
जी	ए एंड जी व्यय पूंजीकृत														
एच	शुद्ध ए एंड जी व्यय (एफ—जी)														

Format for SLDC

प्रपत्र एफ 3.3

मरम्मत एवं रखरखाव व्यय

राशि करोड़ रू0 में

क्रम सं0	विवरण	पूर्व वर्ष (n–6)	पूर्व वर्ष (n-5)	पूर्व वर्ष (n-4)	पूर्व वर्ष (n-3)	पूर्व वर्ष (n-2)	पूर्व वर्ष (n-1)	वर्तमान वर्ष(n)			आगामीवर्ष(n+1)	आगामीवर्ष(n+2)	आगामी वर्ष (n +3)	टिप्पणी
		(वास्तविक/संपरीक्षित)	(वास्तविक/संपरीक्षित)	(वास्तविक/संपरीक्षित)	(वास्तविक/संपरीक्षित)	(वास्तविक/संपरीक्षित)	(वास्तविक/संपरीक्षित)	अपै.सित. (वास्तविक)	अक्टू मार्च(आकलित)	योग(अप्रै. मार्च)	प्रक्षेपित	प्रक्षेपित	प्रक्षेपित	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11 = 9+10	12	13	14	15	
1	भवन एवं निर्माण													
2	संयंत्र एवं मशीनरी													
3	केबल्स व नेटवर्क													
4	संप्रेषण उपकरण													
5	एयर कंडिशनिंग													
6	फर्नीचर्स व फिक्सचर्स													
7	कार्यालय उपकरण													
8	वाहन													
9	अधिगृहित आस्तियां जिनका अंतिम													
10	विविध उपकरण													
	मरम्मत एवं रखरखाव कार्यों पर प्रभारित कुल													

Format for SLDC

प्रपत्र एफ 3.4

पूंजीकृत व्ययों का सारांश

राशि करोड़ रू0 में

क्र0सं0	विवरण	पूर्व वर्ष (n-1)	वर्तमान वर्ष(n)			आगामीवर्ष(n+1)	आगामीवर्ष(n+2)	आगामी वर्ष (n +3)	टिप्पणी
		(वास्तविक/ संपरीक्षित)	अप्रैल–सित. (वास्तविक)	अक्टू –मार्च (आकलित)	योग (अप्रैल – मार्च)	प्रक्षेपित	प्रक्षेपित	प्रक्षेपित	
1	2	4	5	6	7 = 5+6	7	8	9	12
1	कर्मचारी लागतें								
2	ए एंड जी व्यय								
3	आर एंड एम व्यय								
4	अवक्षय								
5	अन्य, यदि कोई है								
	कुल योग								

प्रपत्र: एफ–4.1 Format for SLDC

सकल स्थिर आस्ति

पूर्व वर्ष (n-1) वास्तविक/संपरीक्षित

राशि करोड़ रू0 में

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1	2	3	4	5	6	7
1	भूमि व अधिकार					
2	भवन एवं संरचना/सिविल कार्य					
3	संयंत्र एवं मशीनरी					
4	केबल्स व मशीनरी					
5	संप्रेषण उपकरण					
6	एयर कंडिशनिंग संयंत्र					
7	फर्नीचर व फिक्सचर्स					
8	कार्यालय उपकरण					
9	वाहन					
10	एस सी एडीए व आई टी प्रणाली					
11	अन्य उपकरण					
	योग					

वर्तमान वर्ष (n) वास्तविक/संपरीक्षित

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1	2	3	4	5	6	7
1	भूमि व अधिकार					
2	भवन एवं संरचना/सिविल कार्य					
3	संयंत्र एवं मशीनरी					
4	केबल्स व मशीनरी					
5	संप्रेषण उपकरण					
6	एयर कंडिशनिंग संयंत्र					
7	फर्नीचर व फिक्सचर्स					
8	कार्यालय उपकरण					
9	वाहन					
10	एस सी एडीए व आई टी प्रणाली					
11	अन्य उपकरण					
	योग					

आगामी वर्ष (n +1)

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1	2	3	4	5	6	7
1	भूमि व अधिकार					
2	भवन एवं संरचना/सिविल कार्य					
3	संयंत्र एवं मशीनरी					
4	केबल्स व मशीनरी					
5	संप्रेषण उपकरण					
6	एयर कंडिशनिंग संयंत्र					
7	फर्नीचर व फिक्सचर्स					
8	कार्यालय उपकरण					
9	वाहन					
10	एस सी एडीए व आई टी प्रणाली					
11	अन्य उपकरण					
12	Other equipmment					
	योग					

प्रपत्र एफ–4.1
सकल स्थिर आस्ति

Format for SLDC

आगामी वर्ष (n +2)

क्र0सं0	विवरण	अवक्षय की दर	सकल स्थिर आस्तियां			
			वर्ष के आरम्भ में	वर्ष की अवधि में परिवर्धन	समायोजन व कटौती	वर्ष के अंत पर
1	2	3	4	5	6	7
1	भूमि व अधिकार					
2	भवन एवं संरचना/सिविल कार्य					
3	संयंत्र एवं मशीनरी					
4	केबल्स व मशीनरी					
5	संप्रेषण उपकरण					
6	एयर कंडिशनिंग संयंत्र					
7	फर्नीचर व फिक्सचर्स					
8	कार्यालय उपकरण					
9	वाहन					
10	एस सी एडीए व आई टी प्रणाली					
11	अन्य उपकरण					
	योग					

आगामी वर्ष (n +3)

क्र0सं0	विवरण	अवक्षय की दर	सकल स्थिर आस्तियां			
			वर्ष के आरम्भ में	वर्ष की अवधि में परिवर्धन	समायोजन व कटौती	वर्ष के अंत पर
1	2	3	4	5	6	7
1	भूमि व अधिकार					
2	भवन एवं संरचना/सिविल कार्य					
3	संयंत्र एवं मशीनरी					
4	केबल्स व मशीनरी					
5	संप्रेषण उपकरण					
6	एयर कंडिशनिंग संयंत्र					
7	फर्नीचर व फिक्सचर्स					
8	कार्यालय उपकरण					
9	वाहन					
10	एस सी एडीए व आई टी प्रणाली					
11	अन्य उपकरण					
	योग					

प्रपत्र: एफ–4.2

Format for SLDC

आस्तिवार अवक्षय

पूर्व वर्ष (n-1) वास्तविक / संपरीक्षित

राशि करोड़ रू0 में

क्र0सं0	विवरण	अवक्षय की दर	आरम्भ पर संचयी अवक्षय	वर्ष हेतु उपबंधित अवक्षय	वर्ष की अवधि मे निकासी	वर्ष के अंत पर संचयी अवक्षय का अतिशेष
			4	5	6	7
1	भूमि व अधिकार					
2	भवन एवं संरचना / सिविल कार्य					
3	संयंत्र एवं मशीनरी					
4	केबल्स व मशीनरी					
5	संप्रेषण उपकरण					
6	एयर कंडिशनिंग संयंत्र					
7	फर्नीचर व फिक्सचर्स					
8	कार्यालय उपकरण					
9	वाहन					
10	एस सी एडीए व आई टी					
11	अन्य उपकरण					
	योग					

वर्तमान वर्ष (n) वास्तिविक / संपरीक्षित

राशि करोड़ रू0 में

क्र0सं0	विवरण	अवक्षय की दर	वर्ष के आरम्भ पर संचयी अवक्षय	वर्ष हेतु उपबंधित अवक्षय		वर्ष की अवधि में निकासी		वर्ष के अंत पर संचयी अवक्षय का अतिशेष
				अप्रै.–सित. (वास्तविक)	अक्टू.–मार्च (आकलित)	अप्रै.–सित. (वास्तविक)	अक्टू.–मार्च (आकलित)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	भूमि व अधिकार							
2	भवन एवं संरचना / सिविल कार्य							
3	संयंत्र एवं मशीनरी							
4	केबल्स व मशीनरी							
5	संप्रेषण उपकरण							
6	एयर कंडिशनिंग संयंत्र							
7	फर्नीचर व फिक्सचर्स							
8	कार्यालय उपकरण							
9	वाहन							
10	एस सी एडीए व आई टी प्रणाली							
11	अन्य उपकरण							
	योग							

प्रपत्र: एफ–4.2

आस्तिवार अवक्षय Format for SLDC

आगामी वर्ष (n +1)

राशि करोड़ रू0 में

क्र0सं0	विवरण	अवक्षय की दर	आरम्भ पर संचयी अवक्षय	वर्ष हेतु उपबंधित अवक्षय	वर्ष की अवधि मे निकासी	वर्ष के अंत पर संचयी अवक्षय का अतिशेष
			4	5	6	7
1	भूमि व अधिकार					
2	भवन एवं संरचना/सिविल कार्य					
3	संयंत्र एवं मशीनरी					
4	केबल्स व मशीनरी					
5	संप्रेषण उपकरण					
6	एयर कंडिशनिंग संयंत्र					
7	फर्नीचर व फिक्सचर्स					
8	कार्यालय उपकरण					
9	वाहन					
10	एस सी एडीए व आई टी प्रणाली					
11	अन्य उपकरण					
	योग					

प्रपत्रः एफ–4.2

Format for SLDC

आस्तिवार अवक्षय

आगामी वर्ष (n +2)

राशि करोड़ रू0 में

क्र0सं0	विवरण	अवक्षय की दर	आरम्भ पर संचयी अवक्षय	वर्ष हेतु उपबंधित अवक्षय	वर्ष की अवधि मे निकासी	वर्ष के अंत पर संचयी अवक्षय का अतिशेष
			4	5	6	7
1	भूमि व अधिकार					
2	भवन एवं संरचना / सिविल कार्य					
3	संयंत्र एवं मशीनरी					
4	केबल्स व मशीनरी					
5	संप्रेषण उपकरण					
6	एयर कंडिशनिंग संयंत्र					
7	फर्नीचर व फिक्सचर्स					
8	कार्यालय उपकरण					
9	वाहन					
10	एस सी एडीए व आई टी प्रणाली					
11	अन्य उपकरण					
	योग					

आगामी वर्ष (n +3)

राशि करोड़ रू0 में

क्र0सं0	विवरण	अवक्षय की दर	आरम्भ पर संचयी अवक्षय	वर्ष हेतु उपबंधित अवक्षय	वर्ष की अवधि मे निकासी	वर्ष के अंत पर संचयी अवक्षय का अतिशेष
			4	5	6	7
1	भूमि व अधिकार					
2	भवन एवं संरचना / सिविल कार्य					
3	संयंत्र एवं मशीनरी					
4	केबल्स व मशीनरी					
5	संप्रेषण उपकरण					
6	एयर कंडिशनिंग संयंत्र					
7	फर्नीचर व फिक्सचर्स					
8	कार्यालय उपकरण					
9	वाहन					
10	एस सी एडीए व आई टी प्रणाली					
11	अन्य उपकरण					
	योग					

Format for SLDC

प्रपत्रः एफ–5
आगामी 3 वर्षों के लिये निवेश योजना

(Figures in Rs Crore)

S. No.	योजना का विवरण/निवेश का विवरण	कुल लागत	आगामी वर्ष (n+1)	आगामी वर्ष (n+2)	आगामी वर्ष (n+3)
1	2	3	4	5	6
1	वास्तविक समय डाटा अधिग्रहण क्षमता				
2	एल डी केन्द्र पर प्रशिक्षण व प्रणाली अध्ययन सुविधा की स्थापना				
3	प्रचालन सहायता हेतु एप्लिकेशन साफ्टवेयर का विकास				
4	प्रमावी संप्रेषण प्रणाली				
5	ऊर्जा लेखा संतुलन व व्यवस्थापन तंत्र				
6	**संरचनीय विकास**				
7	कोई अन्य निवेश (कृपया विनिर्दिष्ट करें)				
	योग				

Format for SLDC

प्रपत्र एफ– 6.1

पूंजीगत व्यय का विवरण

राशि करोड़ रु0 मे

विवरण	पूंजीकरण का एक भाग	पूर्व वर्ष (n-1)	वर्तमान वर्ष(n)			आगामीवर्ष(n+1)	आगामीवर्ष(n+2)	आगामी वर्ष (n +3)	टिप्पणी	सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित कुल व्यय	वास्तव में कुल उपगत व्यय	टिप्पणी
		(वास्तविक / संपरीक्षित)	अप्रैल–सित. (वास्तविक)	अक्टू –मार्च (आकलित)	योग (अप्रैल – मार्च)	प्रक्षेपित	प्रक्षेपित	प्रक्षेपित				
ए) व्ययों का विवरण												
भूमि व अधिकार												
भवन व संरचनाएं / सिविल कार्य												
संयंत्र व मशीनरी												
केबल्स व नेटवर्क्स												
संप्रेषण उपकरण												
एयर कंडिशनिंग संयंत्र												
फर्नीचर्स व फिक्सचर्स												
कार्यालय उपकरण												
वाहन												
एस सी ए डी ए व आई टी प्रणाली												
अन्य उपकरण												
योग (ए)												
बी) वित्त पोषण के स्रोतों का ब्योरा												
रूप्या आवधिक ऋण												
ऋण 1												
ऋण 2												
....												
विदेशी मुद्रा ऋण												
ऋण 1												
ऋण 2												
....												
इक्विटी												
रूपयों में												
विदेशी मुद्रा में												
सी) अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करे)												
योग (बी)												

नोट:

1) जहां कहीं ब्योरा अपेक्षित हो व आवश्यक हो वहां सब संबंधित दस्तावेजों के साथ ऋणों व इक्विटी के साथ दिये जायें

2) प्रत्येक योजना की लागत इसके घटकों तथा वित्त पोषण योजना के संबंध में यदि अपेक्षित हो तो सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन की प्रतियां दी जाये।

3) टिप्पणी +: यदि वर्तमान वर्ष की अवधि में वास्तविक व्यय, यू ई आर सी या अन्य प्राधिकरणों द्वारा अनुमोदित से भिन्न होना अपेक्षित हो तो विचलन के कारणों को स्पष्ट करें।

4) टिप्पणी ++: यदि कुल वास्तविक व्यय यूईआरसी या अन्य प्राधिकृत-अभिकरणों द्वारा अनुमोदित से भिन्न हो तो विचलन के कारणों को स्पष्ट करें।

Format for SLDC

प्रपत्रः एफ—6.2

पूंजीगत प्रगति—अधीन कार्यों का विवरण

राशि करोड़ रू0 में

क्र0सं0	विवरण	वर्ष 1	पूर्व वर्ष (n-1)	वर्तमान वर्ष(n)			आगामीवर्ष (n+1)	आगामीवर्ष (n+2)	आगामी वर्ष (n +3)	टिप्पणी
			(वास्तविक / संपरीक्षित)	अप्रैल—सित. (वास्तविक)	अक्टू. —मार्च (आकलित)	योग (अप्रैल — मार्च)	प्रक्षेपित	प्रक्षेपित	प्रक्षेपित	
1	**सी डब्ल्यू आई पी का आरम्भिक अतिशेष**									
2	***जोड़ कर : नयें निवेश***									
	पूंजीगत व्यय									
	व्यय पूंजीकृत									
	निर्माण की अवधि में ब्याज									
3	***घटा करः निवेश पूंजीकृत***									
4	**सी डब्ल्यू आई पी अंत अतिशेष**									

नोटः

वर्ष 1 योजना के पूर्ण होने के पश्चात् वित्त वर्ष का अंत है।

Format for SLDC

प्रपत्र: एफ— 7

परिकलन हेतु ड्रॉ डाउन अनुसूची

राशि करोड़ रू0 में

क्रम सं0	ड्राडाउन	त्रैमासिक 1			त्रैमासिक 2			त्रैमासिक n (सीओडी)		
	विवरण	विदेशी मुद्रा में मात्रा	ड्र डाउन की तिथि पर विनिमय दर	भारतीय रूपये में राशि	विदेशी मुद्रा में मात्रा	ड्र डाउन की तिथि पर विनिमय दर	भारतीय रूपये में राशि	विदेशी मुद्रा में मात्रा	ड्र डाउन की तिथि पर विनिमय दर	भारतीय रूपये में राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ऋण									
1.1	**विदेशी ऋण**									
1.1.1	विदेशी ऋण—1									
	ड्रॉ डाउन राशि									
	आई डी सी									
	वित्त पोषण प्रभार									
	एफ ई आर वी									
	प्रतिरक्षा लागत									
1.1.2	विदेशी ऋण—1									
	ड्रॉडाउन राशि									
	आई डी सी									
	वित्त पोषण प्रभार									
	एफ ई आर वी									
	प्रतिरक्षा लागत									
1.1.n	ड्रॉडाउन राशि									
	आई डी सी									
	वित्त पोषण प्रभार									
	एफ ई आर वी									
	प्रतिरक्षा लागत									
1.1	**कुल विदेशी ऋण**									
	ड्रॉडाउन राशि									
	आई डी सी									
	वित्त पोषण प्रभार									
	एफ ई आर वी									
	प्रतिरक्षा लागत									
1.2	**भारतीय ऋण**									
1.2.1	भारतीय ऋण 1									
	ड्रॉडाउन राशि									
	आई डी सी									
	वित्त पोषण प्रभार									
1.2.2	भारतीय ऋण 2									
	ड्रॉडाउन राशि									
	आई डी सी									
	वित्त पोषण प्रभार									
1.2.n	भारतीय ऋण n									
	ड्रॉडाउन राशि									
	आई डी सी									
	वित्त पोषण प्रभार									

~~Format for SLDC~~

1.2	**कुल भारतीय ऋण**									
	ड्रॉडाउन राशि									
	आई डी सी									
	वित्त पोषण प्रभार									
1	**निकासी किये गये कुल ऋण**									
	आई डी सी									
	वित्त पोषण प्रभार									
	एफ ई आर वी									
	प्रतिरक्षा लागत									
2	**इक्विटी**									
2.1	**निकासी की गई विदेशी इक्विटी**									
2.2	**निकासी की गई भारतीय इक्विटी**									
2	**कुल अभिनियोक्तित इक्विटी**									

नोटः 1. ऋण व इक्विटी की निकासी, पूर्णतया अनुसूची प्राप्ति हेतु तिमाही वार उसकी मात्रानुसार होगी

2. संगणन हेतु उपयोग किये गये पुनः नियत डाटा सहित लागू ब्याज दर पृथक रुप से प्रस्तुत करें।

Format for SLDC

प्रपत्र: एफ– 8

पूंजीलागत व वित्तपोषण संरचना के विवरण

राशि करोड़ रू० में

वर्षांत मार्च	पंजीकरण का एफ वाय	पूर्व वर्ष (n-1)	वर्तमान वर्ष(n)			आगामीवर्ष (n+1)	आगामीवर्ष (n+2)	आगामी वर्ष (n +3)	टिप्पणी
		(वास्तविक / संपरीक्षित)	अप्रैल–सित. (वास्तविक)	अक्टू. –मार्च (आकलित)	योग (अप्रैल – मार्च)	प्रक्षेपित	प्रक्षेपित	प्रक्षेपित	
मूल परियोजना वित्तीय मानदंड									
पूंजी लागत *									
वर्ष की अवधि में परिवर्धन									
वर्ष की अवधि में विलोपन									
सकल पूंजीलागत (ए)									
मूल परियोजना लागत के विरूद्ध इक्विटी									
वर्ष की अवधि में परिवर्धन									
इक्विटी उप –योग (बी)									
मूल परियोजना लागत के विरूद्ध ऋण बकाया									
वर्ष की अवधि में जुड़े नयें ऋण									
ऋण उप–योग (सी)									
मूल परियोजना के विरूद्ध अनुदान									
वर्ष की अवधि में परिवर्धन									
अनुदान उप–योग (डी)									
कुल वित्त पोषण (बी+सी+डी)									

नोट:

*1) *अनुमोदित या वास्तविक पूंजी लागत, जो भी कम हो।*

2) इक्विटी व ऋण, यदि लागू हो तो विदेशी व घरेलू घटक में विभाजित किये जायेंगें।

Format for SLDC

प्रपत्रः एफ–9
वित्तीय पैकेज का विवरण

निधियों का स्रोत	एफ सी में राशि	विनिमय दर	भारतीय मुद्रा में राशि	वापसी के निबंधन	ग्रेस अवधि	ब्याज दर /इक्विटी पर प्रतिफल	गारंटी कमीशन	अपफ्रंट फीस एक्सपोजर प्रीमियम	कुल ऋण का %	कुल ऋण का %	कुल पी सी का %
	मुद्रा का नाम	रू0/एफ सी	करोड़ रू0	वर्ष	वर्ष	(%)	करोड़ रू0	करोड़ रू0	(%)	(%)	(%)
विदेशी											
ऋण I											
ऋण II											
ऋण III											
ऋण IV इत्यादि											
भारतीयः											
ऋण I											
ऋण II इत्यादि											
कुल ऋण (ए)											
(बी) इक्विटी											
विदेशी :											
भारतीयः											
कुल इक्विटी (बी)											
(सी) अनुदान											
विदेशी :											
भारतीयः											
कुल अनुदान (सी)											
कुल वित्त पोषण (ए+बी+सी)											
कुल परियोजना लागत											

नोट

1. सी ओडी साधित कर चुकी परियोजनाओं के मामले में परियोजना की सी ओडी पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित वित्तीय पैकेज विवरण समर्थक दस्तावेजों के साथ प्रारूपमें प्रस्तुत किये जायेंगे।

2. सी ओडी साधित न की हुई परियोजनाओं के संबंध में सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित वित्तीय पैकेज विवरण समर्थन दस्तावेजों के साथ प्रारूप में प्रस्तुत किये जायेंगे।

3. एफ सी– विदेशी मुद्रा

4. पी सी – परियोजना लागत

प्रपत्रः एफ– 10.1

Format for SLDC

बकाया ऋणों का विवरण

पूर्व वर्ष (n-1)

ऋण अभिकरण (ऋण का स्रोत)	ब्याज की दर	वापसी की अवधि (वर्ष)	वर्ष के आरंभ पर अतिशेष	वर्ष के अवधि में प्राप्त राशि	वर्ष की अवधि में देय मूल	वर्ष की अवधि में वसूल मूल	वर्ष के अंत पर अति देय मूल	वर्ष के अंत पर देय मूल	टिप्पणी
	(वास्तविक/ संपरीक्षित)	(वास्तविक/ संपरीक्षित)	(वास्तविक/ संपरीक्षित)	(वास्तविक/ संपरीक्षित)	(वास्तविक/ संपरीक्षित)	(वास्तविक/ संपरीक्षित)	(वास्तविक/ संपरीक्षित)	(वास्तविक/ संपरीक्षित)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(6)-(7)	(9)=(4)+(5)-(6)	(10)
ए) राज्य सरकार से अन्यथा									
ऋण 1 (ऋण दाता का नाम)									
ऋण 2 (ऋण दाता का नाम)									
ऋण 3 (ऋण दाता का नाम)									
उप– योग (ए)									
बी) सरकारी ऋण									
प्रकार 1									
प्रकार 2									
प्रकार 3 इत्यादि									
उप–योग (बी)									
उप–योग (ए+बी)									
सी मानकीय ऋण									
कुल (ए+बी+सी)									

वर्तमान वर्ष (n)

ऋण अभिकरण (ऋण का स्रोत)	ब्याज की दर	वापसी की अवधि (वर्ष)	वर्ष के आरंभ पर अतिशेष	वर्ष के अवधि में प्राप्त राशि	वर्ष की अवधि में देय मूल	वर्ष की अवधि में वसूल मूल	वर्ष के अंत पर अति देय मूल	वर्ष के अंत पर देय मूल	टिप्पणी
	आकलित	आकलित	आकलित	आकलित	आकलित	आकलित	आकलित	आकलित	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(6)-(7)	(9)=(4)+(5)-(6)	(10)
ए) राज्य सरकार से अन्यथा									
ऋण 1 (ऋण दाता का नाम)									
ऋण 2 (ऋण दाता का नाम)									
ऋण 3 (ऋण दाता का नाम)									
उप– योग (ए)									
बी) सरकारी ऋण									
प्रकार 1									
प्रकार 2									
प्रकार 3 इत्यादि									
उप–योग (बी)									
उप–योग (ए+बी)									
सी मानकीय ऋण									
कुल (ए+बी+सी)									

आगामी वर्ष (n +1)

राशि करोड़ रू0 में

ऋण अभिकरण (ऋण का स्रोत)	ब्याज की दर	वापसी की अवधि (वर्ष)	वर्ष के आरंभ पर अतिशेष	वर्ष के अवधि में प्राप्त राशि	वर्ष की अवधि में देय मूल	वर्ष की अवधि में वसूल मूल	वर्ष के अंत पर अति देय मूल	वर्ष के अंत पर देय मूल	टिप्पणी
	आकलित	आकलित	आकलित	आकलित	आकलित	आकलित	आकलित	आकलित	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(6)-(7)	(9)=(4)+(5)-(6)	(10)
ए) राज्य सरकार से अन्यथा									
ऋण 1 (ऋण दाता का नाम)									
ऋण 2 (ऋण दाता का नाम)									
ऋण 3 (ऋण दाता का नाम)									
उप– योग (ए)									
बी) सरकारी ऋण									
प्रकार 1									
प्रकार 2									
प्रकार 3 इत्यादि									
उप–योग (बी)									
उप–योग (ए+बी)									
सी मानकीय ऋण									
कुल (ए+बी+सी)									

Format for SLDC

राशि करोड़ रू० में

आगामी वर्ष (n +2)

ऋण अभिकरण (ऋण का स्रोत)	ब्याज की दर	वापसी की अवधि (वर्ष)	वर्ष के आरंभ पर अतिशेष	वर्ष के अवधि में प्राप्त राशि	वर्ष की अवधि में देय मूल	वर्ष की अवधि में वसूल मूल	वर्ष के अंत पर अति देय मूल	वर्ष के अंत पर देय मूल	टिप्पणी
	आकलित	आकलित	आकलित	आकलित	आकलित	आकलित	आकलित	आकलित	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(6)-(7)	(9)=(4)+(5)-(6)	(10)
ए) राज्य सरकार से अन्यथा									
ऋण 1 (ऋण दाता का नाम)									
ऋण 2 (ऋण दाता का नाम)									
ऋण 3 (ऋण दाता का नाम)									
उप– योग (ए)									
बी) सरकारी ऋण									
प्रकार 1									
प्रकार 2									
प्रकार 3 इत्यादि									
उप–योग (बी)									
उप–योग (ए+बी)									
सी मानकीय ऋण									
कुल (ए+बी+सी)									

आगामी वर्ष (n +3)

राशि करोड़ रू० में

ऋण अभिकरण (ऋण का स्रोत)	ब्याज की दर	वापसी की अवधि (वर्ष)	वर्ष के आरंभ पर अतिशेष	वर्ष के अवधि में प्राप्त राशि	वर्ष की अवधि में देय मूल	वर्ष की अवधि में वसूल मूल	वर्ष के अंत पर अति देय मूल	वर्ष के अंत पर देय मूल	टिप्पणी
	आकलित	आकलित	आकलित	आकलित	आकलित	आकलित	आकलित	आकलित	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(6)-(7)	(9)=(4)+(5)-(6)	(10)
ए) राज्य सरकार से अन्यथा									
ऋण 1 (ऋण दाता का नाम)									
ऋण 2 (ऋण दाता का नाम)									
ऋण 3 (ऋण दाता का नाम)									
उप– योग (ए)									
बी) सरकारी ऋण									
प्रकार 1									
प्रकार 2									
प्रकार 3 इत्यादि									
उप–योग (बी)									
उप–योग (ए+बी)									
सी मानकीय ऋण									
कुल (ए+बी+सी)									

नोट :

1) यदि किसी ऋण का पुनः अनुसूचीकरण किया गया है तो इसके निबंधन रेखांकित करते हुए ऋण दाता से पत्र की प्रति के साथ एक संलग्नक के माध्यम से इसको पुनः अनुसूची करण के निबंधन स्पष्ट रूप से विनिर्दिष्ट किये जायें।

2) ऐसा ऋण जो किसी विशिष्ट योजना को आबंटित नहीं किया गया है तथा अनुमोदित वित्तीय पैकेज का भाग संरचित नहीं करता , इसके कारणों सहित पृथक रूप से दर्शाया जाये।

3) मूल वित्त पोषण योजना तथा मूल वित्त पोषण योजना के अनुसार संचयी वापसी प्रत्येक ऋण हेतु रेखांकित किये जायें।

4) वर्तमान वर्ष हेतु पहले से निकासी किये गये ऋण तथा वर्षांत तक निकासी हेतु प्रस्तावित ऋण पृथक रूप से चिह्नित किया जाये।

5) वर्तमान दर नयें ऋणदाता से नयें ऋणोंको ऋण के रूप में पृथक रूप से चिह्नित किया जाये।

6) विदेशी मुद्रा ऋणों के मामले में मुद्रा के नाम के साथ, ऋण की मुद्रा में डाटा प्रदान किया जाये।

प्रपत्र: एफ – 10.2

Format for SLDC

वास्तविक ऋणों पर ब्याज की भारित औसत ब्याजदर का परिकलन

राशि करोड़ रू0 में

क्र0सं0	विवरण	पूर्व वर्ष (n-1)	वर्तमान वर्ष (n)	आगामीवर्ष(n+1)	आगामीवर्ष(n+2)	आगामी वर्ष (n +3)
				प्रक्षेपित	प्रक्षेपित	प्रक्षेपित
	ऋण 1					
	सकल ऋण– आरम्भिक					
	पूर्व वर्ष तक ऋणों का संचयी भुगतान					
	शुद्ध ऋण आरम्भिक					
	जोड़कर : वर्ष की अवधि में निकासी					
	घटा कर : वर्ष की अवधि में ऋण की					
	शुद्ध ऋण : अंत में					
	औसत शुद्ध ऋण					
	वार्षिक आधार पर ऋण पर ब्याज की दर					
	ऋण पर ब्याज दर					
	ऋण 2					
	सकल ऋण– आरम्भिक					
	पूर्व वर्ष तक ऋणों का संचयी भुगतान					
	शुद्ध ऋण आरम्भिक					
	जोड़कर : वर्ष की अवधि में निकासी					
	घटा कर : वर्ष की अवधि में ऋण की					
	शुद्ध ऋण : अंत में					
	औसत शुद्ध ऋण					
	वार्षिक आधार पर ऋण पर ब्याज की दर					
	ऋण पर ब्याज दर					
	ऋण n					
	सकल ऋण– आरम्भिक					
	पूर्व वर्ष तक ऋणों का संचयी भुगतान					
	शुद्ध ऋण आरम्भिक					
	जोड़कर : वर्ष की अवधि में निकासी					
	घटा कर : वर्ष की अवधि में ऋण की					
	शुद्ध ऋण : अंत में					
	औसत शुद्ध ऋण					
	वार्षिक आधार पर ऋण पर ब्याज की दर					
	ऋण पर ब्याज दर					
	कुल ऋण					
	सकल ऋण– आरम्भिक					
	पूर्व वर्ष तक ऋणों का संचयी भुगतान					
	शुद्ध ऋण आरम्भिक					
	जोड़कर : वर्ष की अवधि में निकासी					
	घटा कर : वर्ष की अवधि में ऋण की					
	शुद्ध ऋण : अंत में					
	औसत शुद्ध ऋण					
	वार्षिक आधार पर ऋण पर ब्याज की दर					
	ऋण पर ब्याज दर					
	ऋणों पर ब्याज की भारित औसत दर					

विदेशी ऋणों के मामले में, परिकलन भारतीय रुपये में किया जाये, तथापि मूल मुद्रा में भी परिकलन उसी प्रारूप में पृथक रूप से प्रस्तुत किया जाये।

Format for SLDC

प्रपत्रः एफ–10.3

मानकीय ऋण पर ब्याज का परिकलन

राशि करोड़ रू0 में

विवरण	पूर्व वर्ष (n-1)	वर्तमान वर्ष (n)	आगामीवर्ष (n+1)	आगामीवर्ष (n+2)	आगामी वर्ष (n +3)
			प्रक्षेपित	प्रक्षेपित	प्रक्षेपित
सकल मानकीय ऋण – आरम्भिक					
पूर्व वर्ष तक मानकीय ऋण का संचयी भुगतान					
शुद्ध मानकीय ऋण – आरम्भिक					
घटा कर : वर्ष की अवधि में मानकीय ऋण की वापसी					
शुद्ध मानकीय ऋण – अंत में					
औसत मानकीय ऋण					
वार्षिक आधार पर वास्तविक ऋण पर ब्याज की भारित औसत दर					
मानकीय ऋण पर ब्याज					

Format for SLDC

प्रपत्र :एफ – 12

आर एल डी सी फीस व प्रभार

राशि करोड़ रू0 में

क्र0सं0	विवरण	पूर्व वर्ष (n-1)	वर्तमान वर्ष(n)			आगामीवर्ष(n+1)	आगामीवर्ष(n+2)	आगामी वर्ष (n +3)	टिप्पणी
		(वास्तविक / संपरीक्षित)	अप्रैल–सित. (वास्तविक)	अक्टू –मार्च (आकलित)	योग (अप्रैल – मार्च)	प्रक्षेपित	प्रक्षेपित	प्रक्षेपित	
1	एन आर एल डी सी फीस								
2	एन आर एल डी सी प्रभार								
3	यू एल डी सी योजना प्रभार								
4	एन आर पी सी प्रभार								
5	अन्य लागतें (आर एल डी सी से संबंधित) यदि कोई है								
	कुल योग								

Format for SLDC

प्रपत्रः एफ — 11

कार्यशील पूंजी आवश्यकता

राशि करोड़ रू0 में

क्र0सं0	विवरण	पूर्व वर्ष (n-1)	वर्तमान वर्ष(n)			आगामीवर्ष(n+1)	आगामीवर्ष(n+2)	आगामी वर्ष (n +3)	टिप्पणी
		(वास्तविक / संपरीक्षित)	अप्रैल—सित. (वास्तविक)	अक्टू. —मार्च (आकलित)	योग (अप्रैल — मार्च)	प्रक्षेपित	प्रक्षेपित	प्रक्षेपित	
1	ओ एंड एम व्यय (1 माह के बराबर)								
2	अनुरक्षण स्पेयर्स (प्रचालन एवं अनुरक्षण व्ययों का 15%								
3	प्राप्य (एस एल डी सी प्रभारों के दो माह)								
4	**कुल कार्यशील पूंजी**								
5	ब्याजदर (स्टेट बैंक अग्रिम दर (एस बी ए आर)								
6	**कार्यशील पूंजी पर ब्याज**								

Format for SLDC

प्रपत्र : एफ –13.1
वर्तमान फीस व शुल्कों से राजस्व

राशि करोड़ रु0 में

क्र0सं0	विवरण	वर्तमान वर्ष (n)	आगामीवर्ष(n+1)			आगामीवर्ष(n+2)			आगामी वर्ष (n +3)			टिप्पणी
		अनंतिम	वार्षिक एस एल डी सी फीस व प्रभार	एस एल डी सी प्रचलन प्रभार	कुल एस एल डी सी प्रभार	वार्षिक एस एल डी सी फीस व प्रभार	एस एल डी सी प्रचलन प्रभार	कुल एस एल डी सी प्रभार	वार्षिक एस एल डी सी फीस व प्रभार	एस एल डी सी प्रचलन प्रभार	कुल एस एल डी सी प्रभार	
1	**प्रणाली प्रचलन हेतु फीस एवं प्रभार**											
ए	डिस्कॉम –1											
बी	डिस्कॉम –2											
सी	डिस्कॉम – 3											
डी	उत्पादक–कं0 –1											
ई	उत्पादक – कं0 –2											
एफ	उत्पादक – कं0 –3											
जी	अन्य दीर्घकालिक उपयोग कर्ता (कृपया विनिर्दिष्ट करें)											
2	**निर्णय समर्थन प्रणाली आई टी संरचना हेतु प्रभार**											
ए	डिस्कॉम –1											
बी	डिस्कॉम –2											
सी	डिस्कॉम – 3											
डी	उत्पादक–कं0 –1											
ई	उत्पादक – कं0 –2											
एफ	उत्पादक – कं0 –3											
जी	अन्य दीर्घकालिक उपयोग कर्ता (कृपया विनिर्दिष्ट करें)											
एच	उत्पादक कंपनियां (कृपया विनिर्दिष्ट करें)											
3	**अनुसूचीकरण, मीटरिंग व व्यवस्थापन हेतु प्रचालन प्रभार**											
ए	डिस्कॉम –1											
बी	डिस्कॉम –2											
सी	डिस्कॉम – 3											
डी	उत्पादक–कं0 –1											
ई	उत्पादक – कं0 –2											
एफ	उत्पादक – कं0 –3											
ए	ट्रेडिंग कंपनिया											
बी	कैप्टिव उपयोग कर्ता											
सी	अन्य तृतीय पक्ष लेन देन											
डी	उत्पादक कंपनियां											
ई	कोई अन्य उपयोग कर्ता (कृपया विनिर्दिष्ट करें)											
	योग											

Format for SLDC

प्रपत्र : एक – 13.2

आगामी वर्षों में प्रस्तावित फीस व शुल्कों से राजस्व

राशि करोड़ रु0 में

क्रमांक	विवरण	प्रस्तावित व्यय	आगामीवर्ष(n+1)			आगामीवर्ष(n+2)			आगामी वर्ष (n +3)			टिप्पणी
			वार्षिक एस एल डी सी फीस व प्रभार	एस एल डी सी प्रचलन प्रभार	कुल एस एल डी सी प्रभार	वार्षिक एस एल डी सी फीस व प्रभार	एस एल डी सी प्रचलन प्रभार	कुल एस एल डी सी प्रभार	वार्षिक एस एल डी सी फीस व प्रभार	एस एल डी सी प्रचलन प्रभार	कुल एस एल डी सी प्रभार	
1	प्रणाली प्रचलन हेतु फीस एवं प्रभार											
ए	डिस्कॉम –1											
बी	डिस्कॉम –2											
सी	डिस्कॉम – 3											
डी	उत्पादक–कं0 –1											
ई	उत्पादक – कं0 –2											
एफ	उत्पादक – कं0 –3											
जी	अन्य दीर्घकालिक उपयोग कर्ता (कृपया विनिर्दिष्ट करें)											
2	निर्णय समर्थन प्रणाली आई टी संरचना हेतु प्रभार											
ए	डिस्कॉम –1											
बी	डिस्कॉम –2											
सी	डिस्कॉम – 3											
डी	उत्पादक–कं0 –1											
ई	उत्पादक – कं0 –2											
एफ	उत्पादक – कं0 –3											
जी	अन्य दीर्घकालिक उपयोग कर्ता (कृपया विनिर्दिष्ट करें)											
एच	उत्पादक कंपनियां (कृपया विनिर्दिष्ट करें)											
3	अनुसूचीकरण, मीटरिंग व व्यवस्थापन हेतु प्रचालन प्रभार											
ए	डिस्कॉम –1											
बी	डिस्कॉम –2											
सी	डिस्कॉम – 3											
डी	उत्पादक–कं0 –1											
ई	उत्पादक – कं0 –2											
एफ	उत्पादक – कं0 –3											
जी	ट्रेडिंग कंपनिया											
एच	कैप्टिव उपयोग कर्ता											
आई	अन्य तृतीय पक्ष लेन देन											
जे	उत्पादक कंपनियां											
के	कोई अन्य उपयोग कर्ता (कृपया विनिर्दिष्ट करें)											
	योग											

Format for Transmission

INDEX OF FORMATS

क्रम सं0	प्रपत्र संख्या	प्रारूपों की सूची
1	प्रपत्र 1	कुल राजस्व आवश्यकता
2	प्रपत्र 2	इक्विटी पर प्रतिफल
3	प्रपत्र 3	पारेषण लाइनों उप–स्टेशनों का विवरण
4	प्रपत्र 4	पारेषण हानियां
5	प्रपत्र 5	पारेषण उपलब्धता कारक
6	प्रपत्र 6	निवेशों से आय, गैर शुल्क आय व अन्य कारोबार
7	प्रपत्र 7	उन्मुक्त अभिगमन संबंधी प्रभार
8	प्रपत्र 8	प्रचलन एवं अनुरक्षण व्यय
9	प्रपत्र 8.1	कर्मचारी व्यय
10	प्रपत्र 8.2	मरम्मत एवं रखरखाव व्यय
11	प्रपत्र 8.3	प्रशासन एवं सामान्य व्यय
12	प्रपत्र 9.1	कुल सकल स्थिर आस्तियों का विवरण
13	प्रपत्र 9.2	पूंजीगत आस्तियों की लागत हेतु जमा कार्य व अनुदान/सहायिकियां
14	प्रपत्र 9.3	जमा कार्यों/पूंजी सहायकी/ अनुदान के माध्यम से निधि पोषित जीएफए का विवरण
15	प्रपत्र 9.4	जमा कार्यों/पूंजी सहायिकी अनुदान के द्वारा निधि पोषित आस्तियाँ
16	प्रपत्र 10.1	आस्तिवार अवक्षय का विवरण
17	प्रपत्र 10.2	अवक्षय का विवरण
18	प्रपत्र 11.1	पूंजीगत व्यय का विवरण
19	प्रपत्र 11.2	प्रगति अधीन पूंजीगत कार्यों का विवरण
20	प्रपत्र 11.3	पूंजीगत व्यय व नयीयोजनाओं की पूर्णता की अनुसूची का विवरण
21	प्रपत्र 11.4	नयी योजनाओं में लिये योजना–वार पूंजीगत व्यय का ब्योरा
22	प्रपत्र 12	आईडीसी एवं वित्त पोषण प्रभारों के परिकलन हेतु ड्रॉ डाउन अनुसूची
23	प्रपत्र 13	पूँजी लागत व वित्त पोषण संरचना का विवरण
24	प्रपत्र 14	वित्तीय पैकेजेज का विवरण
25	प्रपत्र 15.1	वकाया ऋणों का विवरण
26	प्रपत्र 15.2	वास्तविक ऋणों पर ब्याज की .भारित औसत ब्याजदर का परिकलन
27	प्रपत्र 15.3	मानकीय ऋणों पर ब्याज का परिकलन
28	प्रपत्र 16	ब्याज व वित्त प्रभार
29	प्रपत्र 17	कार्यशील पूंजी पर ब्याज का विवरण
30	प्रपत्र 18	निवेश योजना
31	प्रपत्र 19	निवेश योजना
32	प्रपत्र 20	सहीकरण का सार
33	प्रपत्र 21.1	शंट कैपेसिटर परिवर्धन/ मरम्मत कार्यक्रम
34	प्रपत्र 21.2	विद्युत संबंधी दुर्घटनाएं
35	प्रपत्र 21.3	परिवर्तकों की विफलता

यह दिनांक 10.03.2012 गजट के प्रकाशित अंग्रेजी का हिन्दी रूपान्तरण है। किसी भी तरह के निवर्चन (आख्या) के लिए अंग्रेजी विनियम के प्रारूप अन्तिम एवं मान्य होगा।

Format for Transmission

Name of Transmission Licensee

प्रपत्र 1

कुल राजस्व आवश्यकता

धनराशि (रू0 करोड़ में)

क्र0सं0	विवरण	संदर्भ प्रपत्र	पूर्व वर्ष (n-1)	वर्तमान वर्ष(n)			आगामीवर्ष (n+1)	आगामीवर्ष (n+2)	आगामीवर्ष (n+3)
			(वास्तविक/संपरीक्षित)	अप्रैल–सित. (वास्तविक)	अक्टू. –मार्च (आकलित)	योग (अप्रैल – मार्च)	प्रक्षेपित	प्रक्षेपित	प्रक्षेपित
A.	ऊर्जा								
1	उपलब्ध ऊर्जा (एम यू)								
2	पारेषित ऊर्जा(एम यू)								
3	पारेषण हानि %								
B	राजस्व								
1	शुल्कों से राजस्व								
2	गैर शुल्क आय सहित अन्य प्रभारों से आय								
	कुल राजस्व (1+2)								
C	व्यय								
1	ओ एण्ड एम व्यय								
a	आर एण्ड एम व्यय								
b	कर्मचारी व्यय								
c	ए एण्ड जी व्यय								
2	अवव्यय								
3	पट्टा प्रभार								
4	ऋणों पर ब्याज								
5	कार्यशील पूंजी पर ब्याज								
	कुल व्यय (1+2+3+4+5)								
D	इक्विटी पर प्रतिफल								
E	कुल राजस्व आवश्यकता (सी +डी)								
H	आधिशेष (+) कमी (–) (बी) – (इ)								
F	पारेषण प्रणाली की क्षमता (एम डब्ल्यू में)								

नोट:

n= एफ वाय 2012-13

Format for Transmission

Name of Transmission Licensee

प्रपत्र 2

इक्विटी पर प्रतिफल

धनराशि (रू0 करोड़ में)

क्रम सं0	विवरण	पूर्व वर्ष (n-1)	वर्तमान वर्ष(n)			आगामीवर्ष(n+1)	आगामीवर्ष(n+2)	आगामी वर्ष (n +3)
		(वास्तविक / संपरीक्षित)	अप्रैल–सित. (वास्तविक)	अक्टू. –मार्च (आकलित)	योग (अप्रैल – मार्च)	प्रक्षेपित	प्रक्षेपित	प्रक्षेपित
1	वर्ष के आरम्भ पर इक्विटी							
2	पूंजीगत व्यय							
3	पूंजीगत व्यय का इक्विटी भाग							
4	वर्ष के अन्त पर इकिवटी							
	प्रतिफल संगणन							
5	**इक्विटी पर प्रतिफल**							

Format for Transmission

Name of Transmission Licensee

प्रपत्र 3

पारेषण लाईनों व सबस्टेशनों का विवरण

पारेषण लाईनों

क्रम सं0	लाईनों का नाम	एसी/एच वी डी सी मे लाईनों का प्रकार	एस/ सी या डी /सी	सब कंडक्टर्स की संख्या	वोल्टेज स्तर के वी	लाईन की लंबाई सी के टी कि.मी.	वाणिज्यिक प्रचालन की तिथि	वर्तमान याचिका में आवृत्त	
								हां/नहीं	यदि नहीं तो याचिका संख्या व वर्ष
1									
2									
3									
4									
-									
-									

उप–स्टेशन्स

क्रम सं0	उप – स्टेशन का नाम	उप–स्टेशन का प्रकार पारंपरिक/जी आई एस/एच वी डी सी टर्मिनल/ एच वी डी सी बैक टु बैक	वोल्टेज स्तर के वी	परिवर्तकों/ रिएक्टर्स/ एस वी सी इत्यादि की संख्या (क्षमता सहित)	बेज की संख्या			वाणिज्यिक प्रचालन की तिथि	वर्तमान याचिका में आवृत्त	
					400 केवी	220 केवी	132 केवी		हां/नहीं	यदि नहीं तो याचिका संख्या व वर्ष
1										
2										
3										
4										
-										
-										

Format for Transmission

Name of Transmission Licensee

प्रपत्र 4

पारेषण हानियां

क्रम सं0	हानि परिकलन	पूर्व वर्ष (n-1)	वर्तमान वर्ष(n)			आगामीवर्ष(n+1)	आगामीवर्ष(n+2)	आगामी वर्ष (n +3)
		(वास्तविक/संपरीक्षित)	अप्रैल–सित. (वास्तविक)	अक्टू. –मार्च (आकलित)	योग (अप्रैल – मार्च)	प्रक्षेपित	प्रक्षेपित	प्रक्षेपित
1	अनुज्ञापी की पारेषण प्रणाली को राजस्व व राज्यान्तर्गत टाई लाईनों में उत्पादक स्टेशनों द्वारा प्रेषित कुल ऊर्जा (एम यू)							
2	वितरण अनुज्ञापियों/ई एच टी उपभोक्ताओं को ग्रिड स्टेशनों द्वारा प्रेषित ऊर्जा (एम यू)							
3	**प्रणाली में पारेषण हानि (1–2)**							
4	**प्रणाली में पारेषण हानि (%) {(1–2)/7}**							

अवधरणा, यदि कोई की गई है तो उपयुक्त स्थानों पर स्पष्ट रूप रूप से इंगित की जाये।

Format for Transmission

Name of Transmission Licensee

प्रपत्र 5

पारेषण उपलब्धता कारक

क्रम सं0	विवरण	पूर्व वर्ष (n-1)	वर्तमान वर्ष(n)			आगामीवर्ष(n+1)	आगामीवर्ष(n+2)	आगामी वर्ष (n +3)
		(वास्तविक संपरीक्षित)	अप्रैल–सित. (वास्तविक)	अक्टू. –मार्च (आकलित)	योग (अप्रैल – मार्च)	प्रक्षेपित	प्रक्षेपित	प्रक्षेपित
1	पारेषण उपलब्धता कारक							

Format for Transmission

Name of Transmission Licensee

प्रपत्र 6

निवेशों से आय, गैर शुल्क आय व अन्य कारोबार

राशि करोड़ रू0 में

क्रम सं0	विवरण	पूर्व वर्ष (n-1)	वर्तमान वर्ष(n)			आगामीवर्ष(n+1)	आगामीवर्ष(n+2)	आगामी वर्ष (n +3)
		(वास्तविक / संपरीक्षित)	अप्रैल – सित. (वास्तविक)	अक्टू. –मार्च (आकलित)	योग (अप्रैल – मार्च)	प्रक्षेपित	प्रक्षेपित	प्रक्षेपित
A	**निवेशों से आय**							
1	निवेशों से ब्याज की आय							
2	सावधि जमा पर ब्याज							
3	सावधि जमा से अन्यथा बैंको से ब्याज							
4	किन्हीं अन्य मदों पर ब्याज							
	उप –योग (ए)							
B	**अन्य गैर शुल्क आय**							
1	स्टाफ को अग्रिमों व ऋणों पर ब्याज							
2	पट्टादाता को अग्रिमों व ऋणों पर ब्याज							
3	आपूर्तिकर्ताओं / संविदाकारोंको अग्रिम पर ब्याज							
4	स्थिर आस्तियों के विक्रय से प्राप्ति							
5	स्टाफ कल्याण किया कलापों से आय / फीस / संग्रह							
6	बिलंबित भुगतान हेतु अधिकारों से राजस्व							
7	निम्न ऊर्जा कारक व अन्य दंडनीय प्रभारों के लिये अधिभार से राजस्व							
8	विभिन्न प्राप्तियां							
9	उपरोक्त से विविध प्रभार							
	उप–योग (बी)							
C	**अन्य कारोबार से आय**							
	विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 41 के अधीन अन्य कारोबार से आय							
	योग (ए)+(बी)+(सी)							

Format for Transmission

Name of Transmission Licensee

प्रपत्र 7

उनमुक्त अभिगमन संबंधी प्रभार

राशि करोड़ रू0 में

क्रम सं0	विवरण	पूर्व वर्ष (n-1)	वर्तमान वर्ष(n)			आगामीवर्ष(n+1)	आगामीवर्ष(n+2)	आगामी वर्ष (n +3)
		(वास्तविक संपरीक्षित)	अप्रैल – सित. (वास्तविक)	अक्टू. –मार्च (आकलित)	योग (अप्रैल – मार्च)	प्रक्षेपित	प्रक्षेपित	प्रक्षेपित
1	ग्रिड समर्थन प्रभार							
2	रिएक्टिव ऊर्जा ड्रउल प्रभार							
3	अनुसूचीकरण व प्रणाली प्रचलन प्रभार							
4	अर्न्तराज्यीय पारेषण प्रभार (उन्मुक्त अभिगमन उपभोक्ताओं के लिये)							
5	हैंडलिंग व सेवा प्रभार							
6	आयोग द्वारा अनुमोदित कोई अन्य उदग्रहण;(Levies)							
	योग							

Format for Transmission

	परेषण अनुज्ञापी का नाम												
	प्रपत्र 8												
	प्रचलन एवं अनुरक्षण व्यय												करोड़ रूपये में
क्रम सं0	विवरण	पूर्व वर्ष (n-6)	पूर्व वर्ष (n-5)	पूर्व वर्ष (n-4)	पूर्व वर्ष (n-3)	पूर्व वर्ष (n-2)	पूर्व वर्ष (n-1)	वर्तमान वर्ष(n)			आगामीवर्ष(n+1)	आगामीवर्ष(n+2)	आगामी वर्ष (n +3)
		(वास्तविक / संपरीक्षित)	(वास्तविक / संपरीक्षित)	(वास्तविक / संपरीक्षित)	(वास्तविक / संपरीक्षित)	(वास्तविक / संपरीक्षित)	(वास्तविक / संपरीक्षित)	अप्रैल – सित. (वास्तविक)	अक्टू. –मार्च (आकलित)	योग (अप्रैल – मार्च)	प्रक्षेपित	प्रक्षेपित	प्रक्षेपित
1	कर्मचारी व्यय												
2	प्रशासनिक एवं साममान्य लागतें												
3	मरम्मत एवं रखरखाव व्यय												
	उप – योग (1से 3)												

Format for Transmission

Name of Transmission Licensee

प्रपत्र 8.1

कर्मचारी व्यय

करोड़ रुपये में

	क्रम सं0	विवरण	पूर्व वर्ष (n-6)	पूर्व वर्ष (n-5)	पूर्व वर्ष (n-4)	पूर्व वर्ष (n-3)	पूर्व वर्ष (n-2)	पूर्व वर्ष (n-1)	वर्तमान वर्ष(n)			आगामीवर्ष(n+1)	आगामीवर्ष(n+2)	आगामी वर्ष (n +3)	टिप्पणी
			(वास्तविक / संपरीक्षित)	(वास्तविक / संपरीक्षित)	(वास्तविक / संपरीक्षित)	(वास्तविक / संपरीक्षित)	(वास्तविक / संपरीक्षित)	(वास्तविक / संपरीक्षित)	अप्रैल – सित. (वास्तविक)	अक्टू –मार्च (आकलित)	योग (अप्रैल – मार्च)	प्रक्षेपित	प्रक्षेपित	प्रक्षेपित	
ए		कर्मचारी लागत (सी व डी में लिये गये से अन्यथा)													
	1	वेतन													
	2	अतिरिक्त वेतन / महंगाई भत्ता (डीए)													
	3	अन्य भत्ते व राहत													
	4	अन्तरिम राहत / मजदूरी संशोधन													
	5	मानदेय / ओवर टाईम													
	6	सांविधिक बोनस / एक्स ग्रेशिया													
		उप–योग													
बी		अन्य लागतें													
	1	चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति													
	2	यात्रा भत्ता (यातायात भत्ता)													
	3	अवकाश यात्रा सहायता													
	4	अर्जित अवकाश भुगतान													
	5	कर्मकार प्रतिकार व अनुग्रह धन के अधीन भुगतान													
	6	कर्मचारियों को सहायता प्राप्त विद्युत													
	7	कोई अन्य मद													
	8	स्टाफ कल्याण व्यय													
		उप–योग													
सी		शिशिक्षु व अन्य प्रशिक्षण व्यय													
डी		सेवांत लाभों का अंशदान													
	1	भविष्य निधि अंशदान													
	2	भविष्य निधि हेतु प्राविधान													
	3	कोई अन्य मद													
		योग सी													
ई		कुल योग													
एफ		कर्मचारी व्यय पूंजीकृत													
जी		शुद्ध कर्मचारी व्यय (ई) –(एफ)													

Format for Transmission

Name of Transmission Licensee

प्रपत्र 8.1

कर्मचारी व्यय

करोड़ रुपये में

क्रम सं0	विवरण	पूर्व वर्ष (n-6)	पूर्व वर्ष (n-5)	पूर्व वर्ष (n-4)	पूर्व वर्ष (n-3)	पूर्व वर्ष (n-2)	पूर्व वर्ष (n-1)	वर्तमान वर्ष(n)			आगामीवर्ष(n+1)	आगामीवर्ष(n+2)	आगामी वर्ष (n +3)	टिप्पणी
		(वास्तविक / संपरीक्षित)	(वास्तविक / संपरीक्षित)	(वास्तविक / संपरीक्षित)	(वास्तविक / संपरीक्षित)	(वास्तविक / संपरीक्षित)	(वास्तविक / संपरीक्षित)	अप्रैल – सित. (वास्तविक)	अक्टू –मार्च (आकलित)	योग (अप्रैल – मार्च)	प्रक्षेपित	प्रक्षेपित	प्रक्षेपित	

बी. कर्मचारियों की संख्या

क्रम सं0	विवरण	पूर्व वर्ष (n-6)	पूर्व वर्ष (n-5)	पूर्व वर्ष (n-4)	पूर्व वर्ष (n-3)	पूर्व वर्ष (n-2)	पूर्व वर्ष (n-1)	वर्तमान वर्ष(n)			आगामीवर्ष(n+1)	आगामीवर्ष(n+2)	आगामी वर्ष (n +3)	टिप्पणी
		वास्तविक / संपरीक्षित	वास्तविक / संपरीक्षित	वास्तविक / संपरीक्षित	वास्तविक / संपरीक्षित	वास्तविक / संपरीक्षित	वास्तविक / संपरीक्षित	अप्रैल – सित. (वास्तविक)	अक्टू –मार्च (आकलित)	योग (अप्रैल – मार्च)	प्रक्षेपित	प्रक्षेपित	प्रक्षेपित	
1	अधिकारी / प्रबंधक संवर्ग													
1	तकनीकी													
2	प्रशासकीय													
3	लेखा एवं वित्त													
4	अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें)													
ख	स्टाफ संवर्ग													
5	तकनीकी													
5.1	श्रेणी–1													
5.2	श्रेणी– 2													
5.3	श्रेणी– 3													
5.4	श्रेणी– 4													
6	प्रशासकीय													
6.1	श्रेणी–1													
6.2	श्रेणी– 2													
6.3	श्रेणी– 3													
6.4	श्रेणी– 4													
7	लेखा एवं वित्त													
7.1	श्रेणी–1													
7.2	श्रेणी– 2													
7.3	श्रेणी– 3													
7.4	श्रेणी– 4													
8	अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें)													
8.1	श्रेणी–1													
8.2	श्रेणी– 2													
8.3	श्रेणी– 3													
8.4	श्रेणी– 4													
	कुल कर्मचारी													

Format for Transmission

Name of Transmission Licensee

प्रपत्र 8.2

मरम्मत एवं रखरखाव व्यय

करोड़ रुपये में

क्रम सं०	विवरण	पूर्व वर्ष (n-6) (वास्तविक / संपरीक्षित)	पूर्व वर्ष (n-5) (वास्तविक / संपरीक्षित)	पूर्व वर्ष (n-4) (वास्तविक / संपरीक्षित)	पूर्व वर्ष (n-3) (वास्तविक / संपरीक्षित)	पूर्व वर्ष (n-2) (वास्तविक / संपरीक्षित)	पूर्व वर्ष (n-1) (वास्तविक / संपरीक्षित)	वर्तमान वर्ष(n) अप्रैल – सित.	वर्तमान वर्ष(n) अक्टू.–मार्च (आकलित)	वर्तमान वर्ष(n) योग (अप्रैल – मार्च)	आगामीवर्ष(n+1) प्रक्षेपित	आगामीवर्ष(n+2) प्रक्षेपित	आगामी वर्ष (n +3) प्रक्षेपित	टिप्पणी
1	संयंत्र एवं मशीनरी													
2	भवन													
3	सिविल कार्य													
4	हायड्रौलिक कार्य													
5	लाईन्स, केबल नेट वर्क्स इत्यादि													
6	वाहन													
7	फर्नीचर एवं फिक्सचर्स													
8	कार्यालय उपकरण													
9	स्टेशन आपूर्ति													
10	आर एंड एम प्रभारों को अन्य क्रेडिट्स													
	योग (1से10)													

Format for Transmission

Name of Transmission Licensee ____________

प्रपत्र 8.3

प्रशासकीय एवं सामान्य व्यय

धनराशि (रू० करोड़ में)

क्रम सं०	विवरण	पूर्व वर्ष (n-6) (वास्तविक / संपरीक्षित)	पूर्व वर्ष (n-5) (वास्तविक / संपरीक्षित)	पूर्व वर्ष (n-4) (वास्तविक / संपरीक्षित)	पूर्व वर्ष (n-3) (वास्तविक / संपरीक्षित)	पूर्व वर्ष (n-2) (वास्तविक / संपरीक्षित)	पूर्व वर्ष (n-1) (वास्तविक / संपरीक्षित)	वर्तमान वर्ष(n) अप्रैल – सित.	वर्तमान वर्ष(n) अक्टू. –मार्च (आकलित)	वर्तमान वर्ष(n) योग (अप्रैल – मार्च)	आगामीवर्ष(n+1) प्रक्षेपित	आगामीवर्ष(n+2) प्रक्षेपित	आगामी वर्ष (n +3) प्रक्षेपित	टिप्पणी
A	प्रशासकीय व्यय													
1	किराया दरें व कर													
	पट्टा/किराया													
	दरें व कर													
2	बीमा													
3	राजस्व स्टाम्प व्यय लेखा													
4	टेलीफोन													
5	कर्मचारियों/बाहरी व्यक्तियों को प्रोत्साहन													
6	परामर्श प्रभार													
7	तकनीकी फीस													
8	अन्य वृत्तिक प्रभार													
9	यातायात व यात्रा													
10	अनुज्ञप्ति व रजिस्ट्रेशन फीस — संयंत्र व मशीनरी की													
	अनुज्ञप्ति व रजिस्ट्रेशन फीस — वाहन की													
11	वाहन व्यय (ट्रक व डिलीवर वैन्स से अन्यथा) — वाहन चालन व्यय पेट्रोल व ईंधन													
	वाहन व्यय (ट्रक व डिलीवर वैन्स से अन्यथा) — वाहनों का किराया													
12	बाहरी अभिकरण को संदाद सुरक्षा /सेवा प्रभार													
	उप–योग 'ए' (1से12)													
B	अन्य प्रभार													
1	पुस्तकों व पत्रिकाओं की ग्राहकी													
2	छपाई एवं लेखन सामग्री													
3	विज्ञापन व्यय (क्रय से संबंधित से अन्यथा) प्रदर्शनी इत्यादि													
4	बाहरी संस्थाओं/संगठनों को अंश दान/ दान													
5	कार्यालयों को विद्युत प्रभार													
6	जल प्रभार													
7	मनोरंजन प्रभार													
8	विविध व्यय													
	उप–योग 'बी' (1से 8)													
C	विधिक प्रभार													
D	लेखा परीक्षक की फीस													
E	सामग्री संबंधी व्यय													
1	पूंजीगत उपकरणों पर भाड़ा													
2	क्रय संबंधी विज्ञापन व्यय													
3	वाहन चालन एवं किराया व्यय (ट्रक/डिलीवरी वैन)													
4	अन्य भाड़ा													
5	अभिवहन बीमा													
6	चुंगी													
7	आकस्मिक स्टोर्स व्यय													
8	पैकिंग/केजिंग व्यय													
	उप–योग ई (1से 8)													
F	कुल योग (एसे ई)													
G	ए एंड जी व्यय पूंजीकृत													
H	शुद्ध ए एंड जी व्यय (एफ –जी)													

Format for Transmission

Name of Transmission Licensee

प्रपत्र 9.1

कुल सकल स्थिर आस्ति का विवरण

पूर्व वर्ष (n-1)

करोड़ रूपये में

आस्तियों का विवरण	आरंभिक अतिशेष	वर्ष की अवधि में परिवर्धन	वर्ष की अवधि में आस्तियों का सेवांत	अंत अतिशेष
ए) भूमि				
बी) भवन				
सी) इसी प्रकार आगे (विनियमों में दिये गये वर्गीकरण के अनुसार)				
योग				

वर्तमान वर्ष (n)

करोड़ रूपये में

आस्तियों का विवरण	आरंभिक अतिशेष	वर्ष की अवधि में आस्तियों का परिवर्धन		वर्ष की अवधि में आस्तियों का सेवांत	
		अप्रैल – सित. (वास्तविक)	अक्टू. –मार्च (आकलित)	अप्रैल– सित. (वास्तविक)	अक्टू. –मार्च (आकलित)
ए) भूमि					
बी) भवन					
सी) इसी प्रकार आगे (विनियमों में दिये गये वर्गीकरण के अनुसार)					
योग					

Format for Transmission

प्रपत्र 9.1

कुल सकल स्थिर आस्ति का विवरण

आगामी वर्ष (n +1)

करोड़ रुपये में

आस्तियों का विवरण	आरंभिक अतिशेष	वर्ष की अवधि में परिवर्धन	वर्ष की अवधि में आस्तियों का सेवांत	अंत अतिशेष
बी) भवन				
सी) इसी प्रकार आगे (विनियमों में दिये गये वर्गीकरण के अनुसार)				
योग				

आगामी वर्ष (n +2)

करोड़ रुपये में

	आरंभिक अतिशेष	वर्ष की अवधि में परिवर्धन	वर्ष की अवधि में आस्तियों का सेवांत	अंत अतिशेष
ए) भूमि				
बी) भवन				
सी) इसी प्रकार आगे (विनियमों में दिये गये वर्गीकरण के अनुसार)				
योग				

आगामी वर्ष (n +3)

करोड़ रुपये में

आस्तियों का विवरण	आरंभिक अतिशेष	वर्ष की अवधि में परिवर्धन	वर्ष की अवधि में आस्तियों का सेवांत	अंत अतिशेष
बी) भवन				
सी) इसी प्रकार आगे (विनियमों में दिये गये वर्गीकरण के अनुसार)				
योग				

Format for Transmission

Name of Transmission Licensee ____________

प्रपत्र 9.2

पूंजीगत आस्तियों की लागत के लिये जमा कार्य व अनुदान/सहायिकियां

करोड़ रूपये में

क्रम सं0	विवरण	पूर्व वर्ष (n-1)			वर्तमान वर्ष (n)		आगामी वर्ष (n +1)		आगामी वर्ष (n +2)		आगामी वर्ष (n +3)	
		वर्ष के आरम्भ में अतिशेष	वर्ष की अवधि में परिवर्धन	वर्ष के अंत में अतिशेष	वर्ष की अवधि में परिवर्धन	वर्ष के अंत में अतिशेष	वर्ष की अवधि में परिवर्धन	वर्ष के अंत में अतिशेष	वर्ष की अवधि में परिवर्धन	वर्ष के अंत में अतिशेष	वर्ष की अवधि में परिवर्धन	वर्ष के अंत में अतिशेष
1	पूंजीगत आस्तियों की लागत के लिये उपभोक्ता अंशदान/जमा कार्य											
2	पूंजीगत आस्तियों की लागत के लिये अनुदान /सहायिकियां											
	योग											

Format for Trans

Name of Transmission Licensee

प्रपत्र 9.3

जमा कार्यों/पूंजी सहायिकी/अनुदान के माध्यम से निधि पोषित जी एफ ए का विवरण

पूर्व वर्ष (n-1)

करोड़ रूपये में

आस्तियों का विवरण	आरंभिक अतिशेष	वर्ष की अवधि में परिवर्धन	वर्ष की अवधि में आस्तियों का सेवांत	अंत अतिशेष
बी) भवन				
सी) मुख्य सिविल कार्य				
डी) संयंत्र एवं मशीनरी				
ई) लाईन्स व केबल नेटवर्क				
एफ) वाहन				
जी) फर्नीचर्स व फिक्चर्स				
एच) कार्यालय उपकरण व अन्य मदें				
योग				

वर्तमान वर्ष (n)

करोड़ रूपये में

आस्तियों का विवरण	आरंभिक अतिशेष	वर्ष की अवधि में आस्तियों का परिवर्धन		वर्ष की अवधि में आस्तियों का सेवांत		अंत अतिशेष
		अप्रैल – सित. (वास्तविक)	अक्टू. –मार्च (आकलित)	अप्रैल– सित. (वास्तविक)	अक्टू –मार्च (आकलित)	
ए) भूमि						
बी) भवन						
सी) मुख्य सिविल कार्य						
डी) संयंत्र एवं मशीनरी						
ई) लाईन्स व केबल नेटवर्क						
एफ) वाहन						
जी) फर्नीचर्स व फिक्चर्स						
एच) कार्यालय उपकरण व अन्य मदें						
योग						

Format for Transit

प्रपत्र 9.3

जमा कार्यों/पूंजी सहायिकी/अनुदान के माध्यम से निधि पोषित जी एफ ए का विवरण

आगामी वर्ष (n +1) — करोड़ रूपये मे

आस्तियों का विवरण	आरंभिक अतिशेष	वर्ष की अवधि में परिवर्धन	वर्ष की अवधि में आस्तियों का सेवांत	अंत अतिशेष
बी) भवन				
सी) मुख्य सिविल कार्य				
डी) संयंत्र एवं मशीनरी				
ई) लाईन्स व केबल नेटवर्क				
एफ) वाहन				
जी) फर्नीचर्स व फिक्चर्स				
एच) कार्यालय उपकरण व अन्य मदें				
योग				

आगामी वर्ष (n +2) — करोड़ रूपये में

आस्तियों का विवरण	आरंभिक अतिशेष	वर्ष की अवधि में परिवर्धन	वर्ष की अवधि में आस्तियों का सेवांत	अंत अतिशेष
बी) भवन				
सी) मुख्य सिविल कार्य				
डी) संयंत्र एवं मशीनरी				
ई) लाईन्स व केबल नेटवर्क				
एफ) वाहन				
जी) फर्नीचर्स व फिक्चर्स				
एच) कार्यालय उपकरण व अन्य मदें				
योग				

आगामी वर्ष (n +3) — करोड़ रूपये में

आस्तियों का विवरण	आरंभिक अतिशेष	वर्ष की अवधि में परिवर्धन	वर्ष की अवधि में आस्तियों का सेवांत	अंत अतिशेष
बी) भवन				
सी) मुख्य सिविल कार्य				
डी) संयंत्र एवं मशीनरी				
ई) लाईन्स व केबल नेटवर्क				
एफ) वाहन				
जी) फर्नीचर्स व फिक्चर्स				
एच) कार्यालय उपकरण व अन्य मदें				
योग				

Format for Transmission

Name of Transmission Licensee

प्रपत्र 9.4

जमा कार्यों/पूंजी सहायिकी/अनुदान के माध्यम से निधि पोषित आस्तियों से अन्यथा जी एफ ए का विवरण

पूर्व वर्ष (n-1)

करोड़ रूपये में

आस्तियों का विवरण	आरंभिक अतिशेष	वर्ष की अवधि में परिवर्धन	वर्ष की अवधि में आस्तियों का सेवांत	अंत अतिशेष
बी) भवन				
सी) मुख्य सिविल कार्य				
डी) संयंत्र एवं मशीनरी				
ई) लाईन्स व केबल नेटवर्क				
एफ) वाहन				
जी) फर्नीचर्स व फिक्चर्स				
एच) कार्यालय उपकरण व अन्य मदें				
योग				

वर्तमान वर्ष (n)

करोड़ रूपये में

आस्तियों का विवरण	आरंभिक अतिशेष	वर्ष की अवधि में आस्तियों का परिवर्धन		वर्ष की अवधि में आस्तियों का सेवांत		अंत अतिशेष
		अप्रैल – सित. (वास्तविक)	अक्टू –मार्च (आकलित)	अप्रैल– सित. (वास्तविक)	अक्टू –मार्च (आकलित)	
ए) भूमि						
बी) भवन						
सी) मुख्य सिविल कार्य						
डी) संयंत्र एवं मशीनरी						
ई) लाईन्स व केबल नेटवर्क						
एफ) वाहन						
जी) फर्नीचर्स व फिक्चर्स						
एच) कार्यालय उपकरण व अन्य मदें						
योग						

आगामी वर्ष (n +1)

करोड़ रूपये में

आस्तियों का विवरण	आरंभिक अतिशेष	वर्ष की अवधि में परिवर्धन	वर्ष की अवधि में आस्तियों का सेवांत	अंत अतिशेष
बी) भवन				
सी) मुख्य सिविल कार्य				
डी) संयंत्र एवं मशीनरी				
ई) लाईन्स व केबल नेटवर्क				
एफ) वाहन				
जी) फर्नीचर्स व फिक्चर्स				
एच) कार्यालय उपकरण व अन्य मदें				
योग				

Format for Transmission

प्रपत्र 9.4

जमा कार्यों/पूंजी सहायिकी/अनुदान के माध्यम से निधि पोषित आस्तियों से अन्यथा जी एफ ए का विवरण

आगामी वर्ष (n +2)

करोड़ रूपये में

आस्तियों का विवरण	आरंभिक अतिशेष	वर्ष की अवधि में परिवर्धन	वर्ष की अवधि में आस्तियों का सेवांत	अंत अतिशेष
बी) भवन				
सी) मुख्य सिविल कार्य				
डी) संयंत्र एवं मशीनरी				
ई) लाईन्स व केबल नेटवर्क				
एफ) वाहन				
जी) फर्नीचर्स व फिक्चर्स				
एच) कार्यालय उपकरण व अन्य मदें				
योग				

आगामी वर्ष (n +3)

करोड़ रूपये में

आस्तियों का विवरण	आरंभिक अतिशेष	वर्ष की अवधि में परिवर्धन	वर्ष की अवधि में आस्तियों का सेवांत	अंत अतिशेष
बी) भवन				
सी) मुख्य सिविल कार्य				
डी) संयंत्र एवं मशीनरी				
ई) लाईन्स व केबल नेटवर्क				
एफ) वाहन				
जी) फर्नीचर्स व फिक्चर्स				
एच) कार्यालय उपकरण व अन्य मदें				
योग				

Format for Transmission

प्रपत्र 10.1

आस्तिवार अवक्षय का विवरण

पूर्व वर्ष (n-1)

करोड़ रूपये में

आस्तियों का विवरण	अवक्षय की दर % में	वर्ष के आरंभ पर संचयी अवक्षय	वर्ष हेतु उपबंधित अवक्षय	वर्ष की अवधि में निकासी	वर्ष के अंत पर संचयी अवक्षय का अतिशेष
बी) भवन					
सी) इसी तरह आबे विनियमों में दिये गये वर्गीकरण के अनुसार					
योग					

वर्तमान वर्ष (n)

करोड़ रूपये में

आस्तियों का विवरण	अवक्षय की दर % में	वर्ष के आरंभ पर संचयी अवक्षय	वर्ष हेतु उपबंधित अवक्षय		वर्ष की अवधि में निकासी		वर्ष के अंत पर संचयी अवक्षय का अतिशेष
			अप्रैल – सित. (वास्तविक)	अक्टू. –मार्च (आकलित)	अप्रैल – सित. (वास्तविक)	अक्टू. –मार्च (आकलित)	
ए) भूमि							
बी) भवन							
सी) इसी तरह आबे विनियमों में दिये गये वर्गीकरण के अनुसार							
योग							

आगामी वर्ष (n +1)

करोड़ रूपये में

आस्तियों का विवरण	अवक्षय की दर % में	वर्ष के आरंभ पर संचयी अवक्षय	वर्ष हेतु उपबंधित अवक्षय	वर्ष की अवधि में निकासी	वर्ष के अंत पर संचयी अवक्षय का अतिशेष
बी) भवन					
सी) इसी तरह आबे विनियमों में दिये गये वर्गीकरण के अनुसार					
योग					

Format for Transmission

प्रपत्र 10.1							
आस्तिवार अवक्षय का विवरण							
आगामी वर्ष (n +2)					करोड़ रुपये में		
आस्तियों का विवरण	अवक्षय की दर % में	वर्ष के आरंभ पर संचयी अवक्षय	वर्ष हेतु उपबंधित अवक्षय	वर्ष की अवधि में निकासी	वर्ष के अंत पर संचयी अवक्षय का अतिशेष		
बी) भवन							
सी) इसी तरह आगे विनियमों में दिये गये वर्गीकरण के अनुसार							
योग							
आगामी वर्ष (n +3)					करोड़ रुपये में		
आस्तियों का विवरण	अवक्षय की दर % में	वर्ष के आरंभ पर संचयी अवक्षय	वर्ष हेतु उपबंधित अवक्षय	वर्ष की अवधि में निकासी	वर्ष के अंत पर संचयी अवक्षय का अतिशेष		
बी) भवन							
सी) इसी तरह आगे विनियमों में दिये गये वर्गीकरण के अनुसार							
योग							

Format for Transmission

Name of Transmission Licensee

प्रपत्र 10.2

अवक्षय का विवरण

करोड़ रूपये में

वित्त वर्ष	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
पूंजी लागत पर अवक्षय																
अतिरिक्त पूंजीकरण पर अवक्षय																
अतिरिक्त पूंजीकरण की राशि																
अवक्षय राशि																
एफ ई आर वी का विवरण																
एफ ई आर वी की राशि जिस पर अवक्षय प्रभारित किया जाता है																
अवक्षय राशि																
वर्ष के दौरान वसूल किया गया अवक्षय																
वर्ष के दौरान वसूल किया गया अवक्षय के समक्ष अग्रिम																
वर्ष के दौरान वसूल किया गया अवक्षय व अवक्षय के समक्ष अग्रिम																
वर्ष तक वसूल किया गया सकल अवक्षय व अवक्षय के समक्ष अग्रिम																

Format for Transmission

Name of Transmission Licensee

प्रपत्र 11.1

पूंजीगत व्यय का विवरण

राशि (करोड़ रू0 में)

विवरण	वर्तमान वर्ष (n)		टिप्पणी +	आगामीवर्ष(n+1)	आगामीवर्ष(n+2)	आगामी वर्ष (n +3)	टिप्पणी +	सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित कुल व्यय	वास्तव में उपगत कुल व्यय	टिप्पणी ++
	अक्टू –मार्च (आकलित)	अप्रैल – मार्च (योग)		प्रक्षेपित	प्रक्षेपित	प्रक्षेपित				
ए) व्यय विवरण										
ए) भूमि										
बी) भवन										
सी) मुख्य सिविल कार्य										
डी) संयंत्र एवं मशीनरी										
ई) लाइन्स व केवल नेटवर्क										
एफ) वाहन										
जी) फर्नीचर व फिक्चर्स										
एच) कार्यालय उपकरण एवं अन्य मदें										
योग (ए)										
बी) वित्त पोषण के स्रोतों का ब्योरा										
रूपया आवधिक ऋण										
ऋण 1										
ऋण 2										
....										
विदेशी मुद्रा ऋण										
ऋण 1										
ऋण 2										
....										
इक्विटी										
रूपये में										
विदेशी मुद्रा में										
अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें)										
योग (बी)										

नोट

1) जहां कहीं ब्योरा अपेक्षित व आवश्यक हो वहां यह संबंधित दस्तावेजों के साथ ऋण व इक्विटी वित्त पोषण के संबंध में दिया जाये।

2) प्रत्येक योजना इसके घटकों तथा वित्त पोषण योजना के संबंध में, सक्षम अधिकारी से अनुमोदन की प्रतियां (यदि अपेक्षित हो) प्रस्तुत की जाये।

3) टिप्पणी + :– यदि वर्तमान वर्ष की अवधि में वास्तविक व्यय,यूई आरसी या किसी अन्य प्राधिकृत अभिकरण द्वारा अनुमोदित से भिन्न अपेक्षित हो तो विचलन के कारणों को स्पष्ट करें।

4) टिप्पणी ++ :– यदि कुल वास्तविक व्यय यू ई आर सी या प्राधिकृत अभिकरण द्वारा अनुमोदित से भिन्न हो तो विचलन के कारणों को स्पष्ट करें।

Format for Transmission

Name of Transmission Licensee________________

प्रपत्र 11.2

पूंजीगत प्रगति अधीन कार्यों का विवरण

क्रम सं0	विवरण	पूर्व वर्ष (n-1)	वर्तमान वर्ष (n)			आगामीवर्ष(n+1)	आगामीवर्ष(n+2)	आगामी वर्ष (n +3)	टिप्पणी
		(वास्तविक/ संपरीक्षित)	अप्रैल – सित. (वास्तविक)	अक्टू. –मार्च (आकलित)	योग (अप्रैल – मार्च)	प्रक्षेपित	प्रक्षेपित	प्रक्षेपित	
1	सी डब्ल्यू आई पी का आरम्भिक अतिशेष								
2	*जोड़ कर : नयें निवेश*								
	पूंजीगत व्यय								
	व्यय पूंजीकृत								
	निर्माण की अवधि में व्यय								
3	*घटा कर : निवेश पूंजीकृत*								
4	सी डब्ल्यू आई पी का अंत अतिशेष								

Format for Transmission

Name of Transmission Licensee	______________			
प्रपत्र 11.3				
पूंजीगत व्यय एवं नयींयोजनाओं के पूर्ण होने की अनुसूची का विवरण				
लाईन/ उप स्टेशन का नाम				
		राशि		
पूंजी लागत				
पूंजी लागत आकलन हेतु मानी गयी विदेशी मुद्रा दर				
लागत विवरण		राशि	विनिमय दर	राशि (करोड़ रू0 में)
ए) मूल लागत				
विदेशी घटक (विदेशी मुद्रा में)				
घरेलू घटक				
कुल मूल लागत	ए			
बी) आई डी सी एवं एफ सी				
विदेशी घटक (विदेशी मुद्रा में)				
भारतीय घटक				
कुल आई डी सी एवं एफ सी	बी			
सी) कुल लागत (आई डी सी एवं एफ सी सहित)	सी= (ए+बी)			

Format for Transmission

Name of Transmission Licensee ____________

प्रपत्र 11.4

नयी योजनाओं के लिए योजनावार पूंजी व्यय का ब्योरा

लाईन– उप स्टेशन का नाम

राशि करोड़ रू0 में

विवरण	सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित कुल व्यय	पूर्व वर्ष (n-1)	वर्तमान वर्ष (n)		वर्तमान वर्ष तक उपगत कुल व्यय	अनुमोदित योजना के अनुसार वर्तमान वर्ष तक उपगत समझे जाने वाले कुल व्यय	स्तंभ 6 व 7 के मध्य अंतर	टिप्पणी +	आगामीवर्ष (n+1)	आगामीवर्ष (n+2)	आगामी वर्ष (n +3)
		वास्तव में उपगत कुल व्यय	अप्रैल – सित. (वास्तविक)	अक्टू –मार्च (आकलित)							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ए) व्यय विवरण											
ए) भूमि											
बी) भवन											
सी) मुख्य सिविल कार्य											
डी) संयंत्र एवं मशीनरी											
ई) लाइन्स व केबल नेटवर्क											
एफ) वाहन											
जी) फर्नीचर व फिक्चर्स											
एच) कार्यालय उपकरण एवं अन्य मदें											
योग (ए)											
बी) वित्त पोषण के स्रोतों का ब्योरा											
ए) ऋण / उधार											
बी) इक्विटी											
सी) अन्य (कृप्या विनिर्दिष्ट करें)											
योग (बी)											

नोट :

i) टिप्पणी + : 6 व 7 के मध्य अंतर के कारणों को स्पष्ट करें।

Format for Transmission

Name of Transmission ____________

प्रपत्र 12

आई डी सी परिकलन हेतु ड्रॉ डाउन अनुसूची

राशि करोड़ रू0 में

क्रम सं0	ड्रा डउन	तिमाही 1			तिमाही 2			तिमाही n पूर्णता व ऊर्जाकरण की तिमाही		
	विवरण	विदेशी मुद्रा में मात्रा	ड्रा डउन की तिथि पर विनिमय दर	भारतीय रूपये में राशि	विदेशी मुद्रा में मात्रा	ड्रा डउन की तिथि पर विनिमय दर	भारतीय रूपये में राशि	विदेशी मुद्रा में मात्रा	ड्रा डउन की तिथि पर विनिमय दर	भारतीय रूपये में राशि
1	ऋण									
1.1	विदेशी ऋण									
1.1.1	विदेशी ऋण–1									
	ड्रा डउन राशि									
	आई डी सी									
	वित्त पोषण प्रभार									
	एफ ई आर वी									
	प्रतिरक्षा लागत									
1.1.2	विदेशी ऋण–1									
	ड्रा डउन राशि									
	आई डी सी									
	वित्त पोषण प्रभार									
	एफ ई आर वी									
	प्रतिरक्षा लागत									
1.1.n	विदेशी ऋण – n									
	ड्रा डउन राशि									
	आई डी सी									
	वित्त पोषण प्रभार									
	एफ ई आर वी									
	प्रतिरक्षा लागत									
1.1	कुल विदेशी ऋण									
	ड्रा डउन राशि									
	आई डी सी									
	वित्त पोषण प्रभार									
	एफ ई आर वी									
	प्रतिरक्षा लागत									

Format for Transmission

	1.2	**भारतीय ऋण**									
	1.2.1	**भारतीय ऋण –1**									
		ड्रा डउन राशि									
		आई डी सी									
		वित्त पोषण प्रभार									
	1.2.2	**भारतीय ऋण –2**									
		ड्रा डउन राशि									
		आई डी सी									
		वित्त पोषण प्रभार									
	1.2.n	भारतीय ऋण – n									
		ड्रा डउन राशि									
		आई डी सी									
		वित्त पोषण प्रभार									
	1.2	**कुल भारतीय ऋण**									
		ड्रा डउन राशि									
		आई डी सी									
		वित्त पोषण प्रभार									
	1	**कुल आहरित ऋण**									
		आई डी सी									
		वित्त पोषण प्रभार									
		एफ ई आर वी									
		प्रतिरक्षा लागत									
	2	**इक्विटी**									
	2.1	**आहरित विदेशी इक्विटी**									
	2.2	**आहरित भारतीय इक्विटी**									
	2	**कुल परिनियोजित इक्विटी**									

नोट :
1. ऋण व इक्विटी का आहरण, समापन अनुसूची को पूरा करने के लिये तिमाही वार उसकी मात्रा के अनुसार होगा।
2. संगणन हेतु उपयोग की गई पुनः नियत तिथियों सहित लागू ब्याज दरें पृथक रूप से प्रस्तुत की जायेगी।

Format for Transmission

Name of Transmission Licensee

प्रपत्र 13

पूंजी लागत वित्त पोषण संरचना का विवरण

राशि करोड़ रू0 में

वर्षांत मार्च	पूंजीकरण का एफ वाय	पूर्व वर्ष (n-1)	वर्तमान वर्ष(n)			आगामीवर्ष(n+1)	आगामीवर्ष(n+2)	आगामी वर्ष (n +3)	टिप्पणी
		(वास्तविक संपरीक्षित)	अप्रैल —सित. (वास्तविक)	अक्टू. —मार्च (आकलित)	योग (अप्रैल — मार्च)	प्रक्षेपित	प्रक्षेपित	प्रक्षेपित	
मूलपरियोजना वित्तीय मानदंड									
पूंजी लागत *									
वर्ष के दौरान परिवर्धन									
वर्ष के दौरान विलोपन									
सकल पूंजी लागत (ए)									
मूल परियोजना लागत के समक्ष बकाया ऋण									
वर्ष के दौरान जुड़े नयें ऋण									
ऋण उप– योग (बी)									
मूल परियोजना लागत के समक्ष बकाया ऋण									
वर्ष के दौरान जुड़े नयें ऋण									
ऋण उप– योग (सी)									
मूल परियोजना लागत के समक्ष अनुदान									
वर्ष के दौरान परिवर्धन									
अनुदान उप – योग (डी)									
कुल वित्तपोषण (बी+सी+									

नोट :

*i) * अनुमोदित या वास्तविक पूंजी लागत, जो भी कम हो।*

(i) इक्विटी व ऋण, यदि लागू हों तो घरेलू व विदेशी घटकों में विभाजित किये जायेंगे।

Format for Transmission

Name of Transmission Li ____________

प्रपत्र: 14

वित्तीय पैकेज का विवरण

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]											
विदेशी											
ऋण–1											
ऋण –2											
ऋण –3											
ऋण – 4 इत्यादि											
भारतीय											
ऋण –1											
ऋण –2 इत्यादि											
कुल ऋण (ए)											
[illegible]											
विदेशी											
भारतीय											
कुल इक्विटी (बी)											
[illegible]											
विदेशी											
भारतीय											
कुल अनुदान सी)											
कुल वित्त पोषण (ए+बी+सी)											
[illegible]											

नोट:

(1) योजनाओं की पूर्णता के मामले में : योजनाओं की पूर्णता पर ऊर्जाकरण पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत वित्तीय विवरण,समर्थक दस्तावेजों के साथ प्रारुप में प्रस्तुत किये जायेंगे।

(2) उन योजनाओं के मामले में जो अभी पूरी नहीं हुई हैं : वित्तीय पैकेज विवरण , सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदित रूप में समर्थक दस्तावेजों के स.

(3) एफ सी – विदेशी मुद्रा

(4) परियोजना लागत।

Format for Transmission

Name of Transmission Licensee

प्रपत्र 15.1

बकाया ऋणों का विवरण

पूर्व वर्ष (n-1)

राशि करोड़ रू0 में

ऋण अभिकरण (ऋण का स्रोत)	ब्याज की दर (%)	वापसी की अवधि (वर्ष)	वर्ष के आरम्भ में अतिशेष	वर्ष की अवधि में प्राप्त राशि	वर्ष की अवधि में देय मूल	वर्ष की अवधि में वसूल मूल	वर्ष के अंत पर अति देय मूल	वर्ष के अंत पर देय मूल	टिप्पणी
	(वास्तविक संपरीक्षित)	(वास्तविक संपरीक्षित)	(वास्तविक संपरीक्षित)	(वास्तविक संपरीक्षित)	(वास्तविक संपरीक्षित)	(वास्तविक संपरीक्षित)	(वास्तविक संपरीक्षित)	(वास्तविक संपरीक्षित)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(6)-(7)	(9)=(4)+(5)-(6)	(10)
ए) राज्य सरकार से अन्यथा									
ऋण –1 (उधार देने वाले का नाम)									
ऋण –2 (उधार देने वाले का नाम)									
ऋण –3 (उधार देने वाले का नाम) इत्यादि									
उप- योग									
बी) सरकारी ऋण									
प्रकार–1									
प्रकार –2									
प्रकार–3 इत्यादि									
उप–योग (बी)									
उप–योग (ए +बी)									
सी) मानकीय ऋण									
योग (ए+बी+सी+)									

वर्तमान वर्ष (n)

राशि करोड़ रू0 में

ऋण अभिकरण (ऋण का स्रोत)	ब्याज की दर (%)	वापसी की अवधि (वर्ष)	वर्ष के आरम्भ में अतिशेष	वर्ष की अवधि में प्राप्त राशि	वर्ष की अवधि में देय मूल	वर्ष की अवधि में वसूल मूल	वर्ष के अंत पर अति देय मूल	वर्ष के अंत पर देय मूल	टिप्पणी
	आकलित	आकलित	आकलित	आकलित	आकलित	आकलित	आकलित	आकलित	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(6)-(7)	(9)=(4)+(5)-(6)	(10)
ए) राज्य सरकार से अन्यथा									
ऋण –1 (उधार देने वाले का नाम)									
ऋण –2 (उधार देने वाले का नाम)									
ऋण –3 (उधार देने वाले का नाम) इत्यादि									
उप- योग									
बी) सरकारी ऋण									
प्रकार–1									
प्रकार –2									
प्रकार–3 इत्यादि									
उप–योग (बी)									
उप–योग (ए +बी)									
सी) मानकीय ऋण									
योग (ए+बी+सी+)									

आगामी वर्ष (n +1)

राशि करोड़ रू0 में

ऋण अभिकरण (ऋण का स्रोत)	ब्याज की दर (%)	वापसी की अवधि (वर्ष)	वर्ष के आरम्भ में अतिशेष	वर्ष की अवधि में प्राप्त राशि	वर्ष की अवधि में देय मूल	वर्ष की अवधि में वसूल मूल	वर्ष के अंत पर अति देय मूल	वर्ष के अंत पर देय मूल	टिप्पणी
	आकलित	आकलित	आकलित	आकलित	आकलित	आकलित	आकलित	आकलित	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(6)-(7)	(9)=(4)+(5)-(6)	(10)
ए) राज्य सरकार से अन्यथा									
ऋण –1 (उधार देने वाले का नाम)									
ऋण –2 (उधार देने वाले का नाम)									
ऋण –3 (उधार देने वाले का नाम) इत्यादि									
उप- योग									
बी) सरकारी ऋण									
प्रकार–1									
प्रकार –2									
प्रकार–3 इत्यादि									
उप–योग (बी)									
उप–योग (ए +बी)									
सी) मानकीय ऋण									
योग (ए+बी+सी+)									

Format for Transmission

आगामी वर्ष (n +2)

राशि करोड़ रू0 में :

ऋण अभिकरण (ऋण का स्रोत)	ब्याज की दर (%)	वापसी की अवधि (वर्ष)	वर्ष के आरम्भ में अतिशेष	वर्ष की अवधि में प्राप्त राशि	वर्ष की अवधि में देय मूल	वर्ष की अवधि में वसूल मूल	वर्ष के अंत पर अति देय मूल	वर्ष के अंत पर देय मूल	टिप्पणी
	आकलित	आकलित	आकलित	आकलित	आकलित	आकलित	आकलित	आकलित	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(6)-(7)	(9)=(4) +(5)-(6)	(10)
ए) राज्य सरकार से अन्यथा									
ऋण –1 (उधार देने वाले का नाम)									
ऋण –2 (उधार देने वाले का नाम)									
ऋण –3 (उधार देने वाले का नाम) इत्यादि									
उप– योग									
बी) सरकारी ऋण									
प्रकार–1									
प्रकार –2									
प्रकार–3 इत्यादि									
उप–योग (बी)									
उप–योग (ए +बी)									
सी) मानकीय ऋण									
योग (ए+बी+सी+)									

आगामी वर्ष (n +3)

राशि करोड़ रू0 में

ऋण अभिकरण (ऋण का स्रोत)	ब्याज की दर (%)	वापसी की अवधि (वर्ष)	वर्ष के आरम्भ में अतिशेष	वर्ष की अवधि में प्राप्त राशि	वर्ष की अवधि में देय मूल	वर्ष की अवधि में वसूल मूल	वर्ष के अंत पर अति देय मूल	वर्ष के अंत पर देय मूल	टिप्पणी
	आकलित	आकलित	आकलित	आकलित	आकलित	आकलित	आकलित	आकलित	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(6)-(7)	(9)=(4)+(5)-(6)	(10)
ए) राज्य सरकार से अन्यथा									
ऋण –1 (उधार देने वाले का नाम)									
ऋण –2 (उधार देने वाले का नाम)									
ऋण –3 (उधार देने वाले का नाम) इत्यादि									
उप– योग									
बी) सरकारी ऋण									
प्रकार–1									
प्रकार –2									
प्रकार–3 इत्यादि									
उप–योग (बी)									
उप–योग (ए +बी)									
सी) मानकीय ऋण									
योग (ए+बी+सी+)									

i) यदि किसी ऋण का पुन: अनुसूचीकरण किया गया है तो पुन:अनुसूची कारण के निर्धारण इसकी रूप रेखा के साथ उधार देने वाले से एक पत्र की प्रति के साथ एक संलग्नक के माध्यम से स्पष्ट रूप से विनिर्दिष्ट किये जायें।

(i) कोई ऋण जो किसी विशिष्ट योजना को आवंटित न किया गया हो तथा किसी अनुमोदित वित्तीय पैकेज का भाग न हो कारणों सहित पृथक रूप से प्रदर्शित किया जाये।

(ii) मूल वित्त पोषण योजना तथा इसके अनुसार सकल भुगतान प्रत्येक ऋण हेतु रेखांकित किया जाये

iv) वर्तमान वर्ष के लिये पहले से आहरित ऋण तथा वर्ष के अन्त तक आहरण हेतु प्रस्तावित पृथक रूप से दर्शाये जायें।

v) वर्तमान या किसी नये उधार दाता से लिये ऋणों के रूप में पृथक रूप से चिह्नित किया जाये।

vi) विदेशी मुद्रा ऋणों के मामले में मुद्रा के नाम के साथ, उधार ली गई मुद्रा में डाटा उपलब्ध कराया जाये।

Format for Transmission

Name of Transmission Licensee

प्रपत्र 15.2

वास्तविक ऋणों पर ब्याज की भारित औसत ब्याज दर का परिकलन *

राशि करोड़ रू0 में

क्रम सं0	विवरण	पूर्व वर्ष (n-1)	वर्तमान वर्ष (n)	आगामीवर्ष(n+1) प्रक्षेपित	आगामीवर्ष(n+2) प्रक्षेपित	आगामी वर्ष (n +3) प्रक्षेपित
	ऋण 1					
	सकल ऋण – आरम्भिक					
	पूर्व वर्ष तक ऋणों का सकल मुक्तान					
	शुद्ध ऋण – आरम्भिक					
	जोड़ कर : वर्ष के दौरान निकासी (दो)					
	घटा कर : वर्ष में दौरान ऋण की वापसी (दो)					
	शुद्ध ऋण– अन्त में					
	औसत शुद्ध ऋण					
	वार्षिक आधार पर ऋण पर ब्याज की दर					
	ऋण पर ब्याज					
	ऋण 2					
	सकल ऋण – आरम्भिक					
	पूर्व वर्ष तक ऋण का सकल मुक्तान					
	शुद्ध ऋण– आरम्भिक					
	जोड़ कर : वर्ष के दौरान निकासी (या)					
	घटा कर : वर्ष के दौरान ऋण की वापसी (या)					
	द्ध ऋण– अन्त में					
	औसत शुद्ध ऋण					
	वार्षिक आधार पर ऋण पर ब्याज की दर					
	ऋण पर ब्याज					
	ऋण n					
	सकल ऋण – आरम्भिक					
	पूर्व वर्ष तक ऋण का सकल भुगतान					
	शुद्ध ऋण आरम्भिक					
	जोड़कर : वर्ष के दौरान निकासी (या)					
	घटा कर : वर्ष के दौरान ऋण वापसी					
	शुद्ध ऋण– अंत में					
	औसत शुद्ध ऋण					
	वार्षिक आधार पर ऋण पर ब्याज की दर					
	ऋण पर ब्याज की दर					
	कुल ऋण					
	सकल ऋण – आरम्भिक					
	पूर्व वर्ष तक ऋण का सकल भुगतान					
	शुद्ध ऋण आरम्भिक					
	जोड़कर : वर्ष के दौरान निकासी (या)					
	घटा कर : वर्ष के दौरान ऋण वापसी					
	शुद्ध ऋण– अंत में					
	औसत शुद्ध ऋण					
	वार्षिक आधार पर ऋण पर ब्याज की दर					
	ऋण पर ब्याज की दर					
	ऋणों पर ब्याज की भारित औसत दर					

* विदेशी ऋणों के मामले में परिकलन भारतीय रूपये में प्रस्तुत किया जाये तथापि उसी प्रारूप में मूल मुद्रा में परिकलन भी पृथक रूप से प्रस्तुत किया जाये।

Format for Transmission

Name of Transmission Licensee

प्रपत्र 15.3

मानकीय ऋण पर ब्याज का परिकलन

राशि करोड़ रू० में

विवरण	पूर्व वर्ष (n-1)	वर्तमान वर्ष (n)	आगामीवर्ष(n+1)	आगामीवर्ष(n+2)	आगामी वर्ष (n +3)
			प्रक्षेपित	प्रक्षेपित	प्रक्षेपित
सकल मानकीय ऋण – आरम्भिक					
पिछले वर्ष तक मानकीय ऋण का सकल भुगतान					
शुद्ध मानकीय ऋण – आरम्भिक					
वर्ष के दौरान वृद्धि या कमी					
घटा कर : वर्ष के दौरान मानकीय ऋण की वापसी					
शुद्ध मानकीय ऋण – अन्त में					
औसत मानकीय ऋण					
वार्षिक आधार पर कास्तिविक ऋण पर ब्याज की भारित औसत दर					
मानकीय ऋण पर ब्याज					

Format for Transmissio...

Name of Transmission Licensee

प्रपत्र 16

ब्याज एवं वित्त प्रभार

राशि करोड़ रू0 में

क्रम सं0	ऋण विवरण	पूर्व वर्ष(n)	वर्तमान वर्ष (n)			आगामीवर्ष(n+1)	आगामीवर्ष(n+2)	आगामीवर्ष(n +3)
		(वास्तविक संपरीक्षित)	अप्रैल –सित. (वास्तविक)	अक्टू. –मार्च (आकलित)	योग (अप्रैल – मार्च)	प्रक्षेपित	प्रक्षेपित	प्रक्षेपित
ए	राज्य सरकार ऋणों, बॉडस, अग्रिमों पर ब्याज प्रभार							
	राज्य सरकार ऋाण							
1	बॉड्स							
2	विदेशी मुद्रा ऋण/केडिट्स							
3	डिबेन्चर्स							
	उप–योग ए							
बी	राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित एफ एल एस /बैंक्स/ संगठनों से दीर्घावधि ऋणों/केडिट्स पर ब्याज।							
	सक्षित ऋण							
1								
2								
3								
	अरक्षित ऋण							
1								
2								
3								
	उप–योग बी							
सी	मानकीय ऋण							
डी	कुल ब्याज प्रभार (एं+बी+सी)							
ई	परियोजना ऋणों पर वित्त व बैंक प्रभार जारी करने की लागत							
एफ	ब्याज एवं वित्त प्रभार का कुल योग (डी+ई)							
जी	घटा कर : पूंजी लेखे को प्रभारित ब्याज व वित्त प्रभार							
एच	राजस्व लेखा को प्रभारित कुल ब्याज व वित्त प्रभार (एफ–जी)							

Format for Transmission

Name of Transmission Licensee

प्रपत्र 17

कार्यशील पूंजी पर ब्याज का विवरण

क्रम सं0	विवरण	पूर्व वर्ष(n)	वर्तमान वर्ष (n)			आगामीवर्ष(n+1)	आगामीवर्ष(n+2)	आगामीवर्ष(n +3)	टिप्पणी
		(वास्तविक / संपरीक्षित)	अप्रैल –सित. (वास्तविक)	अक्टू –मार्च (आकलित)	योग (अप्रैल – मार्च)	आकलित	आकलित	आकलित	
1	ओ एंड एम व्यय – 1 माह								
2	स्पेयर्स (ओ एंड एम व्ययों का 15%)								
3	प्राप्य – 2 माह								
4	**कुल कार्यशील पूंजी (1+2+3)**								
5	कार्यशील पूंजी ऋण								
6	मानकीय ब्याज दर (%)								
7	कार्यशील पूंजी पर मानकीय ब्याज (5 x 6)								

Format for Transmission

	Name of Transmission Licensee	____________			
	प्रपत्र 18				
	निवेश योजना				
भाग ए : प्रस्तावित पारेषण कार्य					
क्रम सं0	पारेषण लाईन व संबंधित उप – स्टेशन का नाम	लाईन की लंबाई	अनुमानित लागत (करोड़ रू0 में)	पूर्ण होने की अनुसूचित तिथि	पूर्णता कार्यक्रम/ टिप्पणी
1	2	3	4	5	6
I.	400 के वी लाईनें				
1					
2					
3					
	उप – योग (II) (400 के वी लाईनें)				
II.	400 के वी उप स्टेशन्स				
1					
2					
3					
	उप – योग (II) (400 के वी एस/एस)				
III.	220 के वी लाईनें				
1					
2					
3					
	उप –योग III (220 के वी लाईनें)				
IV.	220 के वी उप–स्टेशन्स				
1					
2					
3					
	उप–योग (iv) (220 के वी उप–स्टेशन्स)				
V.	132 के वी लाईनें				
1					
3					
6					
	उप–योग (iv) (132 के वी लाईनें)				
VI.	132 केवी उप–स्टेशन्स				
1					
2					
3					
	उप–योग (vi) (132 के वी उप–स्टेशन्स)				
VII.	विविध कार्य				
1					
2					
3					
	उप –योग (vii) विविध कार्य				
	कुल योग (I.VIII)				

Name of Transmission Licensee ____________

प्रपत्र 19

निवेश योजना

भाग ए : वास्तविक पारेषण कार्य

क्रम सं0	पारेषण लाईन व उप– स्टेशन का नाम	लाईन की लंबाई	अनुमानित लागत (करोड़ रू0 में)	कार्य पूर्णता लागत	लागत में परिवर्तन	लागत में परिवर्तन के कारण	पूर्ण होने की अनुसूचित तिथि	पूर्ण होने की वास्तविक तिथि	विद्युत निरीक्षक की अनुमति की तिथि	अनुसूची में परिवर्तन	अनुसूची में परिवर्तन के कारण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	400 के वी लाईनें										
1											
2											
3											
	उप – योग (II) (400 के वी लाईनें)										
II.	400 के वी उप स्टेशन्स										
1											
2											
3											
	उप – योग (II) (400 के वी एस/एस)										
III.	220 के वी लाईनें										
1											
2											
3											
	उप –योग III (220 के वी लाईनें)										
IV.	220 के वी उप–स्टेशन्स										
1											
2											
3											
	उप–योग (iv) (220 के वी उप–स्टैशन्स)										
V.	132 के वी लाईनें										
1											
3											
6											
	उप–योग (iv) (132 के वी लाईनें)										
VI.	132 केवी उप–स्टेशन्स										
1											
2											
3											
	उप–योग (vi) (132 के वी उप–स्टैशन्स)										
VII.	विविध कार्य										
1											
2											
3											
	उप –योग (vii) विविध कार्य										
	कुल योग (I.VIII)										

(वित्त वर्ष 2011–12 से प्रभावी विवरण प्रदान करें)

विद्युत निरीक्षक द्वारा अनुमोदन की तिथि, ऊर्जाकरण / पूंजीकरण की तिथि मानी जायेगी

Format for Transmission

Name of Transmission Licensee

प्रपत्र 21.1

शंट कैपेसिटर परिवर्धन/मरम्मत कार्यक्रम

क्र.सं.	विवरण	क्षमता (एमवीएआर)
कैपेसिटर्स एडिशन		
1	पूर्व वर्ष के अंत पर कुल कैपेसिटर्स आवश्यकता	
2	पूर्व वर्ष के अंत पर वास्तविक संस्थापित कैपेसिटर्स	
3	पूर्व वर्ष के अंत पर बैक लौग/ कमी (1–2)	
4	वर्तमान वर्ष हेतु अतिरिक्त आवश्यकता	
5	वर्तमान वर्ष के दौरान जोड़े जाने के लिये आवश्यक कुल क्षमता (3+4)	
6	वर्तमान वर्ष के प्रथमार्ध के दौरान वास्तव में संस्थापित	
7	वर्तमान वर्ष के द्वितीयार्ध हेतु लक्ष्य	
8	वर्तमान वर्ष के दौरान जोड़े जाने के लिये संभावित कुल कैपेसिटर्स (6+7)	
9	वर्तमान वर्ष में अंत तक उपलब्ध होने के लिये संभावित कुल क्षमता (2+8)	
10	कमी, यदि कोई है (5–9)	
त्रुटिपूर्ण शंट कैपेसिटर्स की मरम्मत		
11	पूर्व वर्ष की समाप्ति के अंत में	
12	पूर्व वर्ष के अंत तक उपलब्ध शुद्ध क्षमता (2–11)	
13	वर्तमान वर्ष के प्रथमार्ध के दौरान क्षतिग्रस्त कैपेसिटर्स	
14	वर्तमान वर्ष में प्रथमार्ध के दौरान मरम्मत किये गये कैपेसिटर्स	
15	वर्ष के प्रथमार्ध के अंत तक उपलब्ध शुद्ध क्षमता (12–13+14)	
16	वर्तमान वर्ष के अंत तक क्षतिग्रस्त कैपेसिटर्स का लक्ष्य स्तर	
17	वर्तमान वर्ष के अंत तक उपलब्ध होने के लिये संभावित शुद्ध क्षमता (9–16)	
18	वर्ष के अंत तक शुद्ध कमी (5–17)	

उपरोक्त विवरण के साथ इसके कारणों व उसके सुधार हेतु किये गये/नियोजित उपायों का विस्तृत नोट संलग्न किया जाये।

Format for Transmission

Name of Transmission Licensee

प्रपत्र 20

सही करण का सार

अंतिम सहीकरण के लिये पूर्व वर्ष (n-1)

राशि करोड़ रू0 में

क्र.सं.	विवरण	अनुमोदित	वास्तविक	परिवर्तन	परिवर्तन के कारण	नियन्त्रण योग्य	अनियन्त्रणीय
ए	**वार्षिक पारेषण प्रभार**						
1	ऋण पर ब्याज (मानकीय ऋणों पर ब्याज सहित)						
2	अवक्षय						
3	पट्टा प्रभार						
4	इक्विटी पर प्रतिफल						
5	ओ एंड एम व्यय						
6	कार्यशील पूंजी पर ब्याज						
7	आय कर						
8	अन्य व्यय (कृपया विवरण दें)						
9	सकल वार्षिक पारेषण प्रभार (1+2+3+4+5+6+7+8)						
10	घटा कर : अन्य आय (विवरण दें9						
	वार्षिक पारेषण प्रभार						
B	**राजस्व**						
1	पारेषण प्रभारों से राजस्व						
2	अन्य कारोबार से आय, ई ए 2003 की धारा 41 के अधीन						
	कुल राजस्व						
C	**अधिशेष /(अन्तराल)**						

नोट : नियन्त्रण आयोग कारकों के कारण विचलनों हेतु विस्तृत स्पष्टी करण पृथक रू‍ से प्रदान करें

वर्तमान वर्ष (n) वार्षिक कार्य निष्पादन समीक्षा

राशि करोड़ रू0 में

क्र.सं.	विवरण	अनुमोदित	वास्तविक	परिवर्तन	परिवर्तन के कारण	नियन्त्रण येग्य	नियन्त्रण अयोग्य
A.	**वार्षिक पारेषण प्रभार**						
1	ऋण पर ब्याज (मानकीय ऋणों पर ब्याज सहित)						
2	अवक्षय						
3	पट्टा प्रभार						
4	इक्विटी पर प्रतिफल						
5	ओ एंड एम व्यय						
6	कार्यशील पूंजी पर ब्याज						
7	आय कर						
8	अन्य व्यय (कृपया विवरण दें)						
9	सकल वार्षिक पारेषण प्रभार (1+2+3+4+5+6+7+8)						
10	घटा कर : अन्य आय (विवरण दें9						
	वार्षिक पारेषण प्रभार						
B	**राजस्व**						
1	पारेषण प्रभारों से राजस्व						
2	अन्य कारोबार से आय, ई ए 2003 की धारा [illegible] के अधीन						
	कुल राजस्व						
C	**अधिशेष /(अन्तराल)**						

नोट : नियन्त्रण आयोग कारकों के कारण विचलनों हेतु विस्तृत स्पष्टी करण पृथक रू‍ से प्रदान करें

Format for Transmission

Name of Transmission Licensee

प्रपत्र 21.2

विद्युत संबंधी दुर्घटनाऐं

दुर्घटना का प्रकार	दुर्घटनाओं की संख्या					
	पूर्व वर्ष			वर्तमान वर्ष		
	घातक	अघातक	योग	घातक	अघातक	योग
मानवीय						
पशु						
योग						

Format for Transmission

	Name of Transmission Licensee						
	प्रपत्र 21.3						
	परिवर्तकों की विफलता						
क्र.सं.	**मद**	**पूर्व वर्ष**			**वर्तमान वर्ष (वास्तविक)**		
		परिवर्तकों की संख्या	विफलताओं की संख्या	विफलता की कुल अववधि (घंटे)	परिवर्तकों की संख्या	विफलताओं की संख्या	विफलता की कुल अवधि (घंटे)
	परिवर्तक अनुपात						
1	परिवर्तन अनुपात 1						
2	परिवर्तन अनुपात 2						
3	परिवर्तन अनुपात 3						
4	परिवर्तन अनुपात 4						
	व्यवधान की औसत अवधि						
5	परिवर्तन अनुपात 1 के लिये प्रतिपरिवर्तक व्यवधान की औसत अवधि						
6	परिवर्तन अनुपात 2 के लिये प्रति परिवर्तक व्यवधान की औसत अवधि						
7	परिवर्तन अनुपात 3 के लिये प्रति परिवर्तक व्यवधान की औसत अवधि						
8	परिवर्तन अनुपात 4 के लिये प्रति परिवर्तक व्यवधान की औसत अवधि						

आयोग के आदेश से,

नीरज सती,

सचिव

उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 25 हिन्दी गजट/297—भाग 1—क—2012 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

मुद्रक एवम् प्रकाशक—अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की।